



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

International Financial
Services Centres Authority

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL
REPORT
2023-24

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses, income, and any other financial activities that occur within the organization.

Next, the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data. It describes how different types of transactions are categorized and how they are entered into the accounting system. The importance of double-checking entries and ensuring that all data is correctly recorded is stressed throughout this section.

The following section details the process of reconciling accounts and ensuring that the books are balanced. It explains how discrepancies are identified and resolved, and how regular reconciliations help to prevent errors and maintain the accuracy of the financial statements.

Finally, the document discusses the preparation and review of financial statements. It covers the requirements for these statements, the importance of providing clear and concise information, and the role of management in reviewing and approving the final figures. The document concludes by emphasizing the overall goal of financial reporting: to provide a true and fair view of the organization's financial performance.

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24



यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में 28 फरवरी 2022 को अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां और विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है।





K.Rajaraman
Chairperson



सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

आईएफएससीए-ईसीपीए/4/2023-इकनॉमिक पालिती एंड एनालिसिस
जून 28, 2024

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अद्योपित कर रहा हूँ।

भवदीय,

(के राजरामन)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

IFSCA-EcPA/4/2023-Economic Policy and Analysis
June 28, 2024

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2024, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Enclosure: As above

Yours faithfully,


(K. Rajaraman)

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800



खंड – क



लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन एकीकृत वित्तीय नियामक के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुजरात में गुजरात इन्टरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, में स्थित है। आईएफएससीए (इसके पश्चात 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) का मुख्य प्रयोजन व्यवसाय प्रक्रिया को सहज बनाने पर आधारित विश्व स्तरीय परितंत्र (इकोसिस्टम) सृजित करने के अधिदेश के साथ भारत में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफएससीज) में वित्तीय सेवाओं को विकसित और विनियमित करना और भारत में आईएफएससीज को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए पंसदीदा वैश्विक गंतव्य स्थल बनाने के लिए अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम नियामक तंत्र प्रदान करना है। आईएफएससीए एक एकीकृत वित्तीय विनियामक है, जिसके पास बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा और पेन्शन फंड को विनियमित करने की शक्ति है, आईएफएससीए को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में वित्तीय बाजारों में विनियमन हेतु रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआईए और पीएफआरडीए की शक्तियां दी जा रही हैं। भारत में आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के प्रति आईएफएससीए सम्यक दृष्टिकोण अपनाता है। वर्तमान में गिफ्ट आईएफएससी भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र है।

विजन

क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में सेवा करने के अलावा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को विश्व स्तरीय नियामक परिवेश प्रदान करना और भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाने पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए इन केन्द्रों का विकास करना।

मिशन

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को व्यवसाय समर्थक परिवेश के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा और पूंजीबाजार क्रियाकलापों के लिए वैश्विक रूप से विविधतापूर्ण और प्रतिस्पर्धी वित्तीय केन्द्रों के रूप में विकसित करना जो प्रगतिशील नियामक संरचना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अवसंरचना और प्रतिभावान वित्तीय वृत्तियों से विधिवत समर्थित हों और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्र दोनों की सम्यक रूप से सेवा करें।

लक्ष्य और उद्देश्य

- (i) भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का सुदृढ़ आधार विकसित करने में सुविधा देना
- (ii) अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को भारत में लाने और भारत से ले जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को प्रमुख द्वार के रूप में बढ़ावा देना
- (iii) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरना
- (iv) सुदृढ़ विनियमन और पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी के अनुरूप सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं सहित अत्याधुनिक एकीकृत विनियामक व्यवस्था प्रदान करना
- (v) प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अधिकारक्षेत्रों के साथ सुदृढ़ वैश्विक सम्पर्क विकसित करना



अध्यक्ष का वक्तव्य

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की उल्लेखनीय यात्रा और प्रगति को दर्शाने वाली यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है।

आईएफएससीए ने सन 2020 में अपनी स्थापना से ही गिफ्ट आईएफएससी में वैश्विक मानकों और प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ विनियामक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कर्मठता से कार्य किया है। इस प्रयास में भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धी कराधान व्यवस्था प्रदान करते हुए और अहम नीतिगत अग्रणी सुधार करते हुए अविचल समर्थन द्वारा मजबूत सहारा दिया है, जिससे वित्तीय नवाचार और संवृद्धि के लिए प्रेरक परिवेश को प्रोत्साहन मिला है।



श्री के. राजारमन
अध्यक्ष, आईएफएससीए

गिफ्ट आईएफएससी द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इनफिनटी फोरम 2.0 के दौरान अपने अभिभाषण में अपने विजन की रूपरेखा इस प्रकार से बताई “भारत पूरे विश्व के लिए आशा की किरण है, जो विगत दशक में इसकी मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था और संपरिवर्तनकारी सुधारों का परिणाम है। हम गिफ्ट सिटी को नवयुग की वित्तीय सेवाओं का वैश्विक सामर्थ्य केन्द्र बनाना चाहते हैं।” इस विजन से मार्गदर्शन लेते हुए आईएफएससीए अपने विनियमों को निरंतर ही सर्वोत्तम क्षेत्राधिकारों के अनुरूप बनाते हुए नवाचार में सबसे आगे रहा है।

गिफ्ट आईएफएससीए के लिए सन 2024-25 के अंतरिम बजट की प्रस्तुति में अनुशंसा की गई। अपने अभिभाषण में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि, “गिफ्ट आईएफएससी और एकीकृत विनियामक प्राधिकरण, आईएफएससीए, अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं हेतु एक सुदृढ़ प्रवेशद्वार का सृजन कर रहे हैं।” यह अभिस्वीकृति आईएफएससीए और गिफ्ट आईएफएससी द्वारा अर्थव्यवस्था को संभालने और वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं को आकर्षित करने के लिए हितकारी परिवेश के लिए पोषण करने की अहम भूमिका को दर्शाती है।

गिफ्ट आईएफएससी के भीतर ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धी परितंत्र को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससीए प्रतिबद्ध है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा सन 2023 में की गई घोषणा के अनुसरण में आईएफएससीए जुलाई के आरंभ में गिफ्ट आईएफएससी को डायरेक्ट लिस्टिंग हेतु अंतिम मानदंडों को जारी करने के लिए तत्पर है, जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में निर्बाध रूप से पहुंच की सुविधा देने के लिए हमारी निष्ठा का प्रमाण है।

हमारा फोकस गिफ्ट आईएफएससी की प्रतिस्पर्धी विनियामक आधारशिला का लाभ उठाने की तरफ है ताकि वैश्विक वित्तीय क्षेत्र की फर्म को भारत और इस क्षेत्र की सहायता हेतु आकर्षित किया जाए। भारतीय स्वामित्व वाले व्यवसाय जो ऐतिहासिक रूप से विदेशी क्षेत्राधिकारों से संचालित हो रहे थे, अब गिफ्ट आईएफएससी में अपना कारोबार स्थापित कर रहे हैं। जलयानों के विख्यात पट्टाकर्ताओं का पंजीकरण और गिफ्ट सिटी के माध्यम से बड़े कैरियरों की सफल पट्टेदारी, भारत के समुद्रवर्ती उद्योग के लिए आशाजनक मार्ग का संकेत देती है।

वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय समन्वयन को बढ़ावा देने में आईएफएससीए और वित्तीय सेवा आयोग, मारीशस (एफएससी मोरीशस) के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) और इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्श्योरेंस सुपरवाइजर्स (आईआईएस), जिसका आईएफएससीए भी एक सदस्य है, के साथ बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमएमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाना शामिल है। ये सहमति ज्ञापन आईएफएससीए को गिफ्ट आईएफएससी के परितंत्र को अन्य वित्तीय केन्द्रों के साथ जोड़ने की सक्षमता प्रदान करते हैं।

जिस तरह हम अपनी क्षितियों का निरंतर विस्तार कर रहे हैं, उसी प्रकार हम गिफ्ट आईएफएससी की तरफ वैश्विक और स्वदेशीय प्रतिभाओं को विकसित और आकर्षित करने के लिए वचनबद्ध हैं। व्यवसाय लेखांकन के निर्यात, अनुपालन सेवाओं और आईएफएससी से लेखापरीक्षा सेवाओं से संबंधित नए विनियम गिफ्ट आईएफएससी को वित्तीय सेवाओं के लिए वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने की हमारी वचनबद्धता के अनुक्रम में हैं।

मुझे यह घोषणा करने में भी गर्व है कि आईएफएससी ने 7 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू), 59 निधि प्रबंधन संस्थानों (एफएमई), 71 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ), 6 आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओ), 6 आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालयों (आईआईआईओ) को पंजीकरण प्रदान किये हैं, जो सन 2023-24 में आईएफएससी द्वारा लाइसेन्सकृत विनियमित प्रमुख संस्थानों में से हैं। यह गिफ्ट आईएफएससी की विकास कथा में मजबूत स्वदेशी और वैश्विक सहभागिता का प्रमाण है।

विकसित भारत@2047 के लिए भारत सरकार के विजन के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय पूंजी और वित्तीय सेवाओं के विविध और लागत प्रभावी प्रकारों तक अभिगम पाने के लिए हम भारतीय व्यवसायों को शक्ति देने के लिए समर्पित हैं। सन 2024 की चौथी तिमाही तक तत्काल भुगतान समायोजन तंत्र को लागू करने के आगामी कार्य से यही अभिप्रेत है कि आईएफएससी वित्तीय बाजारों की कुशलता को बढ़ावा दिया जाए।

हम नवाचार करना जारी रखते हुए, तथापि आईएफएससी यह भी समझता है कि आईएफएससी बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखना आवश्यक है। निवेशकों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और आईएफएससी ने विनियमित प्रतिष्ठानों का ऑनसाइट और ऑफसाइट पर्यवेक्षण आरंभ कर दिया है। आईएफएससी निरंतर ही एएमएल और सीएफटी विनियमों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है और गिफ्ट आईएफएससी को निवेशकों के लिए सुरक्षित और निरापद वित्तीय बाजार के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की प्रतिष्ठा को संरक्षित रखने के लिए सभी उपाय करता है।

जिस प्रकार हम अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं, तो मुझे विश्वास है कि सभी हितग्राहियों से सतत सहयोग और समर्थन के साथ गिफ्ट आईएफएससी का उदय वित्तीय उत्कृष्टता के प्रकाश स्तंभ के रूप में होगा, जो विकसित भारत@2047 हेतु पूंजी जुटाने और इसकी स्थिति को वैश्विक वित्तीय नक्शे पर दृढ़ करने में सहायक होगा।

आईएफएससी के विजन के प्रति आपके अविचल समर्थन और वचनबद्धता के लिए धन्यवाद।

प्राधिकरण के सदस्य
(31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)



श्री के. राजारमन
अध्यक्ष



श्री पंकज शर्मा
सदस्य



श्रीमती सुरभि जैन
सदस्य



श्री सौरव सिन्हा
सदस्य



श्री प्रमोद राव
सदस्य



श्री अनंत गोपाल दास
सदस्य



श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
सदस्य



प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन
(31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

नाम	पदनाम
श्री प्रवीण त्रिवेदी	कार्यकारी निदेशक
श्री दीपेश शाह	कार्यकारी निदेशक
श्री प्रदीप रामकृष्णन	कार्यकारी निदेशक
श्री कुमार रघुरामन	मुख्य महाप्रबंधक
श्री सुप्रियो भट्टाचार्जी	मुख्य महाप्रबंधक
श्री आशुतोष शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक
श्री कमलेश शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक
श्री जोसेफ जोशी सी जे	मुख्य महाप्रबंधक

विषय वस्तु

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं
क	खंड – क	V
	लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण	VII
	अध्यक्ष का वक्तव्य	IX
	प्राधिकरण के सदस्य (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)	XI
	प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)	XII
	सारणियों की सूची	XIV
	आकृतियों की सूची	XVI
	बोक्स की सूची	XVII
	चित्रों की सूची	XVII
	संक्षेपाक्षर	XX
ख	खंड – ख: समीक्षाधीन वर्ष : सामान्य आर्थिक परिवेश का संक्षिप्त विवरण	1
	वैश्विक अर्थव्यवस्था – आकलन और परिदृश्य	2
	भारत : आर्थिक आकलन और संभावनाएं	6
ग	खंड – ग: प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की समीक्षा	13
	बैंकिंग	14
	वित्तीय कम्पनियां	24
	पूंजी बाजार	30
	निधि प्रबंधन	46
	धातुएं और पण्य	52
	फिनटेक	60
	बीमा	72
	वैश्विक आंतरिक केन्द्र	80
	सतत वित्त	82
	अनुषंगित सेवाएं	90
	विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान	94
	सूचना प्रौद्योगिकी	98

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं
	विकासात्मक क्रियाकलाप	102
घ	खंड – घ: प्राधिकरण के अर्ध-विधायी कार्य	119
ङ	खंड – ङ: कार्यनिष्पादन का आकलन	131
च	खंड – च: निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र (वित्तीय वर्ष 2023-24)	135
छ	खंड – छ: संगठनात्मक मामले	137

सारणियों की सूची

सारणि संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
सारणी 1	आईबीयू की संख्या	19
सारणी 2	आईबीयू में कुल आस्तियां – मिलियन अमरीकी डोलर में	19
सारणी 3	सभी आईबीयू में कर्मचारियों की संख्या	19
सारणी 4	डेरिवेटिव बकाया (मिलियन अमरीकी डोलर)	21
सारणी 5	पंजीकृत वित्त कम्पनियां - 31 मार्च 2024 को	25
सारणी 6	वायुयान परिचालन लीज (एओएल) प्रतिष्ठान	25
सारणी 7	जलयान लीजिंग प्रतिष्ठान	25
सारणी 8	आईटीएफएस प्लेटफार्मस	25
सारणी 9	आईएफएससी में ब्रोकर डीलर (31 मार्च 2024 को)	35
सारणी 10	आईएफएससी में समाशोधन सदस्य (31 मार्च 2024 की स्थिति)	35
सारणी 11	इन्डेक्स वायादा में संविदाओं की संख्या और टर्नओवर	37
सारणी 12	इन्डेक्स ओप्शन में संविदाओं की संख्या और प्रीमियम टर्नओवर	38
सारणी 13	आईएफएससी एक्सचेन्जों में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध पण्य डेरिवेटिव	38
सारणी 14	इंडिया आईएनएक्स पर पण्य डेरिवेटिव में टर्नओवर	38
सारणी 15	करेन्सी डेरिवेटिव	38

सारणी संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
सारणी 16	मुद्रा डेरिवेटिव में टर्नओवर	39
सारणी 17	पंजीकृत एफएमई की संख्या	48
सारणी 18	फंड मैनेजमेन्ट स्कीमों द्वारा निवेश	49
सारणी 19	पीएमएस प्रदान करने वाली एफएमई	49
सारणी 20	आईआईबीएक्स (स्वर्ण) पर उपलब्ध हाजिर उत्पाद	53
सारणी 21	आईआईबीएक्स पर उपलब्ध हाजिर उत्पाद (चांदी)	53
सारणी 22	गिफ्ट आईएफएससी में बुलियन बाजार के पंजीकृत मध्यस्थ	55
सारणी 23	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान फिनटेक केन्द्रों और शैक्षिक संस्थानों के साथ हुए एमओयू	64
सारणी 24	आईएफएससी एक्सचेन्जों में ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग (बिलियन अमरीकी डोलर)	83
सारणी 25	वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण लिस्टिंग	84
सारणी 26	आईबीयू द्वारा समग्र सतत वित्तपोषण	85
सारणी 27	आईबीयू द्वारा संधारणीय वित्तपोषण का क्षेत्रवार वर्गीकरण	85
सारणी 28	अनुषंगी सेवा प्रतिष्ठानों का क्रियाकलाप अनुसार विवरण	91
सारणी 29	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान महत्वपूर्ण आउटरीच और सहबद्धता क्रियाकलाप	112
सारणी 30	विनियमों की सूची	121
सारणी 31	प्रमुख अधिसूचनाओं की सूची	123
सारणी 32	प्रमुख परिपत्रों / दिशानिदेशों की सूची	125
सारणी 33	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निधि के स्रोत	136
सारणी 34	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी अनुदान का विवरण	136
सारणी 35	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र	136
सारणी 36	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण की संरचना	138
सारणी 37	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित आईएफएससी प्राधिकरण की बैठकें	139
सारणी 38	कर्मचारियों का संस्वीकृत और वास्तविक संख्याबल	140
सारणी 39	31 मार्च 2023 को आईएफएससीए में सलाहकार	141
सारणी 40	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरटीआई आवेदनों की स्थिति	141

आकृतियों की सूची

आकृति संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
आकृति 1	प्रमुख क्रेडिट उत्पादों में बकाया (मिलियन अमरीकी डोलर)	19
आकृति 2	टर्नओवर (कारोबार की मात्रा) मिलियन अमरीकी डोलर	20
आकृति 3	निवेश प्रोफाइल – मिलियन अमरीकी डोलर	20
आकृति 4	आईबीयू के प्रमुख देशों में एक्सपोजर	21
आकृति 5	आईएफएससी में वित्त कम्पनियों की संख्या	26
आकृति 6	स्टोक एक्सचेंजों का टर्नओवर (मिलियन अमरीकी डोलर)	37
आकृति 7	वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टोक एक्सचेंजों में टर्नओवर	39
आकृति 8	आईएफएससी में बुलियन बाजार का परितंत्र	54
आकृति 9	वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एफई फ्रेमवर्क के तहत अनुमेय क्षेत्रों में आवेदनों के तुलनात्मक विश्लेषण	62
आकृति 10	वित्तीय वर्ष 2023-24 में टेकफिन वर्ग में आवेदनों के पांच प्रमुख उदीयमान क्षेत्र	62
आकृति 11	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एफई व्यवस्था के तहत सीमित प्रयोग प्राधिकार प्रदान किए गए फिनटेक प्रतिष्ठान	63
आकृति 12	आईआईओ का वर्गीकरण	74
आकृति 13	आईआईआईओए का वर्गीकरण	75
आकृति 14	आईआईओ द्वारा हामीदारी कारोबार (मिलियन अमरीकी डोलर)	75
आकृति 15	आईआईआईओ द्वारा किया गया कारोबार (मिलियन अमरीकी डोलर)	76
आकृति 16	31 मार्च 2024 को ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	83
आकृति 17	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	83
आकृति 18	एसडब्ल्यूआईटी प्रणाली की स्कीमेटिक अभिव्यक्ति	99

बाक्स की सूची

बाक्स संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
बोक्स 1	सीधी लिस्टिंग स्कीम के प्रमुख अभिलक्षण	31
बोक्स 2	गिफ्ट कनेक्ट	33
बोक्स 3	आईएफएससीए में प्रत्यायित निवेशकों के लिए विनियामक व्यवस्था	47
बोक्स 4	गिफ्ट आईएफएससीए को वैश्विक लेखांकन केन्द्र बनाना	92
बोक्स 5	एआईएसपी परिपत्र के मुख्य अभिलक्षण	95
बोक्स 6	आईएफएससीए सिंगल विन्डो आईटी सिस्टम (एसडब्ल्यूआईटीएस)	98

चित्रों की सूची

चित्र संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
चित्र 1	निर्यात ऋण और निर्यात ऋण बीमा में आईएफएससीए की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	22
चित्र 2	‘व्यापार वित्त अंतराल का समापन : नीतिगत विकल्प’ सत्र के लिए पैनल सदस्य	23
चित्र 3	माननीय वित्त मंत्री के साथ ग्लोबल मैरीटाइम समिट का पैनल	27
चित्र 4	आयरलैण्ड में भारत के राजदूत के साथ आईएफएससीए की भेंट	27
चित्र 5	अध्यक्ष, आईएफएससीए – सिंगापुर में गोलमेज के दौरान बाजार सहभागियों के साथ	40
चित्र 6	आईएफएससीए और एमएसी की बैठक	41
चित्र 7	श्री प्रवीण त्रिवेदी, आईएफएससीए के कार्यकारी निदेशक और श्री सौरभ शाह, कौरपोरेट सलाहकार इंडिया आईएनएक्स की मेजबानी में आयोजित आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 क्लोजिंग बेल आयोजन अवसर पर	43
चित्र 8	अध्यक्ष, आईएफएससीए बड़े वैश्विक फंडों के साथ गोलमेज परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए	50
चित्र 9	श्री प्रदीप रामाकृष्णन, कार्यकारी निदेशक आईवीसीए संगोष्ठी, 2024 के दौरान अन्य प्रतिनिधियों के साथ	50
चित्र 10	अध्यक्ष, आईएफएससीए आईवीसीए प्राइवेट क्रेडिट समिट, 2023 में श्रोताओं को संबोधित करते हुए	51
चित्र 11	आईएफएससीए द्वारा अहमदाबाद विश्वविद्यालय, केसुम, एसटीपीआई, पीआईईडीएस, फर्स्ट, एन्टरप्राइज इनक्यूबेशन सेन्टर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर	64
चित्र 12	भारत के माननीय प्रधानमंत्री इनफिनिटी फोरम 2.0 का शुभारंभ करते हुए	65
चित्र 13	गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टर्स मीट 2023	66
चित्र 14	मुम्बई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023	67
चित्र 15	ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 में आईएफएससीए का बूथ	67

चित्र संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
चित्र 16	बंगलुरु में फिनटेक फाउंडर्स मीट के सहभागियों के साथ आईएफएससीए	68
चित्र 17	इन्टरसेक्ट 23 में पैनल परिचर्चा में आईएफएससीए की सहभागिता	69
चित्र 18	अध्यक्ष, आईएफएससीए सिंगापुर में फिनटेक फेस्टिवल, 2023 में	70
चित्र 19	एमएमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान आईएआईएस और आईएफएससीए के प्रतिनिधि	77
चित्र 20	अध्यक्ष, आईएफएससीए - टोक्यो, जापान में रोड-शो दौरान	77
चित्र 21	उद्घाटन सत्र 'विजन ट्रैक' के दौरान प्रतिनिधि	78
चित्र 22	'टू डेवलप इंडिया एज रीइन्श्यूरेन्स हब' विषय पर पैनल चर्चा। प्रतिनिधि	79
चित्र 23	श्री दीपेश शाह, ईडी, आईएफएससीए जीसीसी (सीएक्सओ मीट) को सम्बोधित करते हुए	81
चित्र 24	अध्यक्ष, आईएफएससीए - जलवायु सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में	88
चित्र 25	गिफ्ट आईएफएससीए में डीकिन विश्वविद्यालय	96
चित्र 26	आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी के बीच आईएफएससीए समझौता ज्ञापन का विनिमय	103
चित्र 27	अध्यक्ष, आईएफएससीए को बीएटीएफ पर विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए	104
चित्र 28	श्री प्रदीप रामकृष्णन, ईडी, आईएफएससीए पीएसई @ 2047 में प्रतिनिधियों के साथ	106
चित्र 29	माननीय केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमन - आईएफएससीए के मुख्य कार्यालय में	107
चित्र 30	आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के राजारमन के नेतृत्व में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल की फ्रान्स के श्री जेरोम रेबुल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एन्ड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स, एएमएफ से उनके मुख्यालय में भेंट।	107
चित्र 31	अध्यक्ष, आईएफएससीए - लक्जेंबर्ग स्टोक एक्सचेंज (एलएसई) के अधिकारियों को संबोधित करते हुए	108
चित्र 32	वायब्रेन्ट गुजरात 2024 में प्लेनेरी सत्र "गिफ्ट सिटी - एन एस्पायरेशन ऑफ माडर्न इंडिया"	109
चित्र 33	आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के राजारमन, इरडाई इन्श्योरेंस रोड शो में जापानी व्यवसायियों के साथ वार्ता में संबोधन करते हुए (भारतीय दूतावास, टोक्यो)	109
चित्र 34	अध्यक्ष, आईएफएससीए के नेतृत्व में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल की भेंट श्री तोशियुकी, उप आयुक्त अंतरराष्ट्रीय कार्य, एफएसए, जापान	110
चित्र 35	नस्टाक में ओपनिंग बेल के अवसर पर	110
चित्र 36	गिफ्ट आईएफएससीए में अवसरों पर सम्मेलन	111
चित्र 37	आईएफएससीए के अध्यक्ष से स्वच्छता शपथ लेते हुए आईएफएससीए कर्मचारी	142
चित्र 38	'स्वच्छता पखवाड़ा - स्वच्छता ही सेवा' के भाग के रूप में वोकथोन	142

चित्र संख्या	विवरण	पृष्ठ सं
चित्र 39	आईएफएससीए कर्मचारियों द्वारा 'स्वच्छता पखवाड़ा- स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2023' के भाग के रूप में पीडीपीयू ब्रिज गिफ्ट सिटी में सफाई अभियान -	143
चित्र 40	सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में सतर्कता शपथ लेते आईएफएससीए अधिकारी	144
चित्र 41	चिंतन शिविर 2024 के भाग के रूप में स्टैच्यू ओफ यूनिटी का दौरा	146
चित्र 42	चिंतन शिविर 2024 के तहत शहर का भ्रमण	146
चित्र 43	75वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण समारोह	147
चित्र 44	77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण	148

इस रिपोर्ट में प्रयुक्त मानक शब्दरूप

₹ : रुपये

लाख : सौ हजार

करोड़ : दस मिलियन

मिलियन : दस लाख

बिलियन : हजार मिलियन / सौ करोड़

पूर्णांकन के कारण योग में अंतर हैं और कई बार हो सकता है कि इनका योग पूर्णतया शत प्रतिशत नहीं हो।

इस रिपोर्ट को इंटरनेट पर भी देखा जा सकता है : <https://www.ifsca.gov.in/>

संक्षेपाक्षर

एसीएफआईटी	लेखापरीक्षा पेपर, उपस्थिति बाध्यता, आस्तियों का प्रयोग बंद, इंटरनेट रिकार्ड, टेलिफोन रिकार्ड
एसीएलआई	अमेरिकन काउन्सिल ऑफ लाइफ इन्श्योरर्स
एडी	प्राधिकृत डीलर
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एईडी	यूईई दिरहम
एजीएम	वार्षिक आम सभा
एआई/एमएल	कृत्रिम मेधा / मशीन लर्निंग
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश फंड
एसएसओसीएचएम	एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कोमर्स एन्ड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया
एयूडी	अस्ट्रेलियन डॉलर
एयूएम	प्रबंधन अधीन आस्तियां
बीसीजी	बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप
बीएफएसआई	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
बीयू	बैंकिंग यूनिट
सीएडी	केनेडियन डॉलर
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक संवृद्धि दर
सीबीआर	सीमापार के पुनः बीमाकर्ता
सीसीपी	केन्द्रीय प्रतिपक्ष
सीडीएसएल	सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लि.
सीईईडब्ल्यू	ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद
सीईपीए	समेकित आर्थिक साझेदारी समझौता
सीईआरटी-आईएन	भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल
सीएचएफ	स्विस फ्रैंक
सीआईएन	कापेरिट पहचान संख्या
सीओबी	व्यवसाय का संचालन
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरएआर	पूंजी और जोखिम (भारित) आस्तियां
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीएफएसए	दुबई फाइनेन्शियल सर्विसेज अथोरिटी
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
ईएमएमओयू	वर्धित बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन
ईओडीबी	व्यवसाय में सहजता
ई-ऑफिस	इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय
ईआरपी	उद्यम संसाधन आयोजना

ईएसजी	परिवेशीय, सामाजिक या अभिशासन
ईयूआर	यूरो
एक्जिम	भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफसी	वित्तीय कम्पनी
एफसीए	फाइनेन्शियल कन्डक्ट ॲथारिटी
एफसीवाई	विदेशी मुद्रा
एफईएम (एनडीआई)	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत)
एफआईसीसीआई	फेडरेशन ओफ इंडियन चैम्बर्स ओफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री
एफआईआरएसटी	फाउन्डेशन फोर इनोवेशन एन्ड रिसर्च इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी
एफएमई	फन्ड प्रबंधन संस्थान
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीबीपी	यूके पाउन्ड स्टर्लिंग
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएम	गवर्नमेन्ट ई मार्केटप्लेस
जीएफएफ	ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
जीएफआईएन	ग्लोबल फाइनेन्शियल इनोवेशन नेटवर्क
जीआईसी	ग्लोबल इनहाउस सेन्टर
जीआईएफटी	गुजरात इन्टरनेशनल फाइनेन्स टेक सिटी
जीएनपीए	सकल गैर निष्पादक आस्तियां
जीएसटीआईएन	वस्तु और सेवा टैक्स पहचान संख्या
जीएसटीएन	वस्तु और सेवा टैक्स नेटवर्क
जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
जीवीएफएल	गुजरात वेन्चर फाइनेन्स लिमिटेड
एचकेडी	हॉंगकॉंग डोलर
आईएसी	अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थन केन्द्र
आईएआईएस	इन्टरनेशनल एसोसिएशन ओफ इन्व्योरेन्स सुपपवाइजर्स
आईएएमएआई	इन्टरनेट एन्ड मोबाइल एसोसिएशन ओफ इंडिया
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईबीसी	आईएफएससी बैंकिंग कम्पनी
आईबीयू	आईएफएससी बैंकिंग इकाई
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली
आईडीवाई	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र
आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण
आईआईबीएक्स	भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेन्ज

आईआईडीआई	भारतीय अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड
आईआईआईओ	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा मध्यस्थ कार्यालय
आईआईएमएल	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट—लखनऊ
आईआईओ	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा कार्यालय
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईएनवीआईटी	अवसंरचना निवेश न्यास
आईओएससीओ	इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्यूरिटीज कमीशन
भाबीविविप्रा	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईएसपी	इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
आईटीईएस	सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण (अनुरूपित प्रणाली)
आईटीएफएस	अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तीयन सेवाएं
आईवीसीए	इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन
जेएफएसए	जापानी वित्तीय सेवा प्राधिकरण
जेपीवाई	जापानी येन
एलएएन	लोकल एरिया नेटवर्क
एलबीएमए	लन्दन बुलियन मार्केट एसोसिएशन
एलपीटीएम	सीमित प्रयोजन व्यापारिक सदस्य
एमएसएस	मोनिटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर
एमसीए	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीएलआर	निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत
एमसीएक्स	मन्टी कमोडिटी एक्सचेन्ज
एमईपीएफ	मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और अग्नि सुरक्षा
एमजीए	मैनेजिंग जनरल एजेंट
एमआईआई	मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टीट्यूट्स
एमआईएस	प्रबंधन संसूचना प्रणाली
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमयूएफजी	मिश्रितबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप
एनएसएससीओएम	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एन्ड सर्विस कम्पनीज
एनडीएफ	गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा
एनआईसी	राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र
एनआईसीसीएल	एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड
निफ्टी	नेशनल स्टोक एक्सचेन्ज फिफ्टी
एनएससीएस	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
एनएसडीएल	नेशनल सिक्क्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
एनएसई	नेशनल स्टोक एक्सचेन्ज

एनएसई आईएक्स	एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज
ओडीआई	ओफशोर डेरिवेटिव लिखत
ओईसी	विदेश स्थित शिक्षण केन्द्र
ओएफएस	विक्रय प्रस्ताव
ओआईएस	एकदिवसीय सूचकांकित स्वैप
ओवीएल	ओएनजीसी विदेश लि.
पीएएन	पमानेन्ट एकाउन्ट नम्बर
पीसीआई	भारतीय भुगतान परिषद
पीडीपीयू	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय
पीएफआरडीए	पेन्शन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण
पीओएसएच	लैकिंग उत्पीड़न रोकथाम
पीआरसी	कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरईआईटी	भूसंपदा निवेश न्यास
आरएफपी	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरयूबी	रूसी रूबल
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
एसएफसी	सुपरिन्टेन्डेन्शिया फिनेन्शिएरा डि कोलम्बिया
एसजीडी	सिंगापुर डॉलर
एसजीआरबीएस	सोवरेल ग्रीन बॉन्ड
एसजीएक्स	सिंगापुर स्टॉक एक्सचेन्ज
एसएनआरआर	विशेष अनिवासी रुपया खाता
एसओपी	मानक परिचालन पद्धति
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एसडब्ल्यूआईटीएस	एकल विन्डो आईटी प्रणाली
टीईआरआई	दि एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट
टीएमसीएम	व्यापारिक सदस्य/क्लीयरिंग सदस्य
टीआरक्यू	टैरिफ रेट कोटा
यूईजीडी	यूई गुड डिलीवरी
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएसडी	यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर
डबल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
वाईओवाई	वर्ष-दर-वर्ष





खंड - ख

समीक्षाधीन वर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था – आकलन और परिदृश्य

सन 2022 के बाद की अवधि का मुख्य लक्षण यह रहा कि अत्यधिक भू-आर्थिक विखंडन और बढ़ते हुए व्यापारिक तनावों के कारण वैश्विक व्यापार की पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। समस्त विश्व में आपूर्ति के मामले में आघात महसूस किए गए क्योंकि काला सागर, लाल सागर और पनामा नहर¹ सहित सभी प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर उपद्रवों का अनुभव किया गया। इन घटनाओं से और वैश्विक मंदी की प्रत्याशा में अर्थव्यवस्था के लिए धूमिल परिदृश्य बना।

कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए विश्व के सभी केन्द्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति में कसा हुआ रुख अपनाया लेकिन देशों के बीच मौद्रिक प्रसरण² की दर में अंतर रहे; उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक मौद्रिक कार्रवाइयां स्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने में सफल रहीं, लेकिन विकसित देशों में यही मौद्रिक प्रसरण ऐसी तीव्रगति का नहीं था³

सभी उपद्रवों और चुनौतियों के बावजूद अत्यधिक तेजी से बहाली दिखाते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्थिर रूप से बढ़ती रही। सन 2022 और 2023 के दौरान वैश्विक वास्तविक जीडीपी संचयी 6.7 प्रतिशत⁴ से ऊपर गई और जैसी प्रत्याशा थी वैसी महंगाई नहीं रही। वस्तुतः जब से वैश्विक महंगाई में बढ़ोतरी शुरू हुई थी, तब से ही सन 2023 के अंत तक कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए हेडलाइन स्फीति समस्तर पर ही रही।

यह अनुमान लगाया जाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सन 2024 और 2025 में 3.2 प्रतिशत से बढ़ती रहेगी। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए संवृद्धि में क्रमिक बढ़ोतरी अनुमानित है, जो सन 2023 के 1.6 प्रतिशत से सन 2024 में 1.7 प्रतिशत और सन 2025 में 1.8 प्रतिशत पर रहेगी; जबकि सन 2024 और 2025 में उदीयमान बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह संवृद्धि तुलनात्मक रूप से 4.2 प्रतिशत पर उच्चतर रहनी अनुमानित है⁵

वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए सन 2023 के वार्षिक औसत के 6.8 प्रतिशत से गिरकर सन 2024 में 5.9 प्रतिशत और इसके आगे सन 2025 में 4.5 प्रतिशत पर रहने की प्रत्याशा की गई है।

इस प्रकार अब प्रमुख निर्णयकर्ताओं के सामने एक मिथ्याभासी विश्व अर्थव्यवस्था के माध्यम से पार पाने की जटिल चुनौती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो एक तरफ तो अभी भी नानाप्रकार के आघातों से अपनी बहाली कर रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक विखंडीकरण से सहयोजित और इससे भी ज्यादा जलवायु परिवर्तन के सन्निकट खतरे से परस्पर निर्भरता के परिदृश्य में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रही है। संयुक्त प्रयासों की एक समकालिक शृंखला और सतत तथा सक्रिय सहयोग इस समय की जरूरत है।

वित्तीय बाजारों का निष्पादन

बैंकिंग उद्योग

सिलिकोन वैली बैंक संकट और अन्य उपद्रवों से पैदा हुए निवेशकों के अविश्वासी परिवेश के कारण समस्त विश्व के बैंकिंग उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव रहे⁶

¹ “शिपिंग के लिए अपूर्व व्यवधान वैश्विक व्यापार के लिए जोखिम पैदा कर रहे, यूएनसीटीएडी की चेतावनी”, फरवरी 2024, यूएनसीटीएडी

² जिस प्रक्रिया के माध्यम से मौद्रिक नीति निर्णय अर्थव्यवस्था को सामान्य और कीमत स्तनर को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं (ईसीबी)

³ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2024, आईएमएफ

⁴ उक्त

⁵ उक्त

⁶ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेटबिलिटी नोट्स, मार्च 2024, आईएमएफ

सन 2024 के आरंभ में नीति विषयक प्रत्याशाओं में अत्यधिक डगमगाहट रही जो आशा और निराशा के दौर में दोलायमान रही। आर्थिक स्थितियों में सुधार होने लगा क्योंकि पूरे विश्व के निवेशक नरम नीति की आशा कर रहे थे, और जोखिम की न्यूनतर आशा के कारण क्रेडिट पर ब्याज भी कम हुआ⁷ हालांकि, बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबावों की प्रत्याशा में मौद्रिक रुख में सख्ती रही।⁸

इस अवधि के दौरान सीमापार वित्तीय क्रियाकलाप में उल्लेखनीय बदलाव रहा। सन 2023 की चौथी तिमाही में सीमा-पार से किए जाने वाले दावों में 377 बिलियन अमरीकी डोलर की गिरावट रही, जो सन 2022 की चौथी तिमाही में दर्ज 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डोलर से काफी कम है। दिसम्बर 2023 की स्थिति के अनुसार सीमापार के वित्तीय क्रियाकलापों में बकाया मूल्य 39 ट्रिलियन अमरीकी डोलर था।⁹

सन 2023 की चौथी तिमाही में गैर बैंक क्षेत्र को दिया गया क्रेडिट 247 बिलियन अमरीकी डोलर से बढ़ गया, जो विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख बढ़ोतरी है। हालांकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को दिए गए क्रेडिट में मिश्रित प्रवृत्ति रही। सन 2023 की प्रथम तीन तिमाहियों में 600 बिलियन अमरीकी डोलर की बढ़ोतरी रही लेकिन चौथी तिमाही में 16 बिलियन अमरीकी डोलर की गिरावट रही। सीमापार के दावों में गिरावट के बावजूद सीमापार के क्रेडिट में इस साल 319 बिलियन अमरीकी डोलर की बढ़ोतरी रही।

इसके अलावा उदीयमान बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को क्रेडिट में सन 2023 की चौथी तिमाही में 30 बिलियन अमरीकी डोलर की बढ़ोतरी रही जबकि इसकी तुलना में विगत वर्ष (चौथी तिमाही 2022) में 179 बिलियन अमरीकी डोलर की गिरावट हुई थी। यह बढ़ोतरी इन अर्थव्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों की रुचि या भरोसे की निरंतरता का संकेत देती है।

विश्व के शीर्षस्थ 10 बैंकों के कुल बाजार पूंजीकरण का मूल्य 1,879,696 मिलियन अमरीकी डोलर था, जिसमें दो बैंकों, अर्थात जेपी मॉर्गन चेस एंड कम्पनी और कर्मिश्यल बैंक ऑफ चायना लि. की हिस्सेदारी क्रमशः 20 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत थी।¹⁰

पूंजी बाजार

सामने आई वैश्विक घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मुद्रास्फीतिके दबावों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई ने पूरे विश्वमें शेयर की कीमतों पर दबाव बना दिया। सर्वाधिक स्पष्ट प्रभाव यह रहे कि वैश्विक स्तर पर आईपीओ की संख्या में और निवेश प्रवाह में गिरावट रही, जो सन 2022 के अपने स्तरों से क्रमशः 27% और 53.4% गिरे। केवल कुछ बाजारों जैसे कि यूएस ने सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई। इसी प्रकार नकदी में कारोबारी क्रियाकलाप सभी क्षेत्रों में गिरावट वाले रहे। साथ ही शेयरों के कारोबार के वैश्विक मूल्य और मात्रा में क्रमशः 20.9% और 13.9% की गिरावट रही, और इस प्रकार की गिरावट सभी क्षेत्रों में रही।¹¹

इसके विपरीत सतत रूप से दर बढ़ोतरी और भूराजनीतिक तनावों की प्रतिक्रिया में जोखिमों से निपटने के लिए आवेश में उठाए गए कदमों के कारण कमोडिटी डेरिवेटिव की मात्रा में बढ़ोतरी रही।¹²

⁷ क्वान्टरली रिव्यू, मार्च 2024, बीआईएस

⁸ उक्त

⁹ इन्टरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स एन्ड ग्लोसबल लिक्विडिटी इन्डीमकेटर्स, दिसम्बर 2023, बीआईएस

¹⁰ 'टॉप 10 बैंक', 2023, ग्लोबल डाटा

¹¹ मार्केट हाइलाइट्स, 2023 वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेशज

¹² उक्त

फंड उद्योग

वैश्विक आस्ति प्रबंधन उद्योग की अस्तियां बढ़कर सन 2023 में लगभग 120 ट्रिलियन अमरीकी डोलर हो गईं जो एक साल पहले हुई गिरावट से उलट था। हालांकि आस्ति प्रबंधकों के समाने उनकी संवृद्धि के लिए विविध प्रकार की चुनौतियां रहीं¹³ लगभग दो दशक तक इस उद्योग के राजस्व की संवृद्धि का संचालन करने में बाजार का निष्पादन प्रमुख घटक रहे। हालांकि सन 2022 में तेजी से बढ़ती हुई ब्याज दरों ने स्टॉक और बॉन्ड दोनों के मूल्यों को तेजी से गिराया। प्रबंधन अधीन वैश्विक आस्तियां 10 ट्रिलियन अमरीकी डोलर की गिरावट दर्ज करते हुए 98 ट्रिलियन अमरीकी डोलर पर आ गईं — लगभग 2020 का स्तर हो गया। आस्तियों की निवल प्रवाह दर भी सन 2018 के बाद पहली बार 3 प्रतिशत से भी नीचे चली गई और सन 2022 के आरंभ के कुल एयूएम के 1.6 प्रतिशत पर पहुंच गई¹⁴

वर्तमान समय की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि फंड प्रबंधक आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और निवेशकों की मांगों को पूरा करने के लिए लाभप्रदता, निजी बाजारों और निजीकरण पर केंद्रित एक परिवर्तनकारी मानसिकता अपनाएं। नई प्रौद्योगिकियां उल्लेखनीय रूप से डायरेक्ट इन्डेक्सिंग की दिशा में ले जाते हुए अंतिम निवेशक के लिए उत्पादों को एक व्यक्तिगत रूप देने की क्षमता को प्रभावी रूप से सार्वलौकिक बनाते हैं।

वर्ष 2022 की स्थिति के अनुसार वैकल्पिक निवेश वैश्विक एयूएम के 20 ट्रिलियन अमरीकी डोलर से भी अधिक को दर्शाते हैं। ये उत्पाद इस उद्योग के वैश्विक राजस्व के आधे से भी अधिक को दर्शाते हैं जिनसे इनका प्रस्ताव करने वाली फर्मों के लिए 190 बिलियन अमरीकी डोलर से भी अधिक का राजस्व सृजित हुआ। अपेक्षित है कि यह सुदृढ़ गतिशीलता अगले कुछ वर्ष तक वैकल्पिक आस्तियों में 7 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ बनी रहेगी¹⁵

बीमा उद्योग

जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा दोनों ही प्रकार के बीमा उद्योग में सुधार प्रत्याशित है। गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में अपेक्षित है कि निवेश प्रतिलाभ की मजबूती के कारण इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) सन 2024 में 9.3% बढ़ जाएगा, जबकि जीवन बीमा क्षेत्र में अपेक्षित है कि प्रीमियम में सन 2024 में 1.5% बढ़ोतरी होगी जो 1.3% की 10-वर्षीय प्रवृत्ति से अधिक है।

यूएस इस वैश्विक बीमा उद्योग के शीर्ष पर बना रहा, इसके प्रीमियम संग्रह सन 2022 में 3 ट्रिलियन अमरीकी डोलर के आसपास रहे और वैश्विक बाजार में इसका हिस्सा 44 प्रतिशत है। चीन दूसरे स्थान पर है जिसका प्रीमियम संग्रह 698 बिलियन अमरीकी डोलर है, इसके बाद यूके का स्थान है, इसका प्रीमियम संग्रह 363 बिलियन अमरीकी डोलर रहा, जिसने जापान को तीसरे स्थान से हटाया। भारत ने अपनी वैश्विक हिस्सेदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया और यह सन 2032 तक विश्व में छठे विशालतम बाजार बनने के मार्ग पर अग्रसर है। वैश्विक बीमा प्रीमियम की मात्रा (गैर-जीवन और जीवन) में सन 2023 तक 1.1% बढ़ने का अनुमान रहा और वास्तविक अर्थों में यह 2024 तक 1.7% बढ़ेगा (दोनों ही 2.6% की 10 वर्षीय प्रवृत्ति से नीचे ही हैं), सन 2022 में 1.1% की गिरावट थी। यह भी अपेक्षित है कि गैर-जीवन बीमा प्रीमियम की बढ़ोतरी सन 2022 में केवल 0.5% की बढ़ोतरी हासिल करने के बाद वास्तविक अर्थों में 1.4% बढ़ेगी¹⁶

इस अवधि के दौरान बहुत से आघातों के लिए प्रतिसाद के रूप में समस्त विश्व के बाजारों ने अविश्वास की भावना प्रकट

¹³ एआई एन्ड दिनेक्ट वेव ओफ ट्रान्सफॉर्मेशन, 2024, बीसीजी

¹⁴ दि टाइड हैज टर्नड, 2023, बीसीजी

¹⁵ उक्त

¹⁶ सिग्मा रिपोर्ट, 2023, स्विस्री

की। ऐसे परिदृश्य में विश्वास को फिर से सृजित करना बीमा उद्योग के लिए एक चुनौती हो सकता है। पारदर्शिता और दायित्व के लिए उच्चतम मानकों का सूत्रपात और सख्त विनियमों के साथ प्रौद्योगिकीय स्वीकार्यता इस अवसर पर काफी महत्वपूर्ण हैं।¹⁷

सन 2022 के अंत तक पुनर्बीमा का सकल प्रीमियम लगभग 10% बढ़ गया। दूसरी तरफ पुनर्बीमा सहित वैश्विक बीमा बाजार के लिए सकल लिखित प्रीमियम में सन 2023 में 0.3 प्रतिशत की थोड़ी सी गिरावट देखी।¹⁸

वैश्विक सकल पुनर्बीमा बाजार का आकार 809 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा जिसमें 46% अमेरिका में स्थित था। दूसरी तरफ इसका निवल मूल्य 570 बिलियन अमरीकी डॉलर था।¹⁹

पुनर्बीमाकर्ता की आस्तियों के आबंटन में कुछ परिवर्तन किए गए जिनमें इक्विटी घटक और ऋणों में थोड़ी सी बढ़ोतरी और कोर्पोरेट और संप्रभु (सोवरेन) ऋण की धारिताओं में कमी की गई और निरंतर ही न्यूनतर दरों और इस अवधि के बाद से उद्विकसित हो रही विनियामक व्यवस्था के कारण महामारी के बाद से ही जीवन बीमा क्षेत्र में आस्ति प्रवण पुनर्बीमा के प्रयोग में बढ़ोतरी देखी गई। सकल प्रीमियम की दृष्टि से देखा जाए तो बरमुडा, यूएसए, जर्मनी, स्विटजरलैंड और यूके का उदय पांच विशालतम पुनर्बीमा बाजारों के रूप में हुआ।²⁰

बुलियन

भूराजनीतिक जोखिमों के उच्च स्तर के परिणामस्वरूप स्वर्ण के लिए वैश्विक मांग में गिरावट देखी गई। स्वर्ण की मांग में चार प्रमुख घटक निहित होते हैं यथा – आभूषण, प्रौद्योगिकी, निवेश और केन्द्रीय बैंकों द्वारा सृजित मांग।

स्वर्ण के लिए कुल मांग सन 2022 के 4699.4 टन की तुलना में 5% गिरकर सन 2023 में 4467.9 टन पर आ गई। आभूषणों की मांग स्वर्ण की कुल मांग का सबसे बड़ा घटक है यह मांग भी सन 2023 में 2192.2 टन दर्ज हुई जो विगत वर्ष के 2195.9 से थोड़ी सी कम है।

समस्त मांग का दूसरा सबसे बड़ा घटक निवेश रहा जिसमें स्वर्ण छड़ें, सिक्के, ईटीएफ और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद शामिल हैं। यह मांग 1112.8 टन पर रही जो सन 2022 के 940.7 टन से 15% की गिरावट दिखाता है। केन्द्रीय बैंकों द्वारा की गई मांग भी इस अवधि में कम हुई यह भी गिरकर सन 2023 में 1081.9 टन पर रही।²¹

विश्व में चांदी का बाजार भी घाटे के दौर में रहा, जिसमें चांदी की समस्त मांग इसकी आपूर्ति से काफी आगे रही। चांदी की मांग का प्राथमिक संचालन औद्योगिक कार्यों में चांदी के प्रयोग और आभूषण बनाने से हुआ। अभी हाल ही में जलवायु संपरिवर्तन की घटना के कारण सौर ऊर्जा उपकरणों जैसी हरित तकनीकों को विश्व के कई देशों ने अपनाया ऐसी प्रत्याशा है कि सन 2024 में यह मांग 9% बढ़ेगी, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा की तरफ अंतरण और भी तेजी से होगा।

चांदी की कुल मांग प्राथमिक रूप से खनन उत्पादन स्तरों और सम्यक पुनर्चक्रण स्तरों पर निर्भर करती है। सम्पूर्ण संसार मांग में खनन का स्तर विगत वर्ष की तुलना में सन 2023 में 1% गिरा।²² इस वर्ष पुनर्चक्रण का स्तर भी शांत रहा और अनुमान है कि सन 2024 में और भी गिरेगा।²³ औद्योगिक मांग में 11% की बढ़ोतरी के बावजूद चांदी के आभूषण बनाने में सन 2023-24 में 13% की कमी रही, विशेषकर भारत में जहां मांग में सबसे अधिक 7% की गिरावट रही। इन कारकों ने बाजार में चांदी की आपूर्ति को कम किया।

¹⁷ उक्ता

¹⁸ ग्लोबलबलइन्वोर्स रेन्सि मार्केट रिपोर्ट, 2023, आईएआईएस

¹⁹ दिए गए आंकड़े आईएआईएस सर्वे 2023 में शामिल प्रतिक्रियाओं के नमूने के प्रतिनिधिक हैं।

²⁰ ग्लोबलबल इन्वोरेन्स मार्केट रिपोर्ट, 2023, आईएआईएस

²¹ गोल्ड आउटलुक, 2024, वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल

²² वर्ल्ड सिल्वर सर्वे, 2024, दि सिल्वर इन्स्टीट्यूट

²³ उक्त

भारत : आर्थिक आकलन और संभावनाएं

सकल घरेलू उत्पाद

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अच्छा प्रतिसाद दिखाया, बावजूद इसके कि शिथिल विदेशी मांग, लगातार भू-राजनीतिक तनावों और परिवर्तनशील वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिति निरंतर बनी रही। सन 2023-24 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, इसकी तुलना में सन 2022-23 में यह 7.0 प्रतिशत रही थी,²⁴ इसे सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर फोकस देने के कारण निश्चित निवेश में प्रबल संवृद्धि का सहारा मिला। आपूर्ति पक्ष को देखा जाए तो आर्थिक क्रियाकलाप विनिर्माता क्षेत्र की लाभदेयता में उछाल दिखाते हैं, यहां भी इनपुट कीमतों में बदलाव आए और सेवा क्रियाकलापों में सुस्थिर गतिशीलता रही, भले ही कृषि क्षेत्र के क्रियाकलापों में धीमापन दिखाई दिया।²⁵

एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.7% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, यातायात अवसंरचना, लोजिस्टिक्स और व्यवसायी परितंत्र में सुधार के लिए सरकार की नीतियों के कारण से निजी उपभोग और निजी निवेश से इसका संचालन होगा।²⁶ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमान है कि समर्थनकारी सरकारी नीतियों और सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों, बैंकों में गैरनिष्पादक ऋणों में कमी के आधार पर निवेश में तेज बढ़ोतरी होगी और कार्पोरेट में डिलीवरेजिंग को महत्त्व देने के कारण बैंकों द्वारा उधारियों में बढ़ोतरी होगी।²⁷

कई प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी संवृद्धि के इन अनुमानों से सहमत हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (अमुको) ने भारत को ऐसे विकासशील देशों की श्रेणी में रखा है जो सर्वाधिक तीव्रता से व्यापार के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो रहे हैं, इसका अनुमान है कि अपनी बढ़ती हुई कार्यक्षम जनसंख्या और मांग के चलते भारत में वित्तीय वर्ष 24 में 6.8% और वित्तीय वर्ष 25 में 6.5% से बढ़ोतरी रहेगी।²⁸

एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि भारत में मजबूत लोक और निजी क्षेत्र में निवेश की मांग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के कारण उपभोक्ता मांग में क्रमिक बोतरी रहेगी। परिणामस्वरूप भारत के लिए वित्तीय वर्ष 24 में 7.0% और वित्तीय वर्ष 25 में 7.2%²⁹ की बढ़ोतरी का अनुमान है।

विश्व बैंक ने भारत में सुस्थिर संवृद्धि का श्रेय मजबूत घरेलू मांग, सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण के लिए बढ़ते हुए व्यय के साथ बढ़ते हुए निश्चित निवेश और निजी क्षेत्र में मजबूत ऋण संवृद्धि को दिया है, इसका अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी रहेगी जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह क्रमिक रूप से बढ़ते हुए 6.4 प्रतिशत पर और अंततः वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 6.5 प्रतिशत पर रहेगी।³⁰

मुद्रास्फीति

भारत में मुद्रास्फीति की दर 2023-24 में धीमी रही, यह विगत वर्ष के 6.7% से गिरकर 5.4% पर आ गई। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि मूल मुद्रास्फीति कम होकर 6.1% से 4.3% पर आ गई। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और केरोसीन की घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण ईंधन की मंहगाई में भी महत्वपूर्ण गिरावट रही। इस पर प्रमुख प्रभाव वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बदलाव का रहा।³¹

²⁴ द्वितीय अग्रिम अनुमान, 2024, एनएसओ, एमओएसपीआई

²⁵ वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24, भारतीय रिज़र्व बैंक

²⁶ एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, अप्रैल 2023

²⁷ उक्त

²⁸ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2024, आईएमएफ

²⁹ इकोनॉमिक फोरकास्ट फोर इंडिया, 2024, एडीबी

³⁰ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, 2024, विश्व बैंक

³¹ वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24, भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विगत वर्ष की तुलना में सीपीआई के आधार पर वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%) उच्चतर रहीं। इनका संयुक्त स्तर विगत वर्ष के 4.7% की तुलना में 4.83% पर रहा, जिसमें ग्रामीण स्तर का योगदान रहा जो विगत वर्ष के 4.68% की तुलना में बढ़कर 5.43% हो गया। हालांकि शहरी मुद्रास्फीति का स्तर विगत वर्ष के 4.85% से गिरकर 4.11% पर रहा³² अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मई 2023 की तुलना में बढ़कर मई 2024 में 2.61% पर रही³³

अत्यधिक परिवर्तनशीलता के बीच में खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई। अतिव्यापी और निरंतर बने रहे आपूर्ति आघातों के कारण अनाजों, दालों, मसालों और सबजियों की कीमतों में बढ़ोतरी बनी रही, जिससे खाद्यों की मंहगाई विगत वर्ष के 6.7% से बढ़कर 2023-24 में 7.0% तक चली गई³⁴

अनुमान है कि सन 2024 और 2025 में मुद्रास्फीति में क्रमिक गिरावट रहेगी³⁵ अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के 6.7 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 5.4 प्रतिशत और फिर वित्तीय वर्ष 2025 में 4.5 प्रतिशत पर रहेगी³⁶ मूल मुद्रास्फीति के लिए अनुमान है कि यह विगत वर्ष के 6.1 प्रतिशत से गिरकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.7 प्रतिशत पर और मध्यम अवधि के दौरान यह क्रमिक रूप से 4 प्रतिशत पर रहेगी³⁷

वित्तीय बाजार

बैंकिंग क्षेत्र

बैंकिंग क्षेत्र की समग्र स्थिति मजबूत बनी रही जिसे प्रभावी तुलनपत्रों, प्रतिरोधकों (बफर्स) और मौद्रिक अंतरण की उच्च दरों का समर्थन मिला।

सन 2022-23 के मौद्रिक नीति निर्णयों का प्रभाव सन 2023-24 में भी बना रहा। इस अवधि के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अतिशेष चलनिधि में अनुशोधन हुआ और क्रेडिट संवृद्धि ने जमा राशियों की बढ़ोतरी को लगातार पीछे ही रखा। निधियों की सीमांत लागत पर आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) से सहबद्ध ऋणों की तुलना में बाह्य बेन्चमार्क सहबद्ध ऋणों की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी रही। परिचालन गत मुद्रा में बढ़ोतरी भी धीमी रही। इसके अलावा, जमा राशियों में बढ़ोतरी में तेजी रही, इसका कारण आंशिक रूप से यह रहा कि ₹ 2000 के बैंक नोटों को बैंकिंग प्रणाली में फिर से शामिल किया गया, जिन्हें मई 2023 में परिचालन से वापस ले लिया गया। बैंकों में इन नोटों की वापसी अधिकांशतया जमा राशियों के रूप में हुई जिससे बैंकिंग प्रणाली में जमा राशियों के समग्र आधार में बढ़ोतरी हुई³⁸

बैंक क्रेडिट की संवृद्धि सन 2023-24 के पूरे वर्ष मजबूत बनी रही, इसका प्रमुख संचालन खुदरा और सेवा क्षेत्रों से होने वाली मांग से हुआ। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) ने विगत वर्ष में 15 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में 22 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 16.3 प्रतिशत के क्रेडिट विस्तार का अनुभव किया³⁹

भारतीय बैंकों की अस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ, क्योंकि सकल गैर-निष्पादक आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात एक दशक में अपने न्यूनतम स्तर पर रहा। जीएनपीए अनुपात सन 2023 में 3.2 प्रतिशत के रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर चला गया। निवल गैर-निष्पादक आस्तियां भी गिरकर 0.8% पर रहीं⁴⁰ भारतीय बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुदृढ़ बना रहा, जिससे पूंजी की ऐसी मजबूत स्थिति बनती है जो संभावित दबाव के परिदृश्य का सामना कर सकती है।

³² 'सीपीआई संख्याएं', मई 2024, एमओएसपीआई

³³ 'भारत में थोक कीमतों के सूचकांक, अप्रैल 2024, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

³⁴ वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24, भारतीय रिज़र्व बैंक

³⁵ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स उटलुक, अप्रैल 2024, आईएमएफ

³⁶ एडीबी के पूर्वानुमान

³⁷ आईएमएफ विमर्श

³⁸ वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, भारतीय रिज़र्व बैंक

³⁹ उक्त

⁴⁰ भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियां और प्रगति, 2023, भारतीय रिज़र्व बैंक

बैंक क्रेडिट के संयोजन में उल्लेखनीय बदलाव रहा जिसमें उच्चतर हिस्सा सेवाओं और खुदरा क्षेत्र का रहा। बैंकों के सकल अग्रिमों में खुदरा ऋणों का कुल हिस्सा 42.2% रहा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर अनुपात दिसम्बर 2023 में 15.9 प्रतिशत पर रहा। प्रावधान कवरेज अनुपात बढ़कर 75.3 प्रतिशत हो गया।⁴¹

बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र

भारत में समस्त बीमा बाजार में जीवन बीमा के प्रभावक्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। यह इस तथ्य में भी अवलोकनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में समस्त बीमा का प्रभावक्षेत्र 4% था, जिसमें जीवन बीमा का योगदान 3 प्रतिशत रहा और शेष 1 प्रतिशत में सामान्य बीमा रहा। अनौपचारिक क्षेत्र को अभिगम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करके भारत में बीमा के समस्त प्रभावक्षेत्र में बढ़ोतरी की जा सकती है।⁴²

जहां तक गैर-जीवन बीमा क्षेत्र का संबंध है, इस अवधि के दौरान इसमें भी स्वास्थ्य और मोटर क्षेत्र में सकारात्मक रुझान दिखाई दिया। गैर-जीवन बीमा खंड में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत में और भारत के बाहर) में वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि ₹ 2,60,327.82 करोड़ पर रही जिसमें स्वास्थ्य और मोटर क्षेत्र महत्वपूर्ण चालकों में रहे। गैर-जीवन बीमा के पूरे किए गए दावों के निवल दायित्व 82.95% पर रहे।⁴³

जीवन बीमा खंड में कुल प्रीमियम वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 12.98% हो गया,⁴⁴ जीवन बीमा खंड में प्राप्त कुल प्रीमियम में से ₹ 3,71,225.82 करोड़ नए व्यवसाय से प्राप्त हुए। जीवन बीमा क्षेत्र में अनुग्रह भुगतान के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 4,96,865.13 करोड़ दिए गए, जिसमें से 10 प्रतिशत भुगतान मृत्यु संबंधी दावों के लिए किए गए।⁴⁵

भारत में बीमा सम्यक घनत्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में 92 अमरीकी डोलर रहा, जबकि जीवन बीमा खंड ने 70 अमरीकी डोलर का योगदान दिया और सामान्य बीमा ने 22 अमरीकी डोलर का, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के 91 अमरीकी डोलर में मामूली सा ऊपर है।⁴⁶

सन 2022-23 में वैश्विक बाजार के 1.9 प्रतिशत वाले अपने आकलित हिस्से के साथ भारत सन 2032 तक विश्व का छठा विशालतम बाजार बनने को अग्रसर है।⁴⁷

भारत के भीतर पुनर्बीमा के प्रीमियम सन 2022-23 में दर्ज किए गए समस्त गैर-बीमा के सकल घरेलू प्रीमियम का 17 प्रतिशत हैं, जो विगत वर्ष के 22 प्रतिशत से थोड़ा सा कम है। जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी (ग्लोबल रीड्-इन्श्योरेन्स सोल्यूशन्स) एन्ड फॉरेन रीड्-इन्श्योरेन्स ब्रान्च द्वारा दर्ज किए गए प्रीमियम सन 2022-23 में ₹ 54,678 करोड़ रहे, जो विगत वर्ष के ₹ 61,337 करोड़ से काफी कम है।

सन 2021-22 में भारत के भीतर जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी (ग्लोबल रीड्-इन्श्योरेन्स सोल्यूशन्स) एन्ड फॉरेन रीड्-इन्श्योरेन्स ब्रान्च के माध्यम से लिए गए प्रीमियम भारत में कुल पुनर्बीमा व्यवसाय का 62 प्रतिशत बनते हैं जबकि सीमापार के पुनर्बीमाकर्ताओं के पास जमा किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम कुल व्यवसाय का केवल 38 प्रतिशत ही बनते हैं। हालांकि सन 2022-23 में ये प्रतिशत बदल कर क्रमशः 54% और 46% हो गए जो सीमापार के पुनर्बीमाकर्ताओं के माध्यम से पुनर्बीमा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को प्रकट करते हैं।⁴⁸

⁴¹ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसम्बर 2023, भारतीय रिज़र्व बैंक

⁴² सिगमा रिपोर्ट, 2023, स्विस्सरी

⁴³ सांख्यिकी पुस्तिका, 2022-23, आईआरडीएआई

⁴⁴ उक्त

⁴⁵ उक्त

⁴⁶ सांख्यिकी पुस्तिका, 2022-23, आईआरडीएआई

⁴⁷ सिगमा रिपोर्ट, 2023, स्विस्सरी

⁴⁸ आईआरडीएआई

पूंजी बाजार

भारतीय पूंजी बाजारों के सभी क्षेत्रों में और सभी लिखतों के माध्यम से संसाधनों का सुदृढ़ संग्रहण रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से उभरने में यह बहुत उपकारी रहा।

वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र में 12 आईपीओ रहे जिनका मूल्य ₹ 7,628 करोड़ था और गैर-वित्तीय क्षेत्र के 260 आईपीओ का मूल्य ₹ 60,327 करोड़ था।⁴⁹ गैर वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विक्रय हेतु प्रस्ताव (ओएफएस) का घटक ₹ 30,482 करोड़ रहा और नई पूंजी जुटाने के घटक में ₹ 29,852 करोड़ रहे।⁵⁰

विगत दशक में म्यूचुअल फंडों ने उल्लेखनीय संवृद्धि दिखाई है, म्यूचुअल फंडों के माध्यम से मूल्य के अनुसार समग्र सकल संग्रहण सन 2023-24 में बढ़कर ₹ 114.48 लाख करोड़ हो गया जबकि सन 2022-23 में इसका विगत मूल्य ₹ 105.07 लाख करोड़ था।⁵¹ निजी क्षेत्र का योगदान ₹ 88.4 लाख करोड़ रहा और लोक क्षेत्र का योगदान ₹ 26.06 लाख करोड़ पर रहा। विगत दशक में म्यूचुअल फंड उद्योग का एयूएम मूल्य बढ़कर मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹ 39.4 लाख करोड़ रहा और इसमें 2013-2023 के दशक के लिए 19% की सीएजीआर रिपोर्ट की गई।⁵² यह निवेशक के बढ़े हुए भरोसे को और मजबूत विनियामक व्यवस्था को दर्शाता है।

सन 2023-24 में सार्वजनिक और राइट निर्गमों (इक्विटी+ ऋण) की कुल संख्या बढ़कर 385 हो गई जिनकी रकम ₹ 1.02 लाख करोड़ रही जबकि सन 2022-23 में यह संख्या 272 थी जिनका मूल्य ₹ 75,036 करोड़ था। कुल मिलाकर 17 निर्गम रहे जिनकी मात्रा ₹ 39,024 करोड़ रही जो वर्ष 2023-24 में गैर वित्तीय क्षेत्र में आरईआईटी और इन्वआईटी द्वारा जुटाए गए।⁵³

एनएसई के नकदी खंड में सन 2023-24 में म्यूचुअल फंडों का प्रतिलाभ में 7.8% हिस्सा रहा, जो 2022-23 में इसके 8% के हिस्से से थोड़ा सा कम है, इसी प्रकार एफपीआई ने सन 2022-23 के 14.5 प्रतिशत की तुलना में सन 2023-24 में 14.4 प्रतिशत का योगदान किया।⁵⁴

फंड उद्योग

भारतीय आस्ति प्रबंधन क्षेत्र में उल्लेखनीय संवृद्धि हुई है, बढ़ी हुई वित्तीय जागरूकता, विनियामक मजबूती और फिनटेक प्रगति के चलते यह धन सृजन का एक लोकप्रसिद्ध प्रकार बन गया है। प्रणालीबद्ध और निष्क्रिय निवेशों के साथ-साथ ईएसजी अभिकेंद्रित निवेश में बढ़ोतरी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के सम्पूर्ण परिदृश्य में योगदान किया है। भारत की आर्थिक संवृद्धि और एक समृद्ध निवेशक जनसंख्या से लाभ उठाते हुए एआईएफ का भी विस्तार हुआ है। आरईआईटी और इन्वआईटी अब ऐसे नए वित्तपोषक एवेन्यू हैं जो भारत की आर्थिक संवृद्धि में महत्वपूर्ण तेजी लाएंगे।

भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 सर्वोत्तम में से एक बन रहा है क्योंकि मार्च 2023 के ₹ 39.42 लाख करोड़ की तुलना में मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार एयूएम में लगभग ₹ 14 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई और यह रिकार्ड ₹ 53.40 लाख करोड़ के स्तर पर रहा।⁵⁵ यह संवृद्धि मुख्यतया व्यक्तिगत निवेशकों की बढ़ती हुई सहभागिता, आशावादी इक्विटी बाजारों और विकसित हो रही निवेश रणनीतियों से संचालित रही है। इक्विटी प्रमुख आस्ति

⁴⁹ वर्तमान सांख्यिकी – बुलेटिन (अनुलग्नी तालिकाएं), अप्रैल 2024, सेबी

⁵⁰ उक्त

⁵¹ मासिक बुलेटिन, मई 2024, सेबी

⁵² वार्षिक रिपोर्ट, 2022-23, सेबी

⁵³ उक्त

⁵⁴ उक्त

⁵⁵ वार्षिक रिपोर्ट, फरवरी, एएमएफआई

वर्ग रहा जिसके लिए म्यूचुअल फंडों ने 22.45 ट्रिलियन भारतीय रुपये आबंटित किए, इसके बाद ऋणों का स्थान रहा जिसके लिए 17 ट्रिलियन भारतीय रुपये निर्धारित किए गए⁵⁶

भारत के एआईएफ उद्योग ने 30 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक संवृद्धि दर्ज की है, जिसके एयूएम विगत वर्ष के ₹ 6.41 लाख करोड़ से बढ़कर ₹ 8.34 लाख करोड़ हो गए। श्रेणी-II के फंडों की हिस्सेदारी ₹ 6.94 लाख करोड़ पर सर्वाधिक रही, जो विगत वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। विगत पांच वर्ष की अवधि में कुल एयूएम लगभग तीन गुना होकर वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 101 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया।

बुलियन

भारत विश्व में मूल्यवान धातुओं के शीर्ष उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में कुल बुलियन मांग में स्वर्ण और चांदी महत्वपूर्ण घटक हैं। स्वर्ण और चांदी उपभोग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार हैं आभूषण। हालांकि स्वर्ण उपभोग के अन्य रूप भी हैं जो स्वर्ण की मांग में योगदान करते हैं, उदाहरण के लिए भारत गोल्ड पोटेसियम साइनाइड का प्रमुख उपभोक्ता है, इसका प्रयोग उद्योगों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गोल्ड-प्लेटेड आभूषणों तथा स्वर्ण तंतुओं जैसी सजावटी वस्तुओं के लिए किया जाता है।⁵⁷

सन 2024 की प्रथम तिमाही में स्वर्ण की मांग 95 टन पर रही जो विगत वर्ष में दर्ज किए गए स्तर से 4 प्रतिशत अधिक है। स्वर्ण छड़ों और सिक्कों में निवेश में भी 19 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की संवृद्धि दर्ज की गई, यह सन 2023 की प्रथम तिमाही के 34.4 टन से बढ़कर सन 2024 की पहली तिमाही में 41.1 टन पर रही।⁵⁸ वर्ष 2023-24 के दौरान 45.5 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का स्वर्ण आयात किया गया जो विगत वर्ष की तुलना में 30.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।⁵⁹

राजकोषीय गतिविधियां

भारत की राजकोषीय नीति विकास और कल्याण के प्रयासों पर व्यय को बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है, साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाली परियोजनाओं में निवेशों को अधिमानता भी दी गई है। इस वचनबद्धता के लिए राजकोषीय विवेकशीलता बनाए रखने के प्रति समर्पण भी है जो यह सुनिश्चित करता है कि लोक वित्त का प्रबंधन जिम्मेदारी और संधारणीयता से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान⁶⁰ है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से कमतर है। राजस्व घाटा संशोधित अनुमान 2023-24 में जीडीपी के 2.8 प्रतिशत पर न्यूनतर रहने का अनुमान है, इसकी तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में यह 2.9% था। सन 2024-25 का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% पर रहने का अनुमान⁶¹ है, इसकी तुलना में 2023-24 में यह जीडीपी का 5.8 प्रतिशत था। सुनिश्चित रूप में इसका

⁵⁶ मासिक बुलेटिन, मई 2024, सेबी

⁵⁷ गोल्ड डिमान्ड ट्रेन्ड, 2024, वर्ल्ड गोल्डर काउन्सिल

⁵⁸ गोल्ड डिमान्ड ट्रेन्डय (एक्जीक्यूटिव समरी), 2024, वर्ल्ड यगोल्ड काउन्सिल

⁵⁹ वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24, भारतीय रिज़र्व बैंक

⁶⁰ एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के तहत यथा अपेक्षित राजकोषीय नीति के वक्तव्यों के अधीन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित अनुमान

⁶¹ राजकोषीय नीति का वक्तव्य, फरवरी 2024, वित्त मंत्रालय (बजट प्रभाग)

आशय हुआ सन 2024-25 में ₹ 16.85 लाख करोड़ का घाटा हुआ जो 2023-24 के ₹ 17.35 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे से कमतर है⁶²

वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में सरकार के इस दृष्टिकोण को सुस्पष्ट किया गया है कि राजकोषीय समेकन के लिए विशाल पथ का अनुसरण किया जाए ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम के स्तर को प्राप्त किया जा सके।

बाहरी क्षेत्र

यद्यपि आपूर्ति आघातों ने वैश्विक निर्यात को शिथिल कर दिया तथापि भारत ने सेवाओं के निर्यात के कारण मार्च 2024 में मासिक आधार पर 41.68 बिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य की व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात रिकार्ड किया जो इस अवधि के दौरान सुस्थिर बना रहा। अनुमानित है कि कुल निर्यात मूल्य (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) वित्तीय वर्ष 2023-24 में 776.68 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच जाएगा इसका तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकार्ड किए गए निर्यात का मूल्य 776.40 बिलियन अमरीकी डॉलर था।⁶³

वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, औषध और फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग वस्तुएं इस संवृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता रहे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल्यों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात 23.64% उछाल के साथ 29.12 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहे, जबकि औषध और फार्मास्युटिकल्स का निर्यात 9.67% बढ़कर 27.85 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहा, और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात 2.13% की मामूली सी बढत के साथ 109.32 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहे। गैर पेट्रोलियम और रत्न और आभूषणों से इतर क्षेत्रों ने 1.45% की मामूली सी बढत दर्ज की और वित्तीय वर्ष 2022-23 के 315.64 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 320.21 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहे।⁶⁴

सेवाओं के निर्यात का मूल्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में 325.55 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहा और अनुमान है कि सन 2023-24 में यह बढ़कर 339.62 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा। समग्र व्यापार घाटा प्रमुख रूप 35.77% कम होने का अनुमान है, यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के 121.62 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 78.12 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहेगा। यह सुधार व्यापारिक वस्तुओं के कारोबार में भी दिखाई देता है जो वर्तमान राजकोषीय वर्ष में 9.33% गिरकर 240.17 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहा इसकी तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022-23 में 264.90 बिलियन अमरीकी डॉलर पर था।⁶⁵

कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था उन प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करती गई जो पूरे वर्ष के दौरान उभरती रहीं, इसे मजबूत पूंजी निरूपण और विनिर्माण क्रियाकलापों का भी समर्थन मिला, इसके अलावा इसे सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली और मुद्रास्फीति में क्रमिक लेकिन नियंत्रित गिरावट से भी बढ़ावा मिला। यद्यपि नीति निर्माता अब तक सामना किए गए अनेक प्रकार के संकटों के दुष्प्रभावों के प्रति रक्षा नहीं कर सके तो भी यह अनुमान है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करेगी।

⁶² उक्तो

⁶³ प्रेस विज्ञप्ति, वाणिज्य मंत्रालय, मार्च 2024

⁶⁴ उक्त

⁶⁵ उक्त



भारत के माननीय प्रधानमंत्री इनफिनिटी फोरम 2.0 का शुभारंभ करते हुए



माननीय केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का आईएफएससीए के प्रधान कार्यालय में आगमन

खंड - ग

वित्तीय मध्यस्थ और अन्य वित्तीय संस्थानों को महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रदाता दोनों ही रूपों में बैंकिंग क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नवम्बर 2020 में अधिसूचित आईएफएससीए बैंकिंग विनियमावली और इसके अधीन जारी किए गए निदेशों/दिशानिदेशों का लक्ष्य था कि समूचे विश्व में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों में अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले विभिन्न बैंकिंग क्रियाकलापों के लिए सक्षमता और सुविधा दी जाए और साथ ही आईएफएससीए बैंकिंग विनियमावली से पहले अनुमेय भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिदेशों की तरफ से सहज अंतरण भी सुनिश्चित किया जाए।

गिफ्ट आईएफएससीए में 'बैंकिंग व्यवसाय करने में सहजता' को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक जारी की है जो गिफ्ट आईएफएससीए में परिचालन कर रही आईबीयू को प्राधिकरण के सभी विस्तृत निदेशों के सार-संग्रह के रूप में कार्य करती है।

गिफ्ट आईएफएससीए में सक्रिय बैंकिंग परितंत्र में आज 11 विदेशी और 16 स्वदेशी बैंकों का समावेश है जो अपने मूल बैंक की शाखाओं के रूप में स्थापित किए गए और इन्हें आईएफएससीए बैंकिंग इकाइयां (आईबीयू) कहा जाता है। मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आईबीयू की कुल आस्तियों का आकार 60 बिलियन अमरीकी डॉलर से आगे निकल चुका है और आईबीयू द्वारा किए गए कारोबार का संचयी मूल्य 795 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया था। क्रेडिट जोखिम मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 34.92 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें भारत के अलावा यूएस, यूके, सिंगापुर, यूई जैसे देश कवर किए गए हैं।

आईएफएससीए बैंकिंग विनियमावली को जून 2022 में संशोधित किया गया था ताकि आईएफएससीए में वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय (जीएओ) स्थापित करने की अनुमति दी जा सके। इसके अलावा इस विनियमावली में हाल ही में जुलाई 2023 में किए गए संशोधनों से अब भारतीय और विदेशी बैंकों को अपनी सहायक इकाइयां (इन्हें आईएफएससीए बैंकिंग कम्पनी या आईबीसी कहा जाएगा) स्थापित करने की अनुमति मिल गई है।

नीति / विनियामक गतिविधियां

यह खंड वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के विनियमन और बैंकिंग परितंत्र के विकास की दिशा में इस प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रमुख उपायों की छवि प्रस्तुत करता है।

आईएफएससीए (बैंकिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2023

(i) इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने से पहले बैंकों को आईएफएससीए में परिचालन के लिए केवल शाखा के रूप में स्थापना की अनुमति थी, जिसे आईएफएससीए बैंकिंग इकाई कहा जाता था। इस विनियमावली को संशोधित किया गया ताकि बैंकों को अनुषंगी के रूप में आईएफएससीए बैंकिंग कंपनियां (आईबीसी) स्थापना करने की अनुमति दी जा सके⁶⁶

(ii) प्राधिकरण से अनुमोदन की शर्त के अधीन किसी बैंक को आईएफएससीए में आईबीयू या आईबीसी स्थापित⁶⁷ करने

⁶⁶ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) की परिभाषा को संतुष्ट करती है।

⁶⁷ इससे पहले बैंकों को आईबीयू के रूप में केवल शाखा के रूप में बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की अनुमति थी।

की अनुमति दी जा सकती है। कोई बैंक जो पहले ही किसी आईएफएससी में आईबीयू स्थापित कर चुका है, उसे अनुमति दी जा सकती है कि आईएफएससी का पूर्वानुमोदन लेकर इसे आईबीसी में संपरिवर्तित कर ले, जिस पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित शर्तें लागू होंगी।

(iii) आईबीसी स्थापित करने की योजना बना रहे किसी बैंक से अपेक्षित होगा कि प्राधिकरण का लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए निम्न लिखित शर्तों को पूरा करे—

- क. मूल बैंक आईबीसी के लिए अनिवार्य पूंजी प्रदान करेगा, इसमें न्यूनतम 50 मिलियन अमरीकी डोलर की शर्त लागू होगी अथवा प्राधिकरण द्वारा पूंजी के लिए यथानिर्दिष्ट स्तर लागू होगा।
- ख. इस प्रकार की पूंजी का आकलन किया जाएगा और इस प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट किए अनुसार अनुरक्षण किया जाएगा।
- ग. मूल बैंक की आईबीसी स्थापित करने के बारे में मूल बैंक अपने देश के नियामक से अनापत्ति पत्र प्राप्त करेगा।
- घ. कोई अन्य शर्त जो प्राधिकरण निर्दिष्ट करे।

(iv) आईएफएससीए अधिनियम, 2019 (दिनांक ३ जुलाई 2023) की धारा 20 के अधीन विदेशी मुद्राओं पर विनिदेश के बारे में डीईए अधिसूचना के अनुसार ही आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियमावली, 2021 (यथासंशोधित) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं की सूची को शामिल किया गया। ये निम्नायनुसार हैं—

विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्राएं

- क. यूएस डोलर (यूएसडी)
- ख. यूरो (ईयूआर)
- ग. जापानी येन (जेपीवाइ)
- घ. यूके पाउन्डय स्टर्लिंग (जीबीपी)
- ङ. केनेडियन डोलर (सीएडी)
- च. आस्ट्रेनलियन डोलर (एयूडी)
- छ. स्विस फ्रैंक (सीएचएफ)
- ज. होंगकॉग डोलर (एचकेडी)
- झ. सिंगापुर डोलर (एसजीडी)
- ञ. यूएई दिरहाम (एईडी)
- ट. रूसी रूबल (आरयूबी)

(v) बैंकिंग इकाइयों (बीयू) को अब तक केवल अनुमेय क्रियाकलापों (जैसा कि एसीबीयू मॉड्यूल, जेन निदेशों, आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक में बताया गया है) को मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में करने की अनुमति थी। संशोधित विनियमों के अधीन बैंकिंग इकाइयां विनिर्दिष्ट मुद्राओं में ऐसे व्यक्तियों के साथ, चाहे वे निवासी हों या अन्यथा, अनुमेय क्रियाकलाप इस प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट किए अनुसार कर सकती थीं। प्रावधान है कि बैंकिंग यूनिट भारतीय रुपयों में अमुक कारोबार अमुक व्यक्ति, चाहे वह निवासी हो या अन्यथा, जैसा भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, ऐसे कारोबार के संबंध में वित्तीय लेनदेन के निपटान की शर्त के अधीन निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं में कर सकती है।

- (vi) कोई विदेशी बैंक, जिसकी भारत में मौजूदगी नहीं है, किसी आईएफएससी में बैंकिंग यूनिट स्थापित करने का इच्छुक है, तो उसे प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट अतिरिक्तन अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा। विदेशी बैंकों (भारत में जिनकी मौजूदगी नहीं है) के आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए प्राधिकरण ने विद्यमान संविधियों के प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था/मानक परिचालन पद्धति तैयार की है।
- (vii) “अग्रेषण सेवाएं”⁶⁸ प्रदान करने के क्रियाकलाप को अब इन संशोधित विनियमों के अधीन अनुमत क्रियाकलापों में से एक के रूप में शामिल कर लिया गया है।
- (viii) पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन यह निर्धारित था कि बैंकिंग इकाइयों द्वारा ली गई जमाराशियों पर निक्षेप बीमा अनुमेय नहीं होगा। संशोधित विनियमों के अधीन यह निर्धारित किया गया है कि बैंकिंग यूनिट की जमाराशियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यवय गारंटी निगम, 1961 और इसके अधीन बनाई गई किसी भी नियमावली या विनियमावली के अधीन प्रदत्त सीमा तक बीमित किया जाए।

आईएफएससी बैंकिंग हैन्डबुक

आईएफएससी बैंकिंग हैन्डबुक सामान्य निदेश – संस्करण 4.0

सामग्री आउटसोर्सिंग व्यवस्था में किसी भी परिवर्तन के मामले में आईबीयू के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि 7 दिन के भीतर इस प्राधिकरण को सूचित करें।

आईएफएससी बैंकिंग हैन्डबुक सीओबी निदेश – संस्करण 5.0

- (i) निर्दिष्ट मुद्राओं की परिभाषा को विदेशी मुद्राओं के विनिदेशन पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की दिनांक ३ जुलाई 2023 की अधिसूचना के अनुरूप शामिल कर लिया गया है। निर्दिष्ट मुद्राओं में 11 मुद्राओं को शामिल किया गया है।
- (ii) अनुमेय क्रियाकलापों के अधीन आईबीयू निम्नलिखित अतिरिक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं / सेवाएं दे सकते हैं :
- जोखिम सहभागिता के बिना निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों⁶⁹ को सेवाएं⁷⁰ प्रदान करना।
 - प्राधिकृत भुगतान प्रणाली के लिए सिस्टम सहभागी और/अथवा सिस्टम प्रदाता के रूप में कार्य करना।
 - प्राधिकरण द्वारा जारी भुगतान सेवा विषयक विनियम में यथा परिभाषित भुगतान सेवाएं प्रदान करना।
 - प्रतिभूतियों के ओडीआई का निर्गमन जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) की धारा 2(एच)(i) के अधीन सूचीबद्ध हैं।

आईएफएससी बैंकिंग हैन्डबुक पीआरयू निदेश – संस्करण 4.0

- अनुमेय विधियों के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षा के बारे में आबीयू को स्पष्टीकरण जारी किए गए।
- विदेशी बैंकों की आईबीयू को दिशानिदेश जारी किए गए जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की

⁶⁸ आशय है ऐसा क्रियाकलाप जिसमें कोई बीयू, किसी वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा प्रदाता के साथ व्यवस्था के अनुसरण में, अपने ग्राहकों को या अपने मूल बैंक के ग्राहकों को ऐसे वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा प्रदान के पास संभावित उपभोक्ता के रूप में भेजती है (या 'अगुआई' करती है) ताकि उन्हें वित्तीय उत्पाद (दो) या वित्तीय सेवा (ओं) प्रदान की जा सके।

⁶⁹ निर्दिष्ट संस्था न किसी आईबीयू के मूल बैंक के समूह के संस्थान हैं।

⁷⁰ सेवाओं में निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा बुक किए गए संव्यसवहारों के जोखिम प्रबंधन और वैश्विक विक्रय/कारोबार/निर्दिष्ट टीमों की संरचना करना शामिल है।

धारा २९ के प्रावधानों को शामिल किया गया, जिसमें उल्लेख है कि अन्य बातों के साथ-साथ भारत से बाहर निगमित किसी भी बैंकिंग कम्पनी को भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से किए गए सभी कारोबारों के संबंध में संबंधित वर्ष अथवा अवधि के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा, यथास्थिति अनुसार, अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निर्धारित प्ररूपों में तैयार करे।

आईएफएससीए (भुगतान सेवाएं) विनियमावली, 2024

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3(1)(ई)(xi) में उल्लेख है, 'संग्रहीत मानों या भुगतान लिखतों का विक्रय, विधान या निर्गमन या भुगतान सेवाएं प्रदान करना' उन वित्तीय सेवाओं में से एक है जिन्हें आईएफएससीए में कोई वित्तीय संस्थान प्रदान कर सकता है और आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 12(1) प्राधिकरण को आईएफएससीए में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है।

वित्तीय परितंत्र में विभिन्न सहभागियों और वित्तीय सेवाओं के प्रयोक्ताओं (धन अंतरण सेवा प्रदाताओं, अनिवासी भारतीय, विदेशी निवेशकों, पेमेन्ट एप्लीकेशन प्रदाताओं आदि) से मांग और भुगतानों तथा भुगतान संबंधी संव्यवहारों खासकर भारत और शेष विश्व के बीच सीमापार क्षेत्रों के भुगतानों को सहज और सरल बनाने वाले नवयुगीन स्टार्ट अप पर फोकस के कारण यह अनिवार्य समझा गया कि आईएफएससीए में भुगतान सेवा परितंत्र के व्यवस्थित विकास हेतु विनियम निर्धारित किए जाएं।

इसके अलावा बहुत सी फिनटेक संस्थानों/स्टार्ट अप्स जिन को आईएफएससीए फिनटेक सैन्डबॉक्स में प्रवेश दिया गया है वे अपनी युक्तियों के प्रयोग स्तर का परीक्षण करने के लिए भुगतान संस्तर पर हैं। एक बार वे सैन्डबॉक्स से निकल जाते हैं तो उनके परिचालनों को प्राधिकृत और नियंत्रित करने हेतु सक्षमकारी विनियम की जरूरत होगी।

आईएफएससीए (भुगतान सेवाएं) विनियमावली, 2024 में सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और भुगतान सेवा प्रदाताओं हेतु प्राधिकृतिकरण, अभिशासन और जोखिम प्रबंधन मानदंडों और अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। इस विनियमावली के प्रमुख तत्त्व निम्नानुसार हैं—

- i 'भुगतान सेवाएं' पदबंध को परिभाषित कर दिया गया है और इस विनियमावली के अधीन अनुमति प्राप्त भुगतान सेवाओं को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है -
 - क. खाता प्रचालन सेवा
 - ख. ई-मनी प्रचालन सेवा
 - ग. एस्करो सेवा
 - घ. सीमा पार धन अंतरण सेवा
 - ङ. मर्चेन्ट अधिग्रहण सेवा
- ii भुगतान सेवाओं की परिभाषा से बाहर रखे गए क्रियाकलापों को भी इस विनियमावली के अधीन निर्दिष्ट किया गया है।
- iii प्राधिकृत करने से संबंधित पात्रता और अपेक्षाओं को इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।
- iv भुगतान प्रदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली अभिशासन व्यवस्था को इन विनियमों में निर्धारित किया गया है।
- v इस विनियमावली में भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले तृतीय पक्ष सेवा संबंधों में जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था का प्रावधान भी है।

- vi विभिन्न हिस्सेदारों के संबंध में भुगतान सेवा प्रदाताओं के कर्तव्यों को इस विनियमावली में निर्धारित कर दिया गया है।
- vii इस विनियमावली में ऑनलाइन समाधान सेवाओं सहित भुगतान सेवा प्रदाताओं हेतु ग्राहक की शिकायतें दूर करने की पद्धति भी निर्धारित है।

परिपत्र

भारत में अधिकृत विक्रेता बैंक में विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाता खोलना (30 अगस्त 2023)

पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार आईबीयू को भारत में उस एडी बैंक, में एसएनआरआर खाता खोलने की अनुमति नहीं थी जिसकी वह शाखा है। इन प्रावधानों को संशोधित किया गया है और तदनुसार अब आईबीयू अपने प्रशासनिक व्यय को चुकता करने हेतु इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए एसएनआरआर खाते के रूप में भारतीय रुपया खाता भारत में एडी बैंक में खोल सकती है।

आईबीयू को भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी कोड) का आबंटन (28 नवम्बर 2023)

यह परिपत्र इसलिए जारी किया गया ताकि आईएफएससी कोड प्राप्त करने के लिए आईबीयू आवेदन कर सकें। इससे उन्हें सीमापार की भुगतान प्रणालियों के माध्यम से विदेशी अधिकारक्षेत्रों से आने वाले विप्रेषणों को पाने में सुविधा होगी, इसके लिए भारत में बैंक की गन्तव्य शाखा का आईएफएससी कोड होना अनिवार्य अपेक्षा है।

मूल एडी बैंक के नोस्ट्रो खाते में गलती से क्रेडिट कर दिए गए लेनदेन पुनर्निर्देशित करने बचाव – आर-रिटर्न में रिपोर्ट करना (22 जनवरी 2024)

आईएफएससीए ने आईबीयू को निर्देश जारी किए हैं कि वे उन लेन-देन के मामलों में विशिष्ट रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं (आर रिटर्न में रिपोर्टिंग) का पालन करें, जहां विदेशी बैंकों से आईबीयू को भेजे गए लेन-देन गलती से मूल एडी बैंक के नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट हो गए हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि आईबीयू को विदेश स्थित बैंक से विप्रेषण का प्रवाह अविलम्ब होगा और मूल बैंक के नोस्ट्रो खाते में गलती से हुए क्रेडिट के लिए निधियों की पुनर्निर्देशित के कार्य से बचाव होगा।

सीमापार भुगतानों को प्रोसेस करने की समयसीमा में सुधार (8 जनवरी 2024)

आईबीयू को सूचित किया गया है कि सीमापार के भुगतानों को प्रोसेस करने की समयसीमा में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय करें :

- (i) स्विफ्ट जीपीआई आदि जैसी सेवाओं का प्रयोग करते हुए अपनी विद्यमान संदेश प्रेषण व्यवस्था को उन्नत बनाएं ताकि किए गए लेनदेन की स्थिति लगातार दिखाई देती रहे।
- (ii) संदेश प्रेषण सेवा के रूप में स्विफ्ट का प्रयोग करने वाली आईबीयू, प्रक्रिया में बदलाव हेतु विधिवत आंतरिक अनुमोदन लेने के बाद, अपने घटकों के खातों में क्रेडिट करने हेतु एमटी 940 (ग्राहक विवरणी संदेश) के स्थान पर एमटी 910 (क्रेडिट संदेश की पुष्टि) का प्रयोग करने पर विचार करें।
- (iii) अपने सीमापार लेनदेन को प्रोसेस करने की विद्यमान पद्धति और ऐसे लेनदेन को प्रोसेस करने की गति को कैसे और सुधारा जाए उसका अध्ययन और प्रलेखन किया जाए।

संव्यवहार/प्रक्रियाएं/परिचालन/प्रवृत्तियां

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी के बैंकिंग परितंत्र में 23 आईबीयू कार्यरत हैं और 4 आईबीयू को लाइसेंस दिया जा चुका है, आशा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इनके परिचालन आरंभ हो जाएंगे।

सारणी 1 : आईबीयू की संख्या

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
आईएफएससी में परिचालनरत आईबीयू की संख्या	20	23

सारणी 2 : आईबीयू में कुल आस्तियां – मिलियन अमरीकी डॉलर में

विवरण	31 मार्च 2023 को बकाया	31 मार्च 2024 को बकाया
आईएफएससी में कुल आस्तियां	38,286.41	60,248.15


सारणी 3 : सभी आईबीयू में कर्मचारियों की संख्या

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
आईएफएससी में स्थित सभी आईबीयू में कर्मचारियों की संख्या	277	343

अंतर बैंक और अंतर शाखा उधारियां, मध्यम अवधि के लिए नोट, बहुपक्षीय संस्थानों से उधारियां, खुदरा जमाराशियां, निगमों की जमाराशियां, आदि आईबीयू के लिए निधि जुटाने का स्रोत रहे हैं। आस्तियों के परिनियोजन के क्रियाकलापों का अधिकांश संकेन्द्रण व्यापारिक वित्त और वाणिज्यिक ऋणों की तरफ रहा है।


31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी बैंकिंग परितंत्र का ग्राहक क्रेडिट (निवल) 39.11 बिलियन अमरीकी डॉलर पर रहा और आईबीयू की आस्तियों का आकार 60.24 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

आकृति 1 : प्रमुख क्रेडिट उत्पादों में बकाया (मिलियन अमरीकी डॉलर)




ग्राहकों का कुल बकाया क्रेडिट 23.94 बिलियन अमरीकी डॉलर (31.03.2023 की स्थिति) से 63.36% बढ़कर 39.11 बिलियन अमरीकी डॉलर (31.03.2024 की स्थिति) हो गया। आईबीयू द्वारा संवितरित वाणिज्यिक ऋणों और व्यापार वित्त में हुई संवृद्धि का आईएफएससी के ग्राहकों के बकाया क्रेडिट में बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान रहा।

आकृति 2 : टर्नओवर (कारोबार की मात्रा) - मिलियन अमरीकी डॉलर में



आकृति 3 : निवेश प्रोफाइल – मिलियन अमरीकी डॉलर में




एलसीआर अनुरक्षण की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन करने हेतु आईबीयू खजाना बिलों में निवेश का रखरखाव कर रहे थे। हालांकि दिशानिदेशों के अनुसार आईबीयू को अपने मूल बैंक में ही एलसीआर का अनुरक्षण करने की अनुमति दी जा चुकी है। कुल मिलाकर इस एक वर्ष की अवधि में आईबीयू द्वारा खजाना बिलों के स्थान पर कॉर्पोरेट बॉन्डों में निवेश प्राथमिकता में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है।

सारणी 4 : डेरिवेटिव बकाया (मिलियन अमरीकी डॉलर)

डेरिवेटिव बकाया (मिलियन अमरीकी डॉलर)	31 मार्च 2023 को बकाया	31 मार्च 2024 को बकाया
गैर-सुपुर्दगी योग्य डेरिवेटिव संविदाएं (विदेशी मुद्रा – भारतीय रुपया) (एनडीएफ, फोरेक्स स्वैप और ऑप्शन)	14092.67	26159.99
विदेशी मुद्रा – विदेशी मुद्रा वायदा	3082.44	4145.16
विदेशी मुद्रा – विदेशी मुद्रा स्वैप	957.56	966.35
विदेशी मुद्रा – विदेशी मुद्रा कोन्सी ऑप्शन	606.70	2515.61
भारतीय रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) (एकदिवसीय इन्डेक्स स्वैप (ओआईएस) सहित)	25343.29	28045.45
भारतीय रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) (एकदिवसीय इन्डेक्स स्वैप (ओआईएस) सहित)	66924.23	101681.32
अन्य	1.62	663.34
कुल	111008.51	164177.22

आईएफएससीए में डेरिवेटिव बकाया संविदाओं में 47.90% की बढ़ोतरी हुई। कुछ आईबीयू अपने बाजार परिचालनों को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ कर चुके हैं, जबकि कुछ ने अपनी कारोबारी रणनीतियों के आधार पर अपनी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को बढ़ाया है जिससे 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आईबीयू में बकाया डेरिवेटिव संविदाओं में सम्यक बढ़ोतरी हुई।

आकृति 4 : आईबीयू के प्रमुख देशों में जोखिम



आईबीयू को सर्वाधिक जोखिम (74.63%) भारत के प्रतिष्ठानों से है, इसके बाद यूएसए (4.76%) और मॉरीशस (3.72%) से है। ये पांचों देश आईबीयू के जोखिमों का 89.75% बन जाते हैं।

कार्यदल / समिति

आईबीयू के लिए समसमान कार्य के घंटों और अवकाश कैलेन्डर पर विचार-विमर्श के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया जिसमें आईएफएससीए, भारतीय बैंक संघ, भारतीय और विदेशी बैंकों के आईबीयू से सदस्यों को शामिल किया गया। इस कार्यदल ने 22 जनवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट इस प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दी है। इसकी संस्तुतियां इस प्रकार हैं –

- (i) आईबीयू पांच कार्यदिवस का सप्ता लागू करें।
- (ii) बाजार सहभागियों/वित्तीय संस्थानों को प्रस्तावित सामान्य क्रियाकलापों के सेट को संचालित करने के लिए 9:45 पूर्वाह्न से 5:30 अपराह्न तक समसमान कार्यसमय आईबीयू लागू करेंगी। विशिष्ट सेवाओं के संचालन हेतु आईबीयू को लोचशीलता दी जाए ताकि वे अपने ग्राहकों की कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग वर्क शिफ्ट व्यवस्था कर सकें।
- (iii) आईबीयू मुम्बई का अवकाश कैलेन्डर अपनाएं।
- (iv) आईएफएससीए समयसीमा समेत नियामक दिशानिदेश सभी आईबीयू को निर्दिष्ट करेगा ताकि वे अपने ग्राहकों को कतिपय मूलभूत सेवाएं इन्टरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से प्रदान करने के लिए समुचित रूप से स्वचालित (24*7), प्रणाली स्थापित कर सकें। स्विफ्ट संदेश प्रणाली की तरफ एसटीपी भी कतिपय सीमाओं में रहते हुए इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से सहायक होगा, क्योंकि यह भारत में प्रचलित है।

समर्थन और आउटरीच

‘निर्यात ऋण और निर्यात ऋण बीमा में आईएफएससी की भूमिका’ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और आईएफएससीए ने मिलकर 19 दिसम्बर 2023 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में ‘निर्यात ऋण और निर्यात ऋण बीमा में आईएफएससी की भूमिका’ पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को श्री के. राजारमन, अध्यक्ष, आईएफएससीए; श्री विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और श्री परेश कांतिलाल मेहता, क्षेत्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गनाइजेशन (डब्ल्यू आर) ने सम्बोधित किया।



चित्र 1 : निर्यात ऋण और निर्यात ऋण बीमा में आईएफएससी की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

इस सम्मेलन ने विचार-विमर्श का एक मंच प्रदान किया जिसमें निर्यात ऋण और निर्यात ऋण बीमा में तीव्र परिवर्तनों पर विचार विनिमय हुए, जो इस क्षेत्र में संवृद्धि को समर्थन देने में आईएफएससीए की भूमिका को सामने लाता है। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने सक्रिय सहभागिता उत्कृष्ट गोलमेज चर्चा में की जिसमें निम्नलिखित विषयों को लिया गया –

- (i) निर्यात ऋण और निर्यात ऋण बीमा के लिए मांग
- (ii) व्यापार वित्त निधियन में अंतराल : वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य
- (iii) निर्यात ऋण और निर्यात ऋण बीमा में नवाचार
- (iv) व्यापार वित्त निधियन अंतराल को पाटने में आईएफएससीए की भूमिका
- (v) व्यापार वित्त अंतराल का समापन : नीतिगत विकल्प



चित्र 2 : 'व्यापार वित्त अंतराल का समापन : नीतिगत विकल्प' सत्र के लिए पैनल सदस्य (बाएं से दाहिने : श्री एम. पी. तांगीराला, अतिरिक्त सचिव, वित्तीय कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय; श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; श्री रजनीश कर्नाटक, एमडी और सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया; श्री तरुण

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससीए बैंकिंग कम्पनियों के लिए आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक का प्रकाशन

इस प्राधिकरण ने आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियमावली में संशोधन करते हुए बैंकों को अनुषंगी के रूप में आईएफएससीए बैंकिंग कम्पनियां स्थापित करने की अनुमति दी है कि इस प्राधिकरण द्वारा आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक के अधीन निदेशों का सारसंग्रह के रूप में सक्षमकारी व्यवस्था जारी की जाएगी।

भुगतान और निपटान विनियमावली के अधीन व्यवस्था का प्रकाशन

इस प्राधिकरण ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद आईएफएससीए इसके अधीन अनिवार्य व्यवस्था तैयार करेगी ताकि आईएफएससीए में भुगतान और निपटान प्रणाली को प्राधिकृत किया जा सके।

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली

गिफ्ट आईएफएससीए में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित की जा रही है जो गिफ्ट आईएफएससीए में स्थिति आईएफएससीए बैंकिंग इकाइयों के बीच विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का निपटान (अमरीकी डॉलर से शुरुआत) करेगी।

वित्तीय कम्पनियां

आईएफएससी में गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने में वित्तीय कंपनियां/इकाइयां (एफसी/एफयू) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एफसी/एफयू को अनुमति है कि सार्वजनिक जमाराशियां जुटाने के अलावा आईएफएससी में आईबीयू द्वारा किए जा सकने वाले क्रियाकलापों को करें, इस प्रकार वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से आईबीयू की भूमिका अनूपूरक की होगी।

एफसी/एफयू का नियंत्रण आईएफएससीए (वित्त कंपनी) विनियमावली, 2021 के अधीन किया जाता है, जिसमें उद्देश्य रखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने हुए वित्तीय संस्थानों हेतु जोखिम पर ध्यान देते हुए प्रतिस्पर्धी परिवेश प्रदान किया जाए। इसके प्रमुख क्रियाकलापों में उधार देना, निवेश, डेरिवेटिव कारोबार, वैश्विक/क्षेत्रीय कॉरपोरेट ट्रेजरी केन्द्र (जीआरसीटीसी) के रूप में कार्य करना और आढ़तिया/फोरेफेटिंग कार्यों का समावेश है। विनियमावली में आईएफएससी में ऐसे कार्यों के लिए भी सक्षमता दी गई है जिनमें वायुयानों, जलयानों और आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित अन्य उपकरणों की पट्टेदारी, वैश्विक और क्षेत्रीय ट्रेजरी केन्द्रों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त मंचों (आईटीएफएस प्लेटफॉर्म) की स्थापना भी शामिल है।

मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफएससीए ने एफसी विनियमावली के अधीन वित्तीय कम्पनियों के रूप में 37 प्रतिष्ठानों को पंजीकरण प्रदान किया है। इनमें से 4 प्रतिष्ठानों को मूल कार्यों यथा उधार देने और आढ़त कार्यों के लिए पंजीकृत किया गया है। विशिष्ट क्रियाकलापों वाली वित्तीय कम्पनियों में से विमान के 20 पट्टाकर्ताओं ने कुल 125 विमान आस्तियों को गिफ्ट आईएफएससी से पट्टे पर दिया, 4 जलयान पट्टाकर्ताओं और 3 आईटीएफएस प्रतिष्ठानों ने वाणिज्यिक परिचालन आरंभ कर दिए हैं।

नीति/विनियामक गतिविधियां

वित्त कम्पनी (मूल क्रियाकलाप)

- (i) वित्तीय कम्पनियों और इकाइयों को जनवरी 2024 में 'ऋण संस्थानों' के रूप में सक्षम किया गया (ऋण सूचना कम्पनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 33-ए के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) ताकि आईएफएससी में अनुमेय क्रियाकलापों को किया जा सके। यह सीआईसी और आईएफएससी इकाइयों के बीच डाटा स्वीकार्यता/शेयरिंग को सक्षम करने की तरफ प्रगतिशील कदम है। इस समावेशन से वित्तीय कम्पनियों/इकाइयों को ऋण सूचना कम्पनियों (सीआईसी) का सदस्य बनने की अनुमति देगा जो भारतीय उधारकर्ताओं के बारे में सीआईसी के साथ जानकारी का विनियम करने में सक्षम करेगा, इस प्रकार उनकी सम्यक तत्परता प्रक्रिया में सुविधा होगी।
- (ii) ईएसजी उधारियों के लक्ष्य की संगणना करने के बारे में स्पष्टीकरण देने वाले परिपत्र के बाद विस्तृत एफएक्यू भी जारी किए गए।

विमान लीजिंग

कार्यालय स्थल और श्रमशक्ति की शेयरिंग के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, द्वारा फरवरी, 2023 में एसईजेड नियमों में संशोधन के बाद, इस प्राधिकरण ने अप्रैल 2023 में एक परिपत्र जारी किया गया कि इसके अधीन पात्र प्रतिष्ठानों और आवेदन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हुए इसे प्रभावी किया जाए। विमान लीजिंग व्यवस्था का दायरा बढ़ाया गया ताकि 'उड़ान प्रशिक्षण अनुरूपण यंत्रों, की लीजिंग को भी शामिल किया जा सके।

इसके अलावा सहायक सेवा व्यवस्था के तहत अलग से पंजीकरण की आवश्यकता के बिना ही आईएफएससी द्वारा पंजीकृत पट्टाकर्ता के समूह के प्रतिष्ठानों के लिए आस्ति प्रबंधन सहायता सेवाओं (एएमएसएस) के प्रावधानों को भी सक्षम किया गया। आईएफएससी में विमान पट्टाकर्ता प्रतिष्ठानों के लिए कारोबार में सहजता लाने के एक उपाय के रूप में इसका सूत्रपात किया गया।

संव्यवहार/प्रक्रियाएं/परिचालन/प्रवृत्तियां

उधार देने, आदत और फोरफेटिंग, ट्रेजरी केन्द्र के कार्यों, वायुयानों और जलयानों की पट्टेदारी के साथ अन्य कार्यों जैसे विभिन्न क्रियाकलाप संचालित करने के लिए आईएफएससी में स्वयं को वित्तीय कम्पनी के रूप में स्थापित करने के लिए आईएफएससी के विभिन्न संस्थानों से जानकारी देने के अनुरोध बढ़ते जा रहे हैं।

आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेन्ट आईएफएससी लि. (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहायक इकाई), ओवीएल ओवरसीज आईएफएससी लि. (ओएनजीसी विदेश लि. की सहायक इकाई), एक्जिम फिनसर्विस आईएफएससी प्रा. लि. (एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की सहायक इकाई), एआई फ्लोट सर्विसेज आईएफएससी लि. (एयर इंडिया की सहायक इकाई), और लॉयटस आईएफएससी प्रा. लि. (अम्बुजा सीमेन्ट लि. की सहायक इकाई – अडानी समूह का हिस्सा) जैसे कुछ प्रमुख खिलाड़ियों ने विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन हेतु वित्तीय कम्पनियों के रूप में पंजीकरण कराया है। पंजीकृत किए गए जलयान लीजिंग प्रतिष्ठानों में से कुछ में शामिल हैं – जल कुमुद शिपिंग आईएफएससी प्रा. लि., एथेना शिपिंग आईएफएससी प्रा. लि., सायगल सीट्रेड सर्विसेज (आईएफएससी) एलएलपी और रिप्ले पायोनियर इंडिया आईएफएससी प्रा. लि.।

सारणी 5 : पंजीकृत वित्त कम्पनियां - 31 मार्च 2024 को

वित्त कम्पनी द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रकार	एफसी (मूल)	विमान लीजिंग	जलयान लीजिंग	एफसी (मूल से इतर)–धारक कं और आईटीएफएस प्रतिष्ठान	कुल
प्रदान किए गए सीओआर	4	20	8	5	37

सारणी 6 : विमान परिचालन लीज (एओएल) प्रतिष्ठान

क्रमांक	विमानन आस्ति का प्रकार	31 मार्च 2024 को पट्टे पर दी गई आस्तियों की संख्या
1	विमान	20
2	इन्जन	49
3	ग्राउन्ड सपोर्ट उपकरण	56
	कुल	125


सारणी 7 : जलयान लीजिंग प्रतिष्ठान

क्रमांक	आस्ति का प्रकार	31 मार्च 2024 को पट्टे पर दी गई आस्तियों की संख्या
1	जलयान	4

सारणी 8 : आईटीएफएस प्लेटफार्मस

31 मार्च 2024 को वित्तपोषित संव्यवहारों की संख्या	281
31 मार्च 2024 को वित्तपोषित संव्यवहारों का मूल्य	12.91 मिलियन अमरीकी डॉलर

आकृति 5 : आईएफएससी में वित्त कम्पनियों की संख्या



परिपत्र

- (i) वित्तीय संस्थानों द्वारा संधारणीय और संधारणीयता सहबद्ध उधार देने पर दिशानिदेश व्यवस्था – स्पष्टीकरण (20 अप्रैल 2023)
- (ii) विमान लीजिंग कार्य करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों (आईएफएससी) में कार्यालय स्थल या श्रमशक्ति या दोनों का उपभोग (18 अप्रैल 2023)
- (iii) आईएफएससीए के 'विमान लीज हेतु व्यवस्था' विषयक परिपत्र में संशोधन – विमानन प्रशिक्षण अनुरूपक यंत्रों को पट्टे पर देने की अनुमति (26 अप्रैल 2023)

समर्थन और आउटरीच

- (i) आईटीएफसी व्यवस्था में आगामी सुधारों के अभिनिर्धारण हेतु 12 दिसम्बर 2023 को इस प्रभाग द्वारा 'आईएफएससी में आईटीएफएस मंचों के विकासात्मक पक्ष' शीर्षक से गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में आईएफएससी आईटीएफसी संस्थाएं, आईबीयू, आईबीयू के प्रधान कार्यालयों से रणनीतिकार प्रमुख, आईएफएससी में पंजीकृत सामान्य बीमा संस्थाएं और आईएफएससी में भावी बीमा प्रतिष्ठान शामिल हुए। परिचालनगत दक्षता लाने के प्रयोजन से आईटीएफएस व्यवस्था में अपेक्षित संशोधन के बारे में सहभागियों के विचार मांगे गए।
- (ii) व्यवसाय करने में सहजता लाने के मामले के रूप में और अपनी श्रेणी के सर्वोत्तम विनियमों का तैयार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए या तो संस्थान के भीतर या उद्योग की घटनाओं में सहभागिता के माध्यम से पूरे उद्योग में नियमित रूप से आपसी वार्ताओं का आयोजन किया जाता है। आईएफएससी के अधिकारी आयरलैन्ड और दिल्ली में आयोजित एयरलाइन इकोनॉमिक्स कार्यक्रम में शामिल हुए और वैश्विक पट्टाकर्ताओं और वित्तपोषकों के साथ विचार-विमर्श किए। इन कार्यक्रमों ने उद्योग के कार्यचालन की आंतरिक जानकारी हासिल करने में सहायता मिली और आईएफएससी परिवेश के लिए नीतिगत सुधारों को अभिनिर्धारित करने में सहायता मिली इससे इन्हें वैश्विक वित्तीय केन्द्रों के साथ स्पर्धी बनाया जा सकेगा।
- (iii) वैश्विक कॉरपोरेट के साथ सिंगापुर में सीमित प्रवेश वाली गोलमेज आयोजित की गई जिसमें वैश्विक क्षेत्रीय ट्रेजरी केन्द्र व्यवस्था पर फीडबैक लिए गए। इस पक्ष पर गहन दृष्टि डाली गई आईएफएससी में अपनी ट्रेजरी लाने के लिए कॉरपोरेटों पर ध्यान दिया जाए और अन्य अधिकार क्षेत्रों में विद्यमान सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तुलना की गई। इससे व्यवस्था की आवधिक समीक्षा हो सकी जिससे आईएफएससी को अन्य प्राथमिकता दिए जाने वाले अन्य अधिकार क्षेत्रों के समकक्ष लाया जा सके।

- (iv) मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम समिट में आईएफएससीए के प्रतिनिधि शामिल हुए जिन्होंने “गिफ्ट आईएफएससी में जलयान लीजिंग के अवसर” पर गोलमेज चर्चा में हिस्सा लिया था।



चित्र 3 : माननीय वित्त मंत्री के साथ ग्लोबल मैरीटाइम समिट का पैनल

विमान लीजिंग

डबलिन का दौरा

आईएफएससीए के एक प्रतिनिधि मंडल ने 29 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक डबलिन, आयरलैंड में एयरलाइन इकोनॉमिक्स में सहभागिता की। मुख्य महाप्रबंधक, आईएफएससीए और महाप्रबंधक, आईएफएससीए ने विमान उद्योग के सभी खंडों में विभिन्न सहभागियों के साथ 36 बैठकों का आयोजन किया ताकि उन्हें आईएफएससी के विनियामक परिदृश्य, गिफ्ट आईएफएससी में विमान लीजिंग के अवसरों और इस कार्यक्षेत्र में तक हुई प्रगति से अवगत कराया जा सके। इस प्रतिनिधिमंडल ने विस्तार से बताया कि गिफ्ट आईएफएससी की प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठता और भारतीय एयरलाइनों द्वारा दिए गए नए आर्डरों से मिलने वाले संभावित अवसरों का और गिफ्ट आईएफएससी में विमान लीजिंग हेतु विद्यमान स्थापित मेकेनिज्म से पट्टाकर्ता कैसे लाभ उठा सकते हैं।



चित्र 4 : आयरलैंड में भारत के राजदूत के साथ आईएफएससीए की भेंट

एयरलाइन इकोनॉमिक्स इवेंट – नई दिल्ली

आईएफएससीए का एक प्रतिनिधिमंडल 27-28 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में एयरलाइन इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित भारत-केन्द्रित कार्यक्रम के द्वितीय संस्करण में शामिल हुआ। मुख्य महाप्रबंधक, आईएफएससीए ने आईएफएससीए की विमान लीजिंग और टैक्स व्यवस्था और विमान लीजिंग हेतु गिफ्ट आईएफएससीए को एक केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में आईएफएससीए और भारत सरकार के सम्यक दृष्टिकोण के बारे में प्रस्तुति दी। विमान लीजिंग और गिफ्ट आईएफएससीए में वित्तपोषण के बारे में विविध विषयों को लेकर विचार-विमर्श हुए। कई द्विपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया गया।

जलयान लीजिंग

मैरीन मनी इंडिया शिप फाइनेंस फोरम

मैरीन मनी द्वारा मुम्बई में 20 फरवरी 2024 में भारत के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष, आईएफएससीए ने प्रमुख अभिभाषण दिया जिसमें उन्होंने सहभागियों को गिफ्ट आईएफएससीए में जलयान लीजिंग और वित्तपोषण हेतु उपलब्ध अवसरों के बारे में अवगत कराया। गिफ्ट आईएफएससीए जलयान अधिक्रय, लीजिंग और वित्तपोषण के बारे में पैनल परिचर्चा में कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए शामिल हुए।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

वित्त कम्पनी विनियमावली की समीक्षा

आईएफएससीए (विनियमावली तैयार करने की पद्धति) विनियमावली के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा जारी सभी विनियमों की प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा की जाए। तदनुसार एफसी विनियमावली और संबंधित परिपत्रों का मूल्यांकन करके उचित रूप से परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा ताकि संस्थानों के लिए कारोबार में सहजता की सुविधा दी जा सके। यह समीक्षा प्रक्रिया उद्योग के साथ परामर्श से परिपत्रों और व्यवस्थाओं में आवश्यक संशोधन करने लायक बनाएगी।

सहभागिता लाभ के रूप में निवेश करने के लिए आईएफएससीए में वित्त कम्पनियों को अनुमति

सहभागिता लाभ (पीआई) एक प्रकार का निवेश है जो निवेशकों को परियोजनाओं में सापेक्षिक स्वामित्व का हिस्सा प्रदान करता है, विशिष्ट तथा प्राकृतिक संसाधन अन्वेषण क्षेत्र में जैसे कि तेल और गैस की खोज वाले या खनिजों वाले ब्लॉक आदि। इस प्रकार का निवेश हिस्सेदारों को आस्तियों/अन्वेषण और बाद में मिल रहे प्राकृतिक संसाधनों में भी हिस्सा दिया जाता है। पीआई की सुविधा देने से संस्थान प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण और उत्पादन में रणनीतिगत निवेश करने में जुटे और इस प्रकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को संभावित लाभ मिलेगा।

'आईएफएससीए में जलयान लीजिंग' की अनुमति संबंधी परिपत्र

- (i) आईएफएससीए में जलयान पट्टाकर्ताओं के लिए अनुमेय कार्यों के प्रकारों के बारे में स्पष्टीकरण जारी करना। अनिवार्यतया इसमें निर्दिष्ट किया जाएगा कि जो भी प्रतिष्ठान जलयान का स्वामी है या जिसके पास जलयानों या सागर में चाले वाले वाहनों की पट्टेदारी है उसके द्वारा जलयान लीजिंग की जा सकती है।
- (ii) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 21 बी में संशोधन किया ताकि वे जलयान लीजिंग यूनिटों को सक्षम किया जा सके कि वे

जलयान लीजिंग के प्रयोजन से इस प्राधिकरण के अनुमोदन से आईएफएससी की किसी अन्य इकाई के कार्यालय स्थल या मानवशक्ति या दोनों का उपयोग कर सकें। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में इस प्राधिकरण का विचार ऐसी शर्तों और प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए दिशानिदेश जारी करने का है, जिससे जलयान लीजिंग का कार्य करने वाली आईएफएससी में एफसी/एफयू इस सुविधा का लाभ उठा सके, जैसा कि विमान लीजिंग संस्थानों के मामले में जारी किया गया है।

होलिडिंग कम्पनियों के लिए व्यवस्था

इस व्यवस्था में कम्पनियों को ऐसा मार्ग प्रदान किया जाएगा कि वे अपने विदेशी या स्वदेशी कारोबारी विस्तार के लिए आईएफएससी में होलिडिंग कम्पनी स्थापित कर सकें। यह भारतीय कॉरपोरेट और वैश्विक कॉरपोरेट को सक्षमता देगा कि वे क्रमशः विदेश में अपने निवेशों और भारत में निवेशों की रणनीति बना सकें।

आईएफएससी को वित्तपोषक केन्द्र में अंतरित करने हेतु विमान और शिपिंग क्षेत्र में नीतिगत संवर्धन

वर्तमान में आईएफएससी द्वारा वायुयानों और जलयानों की लीजिंग में सुविधा दी गई है। हालांकि आईएफएससी को विमान और जलयान वित्तीयन केन्द्र में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कई प्रकार के टैक्स और क्षेत्रकीय नीतिगत परिवर्तन अपेक्षित हैं। नीति संबंध विस्तृत कागजात वित्त मंत्रालय, शिपिंग और नागर विमानन मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं।



पूँजी बाजार

गिफ्ट आईएफएससी में पूँजी बाजार परितंत्र का लक्ष्य है कि सुदृढ़ और परिपूर्ण अवसंरचना, जिसमें उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मजबूत क्लीयरिंग और निपटान प्रणालियां और वित्तीय उत्पादों की विविधतापूर्ण शृंखला यथा – इक्विटी, ऋण लिखतें, और डेरिवेटिव शामिल हैं, प्रदान करके भारत को वैश्विक वित्तीय केन्द्र की स्थिति दी जाए। अंतरराष्ट्रीय आईएफएससी द्वारा नियंत्रित गिफ्ट आईएफएससी अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम नियामक व्यवस्थाओं, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और आकर्षक टैक्स लाभ प्रदान करता है ताकि वैश्विक निवेशकों और पूरे विश्व के वित्तीय प्रतिष्ठानों के लिए हितकारी परिवेश तैयार किया जा सके।

गिफ्ट आईएफएससी में पूँजी बाजार परितंत्र में दे अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी) हैं जो इन्डेक्स डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव, करेन्सी डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव सहित विभिन्न उत्पाद वर्गों में 20+ घन्टे का कारोबारी समय देते हैं। मार्च 2024 के दौरान आईएफएससी एक्सचेंजों में मासिक टर्नओवर 79 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा और एनएसई आईएक्स पर निफ्टी डेरिवेटिव संविआदों का मार्च 2024 में औसत दैनिक टर्नओवर 70 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

हरित, सामाजिक, धारणीय और धारणीयता संबद्ध ऋण प्रतिभूतियों सहित वैश्विक ऋण जुटाने की इच्छा रखने वाले भारतीय निर्गमकर्ताओं के लिए भी गिफ्ट आईएफएससी प्राथमिक गंतव्य बन चुका है। स्टॉक एक्सचेंजों में मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार संचयी ऋण लिस्टिंग 5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रही जिसमें से 12.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का संबंध ईएसजी लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों से है। आईएफएससी एक्सचेंजों में खासतौर पर ऋण लिस्टिंग पर केन्द्रीय बजट 2023-24 में न्यूनतर धारिता टैक्स (9%) की शुरुआत होने से गिफ्ट आईएफएससी से वैश्विक ऋण जुटाने के लिए अधिकाधिक भारतीय निर्गमकर्ता प्रोत्साहित होंगे।

नीति/ नियामक गतिविधियां

प्रतिभूतियों की लिस्टिंग

सीधी लिस्टिंग स्कीम

वित्त और कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय की माननीय केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 28 जुलाई 2023 को भारत सरकार का यह निर्णय घोषित किया कि आईएफएससी के अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सार्वजनिक भारतीय कम्पनियों के इक्विटी शेयरों की सीधी लिस्टिंग की अनुमति है। इस घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने 24 जनवरी 2024 को विदेशी मुद्रा (गैर ऋण लिखत) संशोधन नियमावली, 2024 और कम्पनी (अनुमेय अधिकार क्षेत्रों में) इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग) नियमावली, 2024 (लीप नियमावली) को अधिसूचित किया जिसमें गिफ्ट आईएफएससी के अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज में सार्वजनिक भारतीय कम्पनियों द्वारा इक्विटी शेयरों की सीधी लिस्टिंग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एफईएम (एनडीआई) नियमावली 2019 में दी गई सीधी लिस्टिंग योजना में अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में सार्वजनिक भारतीय कम्पनियों के इक्विटी शेयरों के निर्गमन और लिस्टिंग के ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। इससे पहले भारतीय कम्पनियों को विदेशों में इक्विटी शेयरों के निर्गम या लिस्ट करने की अनुमति नहीं थी। अब इस व्यवस्था में गैरसूचीबद्ध सार्वजनिक भारतीय कम्पनियों को अपने शेयर अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में लिस्ट करने की अनुमति है।

इस नीतिगत उपाय से भारतीय कम्पनियों खासकर स्टार्टअप्स और सनराइज तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कम्पनियों को स्वदेशी एक्सचेंजों से आगे निकलकर वैश्विक पूंजी तक पहुंच का वैकल्पिक मार्ग प्राप्त होता है। यह भारतीय कंपनियों का वैश्विक पैमाने के मानकों और निष्पादन के अनुरूप बेहतर मूल्यांकन, विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ाने, संवृद्धि के अवसरों को हासिल करने और निवेशक आधार को व्यापक बनाने की दिशा में ले जाएगा।

सार्वजनिक भारतीय कम्पनियों के पास दोनों ही बाजारों तक पहुंचने की लोचशीलता रहेगी, अर्थात् भारतीय रुपयों में पूंजी जुटाने के लिए घरेलू बाजार और वैश्विक निवेशकों से विदेशी मुद्रा में पूंजी जुटाने के लिए आईएफएससी के अंतरराष्ट्रीय बाजार। यह प्रयास भारतीय कम्पनियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने और अन्य बाजारों में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने हेतु अवसरों को देखने की अभिलाषा के लिए विशेष रूप से लाभ देगा। यह भी अपेक्षित है कि यह निवेशकों, वित्तीय उत्पादों के दिशा परिवर्तन और चलनिधि को बढ़ाते हुए निवेश के नए अवसरों का प्रावधान करके गिफ्ट आईएफएससी के पूंजी बाजार परितंत्र को बढ़ावा देगा।

विदेशी निवेशकों हेतु प्रोत्साहन

विदेशी निवेशकों को इस सीधी लिस्टिंग स्कीम से भारतीय कम्पनियों में मूल्यवत्ता के सृजन का मौका मिलेगा जिसमें आईएफएससी द्वारा दी जा रही व्यवसाय हितैषी विनियामक पद्धति की सुविधा है।

आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंजों में लेनदेन विदेशी मुद्रा में होंगे जिससे निवेशकों को मुद्रा जोखिम नहीं रहेंगे। आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंजों के पास कारोबार को विस्तारित समय दिया गया है जो विश्व के सभी प्रमुख अधिकारक्षेत्रों के निवेशकों को समाहित करेगा और उन्हें कारोबार करने की सुविधा और सहजता प्रदान करेगा। इसके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भी विभिन्न कर-लाभ प्रदान किए गए हैं जो वैश्विक निवेशकों के लिए गिफ्ट आईएफएससी को आकर्षक गन्तव्य बनाते हैं।

आईएफएससी के पास पहले से ही सुविकसित पूंजी बाजार परितंत्र है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरी, निवेश बैंकर्स, ब्रोकर, आईबीयू आदि शामिल हैं। इसलिए गिफ्ट आईएफएससी एक अच्छी स्थिति में है कि भारतमें निर्बाध रूप से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए महाद्वार के रूप में कार्य करे और भारत को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करे।

बाक्स 1 : सीधी लिस्टिंग स्कीम के प्रमुख लक्षण

सार्वजनिक भारतीय कम्पनियों के लिए पात्रता मानदंड

कोई सार्वजनिक भारतीय कम्पनी अपने इक्विटी शेयरों को आईएफएससी के अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कर सके इसकी पात्रता के मानदंड एफईएम (एनडीआई) नियमावली, 2019 और लीप नियमावली के अधीन सीधी लिस्टिंग स्कीम में दिए जा चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में निर्गम और लिस्टिंग :

कोई सार्वजनिक भारतीय कम्पनी इक्विटी शेयरों का निर्गम अथवा विद्यमान शेयरधारकों के इक्विटी शेयरों का ऑफर कर सकती है, प्रतिबंधित क्रियाकलापों की शर्त लागू होगी, और क्षेत्रकीय ऊपरी सीमाएं एफईएम (एनडीआई) नियमावली, 2019 की प्रथम अनुसूची – के अनुच्छेद 2 और 3 में निर्धारित हैं।

इसके अलावा आईएफएससी में सूचीबद्ध शेयर डीमैट रूप में होंगे और भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के समरूप रैंक करेंगे।

अनुमेय धारक

केवल अनिवासी व्यक्ति को ही अनुमेय धारक के रूप में अनुमति दी गई है जो आईएफएससी के अंतरराष्ट्रीय एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध सार्वजनिक भारतीय कम्पनी के इक्विटी शेयरों का क्रय अथवा विक्रय कर सकते हैं। इसके अलावा अनुमेय धारक को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध भारतीय कम्पनी के इक्विटी शेयरों के क्रय अथवा विक्रय की अनुमति एफईएम (एनडीआई) नियमावली, 2019 के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हेतु निर्दिष्ट सीमा के भीतर ही रहेगी।

कीमत निर्धारण

किसी गैर सूचीबद्ध भारतीय कम्पनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय एक्सचेन्जों में इक्विटी शेयरों की आरंभिक लिस्टिंग के मामले में, निर्गम की अथवा इक्विटी शेयरों के अंतरण की कीमत का निर्धारण प्रक्रिया बही निर्धारण प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा जो इस अंतरराष्ट्रीय एक्सचेन्ज द्वारा यथा अनुमत हो और यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत अनुमेय नियमों और विनियमों के तहत उचित बाजार मूल्य से कम नहीं होंगी।

पहले ही से सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में आईएफएससी में इक्विटी शेयरों का निर्गम उस कीमत पर किया जाएगा जो ऐसे इक्विटी शेयरों को अनुमेय कानूनों के तहत घरेलू निवेशकों को निर्गमान के तदनुसारी अनुमेय कीमत से कम कीमत नहीं होगी।

आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियमावली, 2021

सीधी लिस्टिंग स्कीम की अधिसूचना के अनुसरण में आईएफएससीए ने जनता और अन्य हिस्सेदारों से सुझाव मांगते हुए प्रेस विज्ञापित जारी की, ताकि आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियमावली, 2021 की समीक्षा की जा सके, जिसका प्रमुख उद्देश्य कारोबार करने की सहजता को बढ़ाना और अन्यवैश्विक बाजारों में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विनियामक अपेक्षाओं की बेन्चमार्किंग की जाए। मार्च 31, 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफएससीए इस प्रक्रिया में है कि आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियमावली, 2021 की समीक्षा की जाए।

भारत के साथ भू सीमा साझा करने वाले देशों के साथ निवेशों की निगरानी

आईएफएससीए ने 9 फरवरी 2024 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें भारत के साथ भू सीमा साझा करने वालों देशों से निवेशों पर निगरानी की पद्धति दी गई है। ऑनबोर्डिंग, प्राथमिक बाजार निर्गमों, द्वितीयक बाजार में कारोबार, ऑफ मार्केट अंतरणों के समय ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा सहभागिता पर निगरानी के लिए विस्तृत अपेक्षाएं इसमें दी गई हैं। इसमें यह भी अपेक्षित है कि आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बाजार निगरानी करें ताकि द्वितीयक बाजार में इस प्रकार के अभिनिर्धारित ग्राहकों के कारोबारी क्रियाकलापों पर नजर रखी जाए और इसकी रिपोर्ट आईएफएससीए को मासिक आधार पर दी जाए।

बाजार अवसंरचना संस्थान

स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशनों और डिपॉजिटरियों को बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये संस्थान प्रतिभूतियों के कारोबार, क्लियरिंग और निपटान सुविधा के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करते हैं। चूंकि एमआईआई द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति गिफ्ट आईएफएससी में पूंजी बाजार की रीढ़ को आकार देती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इन पर विनियमन की अत्यधिक निगरानी अपेक्षित है।

स्टॉक एक्सचेंज

क्लीयरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटर के साथ स्टॉक एक्सचेंज घनष्टि समन्वयन करते हुए प्रतिभूतियों के कारोबार में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह कारोबार के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों की कीमत खोजने में सुविधा हेतु ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज को विभिन्न विनियामक दायित्व भी दिए जाते हैं ताकि बाजार की निष्ठा सुनिश्चित हो और निदेशकों के हितों का संरक्षण हो सके।

आईएफएससीए ने स्टॉक एक्सचेंजों को आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 (इसके बाद एमआईआई विनियमावली के रूप में उल्लिखित) के विनियम 9 के तहत मान्यता दी है। वर्तमान में गिफ्ट आईएफएससी में दो स्टॉक एक्सचेंज परिचालन कर रहे हैं यथा – इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससीए) लि. (इंडिया आईएनएक्स) और एनएसई आईएफएससी लिमिटेड (एनएसई आईएक्स)। इंडिया आईएनएक्स बीएसई की सहायक इकाई है और एनएसईआई एक्स – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक इकाई है। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज सन 2017 से परिचालन कर रहे हैं और एमआईआई विनियमावली के तहत प्रतिवर्ष इनकी मान्यता नवीकृत की जाती है।

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदत्त सह-लोकेशन सुविधा

स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ब्रोकर डीलरों और डाटा वेन्डरों जैसे पात्र बाजार सहभागियों को सह-लोकेशन सुविधा दी जाती है, इसके द्वारा उनके कारोबारी या डाटा वेन्डिंग सिस्टम को स्टॉक एक्सचेंजों के परिसर में ही या इसके काफी पास में ही रखने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के बाजार सहभागियों के ट्रेडिंग सिस्टम को सीधे और निजी नेटवर्क के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया जाता है।

सह-लोकेशन सुविधा देते समय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि जिन सभी बाजार सहभागियों को सह-लोकेशन की सुविधा मिली है उन्हें स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और डाटा फीड के लिए उचित, पारदर्शी और समसमान अभिगम मिलता है।

स्टॉक एक्सचेंजों को यह अनुमति भी देनी होगी कि आईएफएससी में मान्यता प्राप्त किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की सह-लोकेशन सुविधा और आईएफएससी के भारत में या विदेश में मान्यता प्राप्त अन्य स्टॉक एक्सचेंज की सह-लोकेशन सुविधा के बीच सीधे सम्पर्क है।

बाक्स 2 : गिफ्ट कनेक्ट

गिफ्ट कनेक्ट (पूर्ववर्ती एनएसई आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और सिंगापुर एक्सचेंज के बीच आपसी सहाय्येगी प्रयास है। इसका उद्घाटन 29 जुलाई 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी होने का अनुमान है, इसी दिशा में गिफ्ट कनेक्ट ने भी भारतीय पूंजी बाजार तक अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है।

गिफ्ट कनेक्ट अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों ही सहभागियों को आपस में एकजुट करता है और इससे गहनतर चलनिधि पूल बनता है तथा निवेशकों के लिए निफ्टी उत्पादों की एक बड़ी शेलफ मिलती है। एसजीएक्स ने एक सहायक इकाई एसजीएक्स इंडिया कनेक्ट आईएफएससी प्रा. लि. की स्थापना गिफ्ट आईएफएससी में की है जो एसजीएक्स के माध्यम से जाने वाले आर्डरों के लिए मार्गस्थ संस्थान है।

गिफ्ट कनेक्ट का संपूर्ण परिचालन 3 जुलाई 2023 से आरंभ हुआ उस समय निफ्टी वायदा में 8.05 बिलियन अमरीकी डॉलर का ओपन इन्टरेस्ट था और निफ्टी ऑप्शन में 1.04 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का ओपन इन्टरेस्ट था। अंतरण का अनुसरण करते हुए अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गित सभी निफ्टी डेरिवेटिव

संविदाओं की ट्रेडिंग अब केवल एनएसई आईएक्स पर है। मार्च 2024 में एनएसई आईएक्स पर निफ्टी डेरिवेटिव संविदाओं का औसत दैनिक टर्नओवर 70 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

गिफ्ट आईएफएससी में निम्नलिखित निफ्टी संविदाएं लगभग 21 घंटे ट्रेडिंग हेतु उपलब्ध हैं, जो एशिया, यूरोप और यूएस के ट्रेडिंग घंटों का ओवरलैप करती हैं –

- i. निफ्टी 50 सूचकांक वायदा और आप्शन
- ii. बैंक निफ्टी सूचकांक वायदा और आप्शन
- iii. निफ्टी आईटी सूचकांक वायदा और आप्शन
- iv. निफ्टी वित्तीय सेवाएं सूचकांक वायदा और आप्शन

गिफ्ट कनेक्ट ने गिफ्ट आईएफएससी को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय उत्पादों और सेवाओं हेतु वैश्विक केन्द्र के रूप में आगे बढ़ाया है। यह भारत के लिए प्रमुख कदम है जो वित्तीय विश्व में 'कीमत निर्धारक' होगा।

समाशोधन निगम

समाशोधन निगम एक एमआईआई है जो स्टॉक एक्सचेंजों में निष्पादित लेनदेन के समाशोधन और निपटान को संचालित करता है। समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करने के प्रमुख दायित्व को पूरा करता है कि प्रतिपक्षकारों के बीच लेनदेन को त्वरित और दक्ष रीति से निपटाया जाता है।

गिफ्ट आईएफएससी में दो समाशोधन निगम परिचालन कर रहे हैं जिनके नाम हैं – इंडिया इन्टरनेशनल क्लीयरिंग कॉरपोरेशन (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आईसीसी) और एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीसीएल)। इंडिया आईसीसी बीएसई लिमिटेड की सहायक इकाई और एनआईसीसीएन एनएसई क्लीयरिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक इकाई है। दोनों ही समाशोधन निगमों की मान्यता एमआईआई विनियमावली के अधीन प्रतिवर्ष नवीकृत की जाती है।

निक्षेपागार

निक्षेपागार एक ऐसा संगठन होता है जो निवेशकों के अनुरोध पर पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, ऋणपत्र, बॉन्ड, आदि) को रखता है। इंडिया इन्टरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लि. (आईआईडीआई) गिफ्ट आईएफएससी में कार्यरत एकमात्र निक्षेपागार है जो प्रतिभूतियों के रिकार्ड कीपर का काम करता है।

पूंजी बाजार के मध्यस्थ

पूंजी बाजार के मध्यस्थ (सीएमआई) सामान्यतया ग्राहक-उन्मुख प्रतिष्ठान होते हैं जो निर्गमकर्ता कम्पनी और निवेशकों को पूंजी बाजार में विभिन्न लेनदेन करने में सहायता देते हैं। आईएफएससी में सीएमआई के कार्यों का नियंत्रण आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के तहत किया जाता है। इन विनियमों में ब्रोकर डीलर, समाशोधन सदस्य, निक्षेपागार सहभागी, निवेश बैंकर्स, निवेश परामर्शदाता, अभिरक्षक, वितरक, आदि जैसे मध्यस्थों के विभिन्न प्रकारों के लिए विनियामक व्यवस्था है।

ब्रोकर डीलर

ब्रोकर डीलर वे प्रतिष्ठान हैं जो आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों में अपने खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों की तरफ से भी कारोबार निष्पादित करते हैं।

सारणी 9 : आईएफएससी में ब्रोकर डीलर (31 मार्च 2024 को)

स्टॉक एक्सचेंज	ब्रोकर डीलरों की संख्या
इंडिया आईएनएक्स	59
एनएसई आईएक्स	67

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

समाशोधन सदस्य

समाशोधन सदस्य एक ऐसा प्रतिष्ठान होता है जो ब्रोकर डीलर द्वारा किए गए सभी कारोबार का समाशोधन और निपटान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

सारणी 10 : आईएफएससी में समाशोधन सदस्य (31 मार्च 2024 की स्थिति)

समाशोधन निगम	स्वतः समाशोधन करने वाले सदस्यों की संख्या	ट्रेडिंग सह समाशोधन सदस्यों की संख्या	व्यवसायिक समाशोधन सदस्यों की संख्या
इंडिया आईसीसी	5	9	2
एनआईसीसीएल	7	11	2

स्रोत : इंडिया आईसीसी और एनआईसीसीएल

ब्रोकर डीलरों और समाशोधन सदस्यों की डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट पर परिचालनों की स्थिति

ब्रोकर डीलरों और समाशोधन सदस्यों को अनुमति है कि भारत में अपनी डीआर साइट स्थापित करें। डीआर साइटें यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी अनपेक्षित घटना के कारण प्राथमिक लोकेशन और सिस्टम के विफल होने पर न्यूनतम डाउनटाइम में अपना परिचालन कर सकें। आईएफएससी ने स्पष्ट किया है कि अपनी-अपनी डीआर साइट (भारत में गिफ्ट आईएफएससी के बाहर स्थित) से ब्रोकर डीलरों और समाशोधन सदस्यों द्वारा किए गए परिचालनों को गिफ्ट आईएफएससी में किया गया माना जाएगा।

बाजार में सीधा अभिगम और प्रायोजित अभिगम सुविधाएं

आईएफएससी में ब्रोकर डीलरों को अनुमति है कि वे अपने ग्राहकों को सीधी बाजार अभिगम (डीएमए) सुविधा प्रदान करें। डीएमए सुविधा में ब्रोकर डीलरों की अनुमति है कि वे अपने ग्राहकों को ब्रोकर डीलर के ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से, ब्रोकर डीलर द्वारा बिना कोई मानवीय हस्तक्षेप किए, स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक अभिगम प्रदान करें। ब्रोकर डीलर के पास आंतरिक रूप से निगरानी की क्षमता बनी रहती है, और यदि आवश्यक हो तो निष्पादन से पहले ही किसी आर्डर को रोक दे।

इसके अलावा बाजार सहभागिता बढ़ाने और निवेशकों का आधार व्यापक बनाने के प्रयोजन से ब्रोकर डीलरों को अनुमति दी गई है कि वे अपने ग्राहकों के प्रायोजित अभिगम की सुविधा प्रदान करें। प्रायोजित अभिगम डीएमए का ही एक प्रकार है जिसमें ब्रोकर डीलर अपने ग्राहक को अनुमति देते हैं कि ब्रोकर डीलर के ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से भेजे बिना सीधे ही स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम को ग्राहक अपने आर्डर भेज दें। इस प्रकार की व्यवस्था ट्रेडिंग में न्यूनतम विलम्ब से ट्रेडिंग सुविधा देती है और ग्राहकों की परिष्कृत, मालिकाना ट्रेडिंग रणनीतियों की गोपनीयता भी बनी रहती है।

स्टॉक एक्सचेंजों से अपेक्षित है कि डीएमए/एसए आर्डरों का अभिनिर्धारण करें और इन्हें अन्य आर्डरों तथा सौदों से अलग करें। ब्रोकर डीलर अपने ग्राहकों द्वारा अपने डीएमए/एसए सिस्टम के माध्यम से दिए गए सभी आर्डरों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

ब्रोकर डीलर के पास रखे हुए ग्राहकों की निधियों का निपटान

आईएफएससी में ब्रोकर डीलर से अपेक्षित था कि ग्राहक के खाते में मासिक/तिमाही आधार पर (ग्राहक के चयन के अनुसार) पर उपयोग नहीं की गई निधियों का अंतरण ग्राहक के खाते में करें। ब्रोकर डीलर द्वारा निधियों के निपटान की अपेक्षा में एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे में निधियों का अंतरण करने में लागत निहित होती है। आईएफएससी में कारोबार को सहज करने के लिए मासिक/तिमाही निपटान की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है और अब निधियों का निपटान ग्राहक और ब्रोकर डीलर के बीच करार के अनुसार किया जाए। स्टॉक एक्सचेंजों से अपेक्षित है कि ब्रोकर डीलर के पास ग्राहक की निधियों की निगरानी के लिए एक क्रियाविधि स्थापित की जाए।

निक्षेपागार के सहभागी

निक्षेपागार का सहभागी (डीपी) मान्यता प्राप्त निक्षेपागार का सहभागी होता है और निक्षेपागार तथा निवेशक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इस समय 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार इस प्राधिकरण में 10 पंजीकृत डीपी हैं, जिनमें से 2 प्रतिष्ठानों को 2023-24 के दौरान पंजीकरण प्रदान किया गया।

अभिरक्षक

अभिरक्षक विशिष्ट वित्तीय संस्थान होते हैं जो वित्तीय उत्पादों के संबंध में अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसमें इन वित्तीय उत्पादों को सुरक्षित रखने और इनके लिए प्रासंगिक सेवाएं शामिल हैं। मार्च 31, 2024 की स्थिति के अनुसार इस प्राधिकरण में पांच अभिरक्षक पंजीकृत हैं।

निवेश परामर्शदाता

निवेश परामर्शदाता आईएफएससी में अहम भूमिका निभाते हैं ये जटिल और गतिशील वित्तीय परिदृश्य में जोखिम प्रबंधन और निवेशकों को अपना वित्तीय प्रयोजन प्राप्त करने में मदद करते हैं। मार्च 31, 2024 की स्थिति के अनुसार इस प्राधिकरण में चार निवेश परामर्शदाता पंजीकृत हैं।

निवेश बैंकर

पूंजी निरूपण, रणनीतिगत संव्यवहारों पर सलाह, जोखिम प्रबंधन और सीमापार के संव्यवहारों में सुविधा देने में निवेश बैंकर अहम भूमिका निभाते हैं और वैश्विक वित्तीय बाजारों के कुशल संचालन के लिए इनकी विशेषज्ञता और सेवाएं अनिवार्य हैं। निवेश बैंकरों की भूमिका यही निर्धारित की गई है कि आईएफएससी में एक बार सीधी लिस्टिंग स्कीम परिचालन आरंभ होते ही इन्हें अधिकाधिक महत्व मिले।


इसके अलावा आईएफएससी में आईबीयू को 3 दिसम्बर 2021 के परिपत्र के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा अनुमति (प्राधिकृत) दी जा चुकी है, कि वे आईएफएससी में निवेश बैंकिंग कार्यों को पूरा करें, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी में निवेश बैंकिंग का कार्य करने के लिए एक निवेश बैंकर (पंजीकृत) और दो आईबीयू (प्राधिकृत) हैं।

संव्यवहार/प्रक्रियाएं/परिचालन/प्रवृत्तियां

स्टॉक एक्सचेंजों में टर्नओवर

आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर टर्नओवर (आप्शन के मामले में प्रीमियम के मूल्य सहित) वित्तीय वर्ष 2022-23 के 447 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 711 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

आकृति 6 : स्टॉक एक्सचेंजों का टर्नओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर)



स्टाक एक्सचेंजों में कारोबार हेतु उपलब्ध डेरिवेटिव

इन्डेक्स डेरिवेटिव

इंडिया आईएनएक्स पर सर्वाधिक लोकप्रिय इन्डेक्स डेरिवेटिव है – एसएन्डपी बीएसई सेन्सेक्स एन्ड एसएन्डपी बीएसई सेन्सेक्स 50। एनएसई आईएक्स वायदा और ऑप्शन संविदाओं में चार सूचकांकों पर ट्रेडिंग का प्रस्ताव करता है, जो इस प्रकार हैं – निफ्टी 50 इन्डेक्स, निफ्टी बैंक इन्डेक्स, निफ्टी फाइनेन्शियल सर्विसेज इन्डेक्स और निफ्टी आईटी इन्डेक्स।

इन्डेक्स वायदा : इन्डेक्स वायदा का टर्नओवर 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 75% बढ़ गया।

सारणी 11 : इन्डेक्स वायदा में संविदाओं की संख्या और टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	संविदाओं की संख्या		टर्नओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर)	
	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएक्स	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएक्स
2022-23	8,161,501	7,397,074	148,374	254,965
2023-24	1,242,244	16,678,005	24,905	680,920

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

इन्डेक्स ऑप्शन : इन्डेक्स ऑप्शनों का टर्नओवर 2022-23 की तुलना में 2023-24 में निम्नानुसार रहा :

सारणी 12 : इन्डेक्स ऑप्शन में संविदाओं और प्रीमियम टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	संविदाओं की संख्या		प्रीमियम टर्नओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर)	
	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएक्स	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएक्स
2022-23	173,297,387	724,776	9,695	188
2023-24	14,302,868	1,433,164	773	363

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

पण्य डेरिवेटिव

स्टॉक एक्सचेंजों में ट्रेडिंग के लिए बहुत से पण्य डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं, जिनका उल्लेख नीचे सारणी में है –

सारणी 13 : आईएफएससी एक्सचेंजों में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध पण्य डेरिवेटिव

मूल्यवान धातुएं	स्वर्ण, चांदी
आधार धातुएं	तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा, निकल, जिंक
ऊर्जा	ब्रेन्ट कच्चा तेल

वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पण्य डेरिवेटिव में टर्नओवर निम्नानुसार रहे :

सारणी 14 : इंडिया आईएनएक्स पर पण्य डेरिवेटिव में टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	संविदाओं की संख्या	प्रीमियम टर्नओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर)
2022-23	552,439	31,632
2023-24	45,343	2,901

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स

मुद्रा डेरिवेटिव

स्टॉक एक्सचेंजों में ट्रेडिंग के लिए बहुत से मुद्रा डेरिवेटिव उपलब्ध हैं, जो निम्नानुसार हैं

सारणी 15 : करेन्सी डेरिवेटिव

ग्लोबल करेन्सी डेरिवेटिव	ईयूआर – यूएसडी, जीबीपी-यूएसडी, जेपीवाइ – यूएसडी, सीएचएफ – यूएसडी, एयूडी – यूएसडी
रुपया डेरिवेटिव	भारतीय रुपया – यूएसडी, यूएसडी – भारतीय रुपया

वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुद्रा डेरिवेटिव में निम्नानुसार टर्नओवर रही:

सारणी 16 : मुद्रा डेरिवेटिव में टर्नओवर


वित्तीय वर्ष	संविदाओं की संख्या		प्रीमियम टर्नओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर)	
	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएक्स	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएक्स
2022-23	133,711	26,007	1,662	645
2023-24	36,481	19,731	444	480

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

टर्नओवर का संविदा अनुसार द्विभाजन

स्टॉक एक्सचेंजों में वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में संविदावार टर्नओवर निम्नानुसार रही :

आकृति 7 : वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टॉक एक्सचेंजों में टर्नओवर (मिलियन अमरीकी डॉलर)



कार्यदल / समितियां

आईएफएससीए एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों की सीधी लिस्टिंग पर कार्यदल

पहले ही से सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों की सीधी लिस्टिंग को परिचालित करने हेतु संस्तुतियों करने के लिए अगस्त 2023 में आईएफएससीए द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और बाजार के अन्य सहभागियों से सदस्यों को लेते हुए आईएफएससीए के कार्यकारी निदेशक श्री प्रवीण त्रिवेदी की अध्यक्षता में कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट आईएफएससीए के अध्यक्ष को 20 दिसम्बर 2023 को प्रस्तुत कर दी।

इस कार्यदल ने विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा सीमापार लिस्टिंग हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया। इस कार्यदल ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद भारतीय कम्पनियों की प्रस्तावित सीधी लिस्टिंग के लिए भारत ने पूंजी बाजारों और आईएफएससीए को जोड़ने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए संस्तुति की। इस कार्यदल ने भारतीय कम्पनियों की दोहरी लिस्टिंग के संबंध में विभिन्न विनियामक और परिचालनगत मामलों का अध्ययन किया। इन संस्तुतियों का लक्ष्य आईएफएससीए के माध्यम से भारतीय कम्पनियों/पनियों को वैश्विक पूंजी तक पहुंचने का एक मार्ग प्रदान करने के लिए सीधी लिस्टिंग के कार्यान्वयन में सुविधा देना है। अंतिम रिपोर्ट आईएफएससीए की वेबसाइट पर यहां पलब्ध है।

प्राथमिक बाजारों पर स्थायी समिति

आईएफएससीए ने 23 फरवरी 2024 को श्री मोहनदास पई की अध्यक्षता में प्राथमिक बाजारों पर स्थायी समिति का गठन किया। यह समिति (क) आईएफएससी में प्राथमिक बाजारों के लिए ऊर्जावान और सुदृढ़ परितंत्र के विकास में सुविधा हेतु आवधिक आधार पर विभिन्न नीतिगत और विनियामक मामलों पर; (ख) आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों में सार्वजनिक भारतीय कम्पनियों की सीधी लिस्टिंग के सफल कार्यान्वयन हेतु तौर तरीकों और रणनीति पर; (ग) आईएफएससी में प्राथमिक बाजारों में पूंजी जुटाने में सुविधा हेतु नई वित्तीय लिखतों के सूत्रपात; (घ) आईएफएससी में वैश्विक ऋण बाजार की स्केलिंग; और (ङ) आईएफएससी में प्राथमिक बाजारों के विकास और विनियमन से संबंधित मामलों पर सलाह देगी।

परिपत्र/ दिशानिदेश

- (i) ब्रोकर डीलरों और समाशोधन सदस्यों की डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट पर परिचालनों की स्थिति (09 मई 2023)
- (ii) सीधा बाजार अभिगम और प्रायोजित अभिगम सुविधाएं (21 जून 2023)
- (iii) स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दी गई सह-लोकेशन सुविधा (23 जून 2023)
- (iv) ब्रोकर डीलर के पास रखी हुई ग्राहक निधि का निपटान (14 मार्च 2024)
- (v) भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों से निवेशों की निगरानी (09 फरवरी 2024)
- (vi) पूंजी बाजार के मध्यस्थों के लिए रिपोर्टिंग मानदंड (08 फरवरी 2024)

समर्थन और आउटरीच

सिंगापुर में गोलमेज परिचर्चाएं

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए का एक प्रतिनिधिमंडल नवम्बर 2023 में सिंगापुर गया। इस दौरे में विभिन्न विषयों पर गोलमेज परिचर्चाओं का आयोजन किया गया :

- (i) आईएफएससी में पूंजी बाजार
- (ii) आईएफएससी में निधि प्रबंधन/सम्पत्ति प्रबंधन
- (iii) आईएफएससी में जलयान लीजिंग

इन परिचर्चाओं में सिंगापुर के विभिन्न प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन सहभागियों को आईएफएससीए विनियामक परितंत्र के तहत गिफ्ट आईएफएससी में कारोबारी अवसरों के बारे में जानकारी दी गई।



चित्र 5 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – सिंगापुर में गोलमेज के दौरान बाजार सहभागियों के सा

सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ भेंट

अध्यक्ष, आईएफएससीए ने श्री लिम तुआंग ली, सहायक प्रबंध निदेशक (पूजी बाजार), सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण से नवम्बर 2023 में भेंट की और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया।



चित्र 6 : आईएफएससीए और एमएएस की बैठक

आईओएससीओ वार्षिक बैठक 2023

बैंकाक, थाइलैण्ड में 12-16 जून 2023 को आयोजित आईओएससीओ वार्षिक बैठक में आईएफएससीए ने सहभागिता की। आईओएससीओ के सहयुक्त सदस्य के रूप में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने आईओएससीओ वार्षिक बैठक की विभिन्न बैठकों/आयोजनों में हिस्सा लिया, इसके साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) बैठक, ग्रोथ एन्ड एमर्जिंग मार्केट कमेटी मीटिंग और प्रेसिडेंट कमेटी मीटिंग में भी शामिल हुए।

आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने विनियामक कार्यशालाओं में हिस्सा लिया जिनमें क्रिप्टो बाजारों, विशेषकर उदीयमान बाजारों में, स्वस्थ और कुशल संधारणीय बाजारों, सुपटेक के प्रयोग के माध्यम से बाजार पर्यवेक्षण और सत्यनिष्ठा और सीसीपी (केन्द्रीय प्रतिपक्षकार) तैयार करने पर चर्चा हुई।

आईओएससीओ वार्षिक बैठक के साथ-साथ आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने चार अधिकारक्षेत्रों के प्रतिभूति बाजार के विनियामकों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया।

आईओएससीओ ईएमएमओयू

वित्तीय बाजारों के आभ्यांतरिक जुड़ाव और प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ आनेवाली चुनौतियों के कारण, आईओएससीओ ने 2016 में प्रवर्धित बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (आईओएससीओ ईएमएमओयू) तैयार किया ताकि प्रतिभूति नियामकों के बीच सहयोग और सूचना शेयरिंग को बढ़ाया जा सके। आईओएससीओ ईएमएमओयू में अतिरिक्त शक्तियों के साथ सहयोग का प्रावधान किया गया है जिन्हें आईओएससीओ ने अनिवार्य के रूप में निर्धारित किया है ताकि बाजार की सत्यनिष्ठा और स्थायित्व को सुरक्षित रखने, निवेशकों की सुरक्षा बनाए रखने और कदाचार तथा धोखाधड़ी का निवारण करने के लिए निरंतर प्रभावशीलता के लिए अनिवार्य समझा गया। आईओएससीओ ईएमएमओयू ऐसी अतिरिक्त शक्तियों का प्रावधान

करता है जिनका उल्लेख 'एसीएफआईटी' शक्तियों के रूप में किया गया है। इसमें कार्यचालन कागजात को प्राप्त करने और लेखापरीक्षा करने, वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने, परिसाक्ष्य के लिए भौतिक उपस्थिति, आस्तियों को प्रीज करने और विद्यमान इन्टरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) और टेलिफोन रिकार्ड प्राप्त करना भी शामिल है।

वर्ष के दौरान आईएफएससीए ने आईओएससीओ ईएमएमओयू पर हस्ताक्षरकर्ता बनने हेतु आवेदन किया है।

आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह 2023

विश्व निवेशक सप्ताह (डब्ल्यूआईडब्ल्यू) पूरे सप्ताह का वैश्विक अभियान था जिसका संचालन आईओएससीओ ने किया, ताकि निवेशक शिक्षण और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और इस बारे में समूचे विश्व के प्रतिभूति विनियामकों के विभिन्न प्रयासों को उजागर किया जा सके।

आईओएससीओ के एक सदस्य के रूप में आईएफएससीए ने 9 अक्टूबर 2023 को आरंभ हुए सप्ताह के दौरान विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 का आयोजन किया जिसका विषय सतत वित्त और निवेशक की मजबूत लोचशीलता था। आईएफएससीए के साथ समन्वय करते हुए गिफ्ट आईएफएससी के दो स्टॉक एक्सचेंज इस आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस आयोजन के एक हिस्से के रूप में आयोजनों और क्रियाकलापों की एक शृंखला रही जिसमें अध्यक्ष, आईएफएससीए द्वारा ओपनिंग बेल के अवसर पर वक्तव्य, वेबिनार/गोलमेज परिचर्चाएं, विद्यार्थियों और ब्रोकरों तक आउटरीच, सोशल मीडिया अभियान और क्लोजिंग बेल के अवसर शामिल रहे।

आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह 2023 के एक भाग के रूप में आयोजित विभिन्न समारोहों का विवरण इस प्रकार है-

अध्यक्ष, आईएफएससीए द्वारा वक्तव्य

ईएमएमओयू विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 के एक भाग के रूप में श्री के. राजारमन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने एक वक्तव्य दिया जिसमें सतत वित्त के महत्त्व और विशिष्टता पर जोर दिया गया। अपने वक्तव्य में उन्होंने हरित और सतत वित्त हेतु वैश्विक केन्द्र के रूप में आईएफएससीए के उदय हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख किया और गिफ्ट आईएफएससी में निवेश के विभिन्न अवसरों को उजागर किया।

ओपनिंग बेल रिंगिंग अवसर जिसकी मेजबानी एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड द्वारा की गई (09 अक्टूबर 2023)

गिफ्ट आईएफएससी में आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 आयोजनों का आरंभ करते हुए एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (एनएसई आईएक्स) द्वारा 'गिफ्ट आईएफएससी : ए गेटवे टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डा. दीपेश शाह, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर गिफ्ट आईएफएससी में पूंजी बाजार परितंत्र की संवृद्धि और विकास पर विशेष जोर दिया गया और सभी हिस्सेदारों का आह्वान किया गया कि वे भारतीय और विदेशी कम्पनियों की लिस्टिंग हेतु गिफ्ट आईएफएससी को प्राथमिक गंतव्य बनाएं।

बीएसई ब्रोकर्स फोरम द्वारा आयोजित वेबिनार (10 अक्टूबर 2023)

बीएसई ब्रोकर्स फोरम द्वारा "इंडिया इन्वेस्टर शो 2023" नाम से एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें आईएफएससीए, सेबी, बीएसई ब्रोकर्स फोरम, आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य हिस्सेदारों के प्रतिनिधि शामिल थे। सीधी लिस्टिंग स्कीम सहित अनिवासी भारतीयों, विदेशी राष्ट्रियों और गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से ग्लोबल बाजारों में निवासी भारतीयों के लिए गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से विभिन्न निवेश अवसरों पर परिचर्चा की गई। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने भी गिफ्ट आईएफएससी में पूंजी बाजार परितंत्र के सम्यक विकास के बारे में जानकारी दी, जिसमें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं – यथा – निधि प्रबंधन क्रियाकलाप, गिफ्ट निफ्टी डेरिवेटिव, ईएसजी लेबल वाले बॉन्ड और आईएफएससी आधारित स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए वैश्विक बाजारों में निवासी भारतीयों हेतु निवेश अवसरों को शामिल किया गया।

एनएसई आईएक्स की मेजबानी में वेबिनार (11 अक्टूबर 2023)

आईएफएससीए के अधिकारी एनएसई आईएक्स द्वारा विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 के एक भाग के रूप में “इम्पोर्टेन्स ऑफ सस्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग” विषय पर आयोजित वेबिनार में शामिल हुए। इस अवसर पर आईएफएससीए द्वारा सतत वित्त के बारे में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर विभिन्न विनियामक प्रयासों का उल्लेख किया गया। ईएसजी लेबल वाले बॉन्डों, ईएसजी निधियों और गिफ्ट आईएफएससी में आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों द्वारा सतत उधारियों के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर चर्चा की गई।

निवेश बैंकर्स के साथ गोलमेज परिचर्चा (12 अक्टूबर 2023)

आईएफएससीए ने निवेश बैंकर्स के साथ – “गिफ्ट आईएफएससी में अवसर” विषय पर गोलमेज परिचर्चा का आयोजन किया। श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निवेशक और आईएफएससीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस आभासी गोलमेज में शामिल हुए। परिचर्चा के दायरे में (क) आईएफएससी एक्सचेन्जों में भारतीय कम्पनियों के इक्विटी शेयरों की सीधी लिस्टिंग; और (ख) भारत में विदेशी पूंजी का प्रवाह लाने के लिए गिफ्ट आईएफएससी को प्रवेशद्वार के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन से ईएसजी लेबलकृत बॉन्डों की लिस्टिंग में सुविधा देने में निवेश बैंकर्स की भूमिका और महत्त्व को रखा गया।

सोशल मीडिया अभियान (09-13 अक्टूबर 2023)

ईएमएमओयू विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म, विशेषकर ट्विटर (एक्स) और लिंकडइन का प्रयोग किया ताकि सतत वित्त में विवेकपूर्ण निवेश के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इसके लिए ईएसजी निवेश, सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश, ग्रीनवाशिंग, इत्यादि के विषय में संदेश पोस्ट किए गए। विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 के एक भाग के रूप में विभिन्न आयोजन और कार्यक्रम संचालित हुए जिनकी जानकारी आईएफएससीए और आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दी गई।

इंडिया इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज लिमिटेड की मेजबानी में क्लोजिंग बेल प्रथा का आयोजन (13 अक्टूबर 2023)

विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 की मेजबानी इंडिया इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज लिमिटेड द्वारा की गई। इस अवसर पर श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए प्रमुख अतिथि थे, जिसमें आईएफएससीए के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री प्रवीण त्रिवेदी, ईडी, आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परितंत्र के विकास में निवेशकों के हितों के संरक्षण के महत्त्व पर जोर दिया।



चित्र 7 : श्री प्रवीण त्रिवेदी, आईएफएससीए के कार्यकारी निदेशक और श्री सौरभ शाह, कॉरपोरेट सलाहकार इंडिया आईएनएक्स की मेजबानी में आयोजित आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 क्लोजिंग बेल आयोजन अवसर पर

सतत विश्व और निवेशक की मजबूत लोचशीलता विषय पर गिफ्ट आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों के सहयोग से ईएमएमओयू विश्व निवेशक सप्ताह, 2023 में आईएफएससी की सहभागिता ने गिफ्ट आईएफएससी में सतत वित्त और निवेशकों हेतु विभिन्न अवसरों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आगामी वर्ष के लिए नीति और कार्यक्रम

नवीन आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024

आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियमावली, 2021 में संशोधन हेतु बहुत से सुझाव मिले इसलिए इस तथ्य पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि विद्यमान (प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियमावली, 2021 स्थान पर नवीन आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 को लागू किया जाए। नवीन (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 को आगामी वर्ष अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तावित नवीन (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 में अपेक्षित है कि इससे घरेलू और विदेशी दोनों ही निर्गमकर्ताओं के लिए आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों की लिस्टिंग के माध्यम से पूंजी बाजार तक अभिगम के लिए कारोबार में सहजता को बढ़ावा मिलेगा। निर्गमकर्ता अधिकाधिक लोचशीलता और कुशलता के साथ पूंजी तक पहुंचने में सक्षम होंगे। विनियमों से अपेक्षित है कि इनसे आईएफएससी में विभिन्न वित्तीय लिखनों के लिए प्राथमिकता बाजार क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा।

टेकओवर और बायबैक पर नए विनियम


आईएफएससी के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कम्पनियों के इच्छिती शेयरों के टेकओवर और बायबैक हेतु नियामक अपेक्षाओं की समीक्षा आईएफएससीए करेगा। प्रयोजन यही है कि नियामक व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सहयोजित किया जाए।

बाजार दुरुपयोग का निषेध पर नए विनियम

आईएफएससी के प्रतिभूति बाजार में कपटपूर्ण और अनुचित कारोबारी प्रथाओं के निषेध हेतु नियामक अपेक्षाओं की समीक्षा आईएफएससीए द्वारा की जाएगी। प्रयोजन यही है कि नियामक व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सहयोजित किया जाए।

आईएफएससीए (पूंजी बाजार के मध्यस्थ) विनियमावली, 2021

आईएफएससीए (पूंजी बाजार के मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के अनुसार आईएफएससीए के अनुसार अपेक्षित है कि प्रति तीन वर्ष इन विनियमों की समीक्षा की जाए। तदनुसार आगामी वर्ष 2024-25 में आईएफएससीए (पूंजी बाजार के मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 की समीक्षा आईएफएससीए द्वारा की जाएगी।



निधि प्रबंधन

पूँजी बाजारों की संवृद्धि के लिए सुविकसित समर्थक परितां के साथ सुदृढ़ निधि प्रबंधन उद्योग महत्वपूर्ण होता है। वैश्विक निधि प्रबंधन उद्योग के लिए गिफ्ट आईएफएससी का विकास प्राथमिक अधिकारक्षेत्रों के रूप में करने की दृष्टि से आईएफएससी ने अप्रैल 2022 में निधि प्रबंधन विनियमावली अधिसूचित की, जो मई 2022 से प्रभावी हुई। इस विनियमावली में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया गया और आईएफएससी में कारोबार करने में सहजता का बढ़ावा देने और नवाचारों की सुविधा दी है।

इससे पहले भारत में निवेशक के लिए वैश्विक पूँजी जुटाने का काम विदेशी वित्तीय अधिकारक्षेत्रों में स्थापित निधियों के माध्यम से किया जाता था। इन विनियमों के लागू होने के बाद थोड़े ही समय में भारत के साथ-साथ विदेशों में भी निवेश के लिए वैश्विक निधियां जुटाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त अधिकारक्षेत्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी का उदय हो रहा है, जिसका कारण है अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम नियामक संरचना और प्रतिस्पर्धी टैक्स पद्धति।

निधि प्रबंधन परितां तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें 104 निधि प्रबंधन प्रतिष्ठान, 115 वैकल्पिक निवेश निधियां (एआइएफ), शामिल हो चुकी है, और आईएफएससी में एआईएफ द्वारा किया गया कुल निवेश मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 3.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। इसके अलावा अलग-अलग विदेशी अधिकारक्षेत्रों से 11 स्कीमों को गिफ्ट आईएफएससी में अधिवासित किया गया, जो गिफ्ट आईएफएससी में निवेश निधियों के लिए नियामक और टैक्स पद्धति का उद्योग में स्वीकार्यता का साक्ष्य है।

आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022 में निधिप्रबंधन प्रतिष्ठान (एफएमई) के एकीकृत पंजीकरण का प्रावधान है और उन्हें अनुमति है कि वे रिटेल स्कीमों के प्रबंधन (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फंड सहित), नॉन-रिटेल स्कीमों (वैकल्पिक निवेश निधियां), निवेश न्यास (भू-संपदा निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास), पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं, आदि जैसे निधि प्रबंधन क्रियाकलापों की एक शृंखला को संभालते हैं।

इन विनियमों में एफएमई की तीन श्रेणियों को स्थापित किया गया है :

- (i) **पंजीकृत एफएमई (रिटेल)** : ये एफएमई रिटेल और नॉन-रिटेल दोनों निवेशकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं, और उन्हें रिटेल स्कीम (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फंड सहित), नॉन-रिटेल स्कीमों (वैकल्पिक निवेश निधियां), वेन्चर कैपिटल स्कीमों, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं, आदि के अनेक प्रकार उपलब्ध कराते हैं।
- (ii) **पंजीकृत एफएमई (नॉन-रिटेल)** : ये एफएमई प्रत्यायित निवेशकों को और कम-से-कम 150,000 अमरीकी डॉलर का निवेश करने वाले निवेशकों को सेवा देते हैं, रिटेल एफएमई की तुलना में इनके लिए पात्रता अपेक्षाएं कम हैं।
- (iii) **प्राधिकृत एफएमई** : सुगम पंजीकरण अपेक्षाओं वाली यह विशेष श्रेणीकेवल उन एफएमई को ध्यान में रखती है जो वेन्चर कैपिटल स्कीमों के माध्यम से गैरसूचीबद्ध स्टार्टअप में निवेश करते हैं, पूरी तरह से प्रत्यायित निवेशकों को या कम-से-कम 250,000 अमरीकी डॉलर का निवेश करनेवालों को सेवा देते हैं।

अनुमत क्रियाकलापों के संभावित जोखिम पर आधारित ये श्रेणियां आरंभिक और विद्यमान नियामक अपेक्षाओं को भी नियंत्रित करती हैं। विभिन्न स्कीमों और सेवाओं के लिए विस्तृत पात्रता और विनियामक अपेक्षाओं को इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

नीति / नियामक गतिविधिया

आईएफएससी में अधिकृत निवेशकों के लिए व्यवस्था

आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022 में “अधिकृत निवेशकों” और उनके साथ कारोबार करने वाली एफएमई के लिए कतिपय लोचशीलता का प्रावधान है। इसलिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार ही आईएफएससी ने ऐसे निवेशकों और उनको अधिकृत करने के मानदंडों को निर्धारित किया है।

बॉक्स 3 : आईएफएससी में अधिकृत निवेशकों हेतु विनियामक व्यवस्था

बहुत से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा ऐसे निवेशकों को कतिपय लोचशीलता प्रदान की जाती है जो अपने निवेशों से उद्भावी जोखिमों को सहन करने के लिए जिनके पास अपने वित्तीय साधन हैं और जा इनके बारे में बेहतर ढंग से जागरूक हैं, और ऐसे निवेशकों से कारोबार करने वाले बाजार सहभागियों को भी कतिपय सुविधाएं दी जाती हैं।

आईएफएससी ने अधिकृत निवेशकों के लिए एक विस्तृत व्यवस्था निर्धारित की है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे निवेशकों के लिए पात्रता मानदंड और प्रत्यायन के तौर-तरीके शामिल हैं। यह व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशकों, जैसे व्यक्तियों, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्मों, निगमित निकायों, ट्रस्ट आदि के लिए मान्यता, पात्रता मानदंड के लिए वैश्विक रूप से बेंचमार्क प्रक्रियाओं के आसपास तैयार किया गया है, और संस्थाओं के एक परिभाषित सेट को उनकी विशेष स्थिति के आधार पर मान्यता प्राप्त निवेशकों के रूप में माना जाता है।

इस व्यवस्था में प्राधिकृत निवेशकों को शामिल करने वाली विनियमित संस्थाओं के लिए कतिपय उत्तरदायित्वों का निर्धारण भी किया गया है और प्रत्यायन का विकल्प चुनने/बाहर निकलने के लिए निवेशकों को एक तंत्र प्रदान किया गया है।

विद्यमान आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022, में “प्राधिकृत निवेशकों” और इनके साथ कारोबार करने वाली एफएमई के लिए निम्नलिखित लचीलापन दिया गया है :

- (i) **न्यूनतम निवेश की कोई सीमा नहीं** : वेन्चर कैपिटल स्कीमों, प्रतिबंधित स्कीमों और पोर्टफोलियों प्रबंधन सेवाओं के लिए निवेश की न्यूनतम सीमाओं से प्राधिकृत निवेशकों को छूट है इससे उन्हें वे बिना किसी प्रवेश-सीमा के निवेश की अनुमति मिल जाती है।
- (ii) **‘स्वयं के अंश’ के योगदान से छूट** : वेन्चर कैपिटल स्कीमों और प्रतिबंधित स्कीमों, जिनमें 2/3 हिस्सेदारी प्राधिकृत निवेशकों, एफएमई और इनकी सहायक इकाइयों की है, के लिए इन स्कीमों में योगदान करने की जरूरत नहीं है। यह छूट ‘स्वयं के अंश’ (स्किन इन दि गेम) का योगदान की आवश्यकता को हटा दिया है, इसमें यह सुनिश्चित ही रहता है कि एफएमई के हित और निवेशकों के हितों में समानता है।

इसके अलावा वितरकों और पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं, आईएफएससी (पूंजी बाजार के मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के तहत 21 दिसम्बर 2022 को परिपत्र के माध्यम से यथानिर्दिष्ट ‘आधिकृत निवेशकों’ का संदर्भ है और अन्य निवेशकों की तुलना में ऐसे निवेशकों को उत्पादों और सेवाओं के बड़े गुच्छ देने की अनुमति है।

निधि प्रबंधन प्रतिष्ठानों का पर्यवेक्षण

ऑफसाइट पर्यवेक्षण

गिफ्ट आईएफएससी में निधि प्रबंधन क्रियाकलापों के विकास की गति को सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की स्वस्थ संस्कृति का समर्थन जरूरी है, इसके लिए आईएफएससी द्वारा एफएमई का ऑफ साइट पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है और एफएमई के लिए रिपोर्टिंग मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाने वाले रिपोर्टों में निधि प्रबंधन परिचालनों के बारे में मात्रात्मक जानकारी और एफएमई के पदाधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है।

ऑनसाइट पर्यवेक्षण

आईएफएससी ने वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान 3 फंडप्रबंधन संस्थाओं का ऑनसाइट दौरा किया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2 निधि प्रबंधन प्रतिष्ठानों को एडवायजरी लैटर जारी किए गए।

सॉवरेन वैलथ फंडों को गिफ्ट आईएफएससी में एफएफईएफएमई स्थापित करने की सुविधा देना

अपनी आस्तियों का प्रबंधन करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी में अपने एफएमई स्थापित करने के लिए सॉवरेन वैलथ फंडों को सुविधा देने के प्रयोजन से इन फंडों की अद्वितीय प्रकृति और अनिवार्यता को देखते हुए आईएफएससी द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए गए कि इस प्रकार के फंडों के सामने आ रही कतिपय कठिनाइयों को दूर किया गया। इसके बाद भारत में निवेश करने के लिए अपने पोर्टफोलियो निवेशों का प्रबंधन करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी में अपने-अपने एफएमई स्थापित करने के लिए एक बड़े सॉवरेन वैलथ फंड ने आईएफएससी का अनुमोदन लिया है।

इसके अलावा गिफ्ट आईएफएससी को इस प्रकार के फंडों हेतु आकर्षक अधिकारक्षेत्र बनाने के प्रयोजन से आईएफएससी ने इन फंडों के लिए कठिनाई पैदा करने वाले कतिपय विनियामक प्रतिबंधों को भी समाप्त करते हुए एक अन्य स्पष्टीकरण जारी किया।

निधि प्रबंधन प्रतिष्ठानों की निवल मालियत

पर्याप्त पूंजी अनुरक्षण के महत्त्व की जानकारी देने और निवल मालियत में कमी करने की तरफ ले जाने वाले व्यवहार को हतोत्साहित करने की दृष्टि से नए ग्राहकों ऑनबोर्डिंग और नए कार्यों को करने के लिए कतिपय कारोबारी प्रतिबंध ऐसे मामलों में लगाए गए हैं जहां किसी एफएमई की निवल मालियत इस विनियमावली में निर्धारित सीमा से नीचे जाती है।

संव्यवहार/प्रक्रियाएं/परिचालन/प्रवृत्तियां

आईएफएससी के पास 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 104 एफएमई पंजीकृत हैं, जिनमें सर्वाधिक पंजीकरण की संख्या पंजीकृत एफएमई (नॉन-रिटेल) वर्ग में है। एफएमई ने आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022 के तहत अनुमत विभिन्न प्रकार की स्कीमों के माध्यम से समग्र रूप से 33.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य रखा है।

पंजीकृत एफएमई की संख्या और निधि प्रबंधन स्कीमों द्वारा किए गए निवेश का विवरण निम्नानुसार है –

सारणी 17 : पंजीकृत एफएमई की संख्या

एफएमई पंजीकरण	31 मार्च 2024 को
एफएमई की कुल संख्या	104
इनमें से – पंजीकृत एफएमई की संख्या (खुदरा)	5
इनमें से – पंजीकृत एफएमई की संख्या (गैर-खुदरा)	92
इनमें से – प्राधिकृत एफएमई की संख्या	7

सारणी 18 : फंड मैनेजमेंट स्कीमों द्वारा निवेश

स्कीम के बारे में विवरण (31 मार्च 2024 को)	मिलियन अमरीकी डॉलर	
	प्राधिकृत स्कीमें	किया गया निवेश
वेन्चर पूंजी स्कीम	11	19.71
इनमें से, एन्जेल स्कीम	4	4.07
प्रतिबंधित स्कीम	104	3676.3
इनमें से, श्रेणी I और II एआईएफ	41	2,467.78
इनमें से, श्रेणी III एआईएफ	63	1208.52
आईएफएससीए में कुल स्कीम	115	3696.01

पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं

आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022 में प्रावधान है कि जो एफएमई पंजीकृत (रिटेल) और पंजीकृत (नॉन रिटेल) वर्गों के तहत पंजीकृत है वे भी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। विवरण निम्नानुसार है :

सारणी 19 : पीएमएस प्रदान करने वाली एफएमई

पीएमएस प्रदान कर रही एफएमई की संख्या	प्रबंधन अधीन आस्तियां (मिलियन अमरीकी डॉलर)
18	1045

समर्थन और आउटरीच

गिफ्ट आईएफएससीए में निधि प्रबंधक क्रियाकलापों हेतु उपलब्ध अवसरों के दायरे और विनियामक पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयोजन से आईएफएससीए ने निधि प्रबंधन और संबद्ध उद्योगों तक पहुंचने के लिए कई उपाय किए, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

आस्ति प्रबंधन कम्पनियों के म्यूचुअल फंडों और सम्पत्ति प्रबंधकों के साथ गोलमेज परिचर्चा

आईएफएससीए ने 5 जनवरी 2024 को भारत में प्रमुख आस्ति प्रबंधन कम्पनियों के म्यूचुअल फंडों और सम्पत्ति प्रबंधकों के साथ गोलमेज परिचर्चा का आयोजन किया, ताकि उन्हें आईएफएससीए में निधि प्रबंधन और वितरण क्रियाकलापों के अवसरों की जानकारी दी जाए और इन क्रियाकलापों के लिए आईएफएससीए द्वारा निर्धारित विनियामक पद्धति के बारे में उनका फीडबैक लिया जा सके।

बड़ी वैश्विक निधियों के वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ गोलमेज परिचर्चा

आईएफएससीए के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वैश्विक निवेश निधियों के वरिष्ठ लीडरों की विशिष्ट गोलमेज मुम्बई के 19 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई। अध्यक्ष, आईएफएससीए ने आईएफएससीए के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ गिफ्ट आईएफएससीए में उपलब्ध निधि प्रबंधन संबंधी अवसरों की व्यापक शृंखला पर विचार-विमर्श किए। इस उद्योग के भावी विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझावों पर भी चर्चा की गई।



चित्र 8 : अध्यक्ष, आईएफएससीए बड़े वैश्विक फंडों के साथ गोलमेज परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए

आईवीसीए संगोष्ठी 2024

आईएफएससीए का एक प्रतिनिधिमंडल 26 – 27 फरवरी 2024 को इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) द्वारा आयोजित आईवीसीएसंगोष्ठी में शामिल हुआ। श्री प्रदीप रामकृष्णन, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए ने एक वार्तासत्र में सहभागियों को गिफ्ट आईएफएससीए में निधि उद्योग के लिए उपलब्ध अवसरों और ऑफरिंग, आईएफएससीए के विनियामक परिदृश्य के बारे में बताया। उन्होंने व्यवसाय में संभावित सहजता पर भी जोर दिया जो गिफ्ट आईएफएससीए में आगे आ रही सिंगल विन्डो क्लियरेंस सुविधा, स्टॉक एक्सचेंजों में भारतीय स्टार्टअप्स के लिए सीधी लिस्टिंग अवसरों से, और सतत वित्त के क्षेत्र के कारण निर्मित होंगे।



चित्र 9 : श्री प्रदीप रामाकृष्णन, कार्यकारी निदेशक आईवीसीए संगोष्ठी, 2024 के दौरान अन्य प्रतिनिधियों के साथ

आईवीसीए प्राइवेट क्रेडिट संगोष्ठी, 2023

आईएफएससीए ने 6 दिसम्बर 2023 को आईवीसीए प्राइवेट क्रेडिट संगोष्ठी, 2023 में सहभागियों को संबोधित किया। आईएफएससीए में निजी क्रेडिट फंडों के लिए विकास और अवसरों के बारे में सहभागियों को बताया; अध्यक्ष, आईएफएससीए ने भारत में पूंजी प्रवाह के प्रवेशद्वार के रूप में गिफ्ट आईएफएससीए के महत्त्व पर भी जोर दिया।



चित्र 10 : अध्यक्ष, आईएफएससीए आईवीसीए निजी क्रेडिट संगोष्ठी, 2023 में श्रोताओं को संबोधित करते हुए

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं के वितरण हेतु व्यवस्था की समीक्षा

इस विषय पर आईएफएससीए द्वारा 21 दिसम्बर, 2022 को जारी परिपत्र में वितरकों को अपने ग्राहकों से पारिश्रमिक लेने से रोका गया था और उनसे अपेक्षित था कि उन निर्गमकर्ताओं या सेवा प्रदाताओं से शुल्क लें जिनके उत्पादों और सेवाओं का वे वितरण करते हैं। इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी, विशेषकर विदेशी परिपाटियों और बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के संदर्भ में।

आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022 की समीक्षा

वर्ष के दौरान विनियमों की समीक्षा की जाएगी, प्राथमिक फोकस कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने और इन विनियमों के कार्यान्वयन की दिशा में विगत 2 वर्ष के दौरान प्राप्त अनुभवों पर रहेगा।

धातुएं और पण्य

सर्वाधिक बड़े स्वर्ण निर्यातकों और उपभोक्ताओं में से एक के रूप में भारत गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना के माध्यम से कीमती धातुओं के वैश्विक बाजार में अपनी भूमिका को बढ़ाने हेतु कृतसंकल्प है। भारत के स्वर्ण बाजार को रूपांतरित करने के बारे में नीति आयोग 2018 की रिपोर्ट से प्रयास आरंभ हुए और इनकी घोषणा 2020 के यूनियन बजट में की गई।

आईएफएससीए ने दिसम्बर 2020 में बुलियन एक्सचेन्ज के विनियमों को औपचारिक रूप दिया, जिससे पांच प्रमुख बाजार अवसंरचना संस्थाओं (एमआईआई) के संगुट और गिफ्ट आईएफएससी द्वारा भारत में भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेन्ज के सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। औपचारिक रूप से आईआईबीएक्स का शुभारंभ 29 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने किया। आईआईबीएक्स के पीछे यही विचार था कि स्वर्ण, चांदी आदि जैसी मूल्यवान धातुओं सहित विभिन्न धातुओं और पण्यों की कीमतें भारत के भीतर ही निर्धारित करने के लिए एक ऊर्जावान बाजार स्थल का सृजन और पारदर्शी एक्सचेन्ज मॉडल का विकास किया जाए, और इस प्रकार से भारत को वैश्विक बाजार में कीमत ग्राही बनाने के स्थान पर कीमत निर्धारक बनाया जाए।

मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफएससीए ने 5 प्रतिष्ठानों को बुलियन ट्रेडिंग सदस्य (बुलियन टीएम), 2 प्रतिष्ठानों को बुलियन प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य (बुलियन पीसीएम) और 3 प्रतिष्ठानों को बुलियन ट्रेडिंग सदस्य सह सेल्फ क्लियरिंग सदस्य के रूप में पंजीकरण प्रदान किया है। इसके अलावा 118 अर्हता प्राप्त ज्वैलर्स और 82 भारत यूई सीईपीए टीआरक्यू के वैध धारकों को आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित किया गया है। गिफ्ट आईएफएससी में 420 टन स्वर्ण और 2200 टन चांदी की क्षमता वाले वाल्ट स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त तीन वाल्ट मैनेजर्स ने अपने वाल्ट स्थापित किए हैं।

भारत स्वर्ण के सबसे बड़े आयातकों और उपभोक्ताओं में से एक है और इसलिए उद्देश्य रखता है कि वैश्विक स्वर्ण बाजार में महत्वपूर्ण कीमत निर्धारक बने। कैलेन्डर वर्ष 2023 के दौरान भारत में कुल आयातित स्वर्ण की मात्रा 862 टन थी, जिसमें 220.9 टन डोर इम्पोर्ट भी शामिल है। यह कैलेन्डर वर्ष 2022 के दौरान भारत में आयातित 741.1 टन (डोर के 249 टन सहित) स्वर्ण से 16 प्रतिशत अधिक है। स्वर्ण की मांग जैसा कि विभिन्न क्षेत्रों में रही उनमें ज्वैलरी क्षेत्र से होने वाली मांग 6 प्रतिशत की गिरावट से 562.3 टन पर रही, जो विगत वर्ष 600.6 टन थी। कुल स्वर्ण निवेश मांग पिछले वर्ष के 173.6 टन की तुलना में 7 प्रतिशत बढ़कर 185.2 टन रही।⁷¹

भारत में चांदी की भारी मांग है, साथ ही यह विश्व में चांदी का सबसे उपभोक्ता है। नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल वाहनों पर भारत सरकार के फोकस के साथ आगामी वर्षों में चांदी की मांग आगे भी बढ़ते रहने की संभावना है। अन्य घटक जैसे कि बढ़ती हुई प्रयोज्य आय, निवेश लिखत के रूप में चांदी की मांग को बढ़ाने की तरफ ले जाएंगे।

देश में स्वर्ण और चांदी की भारी मांग के साथ अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेन्ज (भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेन्ज आईएफएससी लि. (आईआईबीएक्स) की स्थापना उन उपायों में से एक है जो एक्सचेंज के मॉडल से भारत में स्वर्ण और चांदी के आयात/कारोबार के निरूपण हेतु अवसर प्रदान करते हैं, जिससे आयात/कारोबार के लिए अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक और कुशल प्लेटफार्म मिलता है। इसके अलावा इस प्राधिकरण का लक्ष्य है कि गिफ्ट आईएफएससी के एक्सचेन्जों में और भी पण्य-संबद्ध उत्पादों और डेरिवेटिव का सूत्रपात किया जाए।

⁷¹ www.gold.org पर उपलब्ध कैलेन्डर वर्ष 2023 के लिए डबल्यूजीसी रिपोर्ट

नीति / नियामक गतिविधियां

भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज

भारत की अग्रणी बाजार अवसंरचना संस्थानों यथा एनएसई, इंडिया आईएनएक्स, इंडिया आईसीसी, एनएसडीएल, सीडीएसएल और एमसीएक्स ने आईआईबीएक्सको बढ़ावा दिया है। आईआईबीएक्स की भूमिका यह है कि आईएफएससी में धातु और पण्य कारोबार के लिए पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म, लोकतांत्रिक कीमत निर्धारण तंत्र, वित्तीय बाजार के अन्य खंडों के साथ अधिकाधिक एकीकरण प्रदान किया जाए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत को प्रभावित करने वाला बना जाए, आदि।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7,928.20 किग्रा स्वर्ण और 908,800 किग्रा चांदी का आयात आईआईबीएक्स के माध्यम से किया गया।

आईआईबीएक्स पर उत्पाद

आईआईबीएक्स पर हाजिर खरीद के लिए निम्नलिखित उत्पाद उपलब्ध हैं —

सारणी 20 : आईआईबीएक्स (स्वर्ण) पर उपलब्ध हाजिर उत्पाद

स्वर्ण			
उत्पाद	विवरण		
	ट्रेडिंग यूनिट	शुद्धता	उचित सुपुर्दगी के मानक
गोल्ड 995 टी+0	1 किग्रा	995	एलबीएमए
गोल्ड मिनी 999 टी+0	100 ग्राम	999	एलबीएमए
यूआईजीडी गोल्ड 995 टी+0 (*)	1 किग्रा	995	यूआई उचित सुपुर्दगी (यूआईजीडी)
यूआईजीडी गोल्ड 999 टी+0 (*)	100 ग्राम	999	यूआई उचित सुपुर्दगी (यूआईजीडी)

(*) ऊपर उल्लिखित यूआईजीडी गोल्ड 995 शुद्धता और यूआईजीडी गोल्ड 999 शुद्धता वाले उत्पादों को भारत यूआई समेकित आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के तहत आयातों के प्रयोजन हेतु टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के लिए भी दिया गया। उचित और पर्याप्त रक्षा उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विक्रेता और क्रेता द्वारा उन शर्तों का पालन किया गया है जिनका उल्लेख भारत-यूआई सीईपीए के तहत निर्दिष्ट यूआई मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से मूल देश प्रमाणपत्र की अपेक्षाओं में है। केवल टीआरक्यू धारक ही डीजीएफटी द्वारा आवंटित पूर्वानुमोदित कोटे के भीतर यूआईजीडी टीआरक्यू गोल्ड का आयात कर सकते हैं।

सारणी 21 : आईआईबीएक्स पर उपलब्ध हाजिर उत्पाद (चांदी)

सिल्वर			
उत्पाद	विवरण		
	ट्रेडिंग यूनिट	शुद्धता	उचित सुपुर्दगी मानक
सिल्वर ग्रेन्स टी+0	20 किग्रा	999	एलबीएमए
यूआई जीडी सिल्वर ग्रेन्स टी+0	20 किग्रा	999	यूआई उचित सुपुर्दगी (यूआईजीडी)
यूआई जीडी सीईपीए सिल्वर ग्रेन्स टी+0	20 किग्रा	999	यूआई उचित सुपुर्दगी (यूआईजीडी)
सिल्वर बार टी+0	30 किग्रा	999	एलबीएमए
यूआईजीडी सिल्वर बार टी+0	30 किग्रा	999	यूआई उचित सुपुर्दगी (यूआईजीडी)

आकृति 8 : आईएफएससी में बुलियन बाजार का परितंत्र



एक्सचेन्ज और समाशोधन निगम

भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेन्ज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) आईएफएससी में पंजीकृत बाजार अवसंरचना संस्थान है जो बुलियन एक्सचेन्ज और बुलियन समाशोधन निगम के रूप में परिचालन करता है। वर्तमान में बुलियन एक्सचेन्ज के रूप में यह ऐसा प्लेटफार्म प्रदान करता है जो बुलियन (स्वर्ण और चांदी) से संबद्ध उत्पादों में ट्रेडिंग प्रदान करता है। समाशोधन निगम के रूप में इसकी भूमिका बुलियन एक्सचेन्ज में किए गए सभी सौदों के समाशोधन और निपटान हेतु केन्द्रीय प्रतिपक्षकार के रूप में कार्य करने की है।

निक्षेपागार

गिफ्ट आईएफएससी में एकल निक्षेपागार है जिसका नाम भारत अंतरराष्ट्रीय निक्षेपागार आईएफएससी लि. (आईआईडीआई) है (जिसे पहले सीडीएसएल आईएफएससी लि. के नाम से जाना जाता था), इसे ही बुलियन निक्षेपागार के रूप में भी नामित किया गया है। आईआईडीआई की भूमिका बुलियन एक्सचेन्ज में सौदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में बुलियन निक्षेपागार की रसीदों के निर्गमन का कार्य करने की है। यह वाल्ट प्रबंधकों के माध्यम से बुलियन के भंडारण और सुरक्षा पर निगरानी का कार्य भी करता है। इसके अलावा बुलियन निक्षेपागार के रूप में आईआईडीआई यह भी सुनिश्चित करता है कि बुलियन निक्षेपागार को सूचना के कूटकृत प्रेषण और वाल्ट प्रबंधक तथा बुलियन निक्षेपागार के बीच डाटा समाधान की सिस्टम आधारित व्यवस्था प्रदान करने के लिए वाल्ट प्रबंधक के पास सिस्टम, यंत्रावली और संबंधित आईटी अवसंरचना है।

वाल्टिंग अवसंरचना

गिफ्ट आईएफएससी की वाल्टिंग अवसंरचना में बुलियन भंडारण की सुविधाएं भी शामिल हैं। वर्तमान में सीवेल लॉजिस्टिक प्राइवेट लि., ब्रिन्क्स इंडिया प्राइवेट लि. और माल्का-अमित जेके लॉजिस्टिक प्रा. लि. नामक तीन वाल्ट प्रबंधकों का पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा किया गया है। गिफ्ट आईएफएससी में स्थिति वाल्ट की कुल क्षमता 420 टन स्वर्ण और 2,200 टन चांदी के भंडारण की है।

बुलियन बाजार के मध्यस्थ

इस प्राधिकरण ने विद्यमान एक्सचेन्जों से ट्रेडिंग सदस्यों (टीएम) और समाशोधन सदस्यों (सीएम) को अनुमति दी है कि ये बुलियन एक्सचेन्ज और बुलियन समाशोधन निगम (आईआईबीएक्स) के सदस्यों के रूप में विरासती सदस्य हैं। विरासती सदस्यों के अलावा नए सदस्यों को भी आईआईबीएक्स के बुलियन टीएम/सीए के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

बुलियन ट्रेडिंग सदस्य (बुलियन टीएम), बुलियन ट्रेडिंग और समाशोधन सदस्य (बुलियन टीसीएम) बुलियन ट्रेडिंग सह स्वतः समाशोधन सदस्य (बुलियन टीएससीएम) और बुलियन व्यावसायिक समाशोधन सदस्य (बुलियन पीसीएम) की क्षमता में पंजीकृत बुलियन बाजार के मध्यस्थों की संख्या 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई है। इन प्रतिष्ठानों के नाम और विवरण इस प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सारणी 22 : गिफ्ट आईएफएससीए में बुलियन बाजार के पंजीकृत मध्यस्थ

बुलियन टीएम	बुलियन टीसीएम	बुलियन टीएससीएम	बुलियन पीसीएम
5	6	3	2

अर्हता प्राप्त ज्वैलर्स

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 5 जनवरी 2022 को अपनी अधिसूचना सं. 49/2015-2020 दिनांक 5 जनवरी 2022 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट किया है कि आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स को भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेन्ज आईएफएससीए लि. (आईआईबीएक्स) के माध्यम से आईटीसी (एचएस) कोड 71081200 और 71189000 के तहत स्वर्ण आयात की अनुमति रहेगी। डीजीएफटी अधिसूचना के आधार पर आईएफएससीए ने 19 जनवरी 2022 को परिपत्र जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किसी प्रतिष्ठान को अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स के रूप में अधिसूचित किए जाने की पात्रता शर्तों को निर्दिष्ट किया गया। अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स वे निवासी प्रतिष्ठान हैं जो आईआईबीएक्स के माध्यम से बुलियन का आयात कर सकते हैं, बशर्ते वे आईएफएससीए के पूर्वोक्त परिपत्र और आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित शर्तों का पालन करते हों।

इसके अलावा अक्टूबर 2023 में अपनी अधिसूचना द्वारा डीजीएफटीने चांदी के आयात की नीतिगत शर्तों में संशोधन किया ताकि आईटीसी (एचएस) कोड 71069110 और 71069290 के तहत अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स द्वारा आयात की अनुमति दी जा सके।

मार्च 31, 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफएससीए ने 118 अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स को अधिसूचित किया हुआ है, जिनके विवरण इस प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

भारत-यूई सीईपीए टीआरक्यू के वैध धारक

भारत और यूई ने 18 फरवरी 2022 को समेकित आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुलियन और रत्न तथा आभूषण क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। भारत यूई सीईपीए के तहत भारत प्रतिवर्ष प्रचलित दर से 1% कम सीमाशुल्क देते हुए यूई के पात्र प्रतिष्ठानों से स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा (टैरिफरेट कोटा) का आयात कर सकता है। यह टीआरक्यू पात्र भारतीय प्रतिष्ठानों (भारत यूई सीईपीए टीआरक्यू धारक) को वित्तीय वर्ष के आरंभ में डीजीएफटी द्वारा दिया जाता है।

आईआईबीएक्सके माध्यम से भारत यूई सीईपीए टीआरक्यू धारकों द्वारा आयात में सुविधा देने की दृष्टि से आईटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 71, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अधीन आईटीसी (एचएस) कोड 71081200 हेतु आयात नीति शर्तों का संशोधन करते हुए कहा कि आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित भारत यूई सीईपीए टीआरक्यू के

वैध धारक टीआरक्यू के बदले में आईआईबीएक्स के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशानिदेशों के अनुसार स्वर्ण की भौतिक सुपुर्दगी ले सकते हैं। इसके पश्चात आईएफएससीए ने 13 दिसम्बर 2023 को परिपत्र जारी किया ताकि भारत यूई सीईपीए टीआरक्यू धारकों की सहभागिता आईआईबीएक्सपर पर यूई उचित सुपुर्दगी (यूईजीडी) टीआरक्यू स्वर्ण का आयात भारत यूई सीईपीए के तहत किया जा सके।

इसके अलावा 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र के माध्यम से प्रावधान किया कि आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित भारत यूई सीईपीए के तहत टीआरक्यू धारकों द्वारा स्वर्ण आयात करने के दिशानिदेश सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत डीलर बैंकों पर लागू होंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईएफएससीए ने 82 भारत यूई सीईपीए टीआरक्यू के वैधधारकों को अधिसूचित किया।

प्रमुख गतिविधियां/परिचालन

- (i) विकास आयुक्त कार्यालय, गिफ्ट एसईजेड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने 11 मई 2023 के अपने सार्वजनिक नोटिस सं. 01/2023-24 के माध्यम से गिफ्ट मल्टी सेवा एसईजेड, गांधी नगर, गुजरात में निर्यात और आयात के लिए भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली आईसीईएस/आईसीईजीएटीई की शुरुआत के बारे में सूचित किया।
- (ii) आईआईबीएक्सने प्री-फन्डेड के टी+0 संविदाओं हेतु बुलियन निक्षेपागार रसीदें (बीडीआर) और प्री फन्डेड टी+0 संविदाओं के लिए ग्राहकों/एससीसी को बीडीआर के सीधे भुगतानों के लिए 30 मिनट में निपटान का कार्यान्वयन किया।
- (iii) आईआईबीएक्सने 11 मार्च 2024 से आईआईबीएक्स पर सौदाकृत टी+0 संविदाओं के भुगतान हेतु निधियों के लिए टी+0 संविदाओं (प्रतिदिन 3 चक्र) के लिए बहु निधि निपटान का कार्यान्वयन किया।

प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिदेश

आईएफएससी में बुलियन ट्रेडिंग सदस्य और समाशोधन सदस्य (7 अगस्त 2023)

आईएफएससी के 27 जनवरी 2023 के परिपत्र के अनुक्रम में इस परिपत्र से दिनांक 17 सितम्बर 2021 के आईएफएससी परिपत्र एफ.सं. 329/आईएफएससी/बुलियन एमआईआई/2021 के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट निवल मालियत और आधारभूत न्यूनतम पूंजी अनुरक्षण हेतु आरंभिक 6 माह की अवधि (बुलियन एक्सचेन्ज को परिचालन की अनुमति देने की तारीख से) को और आगे 6 माह के लिए, अर्थात् 28 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया है।

भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेन्ज के माध्यम से अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स द्वारा स्वर्ण और चांदी का आयात (11 दिसम्बर 2023)

अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स के रूप में पात्र प्रतिष्ठानों द्वारा स्वर्ण और चांदी का आयात करने के प्रयोजन से एक समेकित परिपत्र जारी किया गया, ताकि बुलियन ट्रेडिंग सदस्य के रूप में या 'विशेष श्रेणी' के ग्राहकों (एससीसी) के रूप में आईटीसी (एचएस) के अध्याय 71 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 7106, 7108, 7113, 7114 और 7118 के तहत आईआईबीएक्स पर सौदे कर सकें।

भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेन्ज पर बुलियन की आपूर्ति हेतु अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स (11 दिसम्बर 2023)

दिनांक 18 अगस्त 2022 के आईएफएससी परिपत्र 415/आईएफएससी/ समेकित परिचालन दिशानिदेश/2021-22 के अन्य प्रावधानों में कोई परिवर्तन किए बिना ही विद्यमान परिपत्र का नाम आईएफएससी में 'सीमित प्रयोजन ट्रेडिंग सदस्य (यों) या एलपीटीएम (एस) दिनांक 18 अगस्त 2022 को बदल कर 'विशेष श्रेणी' ग्राहक कर दिया गया।

भारत यूएई टीआरक्यू के वैध धारकों द्वारा आईआईबीएक्स के माध्यम से यूएईजीडी गोल्ड का आयात (13 दिसम्बर 2023)

आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित भारतयूएई टीआरक्यू के वैध धारकों को टीआरक्यू के बदले में आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण आयात की अनुमति देने के लिए डीजीएफटी अधिसूचना सं. 44/2023 दिनांक 20 नवम्बर 2023 के पश्चात यह परिपत्र डीजीएफटी द्वारा यथा आबंटित भारत यूएई टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) लाइसेन्स/प्राधिकार पत्र के वैध धारकों को आईएफएससीए द्वारा भारत यूएई टीआरक्यू धारकों के रूप में अधिसूचित करने के बाद कोटे की शर्तों तथा अन्य अनुमेय निबंधनों और शर्तों के अनुसार बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों के माध्यम से भारत यूएई सीईपीए के तहत आयात के लिए यूएईजीडी में सौदे (केवल क्रय) करने के लिए ऐसे वैध भारत यूएई टीआरक्यू धारकों को आईआईबीएक्स पर सहभागिता की अनुमति दी गई है।

गिफ्ट आईएफएससीए में बुलियन ट्रेडिंग सदस्य और समाशोधन सदस्य (22 फरवरी 2024)

आईएफएससीए परिपत्र दिनांक 7 अगस्त 2023 के अनुक्रम में इस परिपत्र से दिनांक 17 सितम्बर 2021 के आईएफएससीए परिपत्र एफ. सं. 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआई/2021 के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट निवल मालियत और आधारभूत न्यूनतम पूंजी अनुरक्षण हेतु आरंभिक 6 माह की अवधि को (बुलियन एक्सचेन्ज को परिचालन की अनुमति देने की तारीख से) और आगे 6 माह के लिए, अर्थात् 28 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया है।

आईएफएससीए में बुलियन परितंत्र के लिए सुसंगत अन्य एजेन्सियों द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/ दिशानिदेश

- (i) डीजीएफटी ने अधिसूचना संख्या 35/2023 दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 71069110 और 71069290 के तहत अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स द्वारा आयात करने के लिए अनुमति देने के लिए चांदी के लिए आयात नीति की स्थिति में संशोधन किया।
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2023-2024/83 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 07 दिनांक 10 नवंबर, 2023 के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित प्राधिकृत ज्वैलर्स द्वारा चांदी के आयात के बारे में सभी श्रेणी-द्वि-अधिकृत डीलर बैंकों को दिशानिदेश प्रदान किए।
- (iii) डीजीएफटी ने 20 नवम्बर 2023 के अपनी अधिसूचना सं. 44/2023 माध्यम से आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध भारत-यूएई टीआरक्यू धारकों को अनुमति दी है कि एचएस कोड 71081200 के माध्यम से स्वर्ण की आयात नीति में संशोधन किया ताकि वे टीआरक्यू के बदले में आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण का आयात कर सकें और आईएफएससीए द्वारा यथा निर्धारित दिशानिदेशों के अनुसार ही एसईजेड में स्थित आईएफएससीए में पंजीकृत वाल्टों से स्वर्ण की भौतिक सुपुर्दगी ले सकें।
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 के अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/118 ए.पी (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 14 दिनांक 31 जनवरी 2024 के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित भारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा स्वर्ण के आयात के बारे में सभी श्रेणी-द्विप्राधिकृत डीलर बैंकों को दिशा निदेश दिए।
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 फरवरी 2024 के अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/120 डीओआर.एयूटी. आरईसी. 74/24.01.041/2023-24 निम्नानुसार अनुमति दी है —

क. गिफ्ट आईएफएससीए में किसी भी भारतीय बैंक की शाखा /सहायक/संयुक्त उद्यम को आईआईबीएक्स के ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/ट्रेडिंग और समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं; और

ख. भारतीय बैंकों को आईआईबीएक्स के विशेष श्रेणी के ग्राहक (एससीसी) के रूप में कार्य करते हुए स्वर्ण/चांदी के आयात हेतु प्राधिकृत किया गया है।

कार्यदल/समितियां

आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी और पूरे देश में कीमती धातुओं के परितंत्र की संवृद्धि और विकास के लिए रणनीतिक और परिचालन पहलुओं पर हितधारकों की भागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (इंडिया) के एमडी और क्षेत्रीय सीईओ श्री सोमसुंदरम पीआर की अध्यक्षता में कीमती धातु सलाहकार समिति (पीएमएसी) का गठन किया। यह समिति विशेषज्ञता, निष्पक्षता और पारदर्शिता लाएगी और आईएफएससीए को कीमती धातुओं के क्षेत्र में विकास के अवसरों की पहचान करने और विकास के बारे में जानकारी रखने में सहायता करेगी। समिति आईएफएससीए और उद्योग के बीच के अंतराल को भरेगी और आईएफएससीए के व्यापक नियामक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों के साथ एक व्यापक रोडमैप पर काम करेगी।

समर्थन और आउटरीच

आईएफएससीए ने बुलियन परितंत्र की संवृद्धि और विकास की दिशा में आईएफएससीए द्वारा आउटरीच के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। इसमें वैश्विक और राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता भी शामिल है, यथा –

- (i) इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस, जयपुर – अप्रैल 2023 में
- (ii) एशिया पसिफिक प्रीशियस मेटल्स कॉन्फ्रेंस, सिंगापुर – जून 2023 में
- (iii) इंडिया गोल्ड कॉन्फ्रेंस, कोलकाता – अगस्त 2023 में
- (iv) ग्लोबल प्रीशियस मेटल्स कॉन्फ्रेंस, बार्सेलोना, स्पेन – अक्टूबर 2023 में
- (v) दुबई प्रीशियस मेटल्स कॉन्फ्रेंस, दुबई, यूएई – नवम्बर 2023 में
- (vi) आईजीपीसी-आईआईएमए वार्षिक स्वर्ण और स्वर्ण बाजार कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली – फरवरी 2024 में

इसके अलावा इस प्राधिकरण ने गिफ्ट आईएफएससी के बुलियन परितंत्र के बाजार सहभागियों के साथ भी वार्तालाप किए ताकि ट्रेडिंग और आईआईबीएक्स के माध्यम से ट्रेडिंग और आयात करते समय उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर फीडबैक लिए जा सकें।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससीए (बुलियन एक्सचेन्ज) विनियमावली, 2020 की समीक्षा और संशोधन

आईएफएससीए (विनियमावली बनाने के लिए पद्धति) विनियमावली, 2021 के विनियम 7 में यह निर्दिष्ट है कि आईएफएससीए द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में प्रत्येक विनियम की समीक्षा की जाएगी। आईएफएससीए (बुलियन एक्सचेन्ज) विनियमावली, 2020 को 4 दिसम्बर 2020 में अधिसूचित किया गया था, जिसकी समीक्षा की जानी है। आईएफएससीए ने सार्वजनिक और नियंत्रित प्रतिष्ठानों के लिए आईएफएससीए (बुलियन एक्सचेन्ज) विनियमावली, 2020 की समीक्षा हेतु सुझाव पहले मंगा और प्राप्त कर चुका है।

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों या मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में अन्य लोकेशन पर आईएफएससीए वॉल्टिंग केन्द्रों को परिचालित करना

आईएफएससीए का लक्ष्य गिफ्ट आईएफएससी से बाहर के स्थानों पर वॉल्टिंग सुविधाएँ स्थापित करना है, जिससे प्राधिकृत ज्वैल्स, नामित बैंक और टीआरक्यूधारकों जैसे बाजार सहभागियों को भारत भर के प्रमुख बुलियन केंद्रों पर स्वर्ण और चांदी की डिलीवरी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल उनकी विनिर्माण गतिविधियों का समर्थन करेगी और इससे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) पर ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

निकट भविष्य में, चेन्नई में उपयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र और वॉल्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान करके वॉल्टिंग सेंटर की स्थापना की जा सकती है, जिससे दक्षिण भारत में रत्न और आभूषण क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। गिफ्ट सिटी के बाहर आईएफएससी इकाई की सफल स्थापना के बाद, दिल्ली और कोलकाता जैसे स्थानों में अतिरिक्त वॉल्टिंग सेंटर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

बैंक और एनबीएफसी द्वारा स्वर्ण बचत खाते और स्वर्ण संचय योजनाओं की अनुमति देने के लिए नीतिगत व्यवस्था

स्वर्ण बचत खाता – नीति आयोग द्वारा परिकल्पित एक नया वित्तीय उत्पाद

भारत के स्वर्ण बाजार में बदलाव पर नीति आयोग की रिपोर्ट (फरवरी 2018) में स्वर्ण बचत खाते के रूप में स्वर्ण के लिए एक नए वित्तीय उत्पाद का प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए एक जीएसए खोला जा सकता है जो जीएमएस जमा के दायरे से परे होगा और निवेशकों और व्यक्तियों को अनुमति देगा। यह भी उल्लेख किया गया था कि जीएसए सोने के संदर्भ में वस्तुतः बचत करके समय के साथ स्वर्ण में निवेश करने का अवसर प्रदान करेगा। संक्षेप में, जीएसए किसी भी अन्य बचत ब्याज-प्रदाता जमा खाते के समान है जो बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान में रखा जाता है जो ब्याज दर प्रदान करता है, सिवाय इसके कि जमाराशि बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा रखे गए भौतिक सोने में परिवर्तित हो जाएगी। जब कोई ग्राहक अपने खाते में नकदी जमा करता है, तो बैंक सोने के ग्राम क्रेडिट करेगा। सोने की कीमत उस तारीख पर आधारित होगी जिस दिन जमा किया गया है। जीएसए को एक डीमैट खाते से जोड़ा जा सकता है जो प्रस्तावित बुलियन एक्सचेंज और इसके वॉल्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बैंकों में डिजिटल गोल्ड खातों को जोड़ने में सक्षम करेगा। यह स्टॉक में मौजूदा लिंकेज के समान है, जहां बैंक, डीमैट खाते, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी पारदर्शी तरीके से जुड़े हुए हैं।

आईएफएससी का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा परिकल्पित प्रस्ताव को लागू करना है, जिसके तहत एक नीतिगत व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जो आईएफएससी में बैंकों और वित्तीय कंपनियों को मौजूदा बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट ढांचे के साथ स्वर्ण बचत खातों और स्वर्ण संचय योजनाओं को जोड़ने में सक्षम बनाएगा। यह व्यवस्था देश भर में स्थापित किए जा सकने वाले विभिन्न आईएफएससी वॉल्टिंग स्थानों में संग्रहीत अंतर्निहित स्वर्ण से जुड़ा है। इस पहल का लक्ष्य उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) सहित अनिवासी व्यक्तियों के साथ-साथ फंड हाउस और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) आदि जैसे संस्थानों को लक्षित करना है।

डिजिटल गोल्ड और बीडीआर के टोकनीकरण की अनुमति हेतु नीतिगत व्यवस्था

गोल्ड सेविंग अकाउंट के विस्तार के रूप में, डिजिटल गोल्ड फिनटेक फर्मों को गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन स्थापित करने की अनुमति देने की संभावना है। ये फर्म अपने सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लिकेशन को ऐप के माध्यम से स्वर्ण खरीदने के लिए यूजर इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए लिंक कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स (बीडीआर) के टोकनीकरण पर विचार किया जा सकता है, यह देखते हुए कि बीडीआरकी अंतर्निहित संपत्ति भौतिक सोना और चांदी है। यह पहल फिनटेक फर्मों को बीडीआरसे जुड़े डिजिटल गोल्ड और टोकनीकरण के संचालन के लिए गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक पण्य केन्द्र की स्थिति में लाने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन

आईएफएससी में कमोडिटी ट्रेडिंग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, जो आईएफएससी वित्तीय परितंत्र के वैश्विक व्यापार प्रवाह के साथ व्यापार एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा, प्रमुख कमोडिटी हब के साथ एकीकरण के अवसरों का लाभ उठाएगा और आईएफएससी में वैश्विक निवेश प्रवाह को आकर्षित करेगा, जिससे आईएफएससी को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बढ़ने में मदद मिलेगी, आईएफएससी पूर्व वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में 'गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक कमोडिटी ट्रेडिंग हब के रूप में स्थापित करने पर विशेषज्ञ समिति' का गठन करेगा। आशा है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा दिसंबर 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

विगत कुछ वर्षों में भारत ने फिनटेक के विस्तीर्ण क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई है। आईटी और वित्त में तीव्र बुद्धि वाली युवा भारतीय प्रतिभाओं ने वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अति उत्कृष्ट नवाचारों का सृजन किया है और भारत को फिनटेक परितंत्र में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे बनाए रखा है।

भारतीय फिनटेक परितंत्र को वैश्विक फिनटेक के मंच पर आगे बढ़ाए रखने के लिए गिफ्ट आईएफएससी रणनीतिगत स्थिति में है। भारतीय फिनटेक फर्मों और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर जाने और अगली पीढ़ी के फिनटेक समाधानों को विकसित करने के लिए आईएफएससी को वैश्विक प्रयोगशाला बनाने के लिए मदद करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2021-22 में घोषित किया, 'गिफ्ट आईएफएससी में विश्व स्तरीय फिनटेक केन्द्र के विकास हेतु सरकार समर्थन देगी।'

इस लक्ष्य की दिशा में आईएफएससी द्वारा वैश्विक संस्तर की 'आईएफएससी में फिनटेक प्रतिष्ठान हेतु व्यवस्था' की घोषणा की गई जो फिनटेक और टेकफिन दोनों को कवर करती है। इसके अलावा युवा फिनटेक अन्वेषकों को प्रोत्साहन देने के लिए आईएफएससी ने फिनटेक प्रोत्साहन योजना, 2022 को शुरू की, विभिन्न प्रकार के अनुदान देकर यह स्कीम वैश्विक स्तर पर जाने वाली स्वदेशी फिनटेक फर्मों को समर्थन देगी, और विदेशी फिनटेक फर्मों को भी जो गिफ्ट आईएफएससी में आना चाहती है, और उन स्वदेशी फिनटेक फर्मों को भी जिनका लक्ष्य अपने भारतीय कारोबार को बढ़ाना है या जो आईएफएससी नियामक सैन्डबॉक्स, प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट आदि पर काम करना चाहती हैं।

मार्च 31, 2024 की स्थिति के अनुसार नवाचार सैन्डबॉक्स का हिस्सा बनने के लिए 20 प्रतिष्ठानों को सीमित प्रयोग प्राधिकार मिला है, 16 प्रतिष्ठानों को नियामक सैन्डबॉक्स में और 8 प्रतिष्ठानों को एक्सीलरेटर के रूप में प्राधिकार मिले हैं। इसके अलावा वर्तमान में 8 प्रतिष्ठानों को टेकफिन के रूप में व्यवसाय परिचालन करने का प्राधिकार मिला है। अब तक 11 हैकाथन्स पूरे हो चुके हैं और आईएफएससी को फिनटेक प्रतिष्ठान व्यवस्था के तहत 14 अधिकारक्षेत्रों से 131 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इनफिनटी फोरम 2.0 का उद्घाटन करते हुए गिफ्ट सिटी को नए युग की वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक प्रमुख वैश्विक नर्व केंद्र के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। आईएफएससी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, जिसमें 2022 में फिनटेक के लिए एक प्रगतिशील विनियामक ढांचा जारी करना और फिनटेक प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन शामिल है, जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और विदेशी फिनटेक उपक्रमों का समर्थन करता है। उन्होंने वैश्विक फिनटेक हब और अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक अग्रणी फिनटेक प्रयोगशाला के रूप में गिफ्ट सिटी की भूमिका पर जोर दिया।

नीति/नियामक गतिविधियां

आईएफएससीए में फिनटेक प्रतिष्ठानों के लिए व्यवस्था

आईएफएससीए ने 27 अप्रैल 2022 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें फिनटेक और टेकफिन हेतु आईएफएससीए (एफई व्यवस्था) में फिनटेक प्रतिष्ठानों के लिए अद्वितीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया।

एफई व्यवस्था में आईएफएससीए फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और आईएफएससीए फिनटेक इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रदान करता है ताकि फिनटेक उत्पादों/समाधानों का परीक्षण/विकास किया जा सके और आईएफएससीए को गिफ्ट आईएफएससीए में पात्र वित्तीय प्रौद्योगिकी इकाई को सीमित उपयोग प्राधिकरण (एलयूए) प्रदान करने का अधिकार दिया जा सके। इसके अलावा, यह प्रौद्योगिकी कंपनियों के कुछ उन वर्गों/श्रेणियों को भी अनुमति देता है जिनके पास नियोजन योग्य उन्नत/नवीन प्रौद्योगिकी समाधान हैं, जो वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में क्रियाकलापों में सहायक और समर्थक हो और जिनके पास वित्तीय निष्पादन सहित विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड हो, ताकि वे सीधे प्रवेश (आईएफएससीए द्वारा प्राधिकरण) प्राप्त कर सकें।

फिनटेक प्रतिष्ठानों की सहायता हेतु एफई व्यवस्था में दो अतिरिक्त यंत्रावली भी हैं, जो निम्नानुसार हैं –

इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (आईओआरएस): आईओआरएस एक प्रस्तावित तंत्र है जो एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र नियामकों के विनियामक दायरे में आने वाले अभिनव हाइब्रिड वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है। आईएफएससीए भारतीय फिनटेक को विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने और विदेशी फिनटेक को भारत में प्रवेश करने में सुविधा प्रदान करेगा।

रेगुलेटरी रेफरल मेकेनिज्म / फिनटेक ब्रिजस : इसका संचालन आईएफएससीए और संबंधित विदेशी विनियामकों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) या सहयोग या विशेष व्यवस्था के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में आईएफएससीए के पास सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ फिनटेक ब्रिज है जिसे दोनों विनियामकों के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से निष्पादित किया गया।

आईएफएससीए फिनटेक इनसेंटिव स्कीम, 2022


आईएफएससीए ने भारत में गिफ्ट आईएफएससीए में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब की स्थापना को बढ़ावा देने के समग्र उद्देश्य के साथ, विशिष्ट अनुदान के रूप में फिनटेक गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आईएफएससीए (फिनटेक प्रोत्साहन) योजना शुरू की। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 12 सितंबर, 2022 को जारी किए गए।

वित्त वर्ष 2023-24 में योजना के अंतर्गत मूल्यांकन समिति (ईसी) द्वारा कुल ₹ 2.65 करोड़ के अनुदान के लिए बारह आवेदनों की संस्तुति की गई है।


संव्यवहार कार्यविवरण / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

आईएफएससीए को अपनी स्थापना के बाद से 14 क्षेत्रों से फिनटेक एंटीटी फ्रेमवर्क के तहत कुल 131 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 अधिकारक्षेत्रों (भारत, अमेरिका, मॉरीशस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हांगकांग और यूई) से एफई फ्रेमवर्क के तहत 65 आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न श्रेणियों के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या का चित्रात्मक वर्णन नीचे दिया गया है:

आकृति 9 : वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एफई फ्रेमवर्क के तहत अनुमेय क्षेत्रों में आवेदनों के तुलनात्मक विश्लेषण




आकृति 10 : वित्तीय वर्ष 2023-24 में टेकफिन वर्ग में आवेदनों के पांच प्रमुख उभरते हुए क्षेत्र



आईएफएससीए ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26 नियामक अनुमोदन प्रदान किए जिसमें 4 प्राधिकृतिकरण और 22 एल्यूए थे। इसके अलावा, आईएफएससीए ने एक आवेदन एफई व्यवस्था की विदेशी विनियामक अग्रेसर यंत्रावली के तहत सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को भी भिजवाया है। जन फिनटेक प्रतिष्ठानों को एल्यूए दिया गया है उनका विस्तृत आरेखीय विवरण निम्नानुसार है—

आकृति 11 : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एफई व्यवस्था के तहत सीमित प्रयोग प्राधिकार प्रदान किए गए फिनटेक प्रतिष्ठान



समर्थन और आउटरीच

ग्लोबल फाइनान्शियल इनोवेशन नेटवर्क (जीएफआईएन)

वाशिंगटन डी.सी. में 7 – 9 नवम्बर 2023 को आयोजित जीपीआईएन वार्षिक सामान्य बैठक में आईएफएससीए को जीपीआईएन के समन्वयन समूह के सदस्य के रूप में चुना गया। इससे आईएफएससीए को सक्षमता मिलेगी कि यह अपने प्रयोजनों को जीपीआईएन के सम्यक निदेशों, रणनीति और वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप निर्धारित और जीएफआईएन के सचिवालय कार्यों में योगदान कर सकें।

आईएफएससीए – आईएआईएस अनुबद्धताएं

आईएफएससीए ने इन्टरनेशनल एसोसिएशन इन्श्योरेन्स सुपरवाजर्स (आईएआईएस) की फिनटेक फोरम को ज्वाइन किया। आईएआईएस की फिनटेक फोरम आईएआईएस की विविधतापूर्ण सदस्यता से तकनीकी विशेषज्ञों को लेकर एक आभासी मंच है जो बीमा क्षेत्र और वैश्विक बीमा पर्यवेक्षकों को प्रभावित करने वाली फिनटेक सहबद्ध गतिविधियों की आंतरिक व्यावहारिक जानकारी और अनुभवों का साझा करने का एक मंच है।

एमओयूवर्ष के दौरान फिनटेक हब और शैक्षिक संस्थानों के साथ एमओयू

निम्नलिखित स्वदेशी फिनटेक केन्द्रों, शैक्षिक संस्थानों और निकायों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए ताकि गिफ्ट आईएफएससीए के फिनटेक परितंत्र को बढ़ावा दिया जा सके –

सारणी 23 : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान फिनटेक केन्द्रों और शैक्षिक संस्थानों के साथ हुए एमओयू

क्रमांक	निम्नलिखित के साथ एमओयू	तारीख
1	इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एन्ड आइहब डाटा	28 अप्रैल 2023
2	एन्टरप्राइस इनक्यूबेशन सेन्टर, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ (आईआईएमएल)	11 जुलाई 2023
3	पिलानी इनोवेशन एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेन्ट सोसायटी (पीआईईडीएस), बिट्स पिलानी	13 जुलाई 2023
4	केरल स्टार्ट-अप मिशन (केसुम)	21 जुलाई 2023
5	फाउन्डेशन फॉर इनोवेशन एन्ड रिसर्च इन साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी (फर्स्ट), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर	9 अगस्त 2023
6	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)	08 दिसम्बर 2023
7	अहमदाबाद विश्वविद्यालय (एयू)	08 दिसम्बर 2023



चित्र 11 : आईएफएससीए द्वारा अहमदाबाद विश्वविद्यालय, केसूम, एसटीपीआई, पीआईईडीएस, फर्स्ट, एन्टरप्राइज इनक्यूबेशन सेन्टर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

इनफिनिटी फोरम (आईएफ) 2.0

इनफिनिटी फोरम आईएफएससीए का सर्वप्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी समारोह है, नीति, व्यवसाय, और प्रौद्योगिकी में अग्रणी विद्वानों को एक साथ लाने का प्रयास है ताकि वित्त और प्रौद्योगिकी में उत्तम विचारों का अन्वेषण करके उन्हें आगे बढ़ाया जाए और उन विचारों को वैश्विक समाधान और अवसरों में विकसित किया जा सके।



चित्र 12 : भारत के माननीय प्रधानमंत्री इनफिनिटी फोरम 2.0 का शुभारंभ करते हुए

‘गिफ्ट आईएफएससीए नर्व सेन्टर फॉर न्यू ऐज ग्लोबल फाइनेन्शियल सर्विसेज’ विषय पर इनफिनिटी फोरम 2.0 का द्वितीय संस्करण 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित किया गया। इस आयोजन का वर्चुअल शुभारंभ वीडियो सम्मेलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।

इनफिनिटी फोरम 2.0 को कई प्रभावी अग्रगण्यों यथा श्री भूपेन्द्र पटेल, माननीय मुख्य मंत्री गुजरात; श्री पीयूष गोयल, माननीय केन्द्रीय मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य, और लोक वितरण और वस्त्र मंत्रालय, और श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय मंत्री रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उद्योग के अन्य लीडरों की मेजबानी का अवसर मिला जिसमें प्रत्येक ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के भावी विमर्श के बारे में अपने अद्वितीय विचारों का योगदान दिया।

प्राथमिकतया तीन ट्रैकों यथा – प्लेनेरी, ग्रीन और सिल्वर पर फोकस करते हुए इनफिनिटी फोरम 20 ने अहम चर्चाओं को उत्प्रेरित किया, वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के दिग्गजों द्वारा व्यक्त विचारों के विनियम और चर्चाओं से जुड़ने की सुविधा दी, विचारोत्तेजक वार्ताओं में शामिल किया और नवोन्मेषी समाधानों और अवसरों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

फिनटेक इनवेस्टर्स मीट 2023

आईएफएससीए ने 8 दिसम्बर 2023 को इनवेस्टर्स मीट का आयोजन इनफिनिटी फोरम 2.0 के पूर्वपरिचय के रूप में किया। इनवेस्टर्स मीट का मुख्यप्रयोजन था कि चुनिंदा फिनटेक प्रतिष्ठानों और चुने हुए निवेशकों को जोड़ा जाए और इस प्रकार सहकारी सहयोग और निवेश अवसरों का मार्ग बनाया जाए।



चित्र 13 : गिफ्ट सिटी में इनवेस्टर्स मीट 2023

फिनटेक के मान्य प्रतिष्ठानों द्वारा संभाषणों से यह आयोजन आरंभ हुआ जिसके बाद चुने हुए प्रतिष्ठानों और निवेशकों के बीच आपसी परिचर्चा हुई। इसके बाद निवेशकों को लेते हुए पैलन चर्चाएं हुईं — जिसके बाद आपसी चर्चा सत्र हुआ जिसमें फिनटेक प्रतिष्ठानों, निवेशकों, आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस अवसरपर बीम फिनटेक फंड, पीक-एक्सवी, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, ईपीआईसी इन्वेस्टमेन्ट, इलेवेशन कैपिटल, जीवीएफएल, वेन्चर केटेलिस्ट, 3 वन 4 कैपिटल, वाइट वेन्चर्स, टीवीएस कैपिटल जैसी प्रसिद्ध निवेश फर्मों के सहभागी शामिल हुए।

आई – स्पिरिट '23

आई-स्पिरिट'22 के अनुसरण में नवोन्मेषों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों की साझेदारी में ग्लोबल हैकेथॉन (आई-स्पिरिट'23 के नाम) आयोजित किए गए। कुल छह स्पिरिट (स्पिरिट 8, 9, 10, 11, 12, 13) आयोजित हुए जिनमें मार्च 2024 की यथास्थिति अनुसार 600+ आवेदन प्राप्त हुए।

ग्लेबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2023 में सहभागिता

जीएफएफ, 2023 का आयोजन 5 - 7 सितम्बर 2023 को जियो वर्ल्ड सेन्टर, मुम्बई में हुआ जिसका आयोजन — फिनटेक कन्वर्जेन्स काउन्सिल, पेमेन्ट काउन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया। आईएफएससीए ने जीएफएफ 2023 में निम्नानुसार सहभागिता की —

- (i) अध्यक्ष, आईएफएससीए ने “ट्रांसफार्मिंग इन्टरनेशनल फिनटेक लैण्डस्केप थ्रू इनोवेशन एन्ड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल कोलेबोरेशन” विषय पर प्रमुख संभाषण दिया।

- (ii) मान्यताप्राप्त घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक फर्म के साथ 'मीट दि रेग्युलेटर' के रूप में सीमित सहभागिता सत्र हुए।
- (iii) "माय गिफ्ट जर्नी" विषय पर 4 प्राधिकृत फिनटेक प्रतिष्ठानों और 1 आईबीयू द्वारा पैनल परिचर्चा, जिसमें सबने गिफ्ट आईएफएससीए में अपने अनुभवों को साझा किया।
- (iv) आईएफएससीए ने आउटरीच क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में जीएफएफ 2023 में एक बूथ लगाया।



चित्र 14 : मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023



चित्र 15 : ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 में आईएफएससीए का बूथ

फिनटेक फाउंडर्स मीट

आईएफएससीए ने इन्टरनेट एन्ड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 3 फरवरी 2024 को बंगलुरु में फिनटेक फाउंडर्स का सम्मेलन आयोजित किया। अध्यक्ष, आईएफएससीए ने 3 फरवरी 2024 को बंगलुरु में फिनटेक प्रवर्तकों के साथ वार्तालाप किया और उन्हें गिफ्ट आईएफएससी में विभिन्न संभावनाओं और अवसरों की तलाश के लिए प्रोत्साहित किया।



चित्र 16 : बंगलोर में फिनटेक फाउंडर्स मीट के सहभागियों के साथ आईएफएससीए

डाटा सेन्टर के बारे में आभासी गोलमेज

आईएफएससीए ने एसोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एन्ड सर्विस कम्पनीज के साथ मिलकर 22 फरवरी 2024 को डाटा सेन्टर के बारे में एक आभासी गोलमेज का आयोजन किया जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में डाटा सेन्टर से संबद्ध क्रियाकलापों के दायरे पर परिकल्पित चर्चा की गई। डाटा सेन्टरों के लिए गिफ्ट आईएफएससी को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उद्योग से सहभागियों के अनुभवों और फीडबैक लेने पर चर्चा में अधिक फोकस रहा।

फिनटेक फेस्टिवल इंडिया, 2024 में सहभागिता

फिनटेक फेस्टिवल इंडिया, 2024 का आयोजन 6-8 मार्च 2024 को यशोभूमि, द्वारका नई दिल्ली में हुआ। आईएफएससीए ने फिनटेक फेस्टिवल इंडिया, 2024 में सहभागिता की और संबंधित फिनटेक प्रतिष्ठानों के साथ वार्तालाप किया।

अन्य अंतरराष्ट्रीय अनुबंधअंतर — क्रिया

समावेशी फिनटेक फोरम (आईआईएफ) 2023

समावेशी फिनटेक फोरम (2023) के प्रथम संस्करण का आयोजन कैगाली इन्टरनेशनल फाइनेंशियल सेन्टर एन्ड इलेवान्डी द्वारा 20 से 23 जून 2023 में कियागिल, रवांडा में किया गया था।

आईएफएससीए ने सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएस) और इलेवान्डी के आमंत्रण पर 'ब्रिजिंग दि गैप : एआई गवर्नेन्स इन बैंकिंग — फ्रॉम प्रिन्सिपल्स टू बैंकिंग' विषय पर आईआईएफ 2023 में आयोजित गोलमेज में सहभागिता की।

आईआईएफ 2023 के दौरान आईएफएससीए ने “गिफ्ट आईएफएससीए — लैन्डिंग पैड फॉर फॉरेन फिनटेक, टेकफिन और एक्सीलरेटसा लच दि इंडिया मार्केट” विषय पर मास्टर क्लास का आयोजन किया।

ऑस्ट्रेलिया में फिनटेक एसोसिएशन्स/फर्मों के साथ गोलमेज वार्ता :

आईएफएससीए ने 28 अगस्त, 2023 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की फिनटेक फर्मों और एसोसिएशनों के साथ एक गोलमेज वार्ता का आयोजन किया। इस सहभागिता का उद्देश्य फिनटेक डोमेन के भीतर आईएफएससीए द्वारा की गई विविध पहलों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना था, जिससे सहयोग और ऑस्ट्रेलियाई फिनटेक परितंत्र में आईएफएससीए और हितधारकों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

आईएफएससीए ने फिनटेक ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित इंटरसेक्ट 23, फिनटेक सम्मेलन में “उदीयमान फिनटेक बाजारों में अवसर और चुनौतियां” विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया, जिसके बाद फिनटेक के साथ वार्तालाप हुआ।



चित्र 17 : इंटरसेक्ट 23 में पैनल परिचर्चा में आईएफएससीए की सहभागिता

सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल (एसएफएफ) 2023

एसएफएफ के आठवें संस्करण का आयोजन 15 से 17 नवम्बर 2023 को सिंगापुर में किया गया।

फिनटेक प्रतिष्ठान व्यवस्था, फिनटेक प्रोत्साहन स्कीम, फिनटेक ब्रिजेस, आदि जैसे अपने फिनटेक प्रयासों को प्रचारित करने के लिए आईएफएससीए बूथ स्थापित किया गया।

अध्यक्ष, आईएफएससीए “समावेशी नीति व्यवस्था का निर्माण” विषय पर पैनल परिचर्चा में शामिल हुए और प्रौद्योगिकी को अपनाने से होने वाले लाभ को अधिकतम करने के लिए नियामकों के पूर्वग्रह को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

एसएफएफ 2023 में ‘ब्रिजिंग दि गैप : एआई गवर्नेन्स इन बैंकिंग — फ्रॉम प्रिन्सिपल्स टू प्रैक्टिस’ विषय पर आयोजित गोलमेज में आईएफएससीए ने सहभागिता की।

इसके अलावा आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससीए के बारे में जानकारी के प्रसारण हेतु एसएफएफ 2023 में रेगुलेटरी मास्टर क्लास का आयोजन किया।




चित्र 18 : अध्यक्ष, आईएफएससीए सिंगापुर में फिनटेक फेस्टिवल, 2023 में

आईएफएससीए – जापान अंतर – क्रिया अनुबंधन

आईएफएससीए ने फिनटेक आयोजन 'भारत – जापान जापान : पॉवरिंग दि फिनटेक स्टोरी' को संबोधित किया, जिसका आयोजन 16 जनवरी 2024 को भारतीय दूतावास, टोक्यो ने किया था। श्री के. राजारमन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने अपने अभिभाषण में परिवर्तनशील वैश्विक अर्थव्यवस्था में उज्ज्वल स्थल के रूप में भारत, गिफ्ट आईएफएससी के अद्वितीय लक्षणों और गिफ्ट आईएफएससी द्वारा 2047 में विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विजन का संचालन का विशेष उल्लेख किया।

इसके अलावा सहभागियों के समक्ष एक प्रस्तुति भी की गई जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में फिनटेक प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की रूपरेखा बताई गई।

इस अवसर पर आर्थिक कार्य विभाग, (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार), जापान फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी, फिनसिटी टोक्यो, एमयूएफजी बैंक से वक्ताओं की मौजूदगी रही और इसमें जापानी फिनटेक और बीएफएसआई प्रतिष्ठानों भी शामिल हुए।



वित्तीय बाजार के आवश्यक परितंत्र को विकसित करने और वैश्विक ग्राहकों को बीमा समाधान प्रदान करने के लिए बीमा व्यवसाय आईएफएससी के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

आईएफएससी ने आईएफएससी में बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यस्थों के लिए एक विश्व स्तरीय और व्यापक विनियामक व्यवस्था तैयार की है, जो कारोबारी सहजता पर ध्यान केंद्रित करती है। ये विनियम बीमा व्यवसाय के पंजीकरण, प्रीमियम जुटाने के तरीके, बीमा उत्पादों की डिजाइनिंग, परिसंपत्तियों के निवेश, वित्तीय विवरणों निर्मित और प्रस्तुति, नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति और कर्तव्य, निरीक्षण और जांच के लिए सूचना और रिकॉर्ड का रखरखाव, आवक और जावक पुनर्बीमा संचालन, सॉल्वेंसी मार्जिन आदि से संबंधित पहलुओं को कवर करते हैं।

यद्यपि स्वदेशी बीमा बाजार में बढ़ोतरी से बीमा समावेशन बढ़ेगा और भारतीय बीमा कंपनियों के लिए बड़े निकाय बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिए पुनर्बीमा क्षमता विकसित करना भी आवश्यक है। गिफ्ट आईएफएससी अपने प्रोत्साहनों और विनियामक समर्थन के साथ, भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा वैश्विक भारतीय जनसमूह द्वारा इन बीमा संस्थाओं को गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन स्थापित करके स्वास्थ्य, जीवन और यात्रा बीमा अनुरूपी उत्पाद प्रदान करने के अहम मौके प्रदान करते हैं।

वर्तमान में, आईएफएससी में बीमा परितंत्र में 35 संस्थाएँ शामिल हैं, जिनमें 12 आईआईओ (आईएफएससी बीमा कार्यालय) और 23 आईआईआईओ (आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय) शामिल हैं। आईआईओ द्वारा बुक किया गया कुल (पुनः) बीमा प्रीमियम 360 मिलियन अमरीकी डॉलर है और आईआईआईओ द्वारा कुल (पुनः) बीमा प्रीमियम कारोबार मार्च 2024 तक 918 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

नीति/नियामक गतिविधियां

गिफ्ट आईएफएससी में बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र के तेजी से विकास को सक्षम करने के लिए, आईएफएससी ने एक अनुकूल विनियामक परिवेश तैयार किया है। तेरह (13) विनियमवली पहले से ही लागू हैं, जो अधिकांश विनियामक क्षेत्र को समाहित करते हैं, आईएफएससी ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में, निम्नलिखित विनियमावली अधिसूचित की गईं

आईएफएससी (पुनर्बीमा) विनियमावली, 2023

ये विनियम आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओ) द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय की आवक और जावक व्यवस्था की निगरानी और नियंत्रण के बारे में व्यवस्था प्रदान करते हैं। विनियमों के लिए पुनर्बीमा रणनीति और पुनर्बीमा कार्यक्रम (आरएसआरपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपेक्षित होती है।

अगस्त 2023 में इरडाई द्वारा जारी की गई व्यवस्था के अनुसार, गिफ्ट आईएफएससी में स्थित आईआईओको श्रेणी-2 में रखा गया है, अर्थात वरीयता क्रम में विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) के समकक्ष, कुछ निवेश शर्तों के अधीन। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक पुनर्बीमा केंद्र बनाने की संभावनाओं को और बढ़ाएगा।

आईएफएससीए (जीवन बीमा कारोबार के लिए आस्ति, देयताएं, ऋणशोधन क्षमता मार्जिन और बीमांकक रिपोर्ट का सारांश) विनियमावली 2023

इस विनियमावली का उद्देश्य आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) जिन्हें जीवन बीमा व्यवसाय करने की अनुमति है, द्वारा पूंजी, ऋणशोधन क्षमता और बीमांकक की रिपोर्ट के सारांश प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना है।

आईएफएससीए (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कारोबार के आस्ति, देयताएं, ऋणशोधन क्षमता मार्जिन) विनियमावली, 2023

इन विनियमों का उद्देश्य उन आईआईओ द्वारा पूंजी, ऋणशोधन क्षमता तथा बीमांकक की रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना है, जिन्हें सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय करने की अनुमति है।

आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बाजार आचरण) विनियमावली, 2023

इन विनियमों का उद्देश्य आईआईओ या आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आईआईआईओ) द्वारा किए जाने वाले बीमा कारोबार के प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बाजार आचरण से संबंधित नियामक व्यवस्था स्थापित करना है।

आईएफएससीए (आईआईओ द्वारा निवेश) विनियमावली, 2022 में संशोधन

बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए निवेश से होने वाली आय के महत्त्व पर विचार करते हुए, आईएफएससीए ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27 के अनुसार 12 जनवरी, 2023 को आईएफएससीए (आईआईओ द्वारा निवेश) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया था। इसके बाद, इरडाई ने 22 अगस्त, 2023 को अपने पुनर्बीमा विनियम, 2018 में संशोधन को अधिसूचित किया था। ये विनियम आईएफएससी बीमा कार्यालय को भारत में घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में किए जाने वाले निवेश पर कतिपय शर्तों के अधीन वरीयता क्रम की श्रेणी 2 में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा के समकक्ष रखते हैं।

आईआरडीआई द्वारा उपरोक्त संशोधन के आधार पर, आईएफएससीए ने आईएफएससीए (आईआईओ द्वारा निवेश) विनियम, 2022 में उपयुक्त संशोधन किए हैं और अद्यतन संशोधित विनियमों का एक समेकित संस्करण प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

आईआईओ के लिए विभिन्न परिचालनात्मक दिशानिदेशों पर सार्वजनिक परामर्श

दिसम्बर 2023 में आईएफएससीए ने निम्नलिखित परामर्श पेपर को अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किया –

- आईएफएससीए (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं और ऋणशोधन क्षमता मार्जिन) विनियमावली, 2023 पर प्रस्तावित दिशानिदेशों के बारे में परामर्श पेपर।
- आईएफएससीए (जीवन बीमा कारोबार की आस्तियां और ऋणशोधन क्षमता मार्जिन) विनियमावली, 2023 पर प्रस्तावित दिशानिदेशों के बारे में परामर्श पेपर।

ये दिशानिदेश आईआईओ द्वारा बीमा कारोबार के संचालन के लिए पूंजी और ऋणशोधन क्षमता मार्जिन के रखरखाव की आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्टिंग प्रारूप प्रदान करते हैं।

कार्य दल/समिति

आईएफएससीए की विद्यमान विनियामक व्यवस्था पुनर्बीमा अनुबंध में वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण (एआरटी) व्यवस्थाओं को मान्यता देता है, जो ऐसे एआरटी में जोखिम हस्तांतरण अपेक्षाओं और ऐसे लेनदेन के लिए लेखांकन उपचारों का अनुपालन करने के अधीन है।

इस मामले पर आईएफएससीए ने बीमा सहबद्ध प्रतिभूतियों (आईएलएस), आपदा बॉन्ड (सीएटी बॉन्ड) आदि पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए मार्च, 2023 को एक कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल के सदस्यों को यूके, यूएसए, ईयू, बरमूडा, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि सहित, लेकिन इन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहते हुए, वैश्विक क्षेत्राधिकारों का अनुभव है और आपदा बॉन्ड, बीमा-सहबद्ध प्रतिभूतियों, पुनर्बीमा साइडकारों, उद्योग हानि वारंटी और मौसम डेरिवेटिव अनुबंधों में विशेषज्ञता है।


कार्यदल का सृजन करने पीछे उद्देश्य आईएफएससीए को एआरटी की संरचना करने के साथ-साथ अन्य अधिकारक्षेत्रों में विनियामक व्यवस्था/प्रक्रिया के अध्ययन और एआरटी के लिए परिचालन दिशानिदेशों के मसौदे को औपचारिक रूप प्रदान करने में सलाह देना है। यह आईएफएससीए को भारत और अंतरराष्ट्रीय अधिकारक्षेत्रों में एआरटी समाधानों के प्रस्ताव का परीक्षण करने और ऐसे एआरटी अनुबंधों के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप समुचित लेखांकन और पर्यवेक्षण मानकों को तैयार करने में भी मदद करेगा।

संव्यवहार/प्रक्रियाएं/परिचालन/प्रवृत्तियां

प्रतिष्ठानों का पंजीकरण

आईएफएससीए द्वारा सरकार के सहयोग से विनियामक और विकासात्मक दोनों ही तरह के प्रयास आरंभ करने के बाद से गिफ्ट आईएफएससी में बीमा क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिला है। गिफ्ट आईएफएससी में पंजीकृत आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओ) की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष से दोगुनी होकर छह से बारह हो गई है। निम्नलिखित आकृति में आईएफएससी में आईआईओ का वर्गीकरण दर्शाया गया है –


आकृति 12 : आईआईओ का वर्गीकरण



उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 में पंजीकृत 6 नए आईआईओ में से 3 जीवन बीमा क्षेत्र से हैं, 2 स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र से हैं और 1 विदेशी पुनर्बीमाकर्ता है। इसके अलावा, 3 जीवन बीमा कंपनियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ये संख्याएँ मुख्य रूप से भारतीय जनसमूह के लिए जीवन बीमा उत्पादों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन बीमा कंपनियों के बीच बढ़ती रुचि को दर्शाती हैं। इससे गिफ्ट आईएफएससी को भारतीय जनसमूह के लिए जीवन बीमा का प्रवेशद्वार बनने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालयों (आईआईआईओ) के साथ-साथ, आईएफएससीए ने वित्त वर्ष 2023-24 में 6 बीमा मध्यस्थों को पंजीकरण प्रदान किया, जिससे पंजीकृत आईआईआईओकी कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई। निम्नलिखित आकृति आईएफएससी में आईआईआईओके वर्गीकरण को दर्शाया गया है :

आकृति 13 : आईआईआईओ का वर्गीकरण




आईएफएससी में कारोबारी संव्यवहार

आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ)

आईआईओ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के 83 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 149 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रीमियम बुक किया। आईआईओ द्वारा विगत 5 वर्ष में वित्तीय वर्षवार हामीदारी कारोबार निम्नानुसार रहा –

आकृति 14 : आईआईओ द्वारा हामीदारी कारोबार (मिलियन अमरीकी डॉलर)




* वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं

आईएफएससीए बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आईआईआईओ)

वित्त वर्ष 2023-24 में, आईआईओने वित्त वर्ष 2022-23 में 227 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 276 मिलियन अमरीकी डॉलर के (पुनः) बीमा प्रीमियम का कारोबार किया था। पिछले 5 वर्ष के लिए आईआईआईओका वित्तीय वर्षवार कारोबार निम्नानुसार रहा –

आकृति 15 : आईआईआईओ द्वारा किया गया कारोबार (मिलियन अमरीकी डॉलर)



* वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े अनंतिम हैं।

समर्थन और आउटरीच

बीमा/पुनर्बीमा कंपनियों के साथ बैठकें (टोक्यो, जापान)

आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2023 के दूसरे सप्ताह में टोक्यो, जापान का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, इस प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न बीमा/पुनर्बीमा कंपनियों के साथ बैठकें कीं। बीमा व्यवसाय के लिए प्रदान किए गए विशिष्ट सक्षमताओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें आईएफएससीए के (पुनः) बीमा व्यवसाय पर सिद्धांत आधारित नियामक व्यवस्था को शामिल किया गया, जो वैश्विक मानकों के समकक्ष है, गिफ्ट आईएफएससी में व्यापार करने में आसानी और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देता है।

आईआईएस एजीएम 2023

प्रतिनिधिमंडल ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंड्योरेंस सुपरवाइजर्स (आईआईएस) की वार्षिक आम बैठक सम्मेलन (एजीएम) 2023 में भी भाग लिया, जिसका विषय था “माइंड द गैप : वैश्विक बीमा क्षेत्र को और अधिक समावेशी बनाने में पर्यवेक्षकों की भूमिका”। सम्मेलन ने आईआईएस का रोडमैप प्रदान करने और एसोसिएशन के भविष्य के काम की योजनाओं के बारे में अपडेट के लिए एक अवसर प्रदान किया।

आईआईएस के साथ एमएमओयू

टोक्यो यात्रा का मुख्य आकर्षण अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईआईएस) के साथ बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू) पर हस्ताक्षर करना था। आईआईएसके साथ यह एमएमओयू बीमा पर्यवेक्षकों के बीच खुले सहयोग और विनिमय की अनुमति देने के लिए अनुपालन और गोपनीयता की एक वैश्विक व्यवस्था प्रदान करता है। एमएमओयू पर हस्ताक्षरकर्ता बनने के लिए, आवेदकों को अपनी पेशेवर गोपनीयता व्यवस्थाओं का कठोर मूल्यांकन आईआईएस सदस्यों की एक स्वतंत्र टीम से कराना होगा। एमएमओयू में सदस्यता के माध्यम से, पर्यवेक्षक प्रासंगिक जानकारी का विनिमय कर सकते हैं और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लाभ और सुरक्षा के लिए सीमापार बीमा संचालन की वित्तीय स्थिरता और अच्छी निगरानी को बढ़ावा मिलता है। आईएफएससीए इस आईआईएस एमएमओयू पर 85 वाँ हस्ताक्षरकर्ता है। इस एमएमओयू पर हस्ताक्षर करने से आईएफएससीए को अन्य हस्ताक्षरकर्ता क्षेत्राधिकारों के साथ प्रासंगिक जानकारी का विनिमय करने की अनुमति मिल जाती है।



चित्र 19 : एमएमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान आईएआईएस और आईएफएससीए के प्रतिनिधि

एफएसए, जापान के साथ बैठक

जापान की यात्रा के दौरान, जापान के वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एफएसए) के वाइस कमिश्नर श्री मियोशी ने आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। आईएफएससीए के अध्यक्ष ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससीए के पीछे जो विजन रहा उसका आईएफएससीए में अनुमत विभिन्न वित्तीय सेवा व्यवसायों का संक्षेप में उल्लेख किया। प्रतिनिधिमंडल ने एक मजबूत लोचशीलता वाले समाज के निर्माण में बीमा की भूमिका पर जापानी वित्तीय सेवा प्राधिकरण (जेएफएसए) की उच्च-स्तरीय वार्ता में भी भाग लिया, जिसमें यह शोध किया गया कि बीमाकर्ता और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोगी और समन्वित कार्यों के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी समाज को आकार देने में किसी प्रकार से योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा, आईएफएससीए और जेएफएसए के बीच द्विपक्षीय समझौता जापान आरंभ करने के मामले पर चर्चा की गई।

इरडाई द्वारा आयोजित बीमा रोड-शो में सहभागिता



चित्र 20 : अध्यक्ष, आईएफएससीए - टोक्यो, जापान में रोड-शो के दौरान

आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल की टोक्यो यात्रा के दौरान, इरडाई ने जापान के टोक्यो में भारतीय दूतावास के विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में जापानी बीमाकर्ताओं के लिए रोड-शो का आयोजन किया। इस रोड-शो में आईएफएससीए के अध्यक्ष और इरडाई के अध्यक्ष ने जापानी निवेशकों के लिए गिफ्ट आईएफएससीए और भारत में बीमा व्यवसाय द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और भारतीय बीमा व्यवसाय के साथ सहयोग पर प्रस्तुतियाँ दीं।

19 वीं सिंगापुर रीड्म्युरेन्स कॉन्फ्रेंस (एसआइआरसी) में सहभागिता

आईएफएससीए ने 29 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2023 के दौरान आयोजित 19 वें एसआइआरसी में भाग लिया। सम्मेलन में 60 देशों के लगभग 2000+ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस यात्रा के दौरान, वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ गिफ्ट

आईएफएससी बीमा प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित की गईं। इस सहभागिता में विभिन्न हितधारकों, बीमा/पुनर्बीमा कंपनियों के साथ बैठकें शामिल थीं।

इन बैठकों के दौरान, कई प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की गई जैसे जनरल एजेंट्स (एमजीए) का प्रबंधन, आईएफएससी बीमा परितंत्र और इनेबलर्स पर विस्तृत प्रस्तुति, आईएफएससी में सीबीआर के लिए उभरते रास्ते, बीमा सहबद्ध प्रतिभूतियां (आईएलएस), आपदा बॉन्ड, कैप्टिव बीमा, पृथक सेल संरचनाओं का विकास, भारतीय घरेलू नियामक द्वारा निर्दिष्ट वरीयता क्रम।

आईएफएससीए – इरडाई गिफ्ट आईएफएससी वैश्विक पुनर्बीमा शिखर सम्मेलन

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य के माननीय मंत्री ने आईएफएससीए और इरडाई को वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ बातचीत करने और गिफ्ट आईएफएससी को पुनर्बीमा के लिए वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पुनर्बीमा के विषय पर संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया था। परिणामस्वरूप, आईएफएससीए, इरडाई और गिफ्ट आईएफएससी ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के सहयोग से 30 नवंबर, 2023 को मुंबई में “आईएफएससीए – इरडाई गिफ्ट आईएफएससी वैश्विक पुनर्बीमा शिखर सम्मेलन, 2023” का आयोजन किया।



चित्र 21 : उद्घाटन सत्र 'विज्ञान ट्रेक' के दौरान प्रतिनिधि। प्रतिनिधि हैं (बाएं से दाहिने) श्री पी. के. अरोड़ा, डब्ल्यूटीएम इरडाई; डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; डॉ. हसमुख अधिया, गिफ्ट सिटी; श्री देवाशीष पान्डा, अध्यक्ष इरडाई; श्री के. राजारमन, अध्यक्ष आईएफएससीए; श्री प्रविण त्रिवेदी, ईडी, आईएफएससीए

इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना और उनके साथ गिफ्ट आईएफएससी में उपलब्ध अवसरों को साझा करना तथा इसे पुनर्बीमा केन्द्र बनाने के तरीके खोजना था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नियामक द्वारा अपनाई गई सिद्धांत-आधारित नियामक प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना और गिफ्ट आईएफएससी में (पुनः) बीमा व्यवसायों की स्थापना को सुविधाजनक बनाना और सहायता प्रदान करना भी था।

शिखर सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिनिधि और वक्ता शामिल हुए, जिनमें सीमापार के शीर्ष पुनर्बीमाकर्ता, भारतीय बीमाकर्ता और विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं सहित पुनर्बीमाकर्ता, बीमा ब्रोकर, परामर्शदाता फर्म, वकील, उद्योग संघ और शैक्षणिक संस्थान शामिल थे। प्रस्तुतियों में गिफ्ट आईएफएससी में बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय हेतु अवसर, व्यवसाय परितंत्र, नियामक व्यवस्था, व्यवसाय सहजता को बढ़ावा देने के प्रयास, वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए अवसर और गिफ्ट आईएफएससी की अनूठी विशेषताएं जैसे फोरेक्स, सम्बद्ध नियामक और टैक्स व्यवस्था को शामिल किया गया।

दो पैनल चर्चाएँ और दो फायर साइड वार्ताएँ भी आयोजित की गईं, जिनमें उद्योग के जीवन, गैर-जीवन और पुनर्बीमा क्षेत्रों के प्रख्यात वक्ता और पैनल सदस्य शामिल थे। पैनल चर्चाओं के विषय क्रमशः 'भारत को पुनर्बीमा केंद्र के रूप में विकसित करना' और 'आईएफएससीए: भारतीय जनसमूह हेतु जीवन बीमा का प्रवेशद्वार' थे। इस अवसर पर 'एकीकृत क्षेत्राधिकार में अद्वितीय अवसर' विषयक पहली फायरसाइड वार्ता सुश्री एलिस जी. वैद्यन, पूर्व-सीएमडी जीआईसी के साथ और दूसरी फायरसाइड वार्ता - "विशेष आर्थिक क्षेत्रों में लॉयड्स" विषय पर, श्री शंकर गरिगिपार्थी, सीईओ और कंट्री मैनेजर, लॉयड्स इंडिया के साथ आयोजित की गई थी।



चित्र 22 : 'टू डेवलप इंडिया एज रीइन्स्यूरेन्स हब' विषय पर पैनल चर्चा। प्रतिनिधि (बाएं से दाएं) श्री हितेश कोटक, सीईओ म्यूनिख आरई इंडिया शाखा; सुश्री गिरिजा सुब्रह्मणियन, सीएमडी एआईसीआईएल; श्री तपन सिंघल, सीईओ बजाज एलायन्स जनरल इन्स्यूरेन्स कं.; श्री अरुण सुन्दराजन, कंट्री हेड, अत्रादिस इंडिया; सुश्री टी.एल. अलामेलु, प्रिंसिपल एडवाइजर, आईएफएससीए

इसके साथ ही साथ चुनिंदा आमंत्रितों के बीच व्यक्तिगत बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें डॉ. हसमुख अधिया, चेयरमैन गिफ्ट सिटी, श्री देबाशीष पांडा, चेयरमैन इरडाई, श्री के. राजारमन, अध्यक्ष आईएफएससीए, श्री पी. के. अरोडा, डब्ल्यूटीएम इरडाई, श्री प्रवीण त्रिवेदी, ईडी आईएफएससीए और श्रीमती टी.एल. अलामेलु, प्रिंसिपल एडवाइजर, आईएफएससीए शामिल हुए। इन व्यक्तिगत वार्ताओं के दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई, जैसे कि गिफ्ट आईएफएससीए में टैक्स लाभ, भारतीय बाजार तक पहुंच, वरीयता क्रम, व्यापार सहजता, आदि।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससीए में बीमा उद्योग के नए खंड

गिफ्ट आईएफएससीए में अपतटीय व्यवसाय को तटवर्ती करने के अपने विजन को आकार देने के लिए, आईएफएससीए कैपिटल बीमा कंपनियों और म्यूचुअल बीमा कंपनियों की अवधारणाओं को शामिल करके विश्व स्तरीय प्रसिद्ध परिपाटियों को अपनाने का उद्देश्य रखता है। इससे न केवल आईएफएससीए में बीमा उद्योग के नए क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि संस्थाओं को अधिक वित्तीय लचीलापन और संरक्षण भी मिलेगा और अधिक बीमा/पुनर्बीमा क्षमताएँ विकसित होंगी।

इन उदीयमान अवसरों को विकसित करने के लिए, आईएफएससीए कैपिटल और म्यूचुअल बीमा कंपनियों के पंजीकरण को अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन की संस्तुति की है। बीमा अधिनियम में संशोधन के बाद, आईएफएससीए आगामी वर्ष में समुचित विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था लाने की योजना बना रहा है।

वैश्विक आंतरिक केन्द्र

पिछले दो दशकों में, भारत अपनी अंतर्निहित शक्तियों यथा – कुशल प्रतिभाओं की उपलब्धता और संचालन की प्रतिस्पर्धी लागत के कारण वैश्विक आंतरिक (इन-हाउस) केंद्रों (जीआईसी) के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में उदित हुआ है। वस्तुतः जीआईसी अपतटीय केंद्र हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स और संगठनों के लिए निर्दिष्ट आंतरिक कार्य करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, जीआईसी ने वैश्विक स्तर पर एक रणनीतिक भूमिका निभानी शुरू कर दी है और विश्लेषक, जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी की रोकथाम आदि जैसे क्षेत्रों में उन्नत सेवाएं प्रदान करने वाले नवाचार केंद्रों को विकसित किया है।

गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी व्यवसाय को अनुमति देने हेतु केंद्र सरकार ने वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएफएससी अधिनियम, 2019 के तहत जीआईसी को वित्तीय सेवा के रूप में अधिसूचित किया। इसके बाद, आईएफएससी ने वैश्विक आंतरिक केन्द्र विनियमावली, 2020 को अधिसूचित किया, जो किसी भी वित्तीय सेवा समूह से संबंधित प्रतिष्ठानों को आईएफएससी में जीआईसी स्थापित करने की अनुमति देता है। ऐसी कई संस्थाएँ हैं जिन्होंने गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी स्थापित किए हैं।

आईएफएससी की स्थापना से गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी में स्थानांतरित होने वाली वित्तीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसने आईएफएससी के भीतर संचालन के लिए अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया है। इस संदर्भ में, जीआईसी भी विचार कर रहे हैं कि आईएफएससी में स्थानांतरित हुआ जाए। यह स्थानांतरण उन्हें एक एकीकृत नियामक के अधिकार क्षेत्र के तहत अपना प्रतिष्ठान स्थापित करने की अनुमति देगा, जो उनके रणनीतिक लक्ष्यों और व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप रहते हुए सेवाएं प्रदान करने की लोच प्रदान करेगा। इसके अलावा, टैक्स संबंधी प्रोत्साहन और फेमा विनियमों से छूट इन प्रतिष्ठानों को अधिक नियामक स्वतंत्रता प्रदान करेगी।

कई संस्थानों ने गिफ्ट आईएफएससी के भीतर पहले ही अपने जीआईसी स्थापित कर लिए हैं, इनमें कुल मिलाकर 2600 से अधिक लोग कार्यरत हैं। वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने गिफ्ट आईएफएससी में अपने जीआईसी स्थापित किए हैं, इन कम्पनियों में बैंक ऑफ अमेरिका जैसे प्रसिद्ध बैंक, लेखापरीक्षा और बीमा सेवा प्रदाता, और प्रतिभूति और पूंजी बाजार फर्म शामिल हैं।

समर्थन और आउटरीच

आईएफएससी उद्योग जगत के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और इसने सरकारी एजेंसियों और गिफ्ट सिटी प्राधिकरणों के साथ समन्वय मजबूत किया है। बड़े निगमों को समायोजित करने के लिए अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना तैयार करने की दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं। गिफ्ट आईएफएससी के भीतर, विशेष रूप से कार्यालय स्थान प्रावधान, परिवहन सुविधाएँ, मनोरंजक सुविधाएँ और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है।

भारत के माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में भारत में अग्रणी वैश्विक क्षमता केन्द्रों के साथ गोलमेज परिचर्चाएं

माननीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में, प्रमुख बीएफएसआई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर और अन्य हितधारकों जैसे कि नैसकॉम, जीआईएफटी आदि के हिस्सेदारों के साथ 23 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में गोलमेज चर्चा आयोजित की गई। चर्चा के दौरान, अग्रणी बीएफएसआई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के वैश्विक इन-हाउस केंद्रों के लीडरों को गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों के बारे में अवगत कराया गया और गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक इन-हाउस सेंटर हब के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक अनुमतियों पर विचार मांगे गए। इस शिखर सम्मेलन में गिफ्ट के अध्यक्ष, आईएफएससी के अध्यक्ष, नैसकॉम के लीडर और 20 से अधिक प्रमुख बीएफएसआई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लीडरों ने भाग लिया।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सीएक्सओ का मुम्बई में सम्मेलन

आईएफएससीए के कार्यकारी निदेशक ने 17 अगस्त, 2023 को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा आयोजित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सीएक्सओ मीट में प्रतिभागियों को संबोधित किया। आईएफएससीए के कार्यकारी निदेशक ने आईएफएससीए में वैश्विक आंतरिक केन्द्र के विकास और अवसरों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराते हुए विशाल प्रतिभा पूल का दोहन करने और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के महत्त्व पर भी जोर दिया।



चित्र 23 : श्री दीपेश शाह, ईडी, आईएफएससीए जीसीसी (सीएक्सओ मीट) को संबोधित करते हुए

बंगलुरु में जीसीसी शिखर सम्मेलन में आईएफएससीए का अभिभाषण

आईएफएससीए के मुख्य महाप्रबंधक ने 21 जुलाई, 2023 को बैंगलोर में 3एआई द्वारा आयोजित जीसीसीएक्स शिखर सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आईएफएससीए के मुख्य महाप्रबंधक ने उन्हें गिफ्ट आईएफएससीए में वैश्विक आंतरिक केन्द्रों में अवसरों के बारे में जानकारी दी।

बंगलुरु में 'गिफ्ट सिटी में जीसीसी हेतु अवसरों' पर शिखर सम्मेलन में आईएफएससीए सम्बोधन

आईएफएससीए के कार्यकारी निदेशक ने 28 जुलाई, 2023 को बैंगलोर में एचएसबीसी बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम "गिफ्ट सिटी में जीसीसी के लिए अवसर" में मुख्य अभिभाषण दिया। आईएफएससीए के मुख्य महाप्रबंधक ने पैनल चर्चा में भाग लिया और आईएफएससीए में बीएफएसआई जीसीसी स्थापित करने के लाभों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससीए (वैश्विक आंतरिक केन्द्र) विनियमावली 2020 की समीक्षा

प्रभाग को जनशक्ति के अंतरण और सेवा प्राप्ति से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर विनियमन की समीक्षा की जाएगी ताकि उचित परिवर्तन शामिल किए जा सकें

गिफ्ट आईएफएससीए में जीआईसी परिपत्र के बारे में जागरूकता का प्रसार

गुजरात सरकार के साथ घनिष्ठ साझेदारी रखते हुए गिफ्ट आईएफएससीए को देश में जीआईसी के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उजागर करने के लिए जागरूकता अभियान और ब्रांडिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संभावित निवेशकों के साथ संपर्क बढ़ाने और उनसे सहबद्ध होने के लिए, विभिन्न प्रमुख भारतीय शहरों में भौतिक रोड शो आयोजित किए जाएंगे, जो पहले से ही जीआईसी क्षेत्र में अग्रणी के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। इन समन्वित प्रयासों का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससीए को जीआईसी के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में स्थापित करना है, और इसके मजबूत परितंत्र और रणनीतिक लाभों से अपनी लीवरेजिंग करनी है।

सतत वित्त

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 (सीओपी 26) शिखर सम्मेलन में 'पंचामृत' को जलवायु संबंधी संग्राम में भारत के अभूतपूर्व योगदान की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य रहेगा कि सन 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाए। भारत को सन 2070 तक निवल-शून्य अंतरण को पूरा करने के लिए 10 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का निधियन की जरूरत होगी।

सतत वित्त हेतु आईएफएससीए ने निम्नलिखित तीन मार्ग प्रशस्त किए हैं :

(क) सतत और संधारणीयता सहबद्ध उधारियों हेतु दिशानिदेशक व्यवस्था के तहत आईएफएससी के तहत आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों और वित्त कम्पनियों / इकाइयों द्वारा उधारियां

(ख) आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और लिस्टिंग) विनियमावली के तहत ईएसजी लेबलकृत प्रतिभूतियों की लिस्टिंग हेतु अलग से नियामक व्यवस्था

(ग) आईएफएससी (ईएसजी निधियों) में संधारणीयता केन्द्रित निवेश निधिओं की शुरुआत की अनुमति

नीति / विनियामक गतिविधियां

माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार का विज्ञान है कि गिफ्ट आईएफएससी को संधारणीय वित्त के लिए वैश्विक केंद्र बनाया जाए। आईएफएससीए, गिफ्ट आईएफएससी हेतु एकीकृत नियामक के रूप में, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के अपने विज्ञान सहित कार्यरत है। विगत ३ वर्ष में, आईएफएससीए ने अनुकूल विनियामक वातावरण बनाकर वैश्विक संधारणीय पूंजी प्रवाह में तेजी लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों से प्रेरित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन इनका विशेष फोकस विकासशील देशों की जरूरतों पर है।

प्राधिकरण ने हरित और संधारणीय परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के लिए विभिन्न विनियामक और नीतिगत पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं

- वित्तीय संस्थानों द्वारा सतत और स्थिरता से संबद्ध उधारियों के लिए दिशानिदेश व्यवस्था
- फंड प्रबंधन प्रतिष्ठानों द्वारा स्थिरता संबंधी प्रकटीकरण
- ईएसजी स्कीमों हेतु व्यवस्था
- आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और लिस्टिंग) विनियमावली में ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों के लिए अलग विनियामक व्यवस्था

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

ऋण प्रतिभूतियां


आईएफएससी एक्सचेंजों में 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, 12.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है। आईएफएससी एक्सचेंजों में ऋण प्रतिभूतियों की कुल लिस्टिंग 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 56.6 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

आरईसी लिमिटेड ने जनवरी 2024 में आपने आरंभ में ही 10 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम के तहत 61.1 बिलियन जापानी येन में 5-वर्षीय, 5.25 वर्षीय और 10 वर्षीय हरित बॉन्ड आईएफएससी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए। यह भारत द्वारा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक का सबसे बड़ा यूरो-येन निर्गम है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा येन-मूल्यवर्गित निर्गम है।


सारणी 24 : आईएफएससीए एक्सचेन्जों में ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग (बिलियन अमरीकी डॉलर)

विवरण	31 दिसम्बर 2023 को	31 मार्च 2024 को
संचयी ऋण लिस्टिंग संचयी	52.97	56.5
ईएसजी लेबलकृत ऋण लिस्टिंग	10.43	12.3

आकृति 16 : 31 मार्च 2024 को ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग



आकृति 17 : 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग



सारणी 25 : वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण लिस्टिंग

निर्गमकर्ता का नाम	लिस्टिंग की तारीख	किस मुद्रा में निर्गम हुआ	निर्गम मुद्रा में निर्गमन की रकम (मिलियन में)	लेबल
भारतीय स्टेट बैंक	1-1-2024	यूएसडी	250.00	ग्रीन
भारतीय स्टेट बैंक	18-1-2024	यूएसडी	600.00	-
नियोग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड	19-1-2024	यूरो	4.00	-
आरईसी लिमिटेड	22-1-2024	जापानी येन	27,400.00	ग्रीन
आरईसी लिमिटेड	22-1-2024	जापानी येन	31,000.00	ग्रीन
आरईसी लिमिटेड	22-1-2024	जापानी येन	2700.00	ग्रीन
श्रीराम फाइनेन्स लिमिटेड	25-1-2024	यूएसडी	750.00	सामाजिक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	16-2-2024	यूएसडी	300.00	सतत
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	16-2-2024	यूएसडी	450.00	-
आइआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड	13-3-2024	यूएसडी	540.00	-
एवियम इंडिया हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	13-3-2024	यूएसडी	5.00	-
अडानी ग्रीन एनर्जी (यूपी) लिमिटेड, परमपूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और प्रयत्न डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	13-3-2024	यूएसडी	409.00	ग्रीन
आय फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	21-3-2024	यूएसडी	11.50	-

यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थिति के कारण भारतीय कॉर्पोरेट्स ने घरेलू स्तर पर मुख्य रूप से बॉन्ड मार्केट के माध्यम से पूंजी जुटाई है। इसके कारण वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय कॉर्पोरेट्स द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण निर्गमन करने में भारी कमी देखी गई है।

ऋण

आईएफएससीए ने आईबीयू और एफसी द्वारा सतत ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए 26 अप्रैल, 2022 को 'वित्तीय संस्थानों द्वारा सतत और संधारणीयता सहबद्ध उधारियों के लिए दिशानिदेशक व्यवस्था' जारी की है। बैंकिंग इकाइयों को 01 अप्रैल, 2023 से अपने ऋणों का कम से कम 5% हरित या संधारणीय क्षेत्रों/सुविधाओं के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। इस व्यवस्था के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में, आईएफएससी में आईबीयू ने लगभग 1.56 बिलियन अमरीकी डॉलर के सतत ऋण लेनदेन किए हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है।

सारणी 26 : आईबीयू द्वारा समग्र सतत वित्तपोषण

वर्गीकरण	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचयी (मिलियन अमरीकी डॉलर)
ग्रीन	436.31
सामाजिक	577.09
संधारणीय	245.80
संधारणीयता सहबद्ध	279.39
अन्य	23.75
कुल	1562.34

सारणी 27 : आईबीयू द्वारा संधारणीय वित्तपोषण का क्षेत्रवार वर्गीकरण

क्षेत्र (सूची संकेतात्मक है)	अप्रैल 2023 – मार्च 2024 के दौरान	
	रकम (मिलियन अमरीकी डॉलर)	संव्यवहारों की कुल संख्या
नवीकरणीय ऊर्जा	419.83	368
प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण	141.67	2
जल और अपशिष्ट जल का संधारणीय प्रबंधन	0.00	0
स्वच्छ परिवहन	70.78	8
हरित भवन	1.50	1
संवहनीय आधारभूत अवसंरचना	57.74	2
संवहनीय आवासन	9.46	12
खाद्य सुरक्षा और संधारणीय खाद्य प्रणालियां	11.76	16
हैल्थ केयर	52.01	48
सामाजिक शिक्षण	7.00	2
अन्य	790.59	828
कुल	1562.33	1287

निधियां

भारत में ईएसजी फंडों को बढ़ावा देने और हरित एवं संधारणीय परियोजनाओं की तरफ पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से, आईएफएससीए ने ईएसजी फंड के लिए विनियामक व्यवस्था जारी की है, जिसमें प्रारंभिक और आवधिक प्रकटीकरण, निरंतर निगरानी और निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। इस व्यवस्था ने आईएफएससीए में प्रथम ईएसजी एंगेजमेंट फंड के पंजीकरण को अनुमति प्रदान की। विगत वित्तीय वर्ष में आईएफएससीए में फंड परितंत्र की महत्वपूर्ण संवृद्धि आईएफएससीए में ईएसजी फंड के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है।

समर्थन और आउटरीच

क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव (सीपीआई) – भारत के साथ समझौता ज्ञापन

आईएफएससीए और सीपीआई ने भारत में वैश्विक संधारणीय पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए आपसी सहायता और सहयोग के लिए 06 जुलाई, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरित और मजबूत वह लोचशील अर्थव्यवस्थाओं की तरफ अंतरण करने के लिए हरित/संधारणीय/जलवायु वित्त जुटाना महत्वपूर्ण है।

आईएफएससीए ने वैश्विक संधारणीय पूंजी प्रवाह को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके लिए अनुकूल विनियामक परिवेश बनाया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है, और विशेष रूप से भारत और अन्य विकासशील देशों की जरूरतों पर केंद्रित है। सरकारों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करना सीपीआई का मिशन है। इसी पृष्ठभूमि में आईएफएससीए और सीपीआई ने व्यापक प्रभाव वाले समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहयोग किया है, जिसमें संधारणीय वित्त के क्षेत्र में अनुसंधान और संयुक्त आयोजन शामिल हैं।

आईएफएससीए और जी-20

आईएफएससीए ने जी-20 सतत वित्त कार्यदल (एसएफडब्ल्यूजी) का स्वदेशी ज्ञान साझेदार बनकर भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी में योगदान दिया, जो आईएफएससीए की सतत वित्त के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी को विकसित करने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। कुछ महत्वपूर्ण योगदानों पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

- (i) आईएफएससीए जी-20 एसएफडब्ल्यूजी से संबंधित कार्य के हिस्से के रूप में प्रकाशित "स्थायी वित्त में तेजी लाने और जलवायु और स्थिरता जोखिम का प्रबंधन करने के लिए क्षमता निर्माण" पर भारत के प्रेसीडेंसी इनपुट पेपर के प्रमुख लेखकों में से एक है।
- (ii) आईएफएससीए ने चेन्नई में जी20 स्वदेशी आउटरीच कार्यक्रम के दौरान सामाजिक प्रभाव निवेश और क्षमता निर्माण से संबंधित पैनल चर्चाओं में भाग लिया।
- (iii) आईएफएससीए ने जी20 एसएफडब्ल्यूजी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के लिए सामाजिक प्रभाव निवेश को अपनाने के लिए अपने इनपुट प्रदान किए।
- (iv) संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के वित्तपोषण हेतु के उपादान के रूप में आईएफएससी में आईएफएससीए ने प्रकरण अध्ययन साझा किए ताकि उन पर उन्हें एसडीजी के वित्तपोषण हेतु सर्वोत्तम परिपाटियों के सार-संग्रह का एक भाग बनाने पर विचार किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों पर गोलमेज सम्मेलन

आईएफएससीए ने 13 दिसंबर, 2023 को फिक्की और एनएसई के सहयोग से गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में "अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार: गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक जलवायु वित्त का प्रवेशद्वार बनाना" शीर्षक से आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट लीडर्स, शैक्षणिक संस्थानों, कार्बन एक्सचेंजों और कार्बन बाजार में अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में (क) जीवंत कार्बन बाजार के लिए नींव का निर्माण: अखंडता, अवसंरचना और नवाचार और (ख) गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार को सक्षम बनाना: एक आदर्श परितंत्र बनाने के बारे में चर्चा की गई। इसका लक्ष्य पारदर्शी और गतिशील कार्बन बाजार बनाने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान करना था, जिससे गिफ्ट आईएफएससी को अंतरराष्ट्रीय कार्बन वित्त के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

उद्घाटन भाषण में, आईएफएससीए के अध्यक्ष ने वित्तीय बाजारों, विशेष रूप से संधारणीय वित्त में इस संगठन की व्यापक पहलों पर जोर दिया। आईएफएससीए इनफिनिटी फोरम 2.0 में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, अध्यक्ष ने सन 2070 तक अपने निवल-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए भारत की कम-से-कम 10 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष ने सन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का भी उल्लेख किया, जिसमें हरित विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसरों पर जोर दिया गया। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति, विनियमन और बाजार संरचनाओं में अभिनव परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष ने कहा कि यह गोलमेज सम्मेलन आईएफएससीए को जलवायु वित्त और कार्बन बाजार तंत्र के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

फिक्की ईएसजी शिखर सम्मेलन 2023

संधारणीय परिवर्तन को आगे बढ़ाने का विषय लेते हुए आईएफएससीए (फिक्की) ईएसजी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 09 अक्टूबर, 2023 को मुंबई में हुआ। अक्टूबर 2023 में आयोजित फिक्की ईएसजी शिखर सम्मेलन में आईएफएससीए के अध्यक्ष ने बढ़ते जलवायु जोखिमों के बीच संधारणीय और जलवायु वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सतत वित्त के लिए विकसित वैश्विक नियामक परिदृश्य पर चर्चा की और फिक्की की पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी (जीएसएस+) बॉन्ड की लिस्टिंग के लिए नियामक व्यवस्था, आईएफएससीए बैंकिंग इकाइयों द्वारा संधारणीयता हेतु उधारियां, फंड प्रबंधन संस्थाओं द्वारा संधारणीयता की रिपोर्टिंग और गिफ्ट आईएफएससीए में ईएसजी फंड की स्थापना शामिल है।

इस बात पर जोर देते हुए कि आईएफएससीए के नियम वैश्विक स्तरों के समानरूप हैं, फिर भी भारत जैसे विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, अध्यक्ष ने भारत में हरित और संधारणीय परियोजनाओं के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में इनके महत्व को इंगित किया। इसके अलावा, 'स्वैच्छिक कार्बन बाजार' और 'अंतरण वित्त' लिखतों को विकसित करने के लिए चल रहे प्रयासों का उल्लेख किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और व्यापक वैश्विक दक्षिण में कॉर्पोरेट्स के लिए वित्तपोषण का समर्थन करना है।

एमओईएफसीसी जलवायु सम्मेलन 2024

जलवायु सम्मेलन 2024, जिसका विषय था "भारत के लिए हरित परिवर्तन को समझना", 12 जनवरी, 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर यूएनडीपी इंडिया के साथ किया था और नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल ने इसका समर्थन किया था।

जलवायु सम्मेलन 2024 में आईएफएससीए के अध्यक्ष ने संभाषण दिया। उन्होंने जलवायु कार्रवाई के लिए अनुमानित 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण अंतर को पाटने पर जोर दिया और कहा कि आईएफएससीए भारत में स्थायी परियोजनाओं के लिए वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है। उन्होंने गिफ्ट आईएफएससीए से जलवायु और सतत वित्त जुटाने के लिए आईएफएससीए द्वारा की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने गिफ्ट आईएफएससीए में "स्वैच्छिक कार्बन बाजार" परितंत्र विकसित करने और भारत और वैश्विक दक्षिण में कॉर्पोरेट्स के निवल-शून्य संक्रमण के लिए वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए "संक्रमणकालीन वित्त के लिए रूपरेखा" के लिए आईएफएससीए द्वारा चल रही प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला।



चित्र 24 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – जलवायु सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में

कार्यदल/समिति

स्वैच्छिक कार्बन बाजारों पर विशेषज्ञ समिति

आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में स्वैच्छिक कार्बन बाजार परितंत्र विकसित करने के उद्देश्य से सितंबर 2023 में श्री आर. आर. रश्मि, प्रतिष्ठित फेलो और कार्यक्रम निदेशक, पृथ्वी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, दि एनर्जी एंड रिसोर्सेस इन्स्टीट्यूट (टेरी) की अध्यक्षता में निम्नलिखित विचारार्थ विषयों (टीओआर) सहित एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

इस विशेषज्ञ समिति को भारत के निवल शून्य लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए इसकी क्षमता का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) की व्यापक जांच करने का काम सौंपा गया है। इसमें वर्तमान वीसीएम चुनौतियों और अवसरों को समझना, गिफ्ट-आईएफएससी के भीतर वीसीएम को सक्षम करने के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव देना, बाजार सहभागियों को आकर्षित करना, एक मजबूत वीसीएम परितंत्र की स्थापना करना और गिफ्ट-आईएफएससी के भीतर वीसीएम गतिविधि के लिए एक नियामक व्यवस्था का मसौदा तैयार करना शामिल है। इसके दायरे में गिफ्ट आईएफएससी में वीसीएम विकास और विनियमन से संबंधित अन्य संगत मामले भी रहेंगे।

जलवायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति

भारत और अन्य उदीयमान देशों के निवल शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के उद्देश्य से, आईएफएससीए ने दिसंबर 2023 में श्री ध्रुव पुरकायस्थ (भारत में निदेशक, सीपीआई) की अध्यक्षता में जलवायु वित्त पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं।

विशेषज्ञ समिति की स्थापना वैश्विक जलवायु वित्तपोषण प्रवृत्तियों का व्यापक विश्लेषण करने, सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और सन 2047 तक भारत में परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने के साथ जलवायु वित्त की आवश्यकता का आकलन करने के लिए की गई है। समिति आईएफएससीए के मसौदा व्यवस्था के आधार पर अंतरण हेतु वित्तीय साधनों के लिए एक नियामक व्यवस्था की सिफारिश करेगी। इसके अतिरिक्त, विचारार्थ विषयों में गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से अंतरण हेतु वित्त को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपायों (विधिक, टैक्स, विनियामक आदि) पर सिफारिशें शामिल हैं, और भारतीय

उद्योग का समर्थन करने वाले अंतरण हेतु वित्त के लिए एक लागत प्रभावी और विश्वसनीय परितंत्र का निर्माण करना है, साथ ही गिफ्ट आईएफएससी को जलवायु वित्त साधन विकसित करने और वैश्विक केंद्र बनने के लिए एक रोडमैप भी प्रदान करना है।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

अंतरण वित्त हेतु व्यवस्था

समय की मांग है कि सभी क्षेत्रों, खासकर स्टील, सीमेंट, रसायन आदि जैसे अनिवारणीय क्षेत्रों, की अंतरण यात्रा को वित्तपोषित किया जाए, ताकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों और संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस संदर्भ में, अंतरण हेतु वित्त साधन जैसे अंतरण बांड, अंतरण ऋण आदि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तपोषण अंतर को दूर करने के लिए एक विकल्प के रूप में उभरे हैं और जो उद्योगों में सभी क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों को समाहित करता है। आईएफएससीए ने अंतरण वित्त के बारे में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसमें उद्योग, मानक निर्धारक, सलाहकार, थिंक टैंक आदि का प्रतिनिधित्व शामिल है, जो गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से संक्रमण वित्त को बढ़ावा देने के उपायों और संक्रमण वित्त साधनों के लिए एक नियामक ढांचे की सिफारिश करता है।

स्वैच्छिक कार्बन बाजार हेतु विनियामक व्यवस्था

भारत पिछले एक दशक में अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्बन बाजार में कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। एक विनियमित वातावरण के तहत अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार का एक परितंत्र विकसित करने के उद्देश्य से, आईएफएससीए ने 27 सितंबर, 2023 को श्री आर.आर. रश्मि, प्रतिष्ठित फैलो और कार्यक्रम निदेशक, पृथ्वी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, दि एनर्जी एन्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्यूट (टेरी) की अध्यक्षता में स्वैच्छिक कार्बन बाजार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति में अक्षय ऊर्जा, परामर्श, पूंजी बाजार, नीति, विधिक, मानक और रजिस्ट्री, निवेशक आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। विचारार्थ विषयों में वीसीएम पर नियामक व्यवस्था के विकास के लिए आईएफएससीए को संस्तुतियां भेजना शामिल हैं और गिफ्ट आईएफएससी में वैश्विक बाजारों के लिए एक मजबूत वीसीएम परितंत्र बनाने के लिए नीति और सक्षम उपायों का सुझाव देना है।

आईएफएससीए में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीबी) में निवेश और निपटान

भारत के हरित विकास में विदेशी निवेशकों की व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के उद्देश्य से, आईएफएससीए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएफएससी में एसजीबी की ट्रेडिंग और निपटान की अनुमति देने लिए मिलकर काम किया जा रहा है।

आनुषंगिक सेवाएं

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के विकास हेतु व्यावसायिक सेवा देने वाली फर्म अतिआवश्यक होती हैं क्योंकि ये लेखापरीक्षा, लेखांकन, कराधान, विधिक, परामर्श और सलाहकार सेवाएं, आदि जैसी वित्तीय सेवाओं में सहायता और इन सेवाओं की डिलीवरी में सहायता देती हैं। वैश्विक रूप से वित्तीय फर्मों और वित्तीय बाजारों का पूर्वानुमान उच्च कोटि की व्यावसायिक फर्मों के विकास और संकेन्द्रण से लगाया जाता है।

गिफ्ट आईएफएससी में एक प्रबल वित्तीय सेवा बाजार को विकसित करने में व्यावसायिक फर्मों के अंतर्निहित महत्त्व पर विचार करते हुए आईएफएससी ने फरवरी 2021 में आईएफएससी में अनुषंगी सेवाओं की अनुमति हेतु एक व्यवस्था जारी की।

गिफ्ट आईएफएससी में यह उद्योग एक स्वस्थ विकास दिखा रहा है, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार इसमें ऐसे 68 प्रतिष्ठान थे जो विधिक, अनुपालन और सचिवालय संबंधी, व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श सेवाएं, लेखापरीक्षा, लेखांकन, बुककीपिंग और कराधान सेवाएं, प्रशासन, आस्ति प्रबंधन सहायता सेवाएं, आदि जैसे विभिन्न वर्गों में सेवाएं प्रदान कर रहे थे।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (आईएफसी) ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ वित्तीय सेवा प्रदाताओं का अत्यधिक संकेन्द्रण है, जिनमें बैंक, पूंजी बाजार संस्थाएँ, बीमा फर्म, फंड मैनेजर और फिनटेक कंपनियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ये केंद्र लेखापरीक्षा, लेखांकन, कराधान, विधिक परामर्श, परामर्श और सलाहकार सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करने वाली व्यावसायिक सेवा फर्म की मेजबानी करते हैं। व्यावसायिक फर्मों की उपस्थिति एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के विकास और कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सेवाओं के वितरण का समर्थन और सुविधा प्रदान करते हैं। वैश्विक स्तर पर, वित्तीय फर्म और बाजारों का विस्तार व्यावसायिक सेवा फर्म के प्रसार और गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

भारत में कुशल व्यावसायिकों प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए, विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीशिप और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में, आईएफएससी के लिए व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की महत्वपूर्ण संभावना है। ये व्यावसायिक न केवल आईएफएससी की जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि विदेशी बाजारों की मांग को भी पूरा करेंगे। गिफ्ट आईएफएससी के भीतर वित्तीय बाजारों के विकास को बढ़ावा देने में व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, प्राधिकरण ने फरवरी 2021 में “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर सहायक सेवाओं को सक्षम करने के लिए रूपरेखा” पेश की।

गिफ्ट आईएफएससी के भीतर सहायक सेवा फर्मों के कार्यान्वयन ने व्यावसायिक सेवाओं की मांग को पूरा करके और आईएफएससी में वैश्विक और घरेलू दोनों खिलाड़ियों को आकर्षित करके वित्तीय सेवा परितंत्र के विकास को काफी बढ़ावा दिया है।

नीति / नियामक गतिविधियां

आईएफएससी में अनुषंगी सेवाओं की अनुमति हेतु व्यवस्था

अनुषंगी सेवाओं को ऐसी सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी सेवाओं में सहायता, मदद, सहयोग या मजबूती प्रदान करती हैं, या इन्हें पूरा किया जाता है या इनका संबंध आईएफएससी अधिनियम, 2019 की धारा 3 के तहत परिभाषित 'सेवाओं' से संबद्ध हैं।

इस व्यवस्था के तहत अनुमेय अनुषंगी सेवाएँ इस प्रकार हैं:

- विधिक, अनुपालन और सचिवालय संबंधी
- लेखा परीक्षा, लेखा, बहीखाता और कराधान सेवाएँ
- पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएँ
- प्रशासन, संपत्ति प्रबंधन सहायता सेवाएँ और ट्रस्टीशिप सेवाएँ
- आईएफएससी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित कोई अन्य सेवाएँ
- आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित अनुमेय अनुषंगी सेवाएँ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएँ सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं:

क. आईएफएससी में स्थापित कोई भी मौजूदा या नई निगमित संस्था।

ख. शाखा या सहायक संस्था स्थापित करके कोई भी भारतीय या विदेशी निगमित प्रतिष्ठान।

आईएफएससी में प्रतिष्ठान की स्थापना कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या पंजीकृत भागीदारी फर्म, उसकी शाखा या आईएफएससी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रूप में की जा सकती है।

सेवा प्रदाता निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक को अनुमेय सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं:

- आईएफएससी में स्थापित प्रतिष्ठान।
- भारत में आईएफएससी या विदेशों में विभिन्न अनुमेय सहायक सेवाओं के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र के प्रतिष्ठान
- भारतीय संस्थाएँ जो आईएफएससी या विदेशी अधिकार क्षेत्र में खोलने, स्थापित करने या संचालन करने का प्रस्ताव रखती हैं, बशर्ते इनके प्रतिफल मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

अनुषंगी व्यवस्था के अंतर्गत, आईएफएससी ने 31 मार्च, 2024 तक 68⁷² प्रतिष्ठानों को प्राधिकरण प्रदान किया है, जिनमें से 22 संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राधिकरण प्रदान किया गया।

सारणी 28 : अनुषंगी सेवा प्रतिष्ठानों का क्रियाकलाप अनुसार विवरण

क्रमांक	क्रियाकलाप	31 मार्च 2024 को प्राधिकृत प्रतिष्ठानों की संख्या
1	विधिक, अनुपालन और सचिवालय संबंधी	12
2	व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श सेवाएँ	21
3	लेखापरीक्षा, लेखांकन, बुककीपिंग और कराधान सेवाएँ	11
4	प्रशासन, आस्ति प्रबंधन समर्थन सेवाएँ और ट्रस्टीशिप सेवाएँ	24
	कुल	68

⁷² प्रधान अनुमोदन में शामिल

समर्थन और आउटरीच

गिफ्ट सिटी में आईसीएसआई का कार्यालय

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) काउंसिल ने गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय संस्थानों के लिए कौशल अंतर को कम करना और प्रतिभा पूल को समृद्ध करना है।

आईसीएसआई के साथ आईएफएससीए एमओयू

आईएफएससीए ने विभिन्न प्रयासों में सहयोग के लिए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक अनुपालन सेवा निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मिलकर काम करना, आईएफएससी में उन्नत कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं, अनुपालन लेखा परीक्षा के विकास को सुविधाजनक बनाना और कानूनी, अनुपालन और सचिवालय संबंधी सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।

आईसीएसआई के साथ आईएफएससीए एमओयू

आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी को विश्व के “ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब” के रूप में विकसित करने के लिए ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन में आईसीएसआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसका विनिमय किया।

इसके अलावा, अनुषंगी सेवा फर्मों ने बैंकिंग, फंड, बीमा, विमान लीजिंग आदि जैसे क्षेत्रों में अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर और भारत में कई वेबिनार, गोलमेज और सम्मेलन आयोजित किए हैं।

बॉक्स 4: गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक लेखांकन केन्द्र बनाना

जनवरी, 2024 में हाल ही में जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, भारत सरकार ने आईएफएससीए अधिनियम 2019 के तहत ‘वित्तीय सेवाओं’ के दायरे का विस्तार किया, जिसमें बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी को इन सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो भारत के कुशल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रस्तुत करें।

इस नीतिगत निर्णय की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए, आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी को “वैश्विक वित्त और लेखा केंद्र” के रूप में विकसित करने पर केंद्रित एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की। समिति ने बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें प्रदान की हैं।

इसके अलावा, आईएफएससीए द्वारा आईएफएससीए (बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन सेवाएँ) विनियम, 2024 का मसौदा तैयार किया गया है। ये विनियम आईएफएससी क्षेत्राधिकार के भीतर इन सेवाओं के प्रावधान के लिए एक नियामक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करते हैं।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

अधिसूचना जारी करने के 3 साल बाद परिपत्र की समीक्षा की जानी है। इसके अलावा, 2024 में बीएटीएफ विनियमनों की शुरुआत के साथ, सहायक व्यवस्था में पहले से शामिल बुककीपिंग, लेखांकन और कराधान सेवाएं अब बीएटीएफ विनियमों के अंतर्गत आएंगी। इसके अतिरिक्त, संशोधित परिपत्र में उपयुक्त और उचित मानदंड, पंजीकृत प्रतिष्ठानों के बाहर निकलने और अनुमोदन प्रक्रिया में संशोधनों से संबंधित प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना संभावित है।

व्यावसायिक निकायों के साथ एमओयू

प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों के साथ व्यावसायिक आउटरीच कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए बातचीत आरंभ की गई। इसका उद्देश्य अनुसंधान, क्षमता निर्माण और कार्यबल कौशल अंतराल को दूर करने के अवसरों का पता लगाना है।

अनुषंगी व्यवस्था के तहत नई सेवाओं को शामिल करना

मौजूदा सहायक सेवा ढांचे के अंतर्गत प्रमाणन सेवाएं, बीमांकक सेवाएं, मूल्यांकन सेवाएं और इनसॉल्वेन्सी प्रोफेशनल सेवाएं जैसी नई सेवाएं शामिल करने पर विचार करें।

विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान

केंद्रीय बजट 2022-23 में माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने घोषणा की, “वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को गिफ्ट सिटी में स्थानीय नियमों से मुक्त रहने की अनुमति दी जाएगी, सिवाय उन नियमों के जो आईएफएससीए द्वारा वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्चस्तरीय मानव संसाधनों की उपलब्धता की सुविधा के लिए” लागू किए जाते हैं।

उपरोक्त बजट घोषणा के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को ‘वित्तीय सेवाओं’ के रूप में अधिसूचित किया है। इस नीति के लागू होने से आईएफएससी में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी शैक्षणिक संस्थान आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के दायरे में आ गए हैं। इसके बाद, आईएफएससीए ने सक्षम विनियमों यानी आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर और अपतटीय शिक्षा केंद्र की स्थापना और संचालन) विनियमन, 2022 को अधिसूचित किया।

ऑस्ट्रेलिया का डियाकिन विश्वविद्यालय पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है जिसे गिफ्ट आईएफएससी में अपने इन्टरनेशनल ब्रान्च कैम्पस के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया है। इसके अलावा, आईएफएससीए ने ऑस्ट्रेलिया के एक और अग्रणी विश्वविद्यालय – वोलॉन्गॉना विश्वविद्यालय को भी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

केंद्रीय बजट 2022-23 में, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि गिफ्ट सिटी वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, एसटीईएम क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की मेजबानी करेगा, जिन्हें स्थानीय नियमों से छूट दी गई है, लेकिन ये आईएफएससीए की निगरानी में रहेंगे। इस पहल का उद्देश्य गिफ्ट सिटी को भारतीय और विदेशी छात्रों दोनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च-स्तरीय मानव संसाधन प्रदान करता है। इसके बाद, 23 मई 2022 को वित्त मंत्रालय ने इन पाठ्यक्रमों को वित्तीय सेवाएं अधिनियम, 2019 के तहत ‘वित्तीय सेवाएं’ के रूप में नामित किया, जिससे विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को आईएफएससी में अपना परिसर स्थापित करने की अनुमति मिल गई।

इस नीति घोषणा का समग्र उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी को एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करना था, जो निर्दिष्ट विषयों में भारतीय और विदेशी दोनों छात्रों की जरूरतों को पूरा कर सके, बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, निधि प्रबंधन, फिनटेक, दीर्घकालिक वित्त, सतत वित्त, वॉल्यूमिटरिंग आदि क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित कर सके और वित्त, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय मानव संसाधनों का पोषण कर सके।

उपर्युक्त के अनुसरण में, आईएफएससीए ने सक्षम विनियमों अर्थात् आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर और अपतटीय शिक्षा केंद्र की स्थापना और संचालन) विनियमन, 2022 को अधिसूचित किया, जिसमें प्राधिकरण ने आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर (आईबीसी) स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों और अपतटीय शिक्षा केंद्र (ओईसी) स्थापित करने के लिए विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड, पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया और अन्य नियम और शर्तें निर्दिष्ट निर्धारित की गईं।

आईएफएससी में आईबीसी और ओईसी की स्थापना को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्त मंत्रालय ने आईएफएससीए अधिनियम 2019 की धारा 31 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया और गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी

विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 को लागू नहीं किया।

नीति / नियामक गतिविधियां

वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान, आईएफएससीए ने आईएफएससी में आईबीसी और ओईसी स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए अकादमिक अवसंरचना सेवा प्रदाता (एआईएसपी) मॉडल को सक्षम किया। इस विनियामक सक्षमता ने आईबीसी और/या ओईसी को एआईएसपी से अवसंरचना सेवाएँ प्राप्त करने की अनुमति दी, जो एसईजेड अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत और नियंत्रित होगी। एआईएसपी मॉडल से गिफ्ट आईएफएससी को विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए अपने विदेशी परिसर स्थापित करने के लिए एक आकर्षक और पसंदीदा गंतव्य बनाने की उम्मीद है।

बाक्स 5 : एआईएसपी परिपत्र के प्रमुख अभिलक्षण

- (i) एआईएसपी एक ऐसा सेवा प्रदाता है, जो किसी आईबीसी/ओईसी को सेवाएँ प्रदान कर रहा होता है, जिसमें निर्मित परिसर सुविधा, अनुसंधान और विकास सुविधा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, ऊष्मायन केंद्र, शिक्षण कक्षा और ऐसी अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करना शामिल होगा।
- (ii) आईएफएससी में एक एआईएसपी किसी आईबीसी/ओईसी को निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान कर सकता है:
 - क. कैम्पस सुविधा प्रबंधन सेवाएं
 - ख. विद्यार्थी ऑनबोर्डिंग, प्रवेश और विद्यार्थी कल्याण सेवाएं
 - ग. गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती और प्रबंधन के लिए सेवाएं
 - घ. ब्रांडिंग और मार्केटिंग सेवाएँ
 - ड. पे-रोल सेवाएं, आदि
- (iii) एआईएसपी के लिए पात्रता की शर्तें:
 - क. एआईएसपी को गिफ्ट एसईजेड में एक अलग कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
 - ख. एआईएसपी के पास अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए न्यूनतम 1 मिलियन अमरीकी डॉलर या समकक्ष की निवल संपत्ति होनी चाहिए।
 - ग. एआईएसपी या इसकी किसी समूह कंपनी के पास भारत या विदेशों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों को समान सेवाएँ प्रदान करने का कम से कम तीन साल का पूर्व अनुभव होना चाहिए।
- (iv) एआईएसपी से सेवाएँ प्राप्त करने वाले आईबीसी/ओईसी के दायित्व :
 - क. आईबीसी/ओईसी एआईएसपी के साथ एक औपचारिक लिखित समझौता करेगा।
 - ख. समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्षतिपूर्ति, बौद्धिक संपदा संरक्षण, हितों का टकराव, वित्तीय गारंटी, गोपनीयता और निजता, अपरिहार्य परिस्थिति, बीमा, शासी कानून और अधिकारक्षेत्र, विवाद समाधान से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे।
 - ग. आईबीसी/ओईसी आईएफएससीए को एक वचनबद्धता प्रदान करेगा कि आईबीसी और/या ओईसी के शैक्षणिक कार्य किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एआईएसपी को आउटसोर्स नहीं किए जाएंगे।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएफएससीए ने आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर और अपतटीय शिक्षा केंद्र की स्थापना और संचालन) विनियमन, 2022 के तहत गिफ्ट आईएफएससी में अपने अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर के लिए डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया को पंजीकरण का अंतिम प्रमाण पत्र प्रदान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। सन 2024 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 233 वें स्थान पर रहा डीकिन विश्वविद्यालय भारत सरकार की इस नीतिगत पहल के तहत स्वीकृत होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। डीकिन यूनिवर्सिटी आईबीसी ने गिफ्ट आईएफएससी में एक अत्याधुनिक परिसर सुविधा स्थापित की है और जुलाई 2024 से मास्टर ऑफ साइबर सिक््योरिटी और मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स नामक दो मास्टर कोर्स के साथ इसके शैक्षणिक संचालन शुरू होने की आशा है।




चित्र 25 : गिफ्ट आईएफएससी में डीकिन विश्वविद्यालय

मई 2023 में, ऑस्ट्रेलिया का वोलोंगोंग विश्वविद्यालय (यूओडब्ल्यू) गिफ्ट आईएफएससी में अपना अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने के लिए आईएफएससीए से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने और आवेदन करने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। वोलोंगोंग विश्वविद्यालय एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई सार्वजनिक विश्वविद्यालय है जो तटवर्ती शहर वोलोंगोंग, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है और इसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 162 वां स्थान प्राप्त किया है। आशा है कि यूओडब्ल्यू आईबीसी द्वारा आईएफएससीए से पंजीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के बाद, मास्टर ऑफ कंप्यूटिंग (डेटा एनालिटिक्स) की शुरुआत के साथ जुलाई 2024 से अपने शैक्षणिक संचालन शुरू करेगा।

समर्थन और आउटरीच

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएफएससीए ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ कई गोलमेज चर्चाओं और द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया। कई विदेशी विश्वविद्यालय गिफ्ट आईएफएससी में अपना आईबीसी स्थापित करने और इस तरह भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अवसर की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे थे।



सूचना प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी और वित्त के क्षेत्र तेजी से एक दूसरे से सम्पृक्त होते जा रहे हैं, क्योंकि नवीनतम तकनीकी नवाचार वित्त के क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा, गति, सुविधा, कवरेज और 'कारोबार में आसानी' प्रदान करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियामक परितंत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण पर इसके बढ़ते प्रभाव के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग एक नियामक के लिए अपरिहार्य हो गया है। आईएफएससीए संचालन की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने और आईएफएस केन्द्रों में विनियमित संस्थाओं के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है।

इस दिशा में, आईएफएससीए ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई प्रयास आरंभ किए हैं:

आईएफएससीए की पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) प्रणाली


प्राधिकरण के पर्यवेक्षी कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए सिस्टम को लागू करने के लिए आईएफएससीए एक उपयुक्त सुपटेक समाधान प्रदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। परिकल्पित प्रणाली का उद्देश्य अपने विनियमित संस्थाओं के बीच प्रशासन, अनुपालन, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन के लिए एक व्यापक व्यवस्था स्थापित करना है। प्राथमिक ध्यान उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने और प्राधिकरण के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने पर है।

बॉक्स 6 : आईएफएससीए सिंगल विन्डो आईटी प्रणाली (एसडब्ल्यूआईटीएस)

वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में माननीय वित्त मंत्री ने व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) में सुधार के लिए "गिफ्ट आईएफएससीए में अपना परिचालन स्थापित करने की इच्छुक प्रतिष्ठानों के आवेदन प्रोसेस करने के लिए एकल खिड़की आईटी-सक्षम प्रणाली के कार्यान्वयन" की घोषणा की।

- (i) इस दिशा में, आईएफएससीए ने जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) पर प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया और एसडब्ल्यूआईटी को लागू करने के लिए एक विक्रेता को अंतिम रूप दिया।
- (ii) आईएफएससीए द्वारा कई मौजूदा फॉर्मों को मिलाकर विकसित एक सामान्य आवेदन फॉर्म (सीएएफ) का डिजिटल रूप से एसडब्ल्यूआईटी में रूपांतरण किया गया। वर्टिकल-निष्ठ अनुलग्नक फॉर्म के साथ इस सीएएफ का उद्देश्य आईएफएससीए में पंजीकरण की प्रक्रिया को सुसंगत और सरल बनाना है।
- (iii) सीएएफ में किसी इकाई के एसईजेड अनुमोदन के लिए आवश्यक विवरण भी शामिल हैं, जिसे एपीआई एकीकरण के माध्यम से स्वचालित रूप से एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम में भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एकीकरण एनएसडीएल के साथ संयुक्त रूप से काम करके पूरा किया गया।
- (iv) इसके अलावा, एसडब्ल्यूआईटी ने एपीआई एकीकरण के माध्यम से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रोसेसिंग मॉड्यूल को भी अपने भीतर एकीकृत किया है। एपीआई को अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और इरडाई भागीदारी और सहायता से विकसित और परीक्षण किया गया।
- (v) एसडब्ल्यूआईटी में आईएफएससीए इकाई के लिए जीएसटीआईएन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को भी एकीकृत किया जाता है, जिसे जीएसटीएन के समन्वय में किया जा रहा है।
- (vi) पीएएन, डीआइएन और सीआइएन का वास्तविक समय डेटा सत्यापन भी एसडब्ल्यूआईटी शामिल एपीआई के माध्यम से किया जाएगा।

आकृति 18 : एसडब्ल्यूआईटी प्रणाली की स्कीमेटिक अभिव्यक्ति



आईएफएससीए वेबसाइट और विधिक डाटाबेस को रीवैम्प करना

आईएफएससीए (वेबसाइट का रखरखाव) विनियमावली, 2022 के अनुरूप आईएफएससीए ने भारत सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों के मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप, अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र नियामकों के साथ बेंचमार्क करते हुए, अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट के विकास की पहल की है।

आईएफएससीए की वेबसाइट एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा जनता के साथ-साथ विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ विनियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार किया जाता है।

अद्यतन आईएफएससीए वेबसाइट पर आईएफएससीए एसडब्ल्यूआईटी को भी होस्ट किया जाएगा और विनियमित संस्थाओं (आरई), संभावित व्यवसायों और विदेशी वित्तीय नियामकों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा, जिससे आईएफएससीए के साथ उन्हें कारोबार की सहजता में सुधार होगा।

संशोधित वेबसाइट में एक डायरेक्टरी होगी जो डेटा को वास्तविक समय में नवीनतम बनाने के लिए एसडब्ल्यूआईटी से जुड़ी रहेगी। संशोधित वेबसाइट पर एक विधिक डेटाबेस मॉड्यूल भी रखा जाएगा जिससे प्रासंगिक विनियमों, परिपत्रों और कानूनी सूचनाओं तक आसान पहुंच और तलाश संभव होगी।

उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) प्रणाली

आईएफएससीए की ईआरपी प्रणाली का उद्देश्य कर्मचारियों की उपस्थिति का प्रबंधन, छुट्टी प्रबंधन और वेतन पर्ची निर्माण को डिजिटल करके सामान्य प्रशासन को आसान बनाना है। इस प्रणाली का उपयोग सभी कर्मचारियों के दावों को कागज

रहित तरीके से संसाधित करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इसका उद्देश्य प्रणाली को अन्य सभी सामान्य प्रशासनिक कार्यों को अपने दायरे में शामिल करने के लिए स्केल करना है।

ई-ऑफिस — आईएफएससीए एप्लीकेशन

राष्ट्रीय आसूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ई-ऑफिस-आईएफएससीए एप्लीकेशन आईएफएससीए की इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली है, और अभिशासन का समर्थन करती है, ई-फाइल, ई-ऑफिस सूट का एक अभिन्न अंग है, जो सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और वैधानिक निकायों के लिए कागज रहित कार्यालय को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली है।

ई-ऑफिस एप्लीकेशन फाइलों और प्राप्तियों को आसानी से इधर-उधर ले जाने और ट्रैक करने में मदद करता है। एप्लीकेशन में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस), कर्मचारी डेटा मैनेजमेंट और मास्टर डेटा मैनेजमेंट भी शामिल है जो आईएफएससीए की आंतरिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में मदद करता है।

आईटी अवसंरचना

आईएफएससीए अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन और हाई-स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) कनेक्टिविटी से लैस वर्कस्टेशन प्रदान करता है। आईएफएससीए ने डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संगठन के भीतर प्रलेख साझा करने में आसानी के लिए एक आंतरिक मेल सर्वर चालू किया है। आईएफएससीए मुख्यालय में हाई-स्पीड वाई-फाई कनेक्टिविटी है, और मीटिंग रूम निर्बाध संचार के लिए विश्व स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों से सुसज्जित है।

सोशल मीडिया

आईएफएससीए ने अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। समय पर पोस्टिंग और उचित टैगिंग में किए गए प्रयासों से आईएफएससीए के सोशल मीडिया फुटप्रिंट में वृद्धि हुई है और आईएफएससीए से सूचना प्रसार की कवरेज और समयबद्धता में सुधार हुआ है। दुनिया के अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र नियामकों की संगति में डिजिटल क्षेत्र में भारत का स्थान कायम करने के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया का लाभ उठाया जा रहा है।

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा सलाहकार समिति

भारत के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन 12 मई, 2023 को गिफ्ट आईएफएससी में हुआ। इसका मुख्य परिणाम यह रहा कि गिफ्ट आईएफएससी के लिए एक दूरदर्शी साइबर सुरक्षा विज्ञान दस्तावेज़ के निर्माण पर जोर देना था।

उसी दिशा में एक कदम के रूप में, आईएफएससीए ने 17 अगस्त, 2023 को सीईआरटी-आइएनके महानिदेशक डॉ. संजय बहल की अध्यक्षता में एक साइबर सुरक्षा सलाहकार समिति (सीएसएसी) का गठन किया है। समिति के विचाराधीन विषयों में गिफ्ट आईएफएससी के लिए साइबर सुरक्षा विज्ञान दस्तावेज़ तैयार करना और गिफ्ट आईएफएससी के लिए साइबर सुरक्षा पहलों की देखरेख और मार्गदर्शन करना शामिल है। समिति आईएफएससीए को वैश्विक सर्वोत्तम

प्रथाओं के अनुरूप विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर प्रबलता संबंधी आवश्यकताओं को विकसित करने और बनाए रखने के बारे में सलाह देगी। इसके अतिरिक्त, समिति साइबर सुरक्षा ऑडिट प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिश करेगी, सुरक्षा संचालन केंद्रों (एसओसी) के अधिदेश और कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी और एक साइबर लैब/साइबर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का मार्गदर्शन करेगी। यह वर्तमान साइबर सुरक्षा ढांचे में अंतराल की पहचान करने के लिए प्रमुख वैश्विक साइबर हमले की घटनाओं का भी अध्ययन करेगी और संबंधित बाहरी एजेन्सियों यथा सीईआरटी-आईएन, एनएससीएन, डीओटी, एमईआईटीवाइ, और अन्य अग्रणी अकादमीय संस्थानों के साथ निरंतर संवाद करेगी ताकि गिफ्ट आईएफएससीए की साइबर सुरक्षा और प्रबलता को और भी सुदृढ़ किया जा सके।

सी3आई हब, आईआईटी कानपुर के साथ आईएफएससीए का एमओयू

आईएफएससीए ने साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए 15 मार्च, 2024 को आईआईटी कानपुर में आईएचयूबी एनटीआईएचसी फाउन्डेशन सी3आई हब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईएफएससीए और सी3आई हब का उद्देश्य साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलेपन के क्षेत्रों में सहयोग और पारस्परिक सहायता को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खतरा अन्वेषण प्रणाली, साइबर सुरक्षा ऑडिट और आकलन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल और साइबर सुरक्षा से संबंधित अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

सी3आई हब साइबर सुरक्षा के डोमेन में काम करता है, बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन करता है, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उपकरण विकसित करता है और सेवाएँ प्रदान करता है। इस कंपनी का गठन मिशन एनएम आईसीपीएस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत साइबर सुरक्षा में प्रौद्योगिकी नवाचार हब ("टीआईएच") को होस्ट करने के लिए किया गया है।



नीति / नियामक गतिविधियां

बीएटीएफ पर परामर्श पेपर

आईएफएससीए ने 26 मार्च, 2024 को जनता से सुझाव और टिप्पणियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से आईएफएससीए (बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन सेवाएँ) विनियमावली, 2024 के मसौदे पर परामर्श पत्र जारी किया। मसौदा विनियमों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों से बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन सेवाओं (बीएटीएफ) के पंजीकरण और संचालन से संबंधित नियामक व्यवस्था तैयार करना है। यह परामर्श-पत्र भारत सरकार की 18 जनवरी, 2024 की अधिसूचना के अनुसरण में जारी किया गया था, जिसमें आईएफएससीए अधिनियम 2019 की धारा 3 के तहत बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन सेवाओं को 'वित्तीय सेवाओं' के रूप में अधिसूचित किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी एमओयू

फाइनांशियल सर्विसेज कमीशन, मॉरीशस के साथ आईएफएससीए द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर

आईएफएससीए और वित्तीय सेवा आयोग, मॉरीशस (एफएससी मॉरीशस) दोनों नियामकों के बीच संस्थागत सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए औपचारिक रूप से 13 मार्च 2024 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) का विनियम किया। एमओयू विनियम समारोह मॉरीशस में मॉरीशस गणराज्य के माननीय प्रधान मंत्री माननीय श्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया गया था।

अंतर-नियामक सहयोग समझौता ज्ञापन का उद्देश्य संबंधित अधिकार क्षेत्रों में वित्तीय बाजारों के विकास, विनियमन और पर्यवेक्षण में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत व्यक्तियों की योग्यता और औचित्य सुनिश्चित करना और व्यावसायिक आचरण में उच्च मानकों और ईमानदारी को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य संबंधित क्षेत्राधिकारों के भीतर वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना भी है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ आईएफएससीए द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर

आईएफएससीए ने 25 नवंबर, 2023 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसका आदान-प्रदान किया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससीए को "वैश्विक वित्तीय और लेखांकन केंद्र" के रूप में बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए दोनों प्राधिकरणों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को गहन बनाना है।

समझौता ज्ञापन आईएफएससीए और आईसीएआई के ओवरसीज चैप्टर्स के बीच सहभागिता को भी बढ़ाएगा, जिससे नियामक परिदृश्य पर सूचना का बेहतर प्रसार हो सकेगा और गिफ्ट आईएफएससीए से वित्तीय सेवाओं के लिए निर्यात के अवसर उपलब्ध होंगे।



चित्र 26 : आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी के बीच आईएफएससीए समझौता ज्ञापन की विनिमय

इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के साथ आईएफएससीए द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर

आईएफएससीए ने 10 दिसंबर, 2023 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में आयोजित आईएफएससीए के वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम “इन्फिनिटी फोरम 2.0” के दौरान दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) काउंसिल (आईसीएसआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसका आदान-प्रदान किया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससीए को “वैश्विक अनुपालन सेवा निर्यात केंद्र” के रूप में विकसित करने और आईएफएससीए में उन्नत कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं, अनुपालन ऑडिट के विकास की सुविधा प्रदान करने और कानूनी, अनुपालन और सचिवालय संबंधी सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (आईएआई) के साथ आईएफएससीए द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर

आईएफएससीए ने 09 दिसंबर, 2023 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में आयोजित आईएफएससीए के प्रमुख कार्यक्रम “इन्फिनिटी फोरम 2.0” के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (आईएआई)के साथ एक समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी को “ग्लोबल एक्चुरियल हब” के रूप में बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए आईएफएससीए और आईएआई के बीच सहयोग को गहन करना और गिफ्ट आईएफएससी से एक्चुरियल सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय बाजारों के प्रचार और विकास के लिए अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करना भी चाहता है।

कार्यदल / समितियां

आईएफएससीए के समक्ष प्रस्तुत गिफ्ट आईएफएससी को ‘ग्लोबल फाइनेंस एन्ड एकाउंटिंग हब’ के रूप में विकसित करने के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार की 18 जनवरी, 2024 की अधिसूचना के अनुसार, जिसमें बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन सेवाओं को स्थाई अधिनियम, 2019 की धारा 3(1)(ई)(xiv) के तहत ‘वित्तीय सेवाओं’ के रूप में अधिसूचित किया गया है, आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी को “वैश्विक वित्त और लेखा केंद्र” के रूप में विकसित करने के लिए आईसीएआई के अध्यक्ष श्री रंजीत अग्रवाल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति में वित्तीय सेवा उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे। विशेषज्ञ समिति ने 26 मार्च, 2024 को आईएफएससीए को अपनी रिपोर्ट सौंपी।



चित्र 27 : अध्यक्ष, आईएफएससीए को बीएटीएफ पर विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

विशेषज्ञ समिति ने गिफ्ट आईएफएससी से बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक समेकित विनियामक व्यवस्था विकसित करने पर आईएफएससीए को सिफारिशें प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त, समिति ने गिफ्ट आईएफएससी को “वैश्विक वित्त और लेखा केंद्र” के रूप में बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सिफारिशें प्रदान की हैं, जिसमें कार्यबल के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।

आईएफएससीए को प्रस्तुत “अनिवासी व्यक्ति व्यवसाय और पंजीकरण सहजता का विकास” पर कार्यदल की रिपोर्ट

आईएफएससीए ने 06 अक्टूबर, 2023 को “अनिवासी व्यक्ति (एनआरआई) व्यवसाय के विकास और पंजीकरण में सहजता” पर एक कार्यदल का गठन किया। इस कार्यदल में पूंजी बाजार, आस्ति प्रबंधन, बैंकिंग, बीमा, कानून, फिनटेक आदि जैसे क्षेत्रों में डोमेन ज्ञान रखने वाले उद्योग विशेषज्ञ शामिल थे। कार्यदल ने 09 मई, 2024 को आईएफएससीए को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में एनआर और एनआरआई निवेश को आकर्षित करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी की पूरी क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है, विशेष रूप से वे जो अपने देश में या वहां से निवेश करना चाहते हैं।

कार्यदल ने गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से भारत में एनआरआईनिवेश के महत्व पर प्रकाश डाला और न्यूयॉर्क, लंदन, लक्ज़मबर्ग, दुबई और सिंगापुर सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के साथ गिफ्ट आईएफएससी का समेकित वैश्विक बेंचमार्किंग करने का कार्य किया। रिपोर्ट में एनआरआई के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की जांच की गई, जिसमें ग्राहक पहचान, प्रमाणीकरण और दस्तावेजों के निष्पादन जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।

रिपोर्ट का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी में एनआरआई व्यवसाय के विकास के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रदान करना है, जिसमें ऑनबोर्डिंग को आसान बनाने और गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

“भारतीय नवाचार की गिफ्ट आईएफएससी में ऑनशोरिंग” पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आईएफएससीए को प्रस्तुत किया जाना

आईएफएससीए द्वारा 14 अगस्त, 2024 को “भारतीय नवाचार की गिफ्ट आईएफएससी में ऑनशोरिंग” पर गठित विशेषज्ञ समिति ने श्री जी पद्मनाभन, पूर्व कार्यपालक निदेशक, आरबीआई की अध्यक्षता में आईएफएससीए के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति के सदस्यों में वेन्चर कैपिटल, स्टार्टअप, फिनटेक, कानून, कराधान और अन्य डोमेन का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ शामिल थे।

इस रिपोर्ट में भारतीय स्टार्ट-अप और भारतीय नवाचार को विदेशी क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई और भारतीय स्टार्टअप को गिफ्ट आईएफएससी में वापस लाने की सुविधा के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुनौतियों की भी पहचान की और गिफ्ट आईएफएससी को अंतरराष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सिफारिशें भी दीं। समिति ने विभिन्न उपायों/कार्रवाई बिंदुओं की पहचान की जिन्हें मंत्रालयों, नियामक प्राधिकरणों और अन्य सहित संबंधित हितधारकों द्वारा गिफ्ट आईएफएससी में भारतीय नवाचार को शामिल करने के लिए लागू किया जाना आवश्यक है।

समर्थन और आउटरीच

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम@2047 : गिफ्ट आईएफएससी अवसर

आईएफएससीए द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम@2047 : गिफ्ट आईएफएससी अवसर पर वार्षिक शिखर सम्मेलन का प्रथम संस्करण 23 फरवरी, 2024 को गिफ्टसिटी में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारमन ने भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सलाहकार श्री अमरदीप सिंह चौधरी, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्यमों (पीएसई) के प्रबंध निदेशकों और सीएमडी की उपस्थिति में किया। इस सम्मेलन में 50+ सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ लीडरों और बैंकों, बीमा कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंजों आदि सहित वित्तीय बाजारों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।



चित्र 28 : श्री प्रदीप रामकृष्णन, ईडी, आईएफएससीए पीएसई@2047 में प्रतिनिधियों के साथ

इस शिखर सम्मेलन के दौरान, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के एमडी और वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर संचालन, विदेशी मुद्रा में उधार लेने, होल्डिंग कंपनी संरचना आदि सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा व्यवसायों के लिए गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक संचालन स्थापित करने के अपने अनुभव साझा किए। वित्तीय क्षेत्र के नेताओं ने ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर संचालन, जलयान अधिग्रहण वित्तपोषण और लीजिंग, विमान लीजिंग, होल्डिंग कंपनी संरचनाएं, ऋण लिस्टिंग, बीमा व्यवसाय आदि सहित गिफ्ट आईएफएससी में सार्वजनिक उपक्रमों के लिए विभिन्न अवसरों पर चर्चा की और प्रस्तुतीकरण दिया।

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का आईएफएससीए में आगमन

माननीय केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 19 अगस्त, 2023 को गिफ्ट सिटी, गुजरात में भारत के सर्वप्रथम आईएफएससी में विकास की समीक्षा करने के लिए गिफ्ट सिटी में आईएफएससीए के मुख्यालय का दौरा किया। आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारमन ने माननीय वित्त मंत्री को आईएफएससीए द्वारा शुरू की गई विनियामक और विकास के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया, और गिफ्ट आईएफएससी में व्यवसाय करने की लागत को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों पर भी प्रकाश डाला। माननीय वित्त मंत्री को आईएफएससीए के लिए तत्काल और भविष्य की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई।



चित्र 29 : माननीय केन्द्रीय वित्त और कार्पोरेट कार्यमंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमन – आईएफएससीए के मुख्य कार्यालय में

लक्जमबर्ग की ग्रान्ड ड्यूची, बेल्जियम और फ्रान्स का दौरा

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और वित्तीय उद्योग के अभिकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए फरवरी 2024 में लक्जमबर्ग, बेल्जियम और फ्रान्स का दौरा किया। यात्रा के दौरान, आईएफएससीए के अधिकारियों ने एसोसिएशन ऑफ लक्जमबर्ग फंड इंडस्ट्री (एएलएफआई), लक्जमबर्ग प्राइवेट इक्विटी एंड वेन्चर कैपिटल एसोसिएशन (एलपीईए), लक्जमबर्ग हाउस ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, लक्जमबर्ग सेक्टर सुपरवाइजरी कमीशन (सीएसएसएफ), यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट अथॉरिटी, बेल्जियम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स यूनियन, आदि के साथ बातचीत की।



चित्र 30 : आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारमन के नेतृत्व में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने फ्रान्स के श्री जेरोम रेबुल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, एएमएफ से उनके मुख्यालय में भेंट।



चित्र 31 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – लक्जेमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

वायब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट 2024

वाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का 10 वां संस्करण 10-12 जनवरी के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने इस समिट का उद्घाटन किया और गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम (जीएफएलएफ) की अध्यक्षता की। इस फोरम में 10 जनवरी 2024 को वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। फोरम में, व्यापार जगत के नेताओं ने गिफ्ट आईएफएससी में नियामक व्यवस्था और कारोबारी माहौल की सराहना की गई और गिफ्ट सिटी में भारत के पहले आईएफएससी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए।

वाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट के अंतर्गत गुजरात सरकार ने गिफ्ट कंपनी लिमिटेड और आईएफएससी के सहयोग से 11 जनवरी को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में गिफ्टसिटी और आईएफएससी पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया, जिसका विषय था “गिफ्टसिटी – आधुनिक भारत की आकांक्षा”। माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने सेमिनार के पूर्ण सत्र में मुख्य भाषण दिया। पूर्ण सत्र में आईएफएससी के अध्यक्ष श्री के राजारमन ने गिफ्ट आईएफएससी में एक मजबूत वित्तीय बाजार परितंत्र विकसित करने के लिए आईएफएससी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न नियामक उपायों और विकास संबंधी प्रयासों पर प्रकाश डाला।



चित्र 32 : वायब्रेन्ट गुजरात 2024 में सम्पूर्ण सत्र “गिफ्टसिटी – एन एस्पायरेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया” (बाएं से दाहिने) श्री के. राजारमन, अध्यक्ष, आईएफएससीए; श्री कनुभाई देसाई, वित्त मंत्री, गुजरात सरकार, माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्री हसमुख आधिया, अध्यक्ष, गिफ्ट सिटी और श्री तपन रे, एमडी और सीईओ, गिफ्ट सिटी

जापान का दौरा

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए का एक प्रतिनिधिमंडल जापानी वित्तीय बाजार संस्थानों के साथ जुड़ने और वार्तालाप तथा आईएआईएस की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए नवंबर 2023 से जापान का दौरा किया। यात्रा के दौरान आईएफएससीए के अधिकारियों ने बैंकिंग, फंड, बीमा, विमान और जलयान पट्टेदारों आदि जैसे प्रमुख बाजार अभिकर्ताओं के साथ बातचीत की और जापान वित्तीय सेवा एजेंसी (जेएफएसए) के साथ भी चर्चा की।



चित्र 33 : आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारमन, इरडाई इश्योरेंस रोड शो में जापानी व्यवसायियों के साथ वार्ता में संबोधन करते हुए (भारतीय दूतावास, टोक्यो)



चित्र 34 : अध्यक्ष, आईएफएससीए के नेतृत्व में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल की श्री तोशियुकी, उप आयुक्त अंतरराष्ट्रीय कार्य, एफएसए, जापान के साथ भेंट

वायब्रेन्ट गुजरात इंटरनेशनल प्रतिनिधिमंडल के एक भाग के रूप में यूएसए का दौरा

आईएफएससीए के अधिकारियों ने वाइब्रेन्ट गुजरात इंटरनेशनल प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में अक्टूबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया, जिसमें गुजरात सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रतिनिधिमंडल के लीडर थे। यह यात्रा वाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के अग्रदूत के रूप में वित्तीय सेवा उद्योग सहित व्यापारिक समुदाय के साथ जुड़ने के लिए की गई थी। यात्रा के दौरान, गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी वित्तीय सेवा उद्योग और विश्वविद्यालयों के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए।



चित्र 35 : नस्डाक में ओपनिंग बेल के अवसर पर

आस्ट्रेलिया का दौरा

आईएफएससीए के कार्यकारी निदेशक डॉ. दीपेश शाह के नेतृत्व में आईएफएससीए का एक प्रतिनिधिमंडल गिफ्ट आईएफएससी में उभरते व्यावसायिक अवसरों पर ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ने और बातचीत करने के लिए अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। यात्रा के दौरान, सिडनी और मेलबर्न में कई गोलमेज वार्ताएं/सम्मेलन/सूचनात्मक सत्र आयोजित किए गए, जो फिनटेक, कैपिटल मार्केट्स, एसेट मैनेजमेंट और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों आदि जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में आयोजित किए गए। आईएफएससीए ने इंटरसेक्ट 23 (प्रमुख फिनटेक सम्मेलन) में भी भाग लिया और विभिन्न फिनटेक-संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत की।



चित्र 36 : गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों पर सम्मेलन

महत्त्वपूर्ण आउटरीच और सहबद्धता क्रियाकलाप

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय मिशनों, विदेशी मिशनों, उद्योग संघों, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के सहयोग से निम्नलिखित प्रमुख आउटरीच और सहभागिता गतिविधियाँ संचालित की गईं।

सारणी 29 : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान महत्त्वपूर्ण आउटरीच और सहबद्धता क्रियाकलाप

माह	क्रियाकलाप	संक्षिप्त विवरण
अप्रैल 2023	बीसीएस 27वां अंतरराष्ट्रीय टैक्स एवं वित्त सम्मेलन 2023	आईएफएससीए के अधिकारियों ने वित्तीय पेशेवरों के लिए गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए गांधीनगर में बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी द्वारा आयोजित 27वें अंतरराष्ट्रीय कर और वित्त सम्मेलन में भाग लिया।
	सिंगापुर में एचएसबीसी द्वारा "गिफ्ट सिटी: वैश्विक वित्त और आईटी के लिए भारत का मूलकेंद्र" विषय पर सम्मेलन	आईएफएससीए के अधिकारियों ने एचएसबीसी सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में विभिन्न अवसरों का प्रदर्शन किया गया। सम्मेलन के दौरान फंड, बैंकिंग और वित्त कंपनी, जीआईसी और फिनटेक में व्यावसायिक अवसरों को प्रतिभागियों के सामने प्रदर्शित किया गया।
	उच्च शिक्षा पर सनमएस4 वैश्विक शिखर सम्मेलन "भारत में परिसर विकास" नई दिल्ली में आयोजित	आईएफएससीए के अधिकारियों ने नई दिल्ली में सनमएस4 ग्रुप द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान गिफ्ट आईएफएससी विदेशी विश्वविद्यालय पहल पर समर्पित सत्र आयोजित किया गया।
	नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट्स (एसीएफसीएस) द्वारा आयोजित सम्मेलन	आईएफएससीए ने नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट्स (एसीएफसीएस) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसका विषय था 'वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालन उदीयमान प्रवृत्तियाँ और अवसर'।

माह	क्रियाकलाप	संक्षिप्त विवरण
मई 2023	टैक्सएन्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2023	आईएफएससीए ने टैक्स द्वारा आयोजित और इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस (ईएलपी) के सहयोग से आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। इस सत्र का विषय था “आईएफएससीए : भारत का प्रवेशद्वार” जिसमें गिफ्ट आईएफएससीए में उपलब्ध विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के प्रदर्शन आयोजित किये गए।
	क्रेडेक्स जीटीएक्स रोड-शो	अहमदाबाद में क्रेडेक्स द्वारा “भारत के पहले आईएफएससीए लाइसेंस प्राप्त वैश्विक व्यापार वित्तपोषण एक्सचेंज का अनुभव” विषय पर एक रोड शो आयोजित किया गया। आईएफएससीए के अधिकारियों ने अप्रत्याशित दुनिया में भारत के निर्यात क्षेत्र की प्रबलता : विनियमन, प्रौद्योगिकी और अवसरों का समरूपण विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया और बताया कि आईएफएससीए किस तरह विश्व को भारत के द्वार पर ला रहा है।
जून 2023	वेबिनार – ‘आईएफएससीए-भारत से विमान लीजिंग का भविष्य’	पीडब्ल्यूसी द्वारा ‘आईएफएससीए-भारत से विमान लीजिंग का भविष्य’ विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार के दौरान विमान लीजिंग परितंत्र के विकास पर चर्चा की गई और उस पर प्रकाश डाला गया। साथ ही विमान सिमुलेशन उपकरणों को पट्टे पर देने की अनुमति पर हाल के घटनाक्रमों को भी साझा किया गया।
	मॉर्गन स्टेनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम मुंबई में आयोजन	आईएफएससीए ने 7 जून, 2023 को मॉर्गन स्टेनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम में सहभागिता की और ‘गिफ्ट आईएफएससीए: अवसर और निवेशकों को क्या जानना चाहिए’ विषय पर आयोजित सत्र में अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में कॉर्पोरेट अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रधानों और वरिष्ठ निवेशकों ने भाग लिया।
	नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा गीफ्ट आईएफएससीए पर सेमिनार आयोजित किया गया	पीएचडी चैंबर्स द्वारा “गिफ्ट सिटी का महत्व: भारतीय स्टार्टअप्स के लिए विदेशी फंड आकर्षित करना और भारतीय व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन” विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आईएफएससीए ने इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और गिफ्ट आईएफएससीए में विदेशी फंड के लिए व्यावसायिक अवसरों का उल्लेख किया।

माह	क्रियाकलाप	संक्षिप्त विवरण
जून 2023	ईस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा आईसीएआई के विदेशी चैप्टर के लिए गिफ्ट आईएफएससी अवसरों पर वेबिनार का आयोजन किया गया।	आईएफएससी के अधिकारियों ने आईसीएआई के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय द्वारा आईसीएआई ओवरसीज चैप्टर के लिए आयोजित वेबिनार सत्र में भाग लिया, जिसका विषय था- “गिफ्ट सिटी में भारत के सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से उत्पन्न हुए अवसर”। वेबिनार में आईसीएआई के ओवरसीज चैप्टर के 150 से अधिक व्यवसायी शामिल हुए।
	वेन्चर कैपिटल फर्मों के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित गोलमेज वार्ता	आईएफएससी के अधिकारियों ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारतीय फंड प्रबंधकों, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित गोलमेज वार्ता में भाग लिया।
	Inc42 भारत: एन्जेल और वीसी कॉन्क्लेव	आईएफएससी ने भारत में एंजल और वीसी फंड्स के लिए Inc42 द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। आईएफएससी के अधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में फंड उद्योग के अवसरों के बारे में दर्शकों को जागरूक करने के लिए ‘द गिफ्ट सिटी एडवान्टेज : ए न्यू फ्रंटियर फॉर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स’ शीर्षक वाले सत्र में मुख्य संभाषण दिया।
	गिफ्ट आईएफएससी में फॉरेन यूनिवर्सिटी पहल पर इन्वेस्ट इंडिया द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया	आईएफएससी के अधिकारियों ने आईएफएससी अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर और अपतटीय शिक्षा केंद्र, विनियम 2022 के बारे में जानकारी प्रसारित करने और आईएफएससी में शाखा परिसर स्थापित करने के विभिन्न लाभों पर प्रकाश डालने के लिए इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया।
	“डिस्कवरी दि फ्यूचर : एक्सपीडिशन टू गिफ्ट सिटी” पर सेमिनार	आईएफएससी के अधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक दिवसीय फिनटेक सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार के दौरान आईएफएससी के अधिकारियों ने फिनटेक क्षेत्र में अवसरों को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में फिनटेक संस्थापकों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
	गिफ्ट आईएफएससी में आंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर के अवसरों पर एफसीडीओ, यूके द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया	एफसीडीओ और यूके डिप्टी हाई कमीशन ऑफिस ने गिफ्ट आईएफएससी के अवसरों को बताने और इस पर प्रस्तुति हेतु यूके के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के दौरान, आईएफएससी के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर और अपतटीय शिक्षा केंद्र विनियम 2022 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

माह	क्रियाकलाप	संक्षिप्त विवरण
सितम्बर 2023	ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, 2023	आईएफएससीए के अध्यक्ष ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में भाग लिया था। सम्मेलन में, अध्यक्ष ने "नवाचार और जिम्मेदार वैश्विक सहयोग के माध्यम से फिनटेक परिदृश्य के रूपांतरण" विषय पर मुख्य भाषण दिया।
	दुबई हेज फंड सम्मेलन	आईएफएससीए के अधिकारियों ने वेल्थ टुडे द्वारा आयोजित दुबई हेज फंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएफएससीए के अधिकारियों ने दुबई हेज फंड मैनेजर्स को गिफ्ट आईएफएससी में उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया।
	बहरीन के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का आगमन	आईएफएससीए के अधिकारियों ने जीआईएफटी-आईएफएससी में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए बहरीन के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।
	एएमसीएचएएम-भारत द्वारा आयोजित रेग्युलेटरी डेवलपमेन्ट सेमिनार	आईएफएससीए के अधिकारियों ने अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (एएमसीएचएएम) द्वारा आयोजित नवीनतम विनियामक गतिविधियों पर सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार के दौरान, आईएफएससीए के अधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में नवीनतम विकास और विनियामक व्यवस्था पर प्रकाश डाला।
	'गिफ्ट आईएफएससी – ए गेटवे टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट' पर वेबिनार	आईएफएससीए के अधिकारियों ने एनएसई द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया, जिसका विषय था-गिफ्ट आईएफएससी-ए गेटवे टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। वेबिनार के दौरान आईएफएससीए के अधिकारियों ने गिफ्ट-आईएफएससी में पूंजी बाजार संस्थाओं के लिए विभिन्न विनियामक सक्षमताओं पर प्रकाश डाला।
	भारत में कराधान प्रणाली के बारे में ईवाई द्वारा आयोजित कार्यशाला	आईएफएससीए के अधिकारियों ने भारत में कराधान प्रणाली पर अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। आईएफएससीए के अधिकारियों ने आईएफएससी संस्थाओं को प्रदान किए जा रहे टैक्स संबंधी विभिन्न प्रोत्साहनों के बारे में हितधारकों को जागरूक किया।
	'गिफ्ट आईएफएससी से विमान लीजिंग के अवसर' पर मुंबई में गोलमेज बैठक	आईएफएससी ने मुंबई में एनआईआईएफ कार्यालय में विमान पट्टेदारों, एयरलाइनों, वित्तीय संस्थानों और संबंधित बाजार सहभागियों के साथ एक गोलमेज बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान, गिफ्ट आईएफएससी में विमान लीजिंग कारोबार को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रगतिशील नीति और कर सुधारों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

माह	क्रियाकलाप	संक्षिप्त विवरण
	‘गिफ्ट आईएफएससी में निधियों का परितंत्र’ पर मुंबई में गोलमेज वार्ता	आईएफएससीए ने मुंबई में एनआईआईएफ कार्यालय में अग्रणी फंड मैनेजर्स के साथ एक गोलमेज बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान, आईएफएससीए के अधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग के लिए विनियामक और टैक्स परिदृश्य प्रस्तुत किया।
	ग्लोबल एड्युकेशन कॉन्क्लेव 2.0 पर वेबिनार	आईएफएससीए के अधिकारियों ने गिफ्ट-आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर पर चर्चा करने के लिए वन स्टेप ग्लोबल द्वारा आयोजित ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव 2.0 में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
नवम्बर 2023	आयोजन : दि नेटवर्क फोरम-एशिया	आईएफएससीए के अधिकारियों ने 6, 7 नवंबर को मुंबई में आयोजित नेटवर्क फोरम-एशिया में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आईएफएससीए के अधिकारियों ने “गिफ्ट आईएफएससी में भारतीय नवाचारों को शामिल करने” पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान गिफ्ट आईएफएससी में स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों पर भी प्रस्तुति दी गई और चर्चा की गई।
	ऑस्ट्रेलियाई स्व-प्रबंधित सुपर फंड के साथ बैठक	आईएफएससीए के अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलियाई स्व-प्रबंधित सुपर फंड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान, आईएफएससीए के अधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में आस्ति प्रबंधन उद्योग के लिए विनियामक और टैक्स परिदृश्य प्रस्तुत किया।
	एपीएलएमए इंडिया लोन मार्केट सम्मेलन	आईएफएससीए के अधिकारियों ने एपीएलएमए द्वारा इंडिया लोन मार्केट पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान आईएफएससीए के अधिकारियों ने गिफ्ट सिटी में भारत के पहले आईएफएससी में उपलब्ध विभिन्न व्यावसायिक अवसरों को प्रस्तुत किया।
दिसम्बर 2023	विदेशी एक्सचेन्जों में भारतीय कम्पनियों की लिस्टिंग के बारे में वेबिनार	आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया। वेबिनार के दौरान, आईएफएससीए के अधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए उपलब्ध व्यवसाय और नियामक परिदृश्य प्रस्तुत किया।
	विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद	आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया सम्मेलन में भाग लिया। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने विमान लीजिंग और वित्तपोषण पर पैनल चर्चा में भी भाग लिया।

माह	क्रियाकलाप	संक्षिप्त विवरण
	ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन (जीओपीआईओ) के साथ बैठक	आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में विनियामक और व्यावसायिक अवसरों को प्रस्तुत करने के लिए ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन (जीओपीआईओ) के साथ बैठक की।
	पीएचडी चैंबर्स ऑफ कामर्स का गिफ्ट आईएफएससी आयोजन	अध्यक्ष, आईएफएससीए ने नई दिल्ली में भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए गिफ्ट आईएफएससी अवसरों पर पीएचडी चैंबर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अभिभाषण दिया।
	‘गिफ्ट सिटी – ग्लोबल रीजनल ट्रेजरी सेन्टर (आरटीसी)’ पर कार्यशाला	आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में ट्रेजरी केंद्रों पर व्यावसायिक अवसरों पर प्रस्तुति देने के लिए गिफ्ट सिटी – ग्लोबल / रीजनल ट्रेजरी सेंटर (आरटीसी) के बारे में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
	गिफ्ट आईएफएससी में आयरिश विश्वविद्यालयों के लिए आईबीसी अवसरों पर चर्चा हेतु वेबिनार	आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने आयरिश विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ वेबिनार में भाग लिया और गिफ्ट आईएफएससी में आयरिश संस्थानों के लिए आईबीसी अवसरों पर प्रकाश डाला।
	आईओएससीओ एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी)	आईएफएससीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26-28 फरवरी, 2024 को हांगकांग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) और ईयू-एशिया प्रशांत नियामक फोरम में भाग लिया।
मार्च 2024	“भारतीय अर्थव्यवस्था में नागरिक विमानन क्षेत्र की क्षमता” पर कार्यशाला	आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में विमान वित्तपोषण और लीजिंग के परितंत्र पर प्रस्तुति देने के लिए “भारतीय अर्थव्यवस्था में नागरिक विमानन क्षेत्र की क्षमता” पर कार्यशाला में भाग लिया।
	ताइवान बैंकर्स एसोसिएशन के साथ बैठक	आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग क्षेत्र के अवसरों पर चर्चा करने के लिए ताइवान बैंकर्स एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस (वीसी) बैठक की। बैठक के दौरान आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में उपलब्ध बैंकिंग क्षेत्रों के व्यवसाय और नियामक परिदृश्य को प्रस्तुत किया।
	पीएचडीसीसीआई आयोजन : जहां वित्त और प्रौद्योगिकी का मेल	आईएफएससीए के अधिकारियों ने गिफ्ट सिटी में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में उपलब्ध विकास और नियामक व्यवस्था को प्रस्तुत किया।



INDIA INK

Hiranandani SIGNATURE

खंड - घ

प्राधिकरण के अर्ध-विधायी कार्य

आईएफएससीए को भारत में आईएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है। यह प्राधिकरण आईएफएस केन्द्रों में ऐसे सभी कार्यकारी, अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक कार्य कर सकता है, जैसा कि भारत में घरेलू वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, पीएफआरडीए और इरडाई द्वारा किए जा रहे हैं। आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 12 आईएफएससीए को आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने का अधिकार देती है। यह केंद्र सरकार को कुछ वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की सिफारिश भी कर सकता है, जिनके लिए आईएफएससी में अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 13 के तहत, आईएफएससीए उपरोक्त चार घरेलू नियामकों द्वारा अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत निर्दिष्ट कुछ अधिनियमों के संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यदि इनका संबंध आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों से है।

इस प्राधिकरण ने अर्ध विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई क्षेत्रों के बारे में विनियमों को अधिसूचित किया है। बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा के मूल क्रियाकलापों के अलावा प्रशासनिक और विविध विषयों पर भी विनियम तैयार किए गए हैं। इस प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित विभिन्न उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के प्रयोजनों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित विनियमों, प्रमुख अधिसूचनाओं, दिशानिदेशों और परिपत्रों को जारी किया गया :

सारणी 30 : विनियमों की सूची

क्रमांक	विनियमन	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
1	आईएफएससीए (पुनर्बीमा) विनियमावली, 2023 आईएफएससीए /2022-23/ जीएन/आरईजी36	11/04/2023	इस विनियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओ) द्वारा पुनर्बीमा के आगम और निर्गामी व्यवस्था के नियंत्रण और निगरानी की व्यापक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी आईआईओ द्वारा माने गए जोखिम के एक अंश को किसी दूसरे आईआईओ या पुनर्बीमाकर्ता को अंतरित कर दिया जाता है।
2	आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियमावली, 2023 आईएफएससीए/ 2022-23/जीएन/ आरईजी034	11/04/2023	इन संशोधनों के माध्यम से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं को प्राप्त करने वाले किसी ग्राहक (केवल परामर्श सेवाएं लेने वालों के अलावा अन्य) की निधियों का रखरखाव इस प्रकार से किया जाए : (क) किसी बैंकिंग इकाई में एफएमई के किसी खास बैंक खाते में; (ख) किसी बैंकिंग इकाई में, भारत में या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी बैंक, में ग्राहक के किसी खास बैंक खाते में; या (ग) इस प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार से।
3	आईएफएससीए (जीवन बीमा के लिए आस्तियां, देयताएं, सोल्वेंसी मार्जिन और बीमांकक की रिपोर्ट का सारांश) विनियमावली, 2023 आईएफएससीए/2022-23/ जीएन/आरईजी039	19/04/2023	प्राधिकरण ने ये विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करने के लिए किए हैं कि प्राधिकरण में पंजीकृत आईआईओ द्वारा बीमा कारोबार के संचालन के लिए पूंजी और सोल्वेंसी मार्जिन के रखरखाव के लिए विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ये चाहे आईएफएससी में निगमित रूप में हों या अनिगमित रूप में।
4	आईएफएससीए (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं, सोल्वेंसी मार्जिन) विनियमावली, 2023 आईएफएससीए/2022-23/ जीएन/आरईजी038	19/04/2023	
5	आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बाजार आचरण) विनियमावली, 2023 आईएफएससीए/2022-23/ जीएन/आरईजी035	26/04/2023	आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) या आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आईआईआईओ) द्वारा किए जाने वाले बीमा कारोबार के प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बाजार आचरण से संबंधित विनियामक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्राधिकरण

क्रमांक	विनियमन	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
			<p>ने अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए समेकित विनियम जारी किए हैं। विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए विनियामक व्यवस्था का प्रावधान है -</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) पूंजी संबद्ध विषय और प्रबंधन नियंत्रण; (2) वार्षिकी और अन्य लाभों हेतु न्यूनतम सीमाएं; (3) समर्पण और चुकता मूल्यों का अधिग्रहण; (4) आईआईओ के प्रबंधन पर व्यय; (5) बीमा मध्यस्थों को कमीशन या पारिश्रमिक या रिवाइड का भुगतान; (6) पोलिसीधारकों के हितों का संरक्षण; और (7) बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण।
6	आईएफएससीए (बैंकिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2023 आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी041	06/07/2023	इन विनियमों ने अन्य बातों के साथ-साथ आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियमावली, 2020 की कुछ परिभाषाओं में संशोधन किया। 'आईएफएससीए बैंकिंग कम्पनी' की परिभाषा को शामिल किया गया ताकि मूल बैंक की सहायक कंपनी की बैंकिंग यूनिट को शामिल किया जा सके इसके अलावा प्रथम अनुसूची के तहत 11 विदेशी मुद्राओं को शामिल किया गया जिनमें अन्य के साथ-साथ अमरीकी डोलर (यूएसडी), यूरो (ईयूआर), जापानी येन(जेपीवाई), यूके पाउन्ड स्टर्लिंग (जीबीपी), केनेडियन डोलर (सीएडी), आदि।
7	आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियमावली, 2023 आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी040	10/07/2023	आईएफएससीए (पूंजी बाजार के मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के तहत कतिपय नई परिभाषाओं को समाहित किया गया है। इस समावेशन में अन्य के साथ-साथ 'पूंजी बाजार के मध्यस्थ', 'वितरक' और 'पंजीकृत वितरक' की परिभाषा को शामिल किया गया है।
8	आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियमावली, 2023 आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी042	25/10/2023	आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, 2022 के प्रावधानों में मामूली से बदलाव किए गए हैं।
9	आईएफएससीए (भुगतान सेवाएं) विनियमावली, 2024 आईएफएससीए/जीएन/2024/001	29/01/2024	अन्य के साथ-साथ, इन विनियमों में आईएफएससीए से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है: क) खाता निर्गमन सेवा (ई-मनी खाता निर्गमन सेवा सहित);

क्रमांक	विनियमन	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
			<p>ख) ई-मनी निर्गमन सेवा; ग) एस्करो सेवा; घ) सीमापर धन अंतरण सेवा; और ड) मर्चेन्ट अधिग्रहण।</p> <p>आईएफएससीए से उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देकर, विनियमों में आईएफएससीए में वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने के साथ-साथ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, जिससे व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं के बीच धन के अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं।</p> <p>ये विनियम वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों की पेशकश करने की इच्छुक भारतीय फिनटेक संस्थाओं को आईएफएससीए को अपने आधार के रूप में विकसित करने की अनुमति देंगे, ताकि वे विश्व के क्षेत्राधिकारों में अपने प्रस्तावों का विस्तार कर सकें।</p>

सारणी 31 : प्रमुख अधिसूचनाओं की सूची

क्रमांक	अधिसूचना	प्रकाशन की तारीख	अधिसूचना का प्रयोजन
1	आईएफएससीए में वित्तीय उत्पाद के रूप में 'विमानन प्रशिक्षण सिमुलेशन डिवाइस' को लीज पर देने की अनुमति आईएफएससीए/2022-23/जीएन/037	11/04/2023	'विमानन प्रशिक्षण सिमुलेशन डिवाइस' के संबंध में परिचालन और वित्तीय लीज के मिश्रित रूप सहित परिचालन लीज को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3(1) (डी) के तहत वित्तीय उत्पाद अधिसूचित किया।
	आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत वित्तीय सेवा के रूप में बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय क्राइम संबंधी अनुपालना की अधिसूचना एस.ओ. 291(ई)	18/01/2024	आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3(1)(ई) के तहत निम्नलिखित सेवाओं को वित्तीय सेवा के रूप में अधिसूचित किया, अर्थात् – i) बुककीपिंग सेवाएं; ii) लेखांकन सेवाएं; iii) कराधान सेवाएं; और iv) वित्तीय क्राइम संबंधी अनुपालन सेवाएं।
2	विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियमावली, 2024 एस.ओ. 332(ई)	24/01/2024	यह अधिसूचना विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में कुछ संशोधन करने के लिए जारी की गई थी। ये संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ कुछ परिभाषाओं के तहत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियमों के अंतर्गत नई अनुसूची समाहित की गई, जो अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज स्कीम पर भारत में निगमित कंपनियों के इक्विटी शेयरों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग से संबंधित है।

क्रमांक	अधिसूचना	प्रकाशन की तारीख	अधिसूचना का प्रयोजन
3	कंपनी (अनुमेय क्षेत्राधिकारों में इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग) नियमावली, 2024 जी.एस.आर. 61(ई)	24/01/2024	<p>यह अधिसूचना कोरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यह नियमावली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) सहित अनुमेय विदेशी क्षेत्राधिकारों में अनुमति प्राप्त स्टोक एक्सचेंजों में लिस्टिंग के लिए प्रतिभूतियों के निर्गम चाहने वाली गैरसूचीबद्ध और सूचीबद्ध कंपनियों पर भी लागू होगी।</p> <p>इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज और एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेंज को अनुमति प्राप्त प्लेटफार्म के रूप में निर्दिष्ट किया गया। इसके अलावा इस एमसीए में कतिपय ऐसे प्रतिष्ठानों को भी अभिनिर्धारित किया गया है जो इन विनियमों के अधीन पात्र नहीं हैं, जिनमें निधि कंपनियां और गारंटी द्वारा सीमित कम्पनियां शामिल हैं।</p>
4	एसईजेड अधिनियम के तहत प्रशासक (आईएफएससी) को विकास आयुक्त की शक्तियां प्रदान करना एस.ओ. 940(ई)	28/02/2024	<p>विनियामक व्यवस्था को एकीकृत करने के एक उपाय के रूप में और गिफ्ट आईएफएससी में अपने कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली इकाइयों को कारोबारी सहजता देने के लिए भारत सरकार ने आईएफएससी अधिनियम, 2019 की धारा 31 के तहत जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28.02.2024 के द्वारा एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत विकास आयुक्त शक्तियों को आईएफएससी इकाइयों के संदर्भ में आईएफएससी द्वारा 'प्रशासक' (आईएफएससी) के रूप में नामित अधिकारी को प्रदान की गई।</p> <p>इस कार्रवाई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आईएफएससी और गिफ्ट एसईजेड के विकास आयुक्त के कार्यालयों में जाने के स्थान पर प्रतिष्ठानों को सभी अपेक्षित अनुमोदन लेने केवल आईएफएससी में ही आना होगा, यह अनुमोदन चाहे एसईजेड अधिनियम के तहत हो या फिर आईएफएससी अधिनियम के तहत।</p>

सारणी 32 : प्रमुख परिपत्रों / दिशानिदेशों की सूची

क्रमांक	परिपत्र / दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
1	'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को अनुषंगी सेवाएं देने की सक्षमता व्यवस्था' (अनुषंगी व्यवस्था) से संबंधित संशोधक 206/आईएफएससीए/एएनसी. एयूएक्स/2020-21	06/04/2023	अनुषंगी व्यवस्था के अधीन व्यावसायिक सेवाओं के शीर्षक में निम्नलिखित अनुषंगी सेवाओं को शामिल करने के लिए संशोधक जारी किया गया — (i) बैंकिंग कारोबार के संबंध में आईएफएससीए या भारत से बाहर के प्रतिष्ठानों के लिए वाइस ब्रोकिंग सेवाएं; (ii) "शिप लीजिंग हेतु आईएफएससीए व्यवस्था" के अधीन अनुमत क्रियाकलापों हेतु शिप ब्रोकिंग।
2	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में विमान लीजिंग क्रियाकलाप करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यालय स्थल या मानवशक्ति या दोनों का उपभोग 535/आईएफएससीए/ एफसी/ एएलएफ/2023-24/02	18/04/2023	एसईजेड नियमावली में नियम 21बी समाविष्ट करके किए गए संशोधन से आईएफएससीए में विमान लीजिंग संबंधी कार्य करने वाली वित्तीय कम्पनियों (एफसी) या वित्त इकाइयों (एफयू) को अलग कार्यालय का रखरखाव करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई, विकल्प के रूप में उन्हें अनुमति दी गई कि वे आईएफएससीए से अनुमोदन लेने के बाद आईएफएससीए में विमान लीजिंग का कार्य करने वाली किसी एफसी या एफये के कार्यालय स्थल या मानवशक्ति या दोनों का उपभोग कर सकती हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए दिशानिदेश जारी किए गए जिनमें आईएफएससीए में विमान लीजिंग कार्य करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यालय स्थल या मानवशक्ति या दोनों के उपभोग हेतु शर्तों और अन्य अपेक्षाओं को निर्दिष्ट किया गया।
3	डायरेक्ट बाजार अभिगम (डीएमए) सुविधा आईएफएससीए/सीएमडी-डीएमआईआईटी/ईएक्ससीएचटीआरडी/2023-24/001	21/06/2023	यह डीएमए सुविधा ब्रोकर-डीलरों को अनुमति देती है कि वे ग्राहकों को स्टोक एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम में सीधे ही अभिगम करने की सुविधा अपने ब्रोकर-डीलर ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदान करें, जिसमें ब्रोकर डीलर द्वारा किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ ब्रोकर-डीलर के दायित्वों और संभावित ग्राहकों के लिए विवेकपूर्ण सावधानी, प्रायोजित अभिगम की सुविधा (एसए), डीएमए/एसए का उप-प्रत्यायोजन, आदि को भी निर्दिष्ट किया गया।
4	स्टाक एक्सचेंजों द्वारा प्रदत्त सह-लोकेशन सुविधा आईएफएससीए/सीएमडी-डीएमआईआईटी/ईएक्ससीएचटी आरडी /2023-24/ 002	23/06/2023	इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ स्टोक एक्सचेंजों के स्वामित्व और प्रबंधन में आने वाले डाटा सेन्ट्रों, और अन्य सुविधाओं के संबंध में उचित और समसमान सह-लोकेशन सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

क्रमांक	परिपत्र / दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
5	दि आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक: विवेकपूर्ण निदेश – वी 4.0 (पीआरयू)	10/07/2023	<p>इन पीआरयू मोड्यूलों के अधीन इन निदेशों का प्रयोजन है कतिपय न्यूनतम गैर-मात्रात्मक विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की संस्थापना की जाए जो आईएफएससी में स्थापित आईबीयू के लिए अनुमेय हों, ये अपेक्षाएं संबंधित गृह विनियमावली के अधीन बैंकिंग कंपनी की शाखा के रूप में उन पर लागू अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी। इन पीआरयू मोड्यूलों में विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के गुणात्मक पक्षों को समाहित किया गया है जो अभिशासन, नियंत्रक बोर्ड के दायित्वों, नीतियों, प्रणालियों, और आईबीयू के लिए अनुमेय किए जाने वाले नियंत्रणों को शामिल किया गया है।</p> <p>इस वी 4.0 (पीआरयू) ने अन्य बातों के साथ-साथ दबाव परीक्षण और दबाव परीक्षण संचालित करने के लिए दिशानिदेशों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को संशोधित किया है।</p>
6	दि आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक : सामान्य निदेशों का संचालन – वी 4.0 (जेन)	10/07/2023	<p>आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक ('हैन्डबुक') में किसी बैंकिंग कंपनी (इसे आईएफएससीए बैंकिंग विनियमावली में 'मूल बैंक' कहा गया है) की शाखा के रूप में संचालित बैंकिंग इकाइयों (बीयू) के लिए निदेश देने के प्राधिकार दिए गए हैं।</p> <p>इस मोड्यूल में आईबीयू की लाइसेंसिंग का उल्लेख है, इन प्रकार्यों को कर सकने वाले 'अनुमोदित/प्राधिकृत व्यक्तियों' से अपेक्षाओं और 'नियंत्रित' तथा 'निर्धारित' प्रकार्यों को परिभाषित किया गया है। इन सामान्य निदेशों में प्राक्किकरण की पर्यवेक्षा शक्तियों, प्रकार्यों और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देते हुए बैंकिंग व्यवसाय के व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है।</p> <p>इस सामान्य निदेश वी-4.0 ने अन्य बातों के साथ-साथ अभिशासन, आउटसोर्सिंग के सिद्धांतों से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया है।</p>
7	दि आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक : व्यावसाय निदेशों का संचालन (सीओबी) वी 5.0	10/07/2023	<p>इन सीओबी निदेशों का लक्ष्य यह सुश्चित करना है कि आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां (आईबीयू) अपेक्षित आचरण के न्यूनतम मानकों को पूरा करें, विशेषकर अपने ग्राहकों से व्यवहार, प्रतिपक्षकारों और बाजार के अन्य सहभागियों के साथ कामकाज के संबंध में।</p> <p>सीओबी 5.0 परिभाषा और अनुमत क्रियाकलापों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को संशोधित करता है।</p>

क्रमांक	परिपत्र / दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
8	आईएफएससीए द्वारा शोध अध्ययनों हेतु निधि प्रदान करने की व्यवस्था 1068/आईएफएससीए/ईपीए/ रिसर्च/ 2023-24	04/12/2023	आईएफएससीए को नीतिनिर्माण और गिफ्ट आईएफएससी में लागू की गई नीतियों के प्रभाव के मूल्यांकन के प्रयोजन से शोध अध्ययन करने के लिए आईएफएससीए ने 'शोध अध्ययन हेतु आईएफएससीए द्वारा निधि प्रदान करने के लिए व्यवस्था' विषयक परिपत्र जारी किया, ताकि सुदृढ़ विश्लेषक और अनुभवसिद्ध निरूपणों की सहायता से प्रभावी शोध किए जाएं।
9	गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस (आईबीसी) और अपतटीय शैक्षणिक केन्द्रों (ओईसी) को अनुमति कि वे अकादमीय सेवा अवसंरचना सेवा प्रदाताओं (एआईएसपी) की सेवा ले सकें। एफएससीए-बीडेव/एफयू/ 1/2023-बीडी	14/12/2023	गिफ्ट आईएफएससी में उच्चकोटि की कैम्पस अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने में सहजता के प्रयोजन से यह परिपत्र जारी किया गया, इसमें किसी एआईएसपी से अवसंरचना और अन्य समर्थक सेवाएं लेने के लिए आईबीसी और/या ओईसी हेतु शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है। यद्यपि एआईएसपी का नियंत्रण एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, तथापि इन सेवाओं को पाने के लिए आईबीसी/ओईसी इस परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेंगे। उपरोल्लिखित परिपत्रों के तहत दी गई अनुमति केवल एआईएसपी और आईबीसी/ओईसी के बीच संबंधों को ही नियंत्रित करेगा और कैम्पस अवसंरचना सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं का समर्थन लेने वाले आईबीसी/ओबीसी पर लागू नहीं होते हैं।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

विवाद समाधान हेतु गिफ्ट आईएफएससी की एक केन्द्र की रूप में स्थापना और संबर्द्धन

केन्द्रीय बजट 2022-23 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थन केन्द्र (आईएसी) स्थापित करने की घोषणा की गई, ताकि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का निपटारा किया जा सके।

गिफ्ट आईएफएससी में आईएसी की स्थापना और परिचालन के प्रयोजन से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थन और वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक प्रबल टीम होना पूर्वापेक्षा है। तदनुसार आईएफएससी ने 25 मई 2023 को 'गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थन केन्द्र (आईएसी) हेतु संस्थागत मध्यस्थी नियमावली प्रारूपण विशेषज्ञ समिति और इससे संबंधित मामलों' का (आईएसी समिति) गठन किया।

इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को अपने विचारार्थ विषयों में शामिल किया :

- i अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और वाणिज्य विवादों के लिए वैकल्पिक समाधान हेतु गिफ्ट आईएफएससी को एक केन्द्र बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने और मार्गदर्शन करने के बारे में सुझाव देना
- ii निम्नलिखित के संबंध में प्रस्तावित विवाद समाधान केन्द्र के लिए विनियमों और क्रियापद्धतियों सहित विनियामक डिजाइन, विधिक व्यवस्था का सुझाव देना —
 - क. प्रस्तावित गिफ्ट-आईएसी के विधिक और प्रशासनिक संरचना हेतु संस्थागत व्यवस्था और गवर्निंग निकाय की भूमिका और दायित्वा।
 - ख. मध्यस्थता, बीचबचाव, और बीचबचाव—मध्यस्थता, मध्यस्थता—बीचबचाव—मध्यस्थता, तठस्थ मूल्यांकन, आदि जैसे अन्य वैकल्पिक विवाद समाधानों की मिश्रित व्यवस्था के लिए संस्थागत नियमावली।
 - ग. ऑनलाइन विवाद समाधान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं और प्रधान स्थापित विवाद समाधान केन्द्रों में विद्यमान प्रौद्योगिकी-संबद्ध सेवाओं में तृतीय पक्ष द्वारा निधीयन के लिए संस्थागत व्यवस्था।

परिकल्पित कार्यक्रम

विशेषज्ञ समिति से अपेक्षित था कि मई/जून 2024 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आईएफएससी का यह पूरा प्रयास रहेगा कि अपेक्षित विधिक अनुमतियां लेते हुए और इसमें अन्य नीतिगत परिवर्तनों को को करते हुए इस समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन करे और फिर इसे आर्थिक कार्य विभाग के समक्ष रखा जाए। गिफ्ट आईएफएससी को लोकप्रिय बनाने और गिफ्ट आईएफएससी का संबर्द्धन अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थन और बीचबचाव की एक सीट के रूप में करने के प्रयोजन से निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है—

- (i) विवाद समाधान के लिए एक सीट के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के अद्वितीय लाभों को बताने के लिए एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया जाए;

- (ii) एजेन्सियों, प्रमुख वैश्विक मध्यस्थन और बीचबचाव केन्द्रों और प्रैक्टिशनर्स के साथ समन्वयन; और
- (iii) अपतटीय विवादों को और प्रैक्टिशनर्स को तटवर्ती बनाने के प्रयाजन से आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन करना।

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत संशोधन

भारत में आईएफएससीए हेतु ओवरआर्किंग व्यवस्था तैयार करने के प्रयोजन से और आईएफएससीए अधिनियम, 2019 में भविष्यदर्शी परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग ने 23 मई 2023 को एक समिति का गठन किया ताकि आईएफएससीए अधिनियम, 2019 में संशोधनों का प्रारूपण किया जा सके इसे ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए ने आईएफएससीए अधिनियम और अन्य संगत अधिनियमों का परीक्षण किया और अन्य बातों के साथ-साथ आईएफएससीए, अनुषंगी सेवाओं, वैरिबल कैपिटल कम्पनियों, और नव अधिसूचित वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं, आदि के लिए प्रवर्तन शक्तियों के संबंध में विवाद समाधान व्यवस्था में संशोधनों का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित संशोधनों के विषय में आईएफएससीए अनुगमन कर रहा है।

आईएफएससीए (अनौपचारिक दिशानिदेश) स्कीम, 2024 का सूत्रपात

यह देखते हुए कि निवेशकों के हितों की रक्षा करने, बाजार की एकनिष्ठा को सुनिश्चित करने और वित्तीय सुस्थिरता को बनाए रखने को लक्ष्य बनाने के लिए विविध कानूनों, विनियमनों और दिशानिदेशों की विशेषता वाले विनियमित परिवेश के भीतर ही कोई वित्तीय क्षेत्र परिचालन करता है। इस संबंध में आईएफएससीए परिकल्पना कर रहा है कि विवेचनात्मक पत्रों, कोई कार्रवाई नहीं पत्रों, और स्पष्टता, दिशानिदेश लाने के लिए वित्तीय संस्थानों को अनौपचारिक दिशानिदेश जारी किए जाएं। ये विनियामक लिखतें वित्तीय उद्योग के भीतर विनियामक अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं, विवेचनात्मक अस्पष्टता का समाधान करते हैं और अनुपालन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आईएफएससीए विनियमों की समीक्षा

आईएफएससीए (विनियमों को बनाने की पद्धति) विनियमावली, 2022 के विनियम 7 के अनुसार यह प्राधिकरण (आईएफएससीए) कथित विनियम के तहत निर्दिष्ट घटक को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक तीन वर्ष में प्रत्येक विनियम की समीक्षा करेगा। तदनुसार जो संबंधित विनियम तीन वर्ष पूरे कर चुके हैं उनकी सम्यक परीक्षा की जा रही है। कुछ नए क्षेत्रों के संबंध में आईएफएससीए ने विगत में परिपत्र/दशानिदेश/अधिसूचना आदि की रूप में विनियामक व्यवस्था जारी की है। इसे देखते हुए आईएफएससीए ऐसे परिपत्रों का मूल्यांकन करते हुए पर्याप्त अनुभव हासिल करने के बाद इन्हें विनियम में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है।



BRIGADE BFC

NSE

BFC

BFC

खंड - ड

निष्पादन मूल्यांकन

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 17(3) आईएफएससीए के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए तंत्र प्रदान करती है। आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 28(2)(डी) आईएफएससीए को निष्पादन समीक्षा समिति के संबंध में नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। तदनुसार, निष्पादन समीक्षा समिति (“पीआरसी”) के कामकाज से संबंधित संविधान, दायरे, सूचना साझाकरण और रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा का प्रावधान करते हुए आईएफएससीए (निष्पादन समीक्षा समिति) विनियम, 2022 (“पीआरसी विनियम”), 23 मार्च 2022 को अधिसूचित किए गए थे।

प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा के लिए निम्नलिखित तीन समितियाँ गठित की गईं:

अनुपालन समिति

समिति का दायरा यह समीक्षा करना है कि क्या प्राधिकरण ने अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग या कार्य करते समय लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन किया है।

समिति के सदस्य

- (i) श्री बहराम वकील, स्वतंत्र विशेषज्ञ (समिति के अध्यक्ष)
- (ii) आरबीआई से सदस्य (श्री सौरव सिन्हा, ईडी)
- (iii) सेबी से सदस्य (श्री प्रमोद राव, ईडी)
- (iv) श्री जे रंगनायकुलु, स्वतंत्र विशेषज्ञ

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- (i) वित्त वर्ष 2022-23 में अधिसूचित नियमों को जारी करते समय आईएफएससीए व्यापक रूप से आईएफएससीए अधिनियम, 2019 और आईएफएससीए (विनियम बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन करता है। आईएफएससीए ने सामान्य तौर पर नियम बनाने के लिए परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया है।
- (ii) वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्किंग: यद्यपि आईएफएससीए ने वित्त वर्ष 2022-23 में अधिसूचित कुछ नियमों के संबंध में परामर्श पत्र और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का संदर्भ दिया है, फिर भी जहां भी आवश्यक हो, आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित सभी नियमों के संबंध में इस दृष्टिकोण का पालन किया जा सकता है। वैश्विक मानकों और अन्य न्याय क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्किंग एक बेहतर नीति निर्माण में योगदान देगी, जिसका उद्देश्य कई उद्देश्यों को पूरा करना है जैसे कि व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना, प्रणालीगत जोखिम का प्रबंधन और मजबूत नियामक व्यवस्था। इस संबंध में, समिति यह भी सुझाव देती है कि जहां भी वांछनीय हो, नीति निर्माण के प्रारंभिक चरण में अवधारणा पत्र भी जारी किए जा सकते हैं।

पारदर्शिता और शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं संबंधी समिति

समिति का दायरा यह समीक्षा करना है कि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम पारदर्शिता और शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं या नहीं।

समिति के सदस्य

- (i) डॉ. एम. एस. साहू, स्वतंत्र विशेषज्ञ (समिति के अध्यक्ष)
- (ii) वित्तीय सेवा विभाग से सदस्य (श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव)

- (iii) पीएफआरडीए के सदस्य (श्री अनंत गोपाल दास, ईडी)
- (iv) श्री एम वी नायर, स्वतंत्र विशेषज्ञ

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- (i) लगभग तीन साल पहले अपनी यात्रा शुरू करते हुए, आईएफएससीए ने गिफ्ट-आईएफएससी के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएफएससीए ने अपने परिचालन की शुरुआत से बहुत कम समय में शासन की कतिपय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। नियम बनाने और बोर्ड बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करने वाले नियम इन प्रथाओं के सराहनीय उदाहरण हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण ने अपने निष्पादन की समीक्षा शुरू कर दी है, जो भारतीय नियामक परिदृश्य में दुर्लभ है। समिति इन प्रथाओं पर ध्यान देती है और उन्हें इतने प्रारंभिक चरण में संगठनात्मक डीएनए में शामिल करने के लिए आईएफएससीए की सराहना करती है। समिति द्वारा दिए गए सुझावों का कार्यान्वयन प्राधिकरण को एक मॉडल नियामक की राह पर ले जा सकता है।
- (ii) विनियामक स्पष्टता और पूर्वानुमेयता व्यवसाय करने में आसानी की कुंजी है। एक व्यावसायिक इकाई बहुधा व्यवसाय करना चाहती है, न कि कानूनी अस्पष्टता का शिकार होना चाहती है। कानून का अनुपालन करने की अपनी ईमानदारी में, लेनदेन को निष्पादित करने से पहले उसे स्पष्टता और सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। विनियम किसी हितधारक को संदेह की स्थिति में प्राधिकरण से स्पष्टीकरण, व्याख्या, या 'कोई कार्रवाई नहीं पत्र' मांगने में सक्षम बना सकते हैं। प्राधिकरण एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकता है जो कानून के प्रावधानों के साथ-साथ प्रस्तावित लेनदेन के मामले में 'कोई कार्रवाई पत्र नहीं' पर अनौपचारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

समिति का दायरा यह समीक्षा करना है कि क्या प्राधिकरण उचित तरीके से अपने कामकाज के जोखिमों का प्रबंधन कर रहा है।

समिति के सदस्य

- (i) आईआरडीएआई से सदस्य (श्री पी.के. अरोड़ा, पूर्णकालिक सदस्य) (समिति के अध्यक्ष)
- (ii) आर्थिक मामलों के विभाग से सदस्य (सुश्री सुरभि जैन, संयुक्त सचिव)
- (iii) श्री श्रीराम बालासुब्रमण्यम, स्वतंत्र विशेषज्ञ
- (iv) श्री जी श्रीनिवासन, स्वतंत्र विशेषज्ञ

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- (i) प्रारंभिक अवधि में, एक व्यापक समीक्षा करने के बजाय, एक नियामक के रूप में कामकाज के लिए आईएफएससीए में एक उचित जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- (ii) अपने नियामक ढांचे को बढ़ाकर, आईएफएससीए उभरते जोखिमों और बाजार के विकास को अनुकूलित कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकता है। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को लागू करने से आईएफएससीए नियामक संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने, पर्यवेक्षी प्रयासों को प्राथमिकता देने और संभावित जोखिमों से आगे रह सकता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में निवेश आईएफएससीए को परिचालन दक्षता, डेटा प्रबंधन और साइबर खतरों से सुरक्षा में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

कार्रवाई रिपोर्ट के साथ समितियों की सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं।



खंड - च

धन के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र (वित्तीय वर्ष 2023-24)

सारणी 33 : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निधि के स्रोत

निधि के स्रोत	राशि (₹ लाख)
वार्षिक शुल्क	2,499.46
आवेदन शुल्क	254.40
ब्रोकर टर्नओवर शुल्क: पूंजी बाजार	1,232.24
बीमा कार्यालयोंसे टर्नओवर आधारित शुल्क	20.06
सूचीबद्धता शुल्क	2.49
पंजीकरण शुल्क	2,192.96
अन्य शुल्क (प्रोसेसिंग शुल्क आदि)	64.77
सरकारी अनुदान	6,463.54
ब्याज आय	695.33
विविध सेवाओं से शुल्क	1.16
अन्य आय	54.31
कुल	13,480.72

सारणी 34: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी अनुदान का विवरण

सहायता अनुदान	राशि (₹ लाख)
वेतन के लिए सहायता अनुदान	3,663.54
सामान्य के लिए सहायता अनुदान	1,300.00
पूंजी सृजन हेतु सहायता अनुदान	1,500.00
कुल	6,463.54

सारणी 35: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र

व्यय के प्रमुख क्षेत्रराशि	राशि (₹ लाख)
स्थापना व्यय	3,782.15
प्रशासनिक व्यय	1,974.58
अचल संपत्तियों की खरीद (मुख्यालय भूमि/भवन के लिए किए गए भुगतान सहित)	3,919.06
सी-डैक के लिए सुरक्षा जमा	1.00
कुल	9,676.79

खंड - छ

संगठनात्मक मामले

प्राधिकरण की संरचना

सारणी 36 : 31 मार्च 2024 की स्थितिके अनुसार प्राधिकरण की संरचना

विभाग	प्रभाग
बैंकिंग पर्यवेक्षण	बैंकिंग पर्यवेक्षण
	वित्त कम्पनी पर्यवेक्षण
बैंकिंग	वित्त कम्पनी विनियमन
	भुगतान और समाधान
	बैंकिंग विनियमन
पूंजी बाजार	कारपोरेट वित्त- इक्विटी, हाइब्रिड और संबद्ध उत्पाद
	कारपोरेट वित्त- ऋण और सतत वित्त
	बाजार अवसंरचना संस्थान- विनियमन और पर्यवेक्षण
	निवेश निधि – I और नए उत्पाद और सेवाएं
	निवेश निधि – II
	मध्यस्थों का पर्यवेक्षण
बीमा और पेंशन	बीमा
	पेंशन
धातु और पण्य	बाजार विकास
	बाजार विनियमन
विकास	वित्तीय बाजारों का विकास
	विदेशी विश्वविद्यालय
	आर्थिक नीति और विश्लेषण
	अंतरराष्ट्रीय मामले
	आउटरीच और संचार
	व्यवसाय सुगमता कक्ष

विभाग	प्रभाग
सामान्य प्रशासन	प्रशासन और मानव संसाधन
	ट्रेजरी वित्त और लेखे
	राजभाषा
	परियोजना प्रबंधन इकाई (अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन)
प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी
	फिनटेक
नीति और विधिक मामले	विधिक नीति
	विधिक मामले
	निवेशक शिक्षा और संरक्षण
	विशेष आर्थिक जोन (सेज़)
नियामक नीति और नियामक मामले	नियामक सहयोग
	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण कक्ष
	सुपटेक
	एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी
	ग्लोबल-इन-हाउस सेंटर और सहायक सेवाएँ
	साइबर सुरक्षा

प्राधिकारी बैठकें

सारणी 37: वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित आईएफएससीए प्राधिकरण की बैठकें

क्र.सं.	बैठक	तारीख
1	15वीं प्राधिकरण बैठक	जून 26, 2023
2	16वीं प्राधिकरण बैठक	सितंबर 27, 2023
3	17वीं प्राधिकरण बैठक	दिसंबर 29, 2023
4	18वीं प्राधिकरण बैठक	मार्च 27, 2024

मानव संसाधन

सारणी 38 : कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या

पद	31.03.2024 को स्वीकृत पद	31.03.2024 को वास्तविक सं.
कार्यकारी निदेशक	6	3
मुख्य महाप्रबंधक	12	5
महाप्रबंधक	16	15
उप महाप्रबंधक	20	6
सहायक महाप्रबंधक	27	6
प्रबंधक	35	15
सहायक प्रबंधक	47	33
कार्यकारी सहायक/वरिष्ठ कार्यकारी सहायक/कार्यकारी अधीक्षक	27	0
मल्टी-टार्किंग स्टाफ ग्रेड ए/ ग्रेड बी/ग्रेड सी*	13	3
कुल	203	86

*आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा किया जा रहा है।

एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र नियामक प्राधिकरण होने के नाते, आईएफएससीए को पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, बुलियन, फंड प्रबंधन, फिनटेक आदि के क्षेत्र में युवा व्यावसायिकों/ सलाहकारों/वरिष्ठों की विशेषज्ञता और कौशल की आवश्यकता होती है। अनुबंध के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा सलाहकारों को नियुक्त किया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है :

सारणी 39 : 31 मार्च 2023 तक आईएफएससीए के सलाहकार

क्र.सं	पद	संख्या	अभ्युक्ति
1	वरिष्ठ सलाहकार	3	पूर्णकालिक आधार
2	सलाहकार ग्रेड1/ग्रेड2	9	पूर्णकालिक आधार
3	युवा व्यावसायिक	12	पूर्णकालिक आधार
4	सलाहकार	1	अंशकालिक आधार

सूचना का अधिकार**सारणी 40 : वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आरटीआई आवेदनों की स्थिति**

प्राप्त अनुरोध	की जाने वाली प्रारंभिक कार्रवाई	उत्तर दिए गए आरटीआई अनुरोधों की कुल संख्या				लंबित अनुरोध
		सूचना प्रदान की गई	अस्वीकृत	अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को भेजा गया	आवेदक को लौटाया गया	
232	0	219	2	1	0	10

आईएफएससीए का मुख्यालय भवन परियोजना

आईएफएससीए का मुख्यालय भवन (“आईएफएससीए टावर”) 26 मंजिलों में फैले 3,00,000 वर्ग फुट से अधिक के निर्मित क्षेत्र में सर्वोत्तम श्रेणी की आधुनिक सुविधाओं और शानदार मनोरम दृश्य के साथ बनाने की योजना है। गिफ्ट सिटी की स्मार्ट सिटी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, आईएफएससीए टावर को अत्यधिक कुशल और टिकाऊ संरचना के साथ प्लैटिनम रेटेड हरित इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है। माना जा रहा है कि यह इमारत अपनी वास्तुकला में जितनी भव्य है, उतनी ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की असीमित संभावनाएं भी पैदा करेगी।

31 मार्च, 2024 तक, चौदह मंजिलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इंटीरियर फिट-आउट पैकेज के लिए योजनाबद्ध फर्श लेआउट को अंतिम रूप दिया गया है। फिनिशिंग और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और फायर प्रोटेक्शन (एमईपीएफ) का काम भी एक साथ शुरू हो गया है, और इमारत के मार्च 2025 तक पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है। एक बार पूरा होने के बाद, आईएफएससीए टावर गिफ्ट सिटी में एक स्मारकीय इमारत के रूप में उभरेगा और एक नए और आत्मनिर्भर भारत के सपने और आकांक्षाओं का प्रतीक होगा।

आईएफएससीए ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया – “स्वच्छता ही सेवा – 2023”

आईएफएससीए ने 29 सितंबर, 2023 को ‘स्वच्छता पखवाड़ा – स्वच्छता ही सेवा’ के हिस्से के रूप में एक वोकथोन का आयोजन किया। पखवाड़ा के हिस्से के रूप में, आईएफएससीए कर्मचारियों ने वोकथोन में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वच्छता, शुचिता और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, आईएफएससीए कर्मचारियों ने आईएफएससीए अध्यक्ष द्वारा प्रशासित स्वच्छता शपथ ली।



चित्र 37 : आईएफएससीए के अध्यक्ष से स्वच्छता शपथ लेते हुए आईएफएससीए कर्मचारी



चित्र 38 : 'स्वच्छता पखवाड़ा - स्वच्छता ही सेवा' के भाग के रूप में वोकथोन

15 सितंबर, 2023 से 02 अक्टूबर, 2023 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा - स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2023' के हिस्से के रूप में, आईएफएससीए कर्मचारियों ने अपनी दैनिक दिनचर्या में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बचने की प्रतिबद्धता जताई। आईएफएससीए ने पीडीपीयू ब्रिज गिफ्ट सिटी पर एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। अभियान एकत्रित कचरे को पुनर्चक्रण योग्य और गैर-पुनर्चक्रण योग्य श्रेणियों में अलग करने के साथ समाप्त हुआ।



चित्र 39 : आईएफएससीए कर्मचारियों द्वारा 'स्वच्छता पखवाड़ा- स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2023' के भाग के रूप में पीडीपीयू ब्रिज गिफ्ट सिटी में सफाई अभियान

ईएफएससीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मनाया गया

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), जो 2015 से 21 जून को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी शुरुआत के बाद, आईएफएससीए (मुख्यालय) में 21 जून, 2023 को कोमन योग प्रोटोकॉल को अपनाने के साथ मनाया गया, जो देश में योग विशेषज्ञों द्वारा डिज़ाइन किए गए योग अभ्यासों का १ घंटे का कार्यक्रम है।

आईडीवाई 2023 का विषय था “योग जीवन जीने का एक तरीका है”। योग भारत में प्राचीन मूल के साथ एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, आईएफएससीए के कर्मचारियों ने कोमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

30 अक्टूबर, 2023 से 05 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में, आईएफएससीए अधिकारियों ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सतर्कता शपथ ली। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 02 नवंबर, 2023 को “भ्रष्टाचार रोकने के लिए शासन में सर्वोत्तम प्रथाएं” और “भ्रष्टाचार एक कैंसर है” विषयों पर आईएफएससीए में एक जोशपूर्ण बहस और चर्चा हुई, जिसमें आईएफएससीए के कर्मचारियों ने की सक्रियता से भाग लिया।



चित्र 40 : सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में सतर्कता शपथ लेते आईएफएससीए अधिकारी

आईएफएससीए द्वारा दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन

माननीय प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण पर कि “आईएफएससीए न केवल एक सक्षमकर्ता बनेगा बल्कि नवोन्मेष का समर्थन भी करेगा और विकास के अवसरों के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा” विचार-विमर्श करने और उसे प्राप्त करने के लिए 12-13 मार्च, 2024 को दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया।

आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारमन ने केवड़िया, गुजरात में आयोजित ‘चिंतन शिविर’ का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य एक नियामक के रूप में आईएफएससीए की भूमिका के लिए रणनीतिक अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देना और भविष्य की रूपरेखा तैयार करना था। इस कार्यक्रम में आईएफएससीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही, जो संगठन के भविष्य की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

पहले दिन, केवड़िया में एसओयू और अन्य अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का दौरा आयोजित किया गया। दूसरे दिन, चिंतन शिविर में छह गतिशील सत्र हुए, जिनमें से प्रत्येक में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के भविष्य और आईएफएससीए की रणनीतिक स्थिति को आकार देने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

पहले सत्र का विषय था ‘वित्त का भविष्य/वेब 3.0/एआई/क्वांटम कंप्यूटिंग’, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता और डिजिटल युग में वित्तीय सेवाओं के लिए उनके निहितार्थों पर गहन चर्चा की गई। विनियामक दृष्टिकोण से वित्तीय अवसंरचना और सेवाओं को नया आकार देने में एआई, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के एकीकरण पर चर्चा की गई।

दूसरे सत्र में, ‘आईएफएससीए एक वैश्विक जलवायु वित्त केंद्र के रूप में’, प्रतिभागियों ने आईएफएससीए के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के साथ तालमेल बिठाते हुए, स्थायी वित्त पहलों का नेतृत्व करने के लिए रास्ते तलाशे गए। सत्र के दौरान हरित निवेश को बढ़ावा देने और जलवायु-लचीले वित्तीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के बारे में चर्चा की गई।

तीसरे सत्र में 'संगठन में संस्कृति निर्माण' पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें नवोन्मेष, सहयोग और नैतिक आचरण के अनुकूल एक सुसंगत संगठनात्मक संस्कृति को पोषित करने के महत्व पर जोर दिया गया। प्रगतिशील कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और प्रतिभा को विकसित करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

चौथा सत्र 'आईएफएससीए के लिए वैश्विक ब्रांड का निर्माण' पर आधारित था, जिसमें प्रतिभागियों ने एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में आईएफएससीए की वैश्विक दृश्यता और विश्वसनीयता बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की। विश्व मंच पर आईएफएससीए की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रभावी ब्रांडिंग, विपणन पहल और रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया।

पाँचवाँ सत्र, 'विश्व के सर्वोत्तम क्षेत्राधिकारों के लिए नियामक नवोन्मेष बेंचमार्किंग', नियामक सक्रियता, दक्षता और निवेशक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के समक्ष आईएफएससीए के नियामक ढांचे की बेंचमार्किंग पर केंद्रित था। आईएफएससीए के चल रहे नियामक नवोन्मेष प्रयासों को सूचित करने के लिए वैश्विक नियामक ढांचे से अंतर्दृष्टि प्राप्त की गई।

अंत में, छठे सत्र, 'विकासशील भारत @ 2047 के लिए आईएफएससीए' में भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में आईएफएससीए की भूमिका की कल्पना की गई, जो 2047 तक समृद्ध और प्रगतिशील भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक समावेशिता, नवोन्मेष और सतत विकास को बढ़ावा देने में आईएफएससीए की ताकत का लाभ उठाने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। चिंतन शिविर ने सशक्त विचार-विमर्श, सहयोग को बढ़ावा देने और आईएफएससीए के एकीकृत नियामक के रूप में निरंतर विकास के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।





चित्र 41 : चिंतन शिविर 2024 के भाग के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा



चित्र 42 : चिंतन शिविर 2024 के तहत शहर का भ्रमण

आईएफएससीए ने 75 वां गणतंत्र दिवस मनाया

आईएफएससीए ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारत का 75 वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। आईएफएससीए के कर्मचारी इस अवसर को महत्ता देते हुए एकत्र हुए और गणतंत्र बनने के बाद से भारत की 75 वर्षों की यात्रा पर विचार किया। समारोह में ध्वजारोहण समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण शामिल थे। इस कार्यक्रम में गणतंत्र बनने के बाद से देश की यात्रा और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही भारत की प्रगति को निर्देशित करने वाले मूल्यों और सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया।



चित्र 43 : 75वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण समारोह

आईएफएससीए ने 77 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने गिफ्ट आईएफएससीए, गांधीनगर में भारत का 77 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। उत्सव की शुरुआत ध्वजारोहण समारोह के साथ हुई, जिसके बाद अध्यक्ष, आईएफएससीए का प्रेरक भाषण हुआ, जिसमें भारत की आर्थिक संवृद्धि और भविष्य की आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा और उसके बाद की प्रगति को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम से प्रतिभागियों के बीच गर्व और देशभक्ति की गहरी भावना को बढ़ावा मिला।




चित्र 44 : 77 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण

आंतरिक शिकायत समिति: पोश अधिनियम

कार्यस्थल पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) की धारा 4 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 27 जुलाई, 2021 को एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया था। आईसीसी के सदस्यों में आंतरिक सदस्यों के साथ एक बाहरी सदस्य और पीठासीन अधिकारी के रूप में वरिष्ठतम महिला अधिकारी को शामिल किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईसीसी को कोई शिकायत नहीं मिली है। वर्ष के दौरान आईसीसी की चार, प्रत्येक तिमाही में एक, बैठकें हुईं। पोश अधिनियम और किसी भी शिकायत के समाधान के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में आईएफएससीए कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नए कर्मचारियों के लिए पोश अधिनियम पर बाहरी सदस्य द्वारा एक सत्र भी आयोजित कराया गया।







ANNUAL REPORT

2023-24



This report is in conformity with the form prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022 notified on February 28, 2022, in the Gazette of India.





K.Rajaraman
Chairperson




सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

आईएफएससीए-ईसीपीए/4/2023- इकनोमिक पालिसी एंड एनालिसिस
जून 28, 2024

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अद्योपित कर रहा हूँ।

भवदीय,

(के. राजरामन)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

IFSCA-EcPA/4/2023-Economic Policy and Analysis
June 28, 2024

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2024, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Enclosure: As above

Yours faithfully,



(K. Rajaraman)

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800



SECTION-A



STATEMENT OF GOALS & OBJECTIVES

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) was set up by the Government of India on April 27, 2020, as a unified financial regulator under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019. It is headquartered at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), Gandhinagar in Gujarat. The main objective of IFSCA (hereinafter referred to as “the Authority”) is to develop and regulate financial services in the International Financial Services Centres (IFSCs) established in India, with a mandate to create a world-class financial ecosystem with ease of doing business and best-in-class regulatory system with a view to making IFSCs a preferred global destination for international financial services. IFSCA is a unified financial regulator, having power to regulate banking, capital market, insurance, and pension funds, with powers of RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA being assigned to IFSCA for regulation of IFSCs. IFSCA adopts a holistic vision towards the development and regulation of financial products, financial services, and financial institutions in IFSCs in India. The GIFT IFSC is the maiden International Financial Services Centre in India.

Vision


To provide world-class regulatory environment and develop IFSCs with primary focus on accelerating India's economic development, besides serving as a regional and global financial hub.

Mission

To develop IFSCs into well-diversified and globally competitive financial hubs for international banking, insurance, and capital market activities through a pro-business environment, duly supported by a progressive regulatory architecture, state-of-the-art technology and infrastructure, and talented financial professionals, which serve both the Indian economy and the region as a whole.

Goals & Objectives

- (i) To facilitate the development of a strong base of international financial services in India
- (ii) To promote IFSCs as a dominant gateway for international capital flows into and out of India
- (iii) To emerge as a regional and global hub for international financial services
- (iv) To provide a state-of-the-art unified regulatory framework, with robust regulation and supervisory technology aligned with international best practices
- (v) To develop a strong global, connect with leading international financial jurisdictions



CHAIRPERSON'S MESSAGE

I am delighted to present this report, reflecting on the remarkable journey and progress of the International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

Since its inception in 2020, IFSCA has diligently worked towards establishing a robust regulatory framework aligned with global standards and practices within the GIFT IFSC. This endeavour has been bolstered by the unwavering support extended by the Government of India, which has provided a competitive tax regime and spearheaded key policy reforms, fostering an environment conducive to financial innovation and growth.

Noting the progress made by GIFT IFSC, Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi in his address during Infinity Forum 2.0 outlined his vision as follows *"India being a ray of hope for the world, a result of its strengthening economy and transformative reforms of past decade. We want to make GIFT city the Global Nerve Centre of New Age financial services."* Guided by this vision, IFSCA has been at the forefront of innovation by constantly benchmarking its regulations with the best jurisdictions.

GIFT IFSC was commended in the presentation of the interim Budget for 2024-25. In her address, Hon'ble Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman stated that, *"GIFT IFSC and the unified regulatory authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy"*. This acknowledgment highlights the critical role played by the IFSCA and the GIFT IFSC in bolstering the economy and fostering an environment conducive to attracting global capital and financial services.

IFSCA is committed to fostering a vibrant and competitive ecosystem within the GIFT IFSC. Following the announcement by Hon'ble Finance Minister in 2023, IFSCA is poised to release the final norms for direct listing at GIFT IFSC by early July, a testament to our dedication to facilitating seamless access to international capital markets.

Our focus is towards leveraging GIFT IFSC's competitive regulatory foundation to attract global financial sector firms to serve India and the region. Indian-owned businesses that have historically operated from overseas jurisdictions are now setting up businesses in GIFT IFSC. Registration of prominent ship lessors and the successful leasing of bulk carriers through GIFT City signals a promising trajectory for India's maritime industry.


Our ongoing efforts in fostering international collaboration in the global financial landscape include signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between IFSCA and the Financial Services Commission, Mauritius (FSC Mauritius) and the Multi-lateral Memorandum of Understanding (MMoU) with International Association of Insurance Supervisors (IAIS), of which IFSCA is a member. These MoUs enable IFSCA to connect the GIFT IFSC ecosystem with other financial centres.

As we continue to expand our horizons, we remain committed to nurturing and attracting global and domestic talent pool to GIFT IFSC. New Regulations relating to export of business accounting, compliance services, and auditing services from IFSC are in line with our commitment to positioning GIFT IFSC as a global hub for financial services.

I am also proud to announce that IFSCA has granted registration to 7 International Banking Units (IBUs), 59 Fund Management Entities (FMEs), 71 Alternate Investment Funds (AIFs), 6 IFSC Insurance Offices (IIOs), 6 IFSC Insurance Intermediary Offices (IIIOs) amongst key regulated entities licensed by IFSCA in 2023-24. This is proof of strong domestic and global participation in the GIFT IFSC's growth story.



Shri K Rajaraman
Chairperson, IFSCA



In alignment with Government of India's vision for Viksit Bharat@2047, we are dedicated to empowering Indian businesses to gain access to cost-effective and diverse forms of international capital and financial services. The forthcoming task of implementing a real-time payment settlement mechanism by the Q4 of 2024 is intended to boost the efficiency of the IFSC financial markets.

While we continue to innovate, IFSCA is also conscious of the need to maintain fairness, transparency and integrity in IFSC markets. Protecting investors is a very important task and IFSCA has commenced onsite and offsite supervision of regulated entities. IFSCA is constantly monitoring compliance with AML and CFT regulations and take all measures to safeguard GIFT IFSC's reputation as a safe and secure financial marketplace for investors.

As we reflect on our achievements and look towards the future, I am confident that with continued collaboration and support from all stakeholders, GIFT IFSC will emerge as a beacon of financial excellence, serving as a Global Platform for raising capital for ViksitBharat@2047 and cementing its position on the global financial map.

Thank you for your unwavering support and commitment to IFSCA's vision.

MEMBERS OF THE AUTHORITY (As on 31.03.2024)



Shri K Rajaraman
Chairperson, IFSCA



Shri Pankaj Sharma
Member



Ms. Surbhi Jain
Member



Shri Saurav Sinha
Member



Shri Pramod Rao
Member



Shri Ananta Gopal Das
Member



Shri Pramod Kumar Arora
Member





SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY (As on 31.03.2024)

Name	Designation
Sh. Praveen Trivedi	Executive Director
Sh. Dipesh Shah	Executive Director
Sh. Pradeep Ramakrishnan	Executive Director
Sh. Kumar Raghuraman	Chief General Manager
Sh. Supriyo Bhattacharjee	Chief General Manager
Sh. Ashutosh Sharma	Chief General Manager
Sh. Kamlesh Sharma	Chief General Manager
Sh. Joseph Joshy C J	Chief General Manager

TABLE OF CONTENTS

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
A	SECTION – A	V
	Statement of Goals & Objectives	VII
	Chairperson’s Message	IX
	Members of The Authority (as on 31.03.2024)	XI
	Senior Management of the Authority (as on 31.03.2024)	XII
	List of Tables	XIV
	List of Figures	XVI
	List of Boxes	XVII
	List of Images	XVII
	Abbreviations	XX
B	SECTION – B: The Year in Review: Overview of the General Economic Environment	1
	Global Economy Assessment and Outlook	2
	India: Economic Assessment and Prospects	6
C	SECTION – C: Review of Policies, Programmes and Activities of the Authority	13
	Banking	14
	Finance Companies	24
	Capital Markets	30
	Fund Management	46
	Metals and Commodities	52
	FinTech	60
	Insurance	72
	Global In-House Centres	80
	Sustainable Finance	82
	Ancillary Services	90
	Foreign Universities & Institutions	94
	Information Technology	98

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	Developmental Activities	102
D	SECTION - D: Quasi Legislative Functions of the Authority	119
E	SECTION - E: Performance Assessment	131
F	SECTION - F: Source of Funds and Major Areas of Expenditure (FY 2023-24)	135
G	SECTION - G: Organisational Matters	137

List of Tables

TABLE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
Table 1	No. of IBUs	18
Table 2	Total Assets in IBUs in USD Mn	18
Table 3	No. of Employees in all IBUs	18
Table 4	Derivative Outstanding (USD Mn)	20
Table 5	Registered Finance Companies as on March 31, 2024	25
Table 6	Aircraft Operating Lease (AOL) Entities	25
Table 7	Ship Leasing Entities	25
Table 8	ITFS Platforms	25
Table 9	Broker Dealers in IFSC (as on March 31, 2024)	35
Table 10	Clearing Members in IFSC (as on March 31, 2024)	35
Table 11	No. of Contracts and Turnover in Index Futures	37
Table 12	No. of Contracts and Premium Turnover in Index Options	38
Table 13	Commodities Derivatives Available for Trading on the IFSC Exchanges	38
Table 14	Turnover in Commodity Derivatives on India INX	38
Table 15	Currency Derivatives	38

TABLE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
Table 16	Turnover in Currency Derivatives	39
Table 17	Number of Registered FMEs	48
Table 18	Investment by Fund Management Schemes	49
Table 19	FMEs Providing PMS	49
Table 20	Spot Products Available on IIBX (Gold)	53
Table 21	Spot Products Available on IIBX (Silver)	53
Table 22	Registered Bullion Market Intermediaries at GIFT IFSC	55
Table 23	MoUs with FinTech Hubs and Educational Institutions During FY 2023-24	64
Table 24	Listing of Debt Securities at IFSC Exchanges (in USD Bn)	83
Table 25	Debt listing in FY 2023-24	84
Table 26	Overall Sustainable Financing by IBUs	85
Table 27	Sector-wise Classification of Sustainable Financing by IBUs	85
Table 28	Activity-wise Break Up of Ancillary Services Entities	91
Table 29	Key Outreach and Engagement Activities of IFSCA During FY 2023-24	112
Table 30	List of Regulations	121
Table 31	List of Major Notifications	123
Table 32	List of Major Circulars/guidelines	125
Table 33	Source of Funds for FY 2023-24	136
Table 34	Break Up of Government Grants for FY 2023-24	136
Table 35	Major Areas of Expenditure for FY 2023-24	136
Table 36	Authority Structure as on March 31, 2024	138
Table 37	IFSC Authority Meetings Held in FY 2023-24	139
Table 38	Sanctioned and Actual Strength of Employees	140
Table 39	Consultants at IFSCA as on March 31, 2024	141
Table 40	Status of RTI Applications During FY 2023-24	141

List of Figures

FIGURE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
Figure 1	Outstanding of Major Credit Products (USD Mn)	19
Figure 2	Turnover (Volume of Business) in USD Mn	19
Figure 3	Investment Profile in USD Mn	20
Figure 4	Major Country Exposure of IBUs	21
Figure 5	Number of Finance Companies in IFSC	26
Figure 6	Turnover of Stock Exchanges (USD Mn)	37
Figure 7	Turnover on Stock Exchanges in FY 2022-23 and FY 2023-24	39
Figure 8	Bullion Market Ecosystem in IFSC	54
Figure 9	Comparative Analysis of Applications in Permissible Areas Under FE Framework for FY 2022-23 and FY 2023-24	62
Figure 10	Five Major Emerging Areas of Application in the TechFin Category in FY 2023-24	62
Figure 11	FinTech Entities Granted Limited Use Authorization Under FE Framework for FY 2023-24	63
Figure 12	Classification of IIOs	74
Figure 13	Classification of IIIOs	75
Figure 14	Business Underwritten by IIOs (USD Mn)	75
Figure 15	Business Transacted by IIIOs (USD Mn)	76
Figure 16	Listing of ESG Debt Securities as of March 31, 2024	83
Figure 17	Listing of Debt Securities as of March 31, 2024	83
Figure 18	Schematic Representation of SWIT System	99

List of Boxes

BOX NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
Box 1	Major features of the Direct Listing Scheme	31
Box 2	GIFT Connect	33
Box 3	Regulatory Framework for Accredited Investors in IFSC	47
Box 4	Making GIFT IFSC a Global Accounting Hub	92
Box 5	Key features of the AISP Circular	95
Box 6	IFSCA Single Window IT System (SWITS)	98

List of Images

IMAGE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
Image 1	International Conference on Role of IFSC in Export Credit and Export Credit Insurance	22
Image 2	Panelist For The Session on "Closing The Trade Finance Gap: Policy Option"	23
Image 3	Global Maritime Summit Panel with Hon'ble Finance Minister	27
Image 4	IFSCA Meeting with Ambassador of India to Ireland	27
Image 5	Chairperson, IFSCA with Market Participants During a Round Table in Singapore	40
Image 6	Meeting of IFSCA and MAS	41
Image 7	Mr. Praveen Trivedi, Executive Director of IFSCA and Mr. Saurabh Shah, Corporate Advisor ring The Closing Bell Ceremony of The IOSCO World Investor Week, 2023 Hosted by India INX	43
Image 8	Chairperson, IFSCA, Presiding The Roundtable Discussion with Large Global Funds	50
Image 9	Shri Pradeep Ramakrishnan, Executive Director, with other Dignitaries During IVCA Conclave 2024	50
Image 10	Chairperson, IFSCA Addressing The Audience During IVCA Private Credit Summit 2023	51
Image 11	IFSCA signing MoU with Ahmedabad University, KSUM, STPI, PIEDS, FIRST, Enterprise Incubation Centre	64
Image 12	Hon'ble Prime Minister of India Inaugurating The Infinity Forum 2.0	65
Image 13	Investors Meet 2023 in GIFT City	66
Image 14	Global Fintech Festival 2023 in Mumbai	67
Image 15	IFSCA Booth in Global Fintech Festival 2023	67

IMAGE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
Image 16	IFSCA with Participants of FinTech Founders Meet in Bangalore	68
Image 17	IFSCA Participating in the Panel Discussion in Intersekt 23	69
Image 18	Chairperson, IFSCA at Singapore FinTech Festival 2023	70
Image 19	Dignitaries from IAIS and IFSCA during The signing of MMoU	77
Image 20	Chairperson, IFSCA, during Insurance Roadshow at Tokyo, Japan	77
Image 21	Dignitaries during the Inaugural Session "Vision Track"	78
Image 22	Panel Discussion on "To Develop India as Re-Insurance Hub"	79
Image 23	Shri Dipesh Shah, ED, IFSCA addressing in GCC (CXO Meet)	81
Image 24	Chairperson, IFSCA at the Inaugural Session of the Climate Conference	88
Image 25	Deakin University in GIFT IFSC	96
Image 26	Exchange of MoU ICAI with IFSCA and GIFT City	103
Image 27	Submission of Report to Chairperson, IFSCA by Expert Committee on BATF	104
Image 28	Shri Pradeep Ramakrishnan, ED, IFSCA with Dignitaries at the PSE@2047	106
Image 29	Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman visited IFSCA Head Office	107
Image 30	IFSCA Delegation led by Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA met Mr Jerome Reboul, Deputy Secretary General and Managing Director of Dept. of International Affairs, AMF France at their Headquarters	107
Image 31	Chairperson, IFSCA addressing the Officials of Luxembourg Stock Exchange (LSE)	108
Image 32	Plenary Session "GIFT City – An Aspiration of Modern India" in Vibrant Gujarat 2024"	109
Image 33	Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA addressing during Interaction with Japanese Businesses at IRDAI Insurance Roadshow (Embassy of India, Tokyo)	109
Image 34	IFSCA Delegation led by Chairperson, IFSCA met Mr. Toshiyuki, Vice-Commissioner For International Affairs, FSA, Japan	110
Image 35	Opening Bell Ceremony at NASDAQ	110
Image 36	Conference on GIFT IFSC Opportunities	111
Image 37	IFSCA Employees Taking Swachhta Pledge administered by Chairperson, IFSCA	142
Image 38	Walkathon as Part of 'Swachhata Pakhwada - Swachhata Hi Seva'	142

IMAGE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
Image 39	Cleanliness Drive at PDPU Bridge GIFT City as Part of 'Swachhata Pakhwada - Swachhata Hi Seva (SHS) 2023' by IFSCA Employees	143
Image 40	IFSCA Officers taking Vigilance Pledge as Part of Vigilance Awareness Week	144
Image 41	Visit of Statue of Unity, as Part of Chintan Shivir 2024	145
Image 42	City Tour, as Part of Chintan Shivir 2024	146
Image 43	Flag Hoisting Ceremony on 75 th Republic Day	146
Image 44	Flag Hoisting on 77 th Independence Day Celebration	147

Conventions used in this report

₹ : Rupees (Rs)

Lakh : Hundred thousand

Crore : Ten million

Million (Mn) : Ten lakh

Billion (Bn) : Thousand million/hundred crore

Differences in total are due to rounding off and sometimes they may not exactly add up to hundred per cent.

This report can also be accessed on internet at: <https://www.ifsc.gov.in/>

ABBREVIATIONS

ACFIT	Audit Papers, Compel Attendance, Freeze Assets, Internet Records, Telephone Records
ACLI	American Council of Life Insurers
AD	Authorized Dealer
ADB	Asian Development Bank
AED	UAE Dirham
AGM	Annual General Meeting
AI/ML	Artificial Intelligence/ Machine Learning
AIF	Alternative Investment Funds
ASSOCHAM	Associated Chambers of Commerce and Industry of India
AUD	Australian Dollar
AUM	Assets Under Management
BCG	Boston Consulting Group
BFSI	Banking, Financial Services and Insurance
BU	Banking Units
CAD	Canadian Dollar
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CBR	Cross Border Reinsurers
CCP	Central Counterparties
CDSL	Central Depository Services Ltd.
CEEW	Council on Energy, Environment and Water
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CERT-In	Indian Computer Emergency Response Team
CHF	Swiss Franc
CIN	Corporate Identification Number
COB	Conduct Of Business
CPI	Consumer Price Index
CRAR	Capital to Risk (Weighted) Assets
DEA	Department of Economic Affairs
DFSA	Dubai Financial Services Authority
DGFT	Directorate General of Foreign Trade
DIN	Director Identification Number
EMMoU	Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding
EoDB	Ease of Doing Business
e-OFFICE	Electronic Office
ERP	Enterprise Resource Planning

ESG	Environmental, Social or Governance
EUR	Euro
EXIM	Export Import Bank of India
FC	Finance Company
FCA	Financial Conduct Authority
FCY	Foreign Currency
FEM (NDI)	Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments)
FICCI	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
FIRST	Foundation For Innovation & Research in Science & Technology
FME	Fund Management Entity
FY	Financial Year
GBP	UK Pound Sterling
GDP	Gross Domestic Product
GFF	Global FinTech Fest
GFIN	Global Financial Innovation Network
GIC	Global In-house Centre
GIFT	Gujarat International Finance-Tec City
GNPA	Gross Non-Performing Asset
GSTIN	Goods and Services Tax Identification Number
GSTN	Goods and Services Tax Network
GVA	Gross Value Added
GVFL	Gujarat Venture Finance Limited
HKD	Hong Kong Dollar
IAC	International Arbitration Centre
IAIS	International Association of Insurance Supervisors
IAMAI	Internet and Mobile Association of India
IBA	Indian Banks Association
IBC	IFSC Banking Company
IBU	IFSC Banking Unit
ICAI	Institute of Chartered Accountants of India
ICEGATE	Indian Customs Electronic Gateway
ICES	Indian Customs EDI System
IDY	International Day of Yoga
IFSC	International Financial Services Centre
IFSCA	International Financial Services Centres Authority
IIBX	India International Bullion Exchange
IIDI	India International Depository IFSC Limited



IIIO	IFSC Insurance Intermediary Office
IIML	Indian Institute of Management Lucknow
IIO	IFSC Insurance Office
IMF	International Monetary Fund
INR	Indian Rupee
InvIT	Infrastructure Investment Trust
IOSCO	International Organization of Securities Commission
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
ISP	Internet Service Provider
ITeS	Information Technology/ Information Technology enabled Services
ITC (HS)	Indian Trade Clarification (Harmonized System)
ITFS	International Trade Financing Services
IVCA	Indian Venture and Alternate Capital Association
JFSA	Japanese Financial Services Authority
JPY	Japanese Yen
LAN	Local Area Network
LBMA	London Bullion Market Association
LPTM	Limited Purpose Trading Member
MAS	Monetary Authority of Singapore
MCA	Ministry of Corporate Affairs
MCLR	Marginal Cost of Funds-based Lending Rate
MCX	Multi Commodity Exchange
MEPF	Mechanical, Electrical, Plumbing, And Fire Protection
MGA	Managing General Agents
MII	Market Infrastructure Institutions
MIS	Management Information Systems
MSME	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
MUFG	Mitsubishi UFJ Financial Group
NASSCOM	National Association of Software and Service Companies
NDF	Non-Deliverable Forward
NIC	National Informatics Centre
NICCL	NSE IFSC Clearing Corporation Limited
NIFTY	National Stock Exchange Fifty
NSCS	National Security Council Secretariat
NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange
NSE IX	NSE International Exchange

ODI	Offshore Derivative Instruments
OEC	Offshore Education Centres
OFS	Offer For Sale
OIS	Overnight Indexed Swaps
OVL	ONGC Videsh Ltd
PAN	Permanent Account Number
PCI	Payment Council of India
PDPU	Pandit Deendayal Petroleum University
PFRDA	Pension Fund Regulatory and Development Authority
PoSH	Prevention of Sexual Harassment
PRC	Performance Review Committee
RBI	Reserve Bank of India
REIT	Real Estate Investment Trust
RFP	Request For Proposal
RoE	Return on Equity
RTI	Right To Information
RUB	Russian Rouble
SCB	Scheduled Commercial Banks
SEBI	Securities And Exchange Board of India
SFC	Superintendencia Financiera de Colombia
SGD	Singapore Dollar
SGrBs	Sovereign Green Bonds
SGX	Singapore Stock Exchange
SNRR	Special Non- Resident Rupee Account
SOP	Standard Operating Procedure
STPI	Software Technology Parks of India
SWITS	Single Window IT System
TERI	The Energy Research Institute
TMCM	Trading Member/Clearing Member
TRQ	Tariff Rate Quota
UAEGD	UAE Good Delivery
UK	United Kingdom
UNDP	United Nations Development Program
USD	United States Dollar
WPI	Wholesale Price Index
YoY	Year on Year





SECTION-B



THE YEAR IN REVIEW

Global Economy Assessment and Outlook

The period following the year 2022 was characterized by significant changes in the global trading pattern due to intense geo-economic fragmentation and rising trade tensions. Supply shocks were felt across the globe as disturbances were experienced across all major trade routes including Black Sea, Red Sea and Panama Canal.¹ These events led to a grim outlook for the economy and to anticipation of a global recession.

Central banks around the globe adopted a tight monetary stance to restore price stability but the rate of monetary transmission² varied among countries; the long-term monetary actions were successful in controlling the inflation expectations in the emerging economies, but the monetary transmission was not as rapid in developed countries.³

Despite all disturbances and challenges, the global economy grew steadily, showing extreme resilience. During 2022 and 2023, global real GDP rose by a cumulative 6.7 per cent⁴ and there was no inflation spiral as anticipated. In fact, as a welcome change, ever since the global inflation surge started, the headline inflation was at par with the pre-pandemic period for many economies towards the end of 2023.

It is estimated that the global economy will continue growing at 3.2 per cent in 2024 and 2025. For advanced economies, the growth is projected to rise gradually, from 1.6 per cent in 2023 to 1.7 per cent in 2024 and 1.8 per cent in 2025; whereas in emerging market and developing economies, growth is expected to be comparatively higher at 4.2 per cent in 2024 and 2025.⁵

The global headline inflation is expected to fall from an annual average of 6.8 per cent in 2023 to 5.9 per cent in 2024 and further down to 4.5 per cent in 2025.

Thus, key decision makers are now faced with the complex challenge of navigating through a paradoxical world economy which is on one hand still recovering from multiple shocks and on the other, trying to find footing in a scenario of extreme interdependence accompanied by political fragmentation further obscured by the impending threat of climate change. A synchronised series of joint efforts and continuous and active co-operation is the need of the hour.

Financial Markets Performance

Banking Industry

Banking industry around the globe was impacted adversely by the atmosphere of investor distrust arising from the Silicon Valley Bank crisis and other disturbances.⁶

¹ Unprecedented shipping disruptions raise risk to global trade, UNCTAD warns", Feb 2024, UNCTAD

² The process through which monetary policy decisions affect the economy in general and the price level in particular (ECB)

³ World Economic Outlook, April 2024, IMF

⁴ ibid

⁵ ibid

⁶ Global Financial Stability Notes, March 2024, IMF

In the beginning of the year 2024, expectations about policy wavered greatly, oscillating between periods of optimism and pessimism. The economic conditions continued to improve as the investors around the globe were expecting looser policy, and the credit spreads also narrowed as there was a lower perception of risk.⁷ However, the monetary stance tightened in various economies, in anticipation of inflationary pressures.⁸

There was a notable shift in cross-border financial activity during this period. The cross-border claims fell by USD 377 Bn in the fourth quarter of 2023, which is considerably less than the fall of USD 1.4 trillion registered in the fourth quarter of 2022. The outstanding value of cross-border financial activity as of December 2023 was USD 39 trillion.⁹

Credit to the non-bank sector rose by USD 247 Bn in the fourth quarter of 2023 marking a major uptick from the previous year. Credit offered to non-banking financial institutions however displayed a mixed trend. The first three quarters of 2023 marked an uptick of USD 600 Bn but fell by USD 16 Bn during the fourth quarter. Despite the decline in cross-border claims, cross-border credit increased by USD 319 Bn this year.

Moreover, credit to emerging market and developing economies (EMDEs) increased by USD 30 Bn in the fourth quarter of 2023 as opposed to a fall of USD 179 Bn which was recorded in the previous year (Q4 2022). This increase signals continued investor interest or confidence in these economies, despite the fluctuations.

The top 10 Global banks in the world had a total market capitalisation value of USD 1,879,696 Mn, of which the top 2 banks, i.e., JPMorgan Chase & Co and Commercial Bank of China Ltd. Accounted for 20% and 12.5%, respectively.¹⁰

Capital Markets

The actions of central banks around the world to control inflationary pressures arising from the global events that unfolded, in turn, created pressure on share prices around the world. The most conspicuous effects include a decrease in the number of IPOs and in investment flows globally, which fell by 27% and 53.4%, respectively in comparison to their 2022 levels. Only a few markets, like the U.S., offered a positive trend. Similarly, trading activity in the cash equities decreased across regions. On similar lines, the global value and volume of shares traded decreased by 20.9% and 13.9%, respectively; such decline was observed across all regions.¹¹

By contrast, there was an increase in volume of commodity derivatives because of frenzied steps taken to manage risks in response to consistent rate hikes and geopolitical tensions.¹²

⁷ Quarterly Review, March 2024, BIS

⁸ *ibid*

⁹ International banking statistics and global liquidity indicators, December 2023, BIS

¹⁰ 'Top 10 Banks', 2023, Global Data

¹¹ Market Highlights, 2023, World Federation of Exchanges

¹² *ibid*





Funds Industry

The global asset management industry's assets rose to nearly USD 120 trillion in 2023, reverting from a decline the year before. However, asset managers faced a variety of challenges to their growth.¹³ Market performance has been the major factor driving the industry's revenue growth for nearly two decades. However, in 2022, rapidly rising interest rates caused both stock and bond values to plummet. Global Assets under Management (AUM) fell by USD 10 trillion to USD 98 trillion—near 2020 levels. The net flow rate of assets also fell below 3% for the first time since 2018, reaching 1.6% of total AUM at the beginning of 2022.¹⁴

A transformative mindset of Fund Managers, focusing on profitability, private markets, and personalization to navigate the economic uncertainty and meet investor demands, is the primary need of the moment. New technologies, notably direct indexing, are effectively democratizing the ability to personalize products for the end investor.

Alternative Investments represented more than USD 20 trillion of global AUM as of year 2022. These products also accounted for half of the industry's global revenues, generating more than USD 190 Bn in revenues for the firms that offer them. This strong momentum is expected to prevail with a CAGR of 7% in alternative assets over next few years.¹⁵

Insurance Industry

In the insurance industry, both life and non-life businesses are expected to improve. In the non-life sector, the return on equity (ROE) is expected to rise to 9.3% in 2024 owing to strengthening investment return, whereas in the life sector the premiums are expected to rise by 1.5% in 2024, above the 10-year trend of 1.3%.

US remains at the top of the global insurance industry with premiums close to USD 3 trillion in 2022 and a global share market of 44%. China stands second with premium volume of USD 698 Bn, followed by the UK who replaced Japan in the third position, with a premium volume of USD 363 Bn. India has notably increased its global share and is on course to be the sixth largest market in the world by 2032. The global insurance premium volumes (non-life and life) are projected to grow by 1.1% in 2023 and by 1.7% in 2024 in real terms (both below the 10-year trend of 2.6%), after a 1.1% decline in 2022. It is also expected that for non-life, premium growth will rise to 1.4% in real terms after a gain of just 0.5% in 2022.¹⁶

Markets worldwide have displayed a sense of distrust as a response to multiple shocks that were faced during this period. Re-generating trust in such a scenario may be a challenge for the insurance industry. Introducing highest standards for transparency and accountability and technological adaptability along with strict regulation are thus crucial at this juncture.¹⁷

¹³ AI and the next wave of Transformation, 2024, BCG

¹⁴ The Tide has turned, 2023, BCG

¹⁵ ibid

¹⁶ Sigma Report, 2023, Swiss Re

¹⁷ ibid

The gross re-insurance premiums increased by almost 10% by the end of 2022. The Gross Written Premium for the global insurance market including re-insurance on the other hand saw a slight decrease of 0.3% in 2023.¹⁸

The global gross reinsurance market size amounted to USD 809 Bn with 46% located in America. The net value on the other hand was USD 570 Bn.¹⁹

There were few changes in the allocation of reinsurer's assets including minor increase to the equity component and loans and a decrease in the holdings of corporate and sovereign debt and an uptick was observed in the use of asset intensive reinsurance in the life-insurance sector ever since the pandemic, due to persistently lower rates and evolving regulatory frameworks in the period after. Bermuda, USA, Germany, Switzerland, and UK emerged to be the five largest reinsurance markets in terms of gross premiums.²⁰

Bullion

As a result of the high level of geopolitical risks, a fall in global demand for gold was observed. Demand for gold is comprised of four major components i.e jewellery, technology, investment and demand generated by central banks.

The total demand for gold fell by 5% to 4467.9 tonnes in 2023 in comparison to 4699.4 tonnes in 2022. Jewellery demand, which is the biggest component of total gold demand was recorded at 2192.2 tonnes in 2023 which is slightly less than 2195.9 tonnes in the previous year.

Second biggest component of the overall demand was Investment comprising bars, coins, ETFs and similar products. This stood at 1112.8 tonnes registering a 15 % decline from 940.7 tonnes in 2022. Demand generated by central banks also decreased during this period, falling to 1081.9 tonnes in 2023.²¹

The world silver market went through a period of deficit, wherein the overall demand for silver heavily exceeded the supply. Silver demand was primarily driven by use of silver in industrial applications and in jewellery making. The usage in green technologies like solar power equipment witnessed a rise due to the recent climate transition movement that is being adopted by multiple countries worldwide and this demand is further anticipated to rise by 9% in 2024, as transition to cleaner energies becomes more rapid.

The total supply of silver primarily depends on the mining production levels and the overall recycling levels. The mining levels around the globe fell by 1% in 2023 compared to the previous year.²² The recycling levels were also muted in the year and are expected to fall further down in 2024.²³ Despite 11% growth in Industrial demand, silver jewellery fabrication fell by 13% in 2023-24, especially in India, leading to a drop in demand by 7%. These factors lead to reduced supply of silver in the market.

¹⁸ Global Insurance Market Report, 2023, IAIS

¹⁹ Figures are representative of the sample of respondents included in the IAIS' survey 2023

²⁰ Global Insurance Market Report, 2023, IAIS

²¹ Gold Outlook, 2024, World Gold Council

²² World Silver Survey, 2024, The Silver Institute

²³ ibid



India: Economic Assessment and Prospects

Gross Domestic Product

The Indian economy exhibited resilience during FY 2023-24, notwithstanding persistent headwinds from subdued external demand, protracted geopolitical tensions and volatile global financial markets. The growth in real Gross Domestic Product (GDP) during 2023-24 is estimated at 7.6 per cent as compared to 7.0 per cent in 2022-23²⁴, supported by robust growth in fixed investment on the back of the government's focus on capital expenditure. On the supply side, economic activity was lifted by the boost to the manufacturing sector's profitability from the correction in input prices and sustained momentum in services activity, even as the agricultural sector activity exhibited a slowdown.²⁵

The Asian Development Bank (ADB) projects growth in India's GDP to rise to 6.7% in FY2024-25, driven by private consumption and private investment on the back of government policies to improve transport infrastructure, logistics, and the business ecosystem.²⁶ FY 2024-25 is expected to see faster growth in investment, based on supportive government policies and sound macroeconomic fundamentals, lower non-performing loans in banks, and significant corporate deleveraging that will enhance bank lending.²⁷

Prominent international organisations also concur with these growth expectations. The International Monetary Fund (IMF) has categorised India amongst the developing countries that are most rapidly integrating into the global economy through trade, it estimates India to undergo a growth of 6.8% in FY 24 and 6.5% in FY 25 owing to its rising working population and demand.²⁸

The ADB foresees robust public and private sector investment demand and a gradual improvement in consumer demand due to the improvement of the rural economy in India. As a result, India is estimated to grow by 7.0% in FY 24 and by 7.2%²⁹ in FY 25.

The World Bank attributes resilient growth in India to strong domestic demand, expanding fixed investment amid rising public infrastructure spending and strong private-sector credit growth, it has estimated a growth of 6.3 per cent in FY 2023-24 followed by a gradual increase to 6.4 per cent in FY2024-25 and finally to 6.5 per cent in FY 2025-26.³⁰

Inflation

Inflation rate in India slowed down in 2023-24, dropping to 5.4% from 6.7% in the previous year. This was largely driven by a decrease in core inflation from 6.1% to 4.3%. Fuel inflation also decreased significantly as a result of fall in domestic prices for Liquefied Petroleum Gas (LPG) and kerosene. This was majorly impacted by the corrections in global energy prices.³¹

The year-on-year inflation rates (%) based on CPI were higher for the urban and rural sector compared to the previous year. The combined level was 4.83% as opposed to 4.7% last year which can be attributed to the rural level, which rose to 5.43% as opposed to 4.68% last year. The urban

²⁴ Second Advanced Estimates, 2024, NSO, MoSPI

²⁵ Annual report, 2023-24, RBI

²⁶ Asian Development Outlook, April 2023

²⁷ *ibid*

²⁸ World Economic Outlook, April 2024, IMF

²⁹ Economic Forecast for India, 2024, ADB

³⁰ Global Economic Prospects, 2024, World Bank

³¹ Annual report, 2023-24, RBI

inflation level, however, fell from 4.85% in the previous year to 4.11%.³² The annual rate of inflation based on all India Wholesale Price Index (WPI) rose to 2.61 % for the month of May 2024 over May 2023.³³

Food inflation increased amidst high volatility. Prices of cereals, pulses, spices, and vegetables continued to rise due to overlapping and continuous supply shocks, pushing food inflation up to 7.0% in 2023-24 from 6.7% a year ago.³⁴

Inflation is estimated to decline gradually in 2024 and 2025.³⁵ It is expected to decline to 5.4 per cent in FY 2023-24 from 6.7 per cent in FY 2022-23 and further down to 4.5% in FY 2025.³⁶ Core inflation is also projected to fall to 4.7 per cent in FY 2023-24 from 6.1 per cent in the previous year and gradually to 4 per cent over the medium term.³⁷

Financial Markets

Banking Sector

The overall health of the banking sector remained robust backed by strong balance sheets, buffers and high rate of monetary transmission.

The effects of monetary policy decisions of 2022-23 continued in 2023- 24 as well. There was a moderation in surplus liquidity in the Indian banking system during the period and the credit growth consistently outpaced deposit growth. There was also an increase in the share of external benchmark-linked loans compared to loans linked to the Marginal Cost of Funds-based Lending Rate (MCLR). The expansion of currency in circulation slowed down. Additionally, deposit growth accelerated, partly due to the reintroduction of ₹ 2000 bank notes into the banking system which were withdrawn from circulation in May 2023. The return of these notes to banks mostly took the form of deposits, boosting the overall deposit base in the banking system.³⁸

Bank credit growth remained robust throughout 2023-24, driven primarily by demand from the retail and services sectors. Scheduled Commercial Banks (SCBs) experienced a credit expansion of 16.3% as of March 22, 2024, compared to a growth of 15% the previous year.³⁹

The asset quality of Indian banks improved, with the Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio declining to its lowest in a decade. The GNPA ratio went to a record low value of 3.2% in 2023. The Net Non-Performing Assets also fell to 0.8%. The capital adequacy ratio of Indian banks remained robust, indicating a sound capital position that can withstand potential stress scenarios.⁴⁰

There was an observable shift in the composition of bank credit with a higher portion attributable to the Services and Retail sectors. Retail loans comprised 42.2% of total gross advances of the banks. The CRAR ratio of SCBs stood at 15.9 per cent in December 2023. The provision coverage ratio increased to 75.3 per cent.⁴¹

³² 'CPI numbers', May 2024, MoSPI

³³ 'Index Numbers of Wholesale Price in India', April 2024, Office of Economic Adviser.

³⁴ Annual report, 2023-24, RBI

³⁵ World Economic Outlook, April 2024, IMF

³⁶ ADB Forecast

³⁷ IMF Consultation

³⁸ Annual report, 2023-24, RBI

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Trends and Progress of Banking in India, 2023, RBI

⁴¹ Financial Stability Report, Dec 2023, RBI

Insurance and Re-Insurance Sector

In India, the life insurance market contributes the most to the overall insurance penetration level. This is observable in the fact that the overall insurance penetration level in FY 2022-23 was 4% wherein, life insurance accounted for 3% of it and general insurance for the remaining 1%. An increase in the overall insurance penetration level in India can be achieved by significantly increasing the accessibility to the informal sector.⁴²

As far as non-life sector is concerned, a positive trend was noticed in the health and motor sectors during this period. In the non-life insurance segment, the YoY growth in gross direct premium (within and outside India) stood at ₹ 2,60,327.82 crore with Health and Motor sectors being the key drivers. Net incurred claims of Non-Life Insurers stood at 82.95%.⁴³

In the Life insurance segment, the total premium during FY 2022-23 increased by 12.98% compared to the FY 2021-22.⁴⁴ of the total premium in the life insurance segment ₹ 3,71,225.82 crore was received from new business. Benefit pay-outs in the life insurance sector during FY 2022-23 was ₹ 4,96,865.13 crore with 10% benefits paid out on death claims.⁴⁵

The overall insurance density in India was USD 92 in FY 2022-23, wherein, Life segment contributed USD 70 and General comprising USD 22 which is only a mild uptick from the USD 91 from FY 2021-22.⁴⁶

India, with an estimated market share of 1.9% of Global market in 2022-23, is on the course to become the sixth largest market in the world by 2032.⁴⁷

Reinsurance premium placed within India formed 17% of the total non-life gross domestic premium booked in 2022-23, this was slightly less than the 22% in the previous year. The premiums booked by General Insurance Company (Global Re-insurance solutions) and Foreign Re-insurance Branches amounted to ₹ 54,678 crores in 2022-23 which is considerably less than the previous year level of ₹ 61,337 crores.⁴⁸

In 2021-22, re-insurance premium placed within India through General Insurance Company (Global Re-insurance solutions) and Foreign Re-insurance Branches formed 62% of the Total reinsurance business of India whereas the re-insurance premium placed with Cross-Border reinsurers only formed 38% of the total business. In 2022-23, however, these percentages have changed to 54% and 46% respectively denoting a considerable rise in the reinsurance placed through cross-border reinsurers.

Capital Markets

There was strong resource mobilisation in Indian capital markets across sectors and instruments. This was instrumental in the rapid recovery that Indian economy underwent.

There were 12 IPOs in the financial sector during the year amounting to ₹ 7,628 crores and 260 in

⁴² Sigma Report, 2023, Swiss Re

⁴³ Handbook of Statistics, 2022-23, IRDAI

⁴⁴ ibid

⁴⁵ ibid

⁴⁶ Handbook of Statistics, 2022-23, IRDAI

⁴⁷ Sigma Report, 2023, Swiss Re

⁴⁸ IRDAI

the non-financial sector amounting to ₹ 60,327 crores⁴⁹. The Offer for Sale (OFS) component comprised ₹ 30,482 crores and Fresh capital raising component comprised ₹ 29,852 crores in the non-financial sector in FY 2023-24.⁵⁰

Mutual funds have displayed remarkable growth in the last decade, the value of total gross mobilization by value way of Mutual Funds rose to ₹ 114.48 lakh crores in 2023-24 from the previous value of ₹ 105.07 lakh crores in 2022-23.⁵¹ The contribution by the private sector amounted to ₹ 88.4 lakh crores and that by the public sector amounted to ₹ 26.06 lakh crores. In the last decade, the AUM of Mutual Fund industry grew to a value of ₹ 39.4 lakh crores as on March 2023 and reported a CAGR of 19% for the decade 2013-2023.⁵² This reflects increased investor confidence and a strong regulatory framework.

Total number of public and rights issues (Equity + Debt) increased to 385 amounting to ₹ 1.02 lakh crores in 2023-24 from previous value of 272 amounting to ₹ 75,036 crores in 2022-23. There was a total of 17 issues amounting to the volume of ₹ 39,024 crores mobilized by REITs & InvITs in the Non-Financial Sector in the year 2023-24.⁵³

Mutual Funds comprised 7.8% share in turnover of Cash segment of NSE in 2023-24 which is slightly below the 2022-23 share of 8%, similarly FPIs contributed 14.4 % in 2023-24 as opposed to 14.5% in 2022-23.⁵⁴

Funds Industry

The Indian asset management sector has grown substantially, becoming a popular choice for wealth creation, on account of increased financial awareness, regulatory strength, and FinTech advancements. There has been a rise in systematic and passive investments, as well as ESG-focused investing, contributing to the landscape of Mutual Fund Industry. AIFs have also expanded, benefiting from India's economic growth and a wealthier investor demographic. REITs and InvITs are new funding avenues that could significantly boost India's economic growth.

The FY 2023-24 turned out to be one of the best periods for the Indian mutual fund industry as the AUM grew by nearly ₹ 14 lakh crores to a record ₹ 53.40 lakh crores as of March 2024 compared with ₹ 39.42 lakh crores as of March 2023.⁵⁵ This growth has been mainly driven by growing participation of individual investors, buoyant equity markets and evolving investment strategies. Equity was the primary asset class with mutual funds allocating 22.45 trillion Indian rupees, followed by debt with nearly 17 trillion Indian rupees deployed.⁵⁶

India's AIF industry reported a robust annual growth of 30%, with AUM increasing to ₹ 8.34 lakh crores from ₹ 6.41 lakh crores in the previous year. Category II funds accounted for the largest share with ₹ 6.94 lakh crores, marking a 34% increase from last year. The total AUM has nearly tripled over the past five years, reaching approximately USD 101 Bn in FY 2023.

⁴⁹ Current Statistics- Bulletin (Annexure Tables), April 2024, SEBI

⁵⁰ ibid

⁵¹ Monthly Bulletin, May 2024, SEBI

⁵² Annual Report, 2022-23, SEBI

⁵³ ibid

⁵⁴ ibid

⁵⁵ Annual Report, Feb 2024, AMFI

⁵⁶ Monthly Bulletin, May 2024, SEBI

Bullion

India is one of the top consumers of precious metals in the world. Gold and Silver are an important component of total bullion demand in India. Jewellery is one of the most popular forms of gold and silver consumption. However, there are other forms of gold consumption that contribute to the demand for gold in India as well, for instance, India is a major consumer of Gold Potassium Cyanide which is used for electroplating in industries and making gold-plated jewellery and decorative items like gold thread.⁵⁷

The demand for gold turned out to be 95 tonnes in first quarter of 2024, which is a 4% rise from the level reported in the previous year. The level of gold bar and coin investment also registered a growth of 19% (YoY), rising from 34.4 tonnes in first quarter of 2023 to 41.1 tonnes in the first quarter of 2024.⁵⁸ Gold worth USD 45.5 Bn was imported during 2023-24, increasing by 30.1 per cent compared to the last year.⁵⁹

Fiscal Developments

India's fiscal policy is geared towards ramping up spending on development and welfare initiatives, while also prioritizing investments in projects that bolster the economy's productive capacity. This commitment is complemented by a dedication to maintaining fiscal prudence, ensuring that public finances are managed responsibly and sustainably.

The Fiscal Deficit in FY 2023-24 is estimated⁶⁰ at 5.8 % of GDP which is lower than the BE of FY 2023-24. The Revenue Deficit is expected to be lower, at 2.8 per cent of GDP in RE 2023-24 as compared to 2.9 per cent in BE 2023-24. The Fiscal Deficit in 2024-25 is estimated⁶¹ to be 5.1 per cent of GDP, as against the 5.8 per cent of GDP in 2023-24. In absolute terms, it means a deficit of ₹ 16.85 lakh crores in 2024-25 which is lower than the Fiscal Deficit of ₹ 17.35 lakh crores in 2023-24.⁶²

The Budget Speech for FY 2021-22 highlighted the Government's approach to follow a broad path of fiscal consolidation so as to attain a level of Fiscal Deficit lower than 4.5 per cent of GDP by FY 2025-26.

External Sector

Although the supply shocks caused a global export slump, India recorded a high monthly merchandise export value of USD 41.68 Bn in March 2024 due to services exports which remained stable during this period. The total export value (merchandise and services) is estimated to reach USD 776.68 Bn in FY 2023-24 against 776.40 Bn recorded in FY 2022-23.⁶³

A significant contributor to this growth in the FY 2023-24 were Electronic Goods, Drugs and Pharmaceuticals and Engineering goods. The Electronic goods exports surged by 23.64% to USD 29.12 Bn, while drugs and pharmaceuticals exports grew by 9.67% to USD 27.85 Bn, and engineering goods exports saw a modest rise of 2.13% to USD 109.32 Bn, during the FY 2023-24,

⁵⁷ Gold Demand Trends, 2024, World Gold Council

⁵⁸ Gold Demand Trends (Executive Summary), 2024, World Gold Council

⁵⁹ Annual report, 2023-24, RBI

⁶⁰ RE released by MoF under the Statements of Fiscal policy as required under the FRBM Act, 2003

⁶¹ Statements of Fiscal Policy, February 2024, MoF (Budget Division)

⁶² ibid

⁶³ Press Release, Ministry of Commerce, March 2024

compared to the FY 2022-23 values. The non-petroleum and non-gems & jewellery sector experienced a modest uptick of 1.45%, escalating from USD 315.64 Bn in FY 2022-23 to USD 320.21 Bn in fiscal year 2023-24.⁶⁴

The export value of services was USD 325.55 Bn in FY 2022-23 and is expected to rise to USD 339.62 Bn in 2023-24. The overall trade deficit is anticipated to narrow significantly by 35.77%, declining from USD 121.62 Bn in FY 2022-23 to USD 78.12 Bn in FY 2023-24. This improvement is reflected in the merchandise trade deficit, which decreased by 9.33%, standing at USD 240.17 Bn in the current fiscal year compared to USD 264.90 Bn in fiscal year 2022-23.⁶⁵

Overall, the Indian economy hurdled over the headwinds that emerged throughout the year, bolstered by the robust capital formation and manufacturing activity, further enhanced by a strong banking system and a gradual but controlled fall in inflation. Although the policy makers cannot put their guard down against the ill-effects from the multiple crises faced yet, the economy is expected to grow rapidly in the future.

⁶⁴ ibid

⁶⁵ ibid





Hon'ble Prime Minister of India inaugurating the InInfinity Forum 2.0



**Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs
Smt. Nirmala Sitharaman visit to IFSCA Head Office**

SECTION-C

BANKING

Banking sector is one of the most important pillars of an international financial centre both as a financial intermediary and as a provider of key services to other financial institutions. The IFSCA Banking regulations notified in November 2020 and directions / guidelines issued thereunder were aimed at enabling and facilitating various banking activities generally carried out by internationally active banks in international financial centres across the globe while ensuring a smooth transition from the RBI guidelines that were applicable prior to the IFSCA Banking Regulations.

With a view to further enhancing 'ease of doing banking business' in GIFT IFSC, the Authority issued the IFSCA Banking Handbook which acts as a compendium of all the detailed directions of the Authority to the IBUs operating in GIFT IFSC.

The vibrant banking ecosystem in GIFT IFSC today comprises 11 foreign and 16 domestic banks set up as branches of the parent bank called IFSC Banking Units (IBUs). As of March 2024, the total Asset size of IBUs crossed USD 60 Bn and the cumulative value of transactions undertaken by IBUs crossed USD 795 Bn. Credit exposure stood at USD 34.92 Bn as on March 2024, covering countries like US, UK, Singapore, UAE etc. apart from India.

IFSCA Banking Regulations were amended in June 2022, to allow Global Administrative Office (GAO) to be setup in IFSC. Further, recent amendments carried out in July, 2023 to the regulations now permit Indian and Foreign banks to set up subsidiaries (to be called IFSC Banking Companies or IBCs).

Policy/ Regulatory Developments

This section gives a picture of the major measures taken by the Authority towards the regulation of banking and related services and the development of banking ecosystem in IFSC during FY 2023-24.

IFSCA (Banking) (Amendment) Regulations, 2023

- (i) Prior to the notification of these regulations, Banks were only permitted to set up operations in IFSC in the form of a branch termed as IFSC Banking Units (IBUs). The Regulations have been amended to permit banks to set up IFSC Banking Companies (IBCs) in the form of a subsidiary.⁶⁶
- (ii) A Bank is permitted to be set up⁶⁷ an IBU or IBC in IFSC, subject to approval of the Authority. A Bank who has already set up an IBU in an IFSC, may be permitted to convert the same into an IBC, with the prior approval of the Authority, subject to such conditions as may be specified by the Authority.

⁶⁶ Company that satisfies the definition u/s 2(87) of the Companies Act, 2013.

⁶⁷ Earlier Banks were only permitted to set up a banking unit in the form of a branch as IBU

- (iii) A Bank planning to set up an IBC is required to satisfy the following conditions for grant of licence by the Authority:
- a. The Parent Bank shall provide necessary capital for the IBC, subject to a minimum of USD 50 Mn or such other level of capital that may be specified by the Authority
 - b. Such capital shall be calculated and shall be maintained as specified by the Authority.
 - c. The Parent Bank shall obtain a No Objection Letter from its Home Regulator regarding setting up of IBC of the parent bank.
 - d. Any other condition that the Authority may specify
- (iv) In line with DEA notification on specification of foreign currencies u/s 20 of the IFSCA Act, 2019 (dated July 3, 2023), list of specified foreign currencies were added in the first schedule of the IFSCA (Banking) Regulations, 2021 (as amended). These are as under:
- SPECIFIED FOREIGN CURRENCIES**
- a. US Dollar (USD)
 - b. Euro (EUR)
 - c. Japanese Yen (JPY)
 - d. UK Pound Sterling (GBP)
 - e. Canadian Dollar (CAD)
 - f. Australian Dollar (AUD)
 - g. Swiss Franc (CHF)
 - h. Hong Kong Dollar (HKD)
 - i. Singapore Dollar (SGD)
 - j. UAE Dirham (AED)
 - k. Russian Rouble (RUB)
- (v) Banking units (BUs) were earlier permitted to undertake permissible activities (as specified in ACBU Module, GEN Directions, IFSCA banking Handbook) in freely convertible foreign currency. Under the amended regulations, BUs can undertake permissible activities in the specified currencies and with such persons, whether resident or otherwise, as may be specified by the Authority. Provided that a Banking Unit may be permitted to conduct such business in INR with such persons, whether resident or otherwise, as may be specified by the Authority, subject to settlement of the financial transaction in relation to such business in the specified foreign currencies.
- (vi) A Foreign Bank, not having its presence in India, wishing to set up a Banking Unit in an IFSC, shall comply with such additional requirements as may be specified by the Authority. The Authority has come out with a framework/SOP for processing the application of foreign banks (not having presence in India), in compliance with provision of extant statutes.
- (vii) The activity of providing “Referral services⁶⁸” is now included as one of the permitted activities under these amended regulations.
- (viii) Under the earlier Regulations it was prescribed that Deposit Insurance shall not be applicable for deposits opened by banking units. Under the amended regulations, it is prescribed that deposits of a Banking Unit may be insured subject to applicability of and to the extent provided under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and any rules or regulations made thereunder.

⁶⁸ Means an activity in which a BU, pursuant to an arrangement with a financial product or financial service provider, refers its clients or the clients of its Parent Bank as potential customers (or “leads”), to such financial product or financial service provider for providing them the financial product(s) or financial service(s)

IFSCA Banking Handbook

IFSCA Banking Handbook Gen Directions – Version 4.0

In case of any change in the material outsourcing arrangement, IBUs have been mandated to inform the Authority within 7 days.

The IFSCA Banking Handbook COB Direction- Version 5.0

- (i) Definition of specified currencies was added in line with the Department of Economic Affairs (DEA), MoF notification dated July 3, 2023, on specification of foreign currencies. List of Specified currencies include 11 currencies.
- (ii) Under Permissible activities, IBUs can undertake following additional activities/services:
 - a. Providing services⁶⁹ to Designated Entities⁷⁰ without Risk Participation.
 - b. Act as a system participant and/or a system provider for an authorised payment system.
 - c. Offering payment services as defined in the regulation on Payment services issued by the Authority.
 - d. Issuing ODIs on securities as listed u/s 2(h)(i) of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (as amended).

The IFSCA Banking Handbook PRU Direction- Version 4.0

- i. Clarification was issued to IBUs about requirement of Statutory Audit under applicable laws.
- ii. Guidance note for IBUs of foreign banks was included regarding the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 which, inter alia, permits a banking company incorporated outside India, in respect of all business transacted through its branches in India, to prepare a balance-sheet and profit and loss account as on the last working day of that year or the period, as the case may be, in the forms set out in the third schedule of the Act.

IFSCA (Payment Services) Regulations, 2024

Section 3(1) (e) (xi) of the IFSCA Act, 2019 lists “selling, providing, or issuing stored value or payment instruments or providing payment services” as one of the financial services that financial institutions in IFSC may provide and Section 12 (1) of the IFSCA Act, 2019 empowers the Authority to develop and regulate the financial products, financial services and financial institutions in the IFSC.

Due to the demand from various participants in the financial ecosystem and users of the financial services (money transfer service providers, NRIs, foreign investors, payment application providers etc.) and the focus of new age startups on the smoothening and easing the payments and

⁶⁹ Services include managing the risk of transactions booked by the designated entities and providing support to global sales/ trading/ structuring teams of the designated entity

⁷⁰ Designated entities are group entities of a parent bank of an IBU

payments related transactions especially in the area of cross-border payments between India and rest of world, it was felt essential to prescribe regulations for orderly growth of the payment services ecosystem in IFSC.

Further, many FinTech entities/start-ups, who have been admitted in the IFSCA FinTech Sandbox for testing their use-case of their offerings are in the payments domain. Once they exit the Sandbox, there would be a requirement of an enabling regulation to authorise and regulate their operations.

The IFSCA (Payment Services) Regulations, 2024 adopts a principle-based approach and lays down the authorisation, governance and risk management norms and requirements for payment service providers. The salient features of the regulations are:

- i. The term 'payment services' has been defined and the payment services allowed under the regulations have been specified which are-
 - a. Account issuance service
 - b. E-money issuance service
 - c. Escrow service
 - d. Cross border money transfer service
 - e. Merchant acquisition service
- ii. The activities which are kept outside the definition of payment services have also been specified under the regulations.
- iii. The eligibility and requirements relating to authorisation have been specified in the regulations.
- iv. Governance arrangements which are to be adopted by the payment service providers have been laid down in the regulations.
- v. The regulations also provide a framework for risk management of third-party service relationships which payment service providers may enter into.
- vi. The duties of the payment service providers with respect to various stakeholders have been laid down in the regulations.
- vii. The regulations lay down the customer complaint handling procedures for payment service providers including online reconciliation services.

Circulars

Opening Special Non-Resident Rupee (SNRR) account with Authorized Dealer Bank in India (August 30, 2023)

As per earlier provisions, IBUs were not allowed to open SNRR account with AD Bank in India of which it is a branch. These provisions have been modified and accordingly, IBUs can now open an INR account in the form of SNRR Account, with an AD bank in India to defray their administrative expenses in compliance with directions of RBI in this regard.

Allocation of Indian Financial System Code (IFSC code) to IBUs (November 28, 2023)

This circular was issued to enable IBUs to apply for and obtain IFSC codes. This would help them undertake inward remittances from overseas jurisdiction through cross border payment systems that require IFSC Code of the destination branch of the bank in India as a compulsory requirement.

Avoiding rerouting of transactions to IBUs that have been wrongly credited in the parent AD bank's Nostro account – Reporting in R-Return (January 22, 2024)

IFSCA issued directions to IBUs to adhere to the specific reporting procedures (Reporting in R Return) in case of transactions to IBUs from overseas bank that have been wrongly credited in the parent AD bank's Nostro account. This would ensure that flow of remittance from overseas bank to IBUs takes place without delay and so as to avoid the need of rerouting funds that have been wrongly credited to the Nostro account of the Parent bank.

Improving processing timelines of cross border payments (January 8, 2024)

IBUs have been advised following measures for improving the processing timelines of cross border payments:

- (i) Upgrading their existing messaging solutions so as to have continuous visibility of the status of a transaction by use of services like SWIFT GPI etc.
- (ii) IBUs using SWIFT as messaging service may consider using MT 910 (Confirmation of credit message) instead of MT 940 (Customer Statement message) for crediting the accounts of its constituents after due internal approval of such change of process.
- (iii) To undertake a study and document their existing method of processing cross-border transactions and how the speed of processing such transactions may be further improved.

Transaction/Processes/Operations/Trends

As on March 31, 2024, the Banking ecosystem at IFSC has 23 IBUs operating and 4 IBUs have been given licenses and are expected to commence operations during the FY 2024-25.

Table 1: No. of IBUs

Particulars	FY 2022-23	FY 2023-24
No. of operational IBUs at IFSC	20	23

Table 2: Total Assets in IBUs in USD Mn

Particulars	Outstanding as on Mar 31, 2023	Outstanding as on Mar 31, 2024
Total Assets at IFSC	38,286.41	60,248.15


Table 3: No. of employees in all IBUs

Particulars	FY 2022-23	FY 2023-24
No. of employees at all IBUs located in IFSC	277	343

Sources of fund raising for IBUs have been interbank and interbranch borrowings, medium term notes, borrowings from multilateral institutions, retail deposits, corporate deposits etc. Activities on asset deployment have been largely concentrated towards trade finance and commercial loans.

Customer Credit (Net) of the IFSC Banking ecosystem as on March 31, 2024, stands at USD 39.11 Bn and total asset size of IBUs is USD 60.24 Bn.

Figure 1: Outstanding of Major Credit Products (USD Mn)



Total customer credit outstanding has increased by 63.36% from USD 23.94 Bn (as on 31.03.2023) to USD 39.11 Bn (as on 31.03.2024). Growth in commercial loans and trade finance disbursed by the IBUs has been the biggest contributor for this increase in the customer credit outstanding for the IFSC.

Figure 2: Turnover (Volume of Business) in USD Mn





Figure 3: Investment Profile in USD Mn



IBUs were maintaining investment in Treasury bills for compliance with the prudential requirement of LCR maintenance. However, as per the guidelines, IBUs have been permitted to maintain LCR at their parent bank. Overall, there is a notable shift in investment preferences from Treasury Bills to Corporate Bonds by the IBUs over the one-year period.

Table 4: Derivative Outstanding (USD Mn)

Derivative Outstanding (USD Mn)	Outstanding as on Mar 31, 2023	Outstanding as on Mar 31, 2024
Non-Deliverable Derivative Contracts (FCY-INR) (including NDF, Fx-Swaps and options)	14092.67	26159.99
FCY-FCY forwards	3082.44	4145.16
FCY-FCY currency swap	957.56	966.35
FCY-FCY currency option	606.70	2515.61
INR Interest rate swap (IRS) (including overnight indexed swaps (OIS))	25343.29	28045.45
FCY Interest rate swap (IRS) (including overnight indexed swaps (OIS))	66924.23	101681.32
Others	1.62	663.34
Total	111008.51	164177.22

The outstanding derivative contracts at IFSC have increased by 47.90%. A few IBUs have commenced their market operations during the financial year whereas a few have increased their derivative trading portfolio based on their business strategies resulting in the overall increase in the derivative contracts outstanding at IBUs as on March 31, 2024.

Figure 4 : Major Country exposure of IBUs

IBUs have highest exposure to entities from India (74.63%) followed by USA (4.76%) and Mauritius (3.72%). Top five countries constitute 89.75% of the exposure of the IBUs.

Working Group/ Committee

A working group to deliberate on uniform working hours and holiday calendar for IBUs was constituted with members from IFSCA, Indian Banks Association (IBA), IBUs of Indian and Foreign Banks. The WG submitted its report to the Authority on January 22, 2024. Its recommendations are as under:

- (i) IBUs to implement a five-workday week.
- (ii) IBUs to implement uniform working hours of 9:45 a.m. to 5:30 p.m. for undertaking common set of activities being offered to market participants/FIs. For undertaking specialised services, flexibility may be given to IBUs to carve out a separate work shift arrangement, as per business requirement of their clients.
- (iii) IBUs to adopt the Mumbai holiday calendar.
- (iv) IFSCA to specify regulatory guidelines along with timeline to all IBUs for putting in place the appropriate system that is automated (24*7), through internet banking services for offering certain basic services to their customers. An STP to Swift messaging system also would help within certain limits through internet banking, as it is prevalent in India.

Advocacy and Outreach

International Conference on 'Role of IFSC in Export Credit & Export Credit Insurance'

The Ministry of Commerce and Industry, Government of India and IFSCA jointly organised an International Conference on the 'Role of IFSC in Export Credit and Export Credit Insurance' on December 19, 2023, at GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. The conference was addressed by Shri. K Rajaraman, Chairman, IFSCA, Shri. Vivek Joshi, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and Shri. Paresh Kantilal Mehta, Regional Chairman, Federation of Indian Exporter Organisation (WR).



Image 1 : International Conference on role of IFSC in export credit and export credit insurance

The conference served as a forum for deliberating and cross fertilisation of ideas on the dynamic shifts within Export Credit and Export Credit Insurance, highlighting the role of IFSC in fostering growth within this sector. At the conference, experts actively participated in dynamic roundtable discussions encompassing the following subjects:

- (i) Demand for export credit and export credit insurance
- (ii) Trade finance funding gap: Global and Indian perspective
- (iii) Innovation in export credit and export credit insurance
- (iv) Role of IFSC in bridging the trade finance funding gap
- (v) Closing the trade finance gap: Policy options



Image 2 : Panelist for the session on "Closing the trade finance gap: Policy option" (From left to right: Shri M.P Tangirala, Additional Secy., DFS, MoF; Shri Vipul Bansal, Joint Secy., DoC, MoCI; Shri Rajneesh Karnatak, MD & CEO, Bank of India; Shri Tarun Sharma, DMD, EXIM Bank of India; Shri Supriyo Bhattacharjee, CGM, IFSCA)

Policies and programmes for the following year

Issue of IFSCA Banking Handbook for the IFSC banking Companies

The Authority has amended the IFSCA (Banking) Regulations permitting Banks to set up IFSC Banking Companies (IBCs) in the form of subsidiary. Enabling framework in the form of compendium of directions under the IFSCA Banking Handbook shall be issued by the Authority.

Issue of Framework under the Payment and Settlement Regulations

The Authority has issued the draft Payment and Settlement Systems Regulations for public comments. Once the same is notified, IFSCA shall create the necessary framework thereunder for authorisation of payment and settlement systems in IFSC.

Foreign Currency Settlement System

A Foreign Currency Settlement System is being setup in GIFT IFSC which would settle foreign currency transactions (starting with USD) undertaken among IFSC Banking Units (IBUs) located in GIFT IFSC.

FINANCE COMPANIES

Finance Companies/Units (FCs/FUs) play a crucial role in providing non-banking financial intermediation services in the IFSC. FCs/FUs are allowed to undertake activities similar to those enabled for the IBUs in IFSC except raising public deposits, thus complementing the role of the IBUs in terms of providing financial services.

The FCs/FUs are governed under the IFSCA (Finance Company) Regulations, 2021 with an objective to provide a risk-focused competitive environment for financial institutions, ensuring fairness, transparency and efficiency while being aligned to international standards. The core activities include lending, investments, trading in Derivatives, acting as a Global/Regional Corporate Treasury Centre (GRCTC) and undertaking Factoring/ Forfeiting activities. Regulations have also enabled specific activities in the IFSC which includes undertaking leasing of aircrafts, ships, and other equipment notified by IFSCA, setting up of Global and Regional Treasury Centres and International Trade Finance Platforms (ITFS Platforms).

As of March 2024, the IFSCA has granted registration of 37 entities to set up as Financial Companies under the FC Regulations. Among these, 4 entities have been registered to engage in core activities like lending and factoring. With regards to FCs undertaking specific activities, 20 Aircraft Lessors have leased out a total of 125 aircraft assets from GIFT IFSC, 4 Ship Lessors and 3 ITFS entities have started commercial operations.

Policy/ Regulatory Developments

Finance Company (core activities)

- (i) Finance companies and Units were enabled as a 'Credit Institution' in January 2024 (by exercising powers under sec 33 A of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005) for undertaking permissible activities in IFSC. This is progressive step towards enabling acceptance/ sharing data between CICs and IFSC units. The inclusion would permit Finance Companies/ Unit to become member of Credit Information Companies (CICs), enabling them to exchange information on Indian borrowers with the CICs, thereby facilitating their due diligence processes.
- (ii) A clarificatory circular on the computation of ESG lending target was followed by a detailed FAQ.

Aircraft Leasing

Post modification in the SEZ Rules in February, 2023 by Dept of Commerce, Ministry of Commerce and Industry for sharing of office space and manpower, the Authority issued a circular in April 2023, to bring into effect to the same by specifying the eligible entities and process of application under it. The scope of Aircraft leasing framework was widened to include leasing of "Aviation

training simulation devices". Further, the provision of Asset Management Support Services (AMSS) to the group entities of an IFSC registered lessor was also enabled without the need for a separate registration under the Ancillary services framework. This was introduced as a measure of ease of doing business for the aircraft leasing entities in IFSC.

Transaction/Processes/Operations/Trends

The IFSC witnessed growing interest from various entities seeking to establish themselves as Finance Company in IFSC, for undertaking various activities such as lending, factoring and forfaiting, treasury centre activities, leasing of aircrafts and ships among others.

Some of the major players registered as finance companies for undertaking various activities include the likes of IOC Global Capital management IFSC Ltd. (subsidiary of Indian Oil Corporation), OVL Overseas IFSC Ltd. (subsidiary of ONGC Videsh Ltd), Exim Finservice IFSC Pvt. Ltd. (subsidiary of EXIM Bank India), AI Fleet Services IFSC Ltd. (subsidiary of Air India) and Lotis IFSC Pvt. Ltd (subsidiary of Ambuja Cements Ltd. – part of Adani Group). A few of the ship leasing entities registered include Jal Kumud Shipping IFSC Pvt Ltd., Athena Shipping IFSC Pvt. Ltd., Saigal Seatrade Services (IFSC) LLP and Ripley Pioneer India IFSC Pvt. Ltd.

Table 5: Registered Finance Companies as on March 31, 2024

Type of activity undertaken by the Finance Company	FC (Core)	Aircraft Leasing	Ship Leasing	FC (non-core)-holding cos and ITFS entities	Total
CoR Granted	4	20	8	5	37

Table 6 : Aircraft Operating Lease (AOL) Entities

S. No.	Type of Aviation Assets	No. of assets leased as on 31st March 2024
1	Aircrafts	20
2	Engines	49
3	Ground Support Equipment	56
	Total	125


Table 7 : Ship leasing Entities

S. No.	Type of Assets	No. of asset leased as on 31st March 2024
1	Ships	4

Table 8 : ITFS Platforms

Number of Transactions Financed as on 31 st March 2024	281
Value of Transactions Financed as on 31 st March 2024	USD 12.91 Mn

Figure 5 : Number of Finance Companies in IFSC



Circulars

- (I) Guidance framework on Sustainable and Sustainability linked lending by financial institutions – Clarification (April 20, 2023)
- (ii) Utilisation of office space or manpower or both by entities undertaking aircraft leasing activity in the International Financial Services Centre (“IFSC”) (April 18, 2023)
- (iii) Amendment to the IFSCA circular titled 'Framework for Aircraft Lease' - Enabling lease of Aviation training simulation devices (April 26, 2023)

Advocacy and Outreach

- (i) A round table conference titled 'Developmental aspects of the ITFS platforms in IFSC' was held by the division on December 12, 2023, for identifying further improvements to the ITFS framework. The conference was attended by the ITFS entities in IFSC, IBUs, strategic heads from the Head Offices of IBUs, general insurance entities registered with IFSC and prospective insurance entities in IFSC. The view of the participants was also sought on the amendments required in the ITFS Framework with the objective of bringing in operational efficiency.
- (ii) As a matter of bringing ease of doing business and to ensure that the regulations framed are best in class regular interactions are held across industry either in-house or through participation in industry events. IFSCA officials attended the Airline Economics event held in Ireland and in Delhi and interacted with global lessors and financiers. These events helped gain insight into the industry functioning and identifying policy enhancements to the IFSC environment in order that it becomes competitive with the global financial centres.
- (iii) A closed door round table was held with global corporates in Singapore wherein feedback was sought on the Global Regional Treasury Centre Framework. Insights were provided into the aspects that are looked in to for enabling the corporates to move their treasury to IFSC and comparison was drawn with the best practices in other jurisdictions. This enabled in undertaking the periodic review of the framework thereby bringing the IFSC at par with other preferred jurisdictions.
- (iv) The Global Maritime Summit held in Mumbai was attended by IFSCA representatives who participated in a roundtable discussion on “Opportunities for Ship Leasing in GIFT IFSC”.



Image 3 : Global Maritime Summit Panel with Hon'ble Finance Minister

Aircraft Leasing

Dublin visit

A delegation from IFSCA participated in the Airline Economics event from January 29 – February 1, 2024, at Dublin, Ireland. Chief General Manager, IFSCA and General Manager, IFSCA held 36 meetings with various participants across the spectrum in aviation industry to appraise them about the regulatory landscape of IFSC, opportunities in the aircraft leasing at GIFT IFSC and the progress made so far in this sphere. The delegation explained the competitive advantage of GIFT IFSC and the potential opportunities stemming from the recent orders placed by the Indian airlines and how lessors can benefit from the existing mechanism in place for aircraft leasing at GIFT IFSC.



Image 4: IFSCA meeting with Ambassador of India to Ireland

Airline Economics Event – New Delhi

A delegation from IFSCA participated in the second edition of India specific event organized by the Airline Economics on February 27-28, 2024, at New Delhi. Chief General Manager, IFSCA presented the IFSCA aircraft leasing and tax framework and the holistic approach of IFSCA and Govt. of India with regards to developing GIFT IFSC as a hub for aircraft leasing. The discussions were held on a wide array of topics relating to aircraft leasing and financing at GIFT IFSC. Several bilateral meetings were also organized.

Ship Leasing

Marine Money India Ship Finance Forum

A delegation from the IFSCA participated in the inaugural edition of India specific event organized by the Marine Money on February 20, 2024, at Mumbai. Chairperson, IFSCA delivered a keynote address in which he appraised the participants about the opportunities available for ship leasing and financing at GIFT IFSC. Executive Director, IFSCA participated in the panel discussion to deliberate upon Ship Acquisition, Leasing and Financing at GIFT IFSC.

Policies and programs for the following year

Review of the Finance Company Regulations

According to the IFSCA (Procedure for Making Regulations) Regulations, all regulations issued by the Authority must undergo a review every three years. Consequently, the FC Regulations and relevant circulars will be evaluated and appropriately modified/amended to facilitate the ease of doing business for entities. This review process will also entail making necessary amendments to circulars and frameworks in consultation with the industry.

Enabling Finance Companies in IFSC to undertake investment in the form of Participating Interest

Participating interest (PI) is a type of investment which grants investors a proportional ownership stake in a project, typically within the natural resource exploration sector, such as an oil and gas exploration block, or minerals etc. This type of investment provides stakeholders with a share in the assets/natural resources being explored and subsequently extracted. Facilitating PI may enable entities to engage in strategic investments in natural resource exploration and production, thereby potentially benefiting India's energy security.

Enabling circulars related to 'Ship Leasing in IFSC'

- (i) Issuing clarifications regarding the nature of activities permissible for ship lessors in IFSC. Essentially, it will specify that ship leasing can be conducted by any entities that own ships or hold leasehold rights over ships or ocean vessels.
- (ii) The Ministry of Commerce and Industry vide Gazette Notification dated March 14, 2024, had amended rule 21B of the SEZ Rules 2006, to enable ship leasing unit in IFSC to utilise the office space or manpower or both of another unit in IFSC for the purpose of ship leasing, with the

approval off the Authority. Pursuant to the above notification, the Authority intends to issue guidelines specifying the condition and processes by which an FC/FU undertaking ship leasing in IFSC may avail this facility as issued in case of aircraft leasing entities.

Issuance of Framework for Holding Companies

The framework would provide companies with an avenue to set up holding company in IFSC for their overseas or domestic business expansion. This will enable Indian corporates and global corporates to strategize their investments overseas and investments in India respectively.

Policy enhancements in Aircraft and Shipping sector required to transform IFSC into a Financing Hub

Currently, IFSC has facilitated leasing of aircrafts and ships. However, in order to transform IFSC into an aircraft and ship financing hub, a number of tax and sectoral policy changes are required. Detailed policy papers have been sent to Ministry of Finance, Shipping and Civil Aviation.



CAPITAL MARKETS

The capital markets ecosystem in GIFT IFSC aims position India as a global financial hub by providing a robust and efficient infrastructure which includes advanced international stock exchanges, robust clearing and settlement systems and a diverse range of financial products such as equities, debt instruments, and derivatives. Regulated by the International Financial Services Centres Authority (IFSCA), GIFT IFSC offers best-in-class regulatory framework, streamlined processes, and attractive tax incentives to create a conducive environment for global investors and financial entities across the globe.

The capital market ecosystem in GIFT IFSC comprises of two International Stock Exchanges (India INX and NSE IFSC) offering 20+ hours of trading in various product categories including Index Derivatives, Equity Derivatives, Currency Derivatives, and Commodity Derivatives. The monthly turnover on IFSC Exchanges for the month of March 2024 was USD 79 Bn, and the average daily turnover of NIFTY Derivative contracts on NSE IX during the month of March 2024 was USD 3.70 Bn.

GIFT IFSC has also become the preferred destination for Indian issuers looking for raising global debt, including for green, social, sustainable and sustainability linked debt securities. The cumulative debt listings at GIFT IFSC stock exchanges as on March 2024 is USD 56.5 Bn of which USD 12.3 Bn pertains to ESG labelled debt securities. The introduction of lower withholding tax (9%) on the exclusive debt listing at IFSC exchanges in Union budget 2023-24 will further encourage more Indian issuers to raise global debt from GIFT IFSC.

Policy/ Regulatory Developments

Listing of Securities

Direct Listing Scheme

The Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman announced on July 28, 2023, the decision of Government of India to allow direct listing of equity shares of public Indian Companies on the international exchanges in the IFSC. Pursuant to the announcement, the Government of India on January 24, 2024, notified the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Amendment Rules, 2024 and the Companies (Listing of Equity Shares in Permissible Jurisdictions) Rules, 2024 ("LEAP Rules") providing the framework for direct listing of equity shares by public Indian companies on the International Exchanges at GIFT IFSC. The Direct Listing Scheme introduced in the FEM (NDI) Rules, 2019 provides an overarching framework for issuing and listing of equity shares of public Indian companies on international exchanges. Prior to this, Indian companies were not allowed to issue or list equity shares abroad. As of now, the framework allows unlisted public Indian companies to list their shares on an international exchange.

This policy initiative offers Indian companies, especially start-ups and companies in the sunrise and technology sectors, an alternative avenue to access global capital beyond the domestic exchanges. This is expected to lead to better valuation of Indian companies in line with global standards of scale and performance, boost foreign investment flows, unlock growth opportunities and broaden the investor base.

Public Indian companies will have the flexibility to access both markets i.e. domestic market for raising capital in INR and the international market at the IFSC for raising capital in foreign currency from the global investors. This initiative will particularly benefit Indian companies going global and having ambitions to look at opportunities for expanding their presence in other markets. It is also expected to provide a boost to the capital market ecosystem at GIFT IFSC by provision of new investment opportunities for investors, diversification of financial products and by enhancing liquidity.

Incentives for foreign investors

For foreign investors, the Direct Listing scheme will allow them to participate in value creation in Indian companies facilitated by the world class and business friendly regulatory regime being offered by the IFSC.

The transactions on the stock exchanges in IFSC are in foreign currency, eliminating the currency risk for the investors. The stock exchanges in IFSC have extended trading hours catering to investors of all significant jurisdictions in the world thereby providing convenience and ease of doing business. Additionally, there are various tax incentives provided under the Income Tax Act, 1961, making GIFT IFSC an attractive destination for global investors.

IFSCA is already having a well-developed capital market ecosystem including stock exchanges, clearing corporations, depository, investing bankers, brokers, IBUs etc. GIFT IFSC is therefore well positioned to act as the gateway for attracting untapped foreign capital into India and integrating India with the global financial system.

Box 1: Major features of the Direct Listing Scheme

Eligibility Criteria for public Indian companies

The eligibility criteria for a public Indian company to list its equity shares on an international exchange in the IFSC has been provided in the Direct Listing Scheme provided under FEM (NDI) Rules, 2019 and the LEAP Rules.

Issue and Listing on International Exchanges:

A public Indian company may issue equity shares or offer equity shares of existing shareholders, subject to prohibited activities, and sectoral caps prescribed in paragraph 2 and 3 of Schedule I of the FEM (NDI) Rules, 2019.

Further, equity shares listed in the IFSC shall be in dematerialized form and rank pari passu with equity shares listed on a recognised stock exchange in India.



Permissible holders

A non-resident person has only been permitted as permissible holder who can purchase or sell equity shares of a public Indian company listed on an international exchange in the IFSC. Further, a permissible holder is permitted to purchase or sell equity shares of an Indian company listed on an international exchange within the limit specified for foreign portfolio investment under the FEM (NDI) Rules, 2019.

Pricing

In case of initial listing of equity shares by a public unlisted Indian company on the International Exchange, the price of issue or transfer of equity shares shall be determined by a book-building process as permitted by the said International Exchange and shall not be less than the fair market value under applicable rules or regulations under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

In case of an already listed Indian company, the equity shares shall be issued in the IFSC at a price not less than the price applicable to a corresponding mode of issuance of such equity shares to domestic investors under the applicable laws.

IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021

Pursuant to the notification of Direct Listing Scheme, IFSCA issued a press release inviting for suggestions from public and other stakeholders for reviewing the IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021, mainly with the purpose of promoting ease of doing business and benchmarking the regulatory requirements with best practices in other global markets. As on March 31, 2024, IFSCA is in the process of reviewing the IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021.

Monitoring investments from countries sharing land border with India

IFSCA issued a circular dated February 09, 2024 providing the mechanism to monitor investments from countries sharing land border with India. It provides detailed requirements to monitor participation by such entities at the time of onboarding, primary market issuances, secondary market trading, off-market transfers. It also requires the recognised stock exchanges in IFSC to conduct market surveillance to monitor any trading activity by such identified clients in the secondary market and submit report to IFSCA on monthly basis.

Market Infrastructure Institutions

The stock exchanges, clearing corporations and depositories are classified as Market Infrastructure Institutions (MIIs). These institutions provide the necessary infrastructure for facilitating trading, clearing and settlement of securities. As the nature of the functions performed by the MIIs forms the backbone of the capital market in GIFT IFSC and hence are very critical, they are subject to greater degrees of regulatory oversight.

Stock Exchange

A stock exchange plays the central role in facilitating trading in securities in close coordination

with clearing corporation and depository. It provides a trading platform for facilitating price discovery of the securities available for trading. Additionally, stock exchanges are also entrusted with various regulatory responsibilities for ensuring market integrity and for protecting investor interests.

IFSCA grants recognition to stock exchanges under Regulation 9 of the IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as MII Regulations). Currently there are two stock exchanges operating in GIFT IFSC, namely India International Exchange (IFSC) Limited (India INX) and NSE IFSC Limited (NSE IX). India INX is subsidiary of the BSE Limited and NSE IX is the wholly owned subsidiary of National Stock Exchange of India Limited. Both the stock exchanges are operational since 2017 and are being granted annual renewal of recognition under MII Regulations.

Co-location facility offered by the Stock Exchanges

The Co-location facility is offered by the stock exchanges to eligible market participants such as broker dealers and data vendors, whereby their trading or data-vending systems are allowed to be located within or at close proximity to the premises of the stock exchanges. Trading systems of such market participants are connected to the trading platform of the stock exchanges through direct and private network.

The stock exchange while facilitating co-location, are required to ensure that all eligible market participants who avail co-location facility have fair, transparent and equitable access to facilities and data feeds provided by the stock exchange.


The stock exchanges also have to permit direct connectivity between the co-location facility of a recognised stock exchange in IFSC and the co-location facility of other recognized stock exchange in IFSC, India or overseas.

BOX 2: GIFT Connect

The GIFT Connect (formerly NSE IFSC-SGX Connect) is a mutual collaborative effort between the National Stock Exchange of India and the Singapore Exchange. It was launched by the Hon'ble Prime Minister of India on July 29, 2022. With India's economy projected to become the world's third largest, the GIFT Connect presents an innovative pathway for international investors to gain exposure to India capital market.

The GIFT Connect unifies both international and domestic participants, creating a deeper liquidity pool, and an expanded shelf of Nifty products for investors. SGX has set up a subsidiary i.e., SGX India Connect IFSC Private Limited in GIFT IFSC to act as a pass-through entity for orders routed through SGX.

Full-scale operations of GIFT Connect commenced from July 3, 2023, with USD 8.05 Bn open interest in Nifty futures and over USD 1.04 Bn open interest in Nifty Options. Following the transition, all US dollar-denominated Nifty derivatives contracts are being exclusively traded on NSE IX. The average daily turnover of NIFTY derivative contracts on NSE IX in March 2024 was USD 3.70 Bn.



Following NIFTY contracts are available for trading for almost 21 hours in GIFT IFSC which overlaps Asia, Europe, and US trading hours.

- i. Nifty 50 Index Futures and Options
- ii. Bank Nifty Index Futures and Options
- iii. Nifty IT Index Futures and Options
- iv. Nifty Financial Services Index Futures and Options

The GIFT Connect has given a boost to GIFT IFSC as a global hub for international financial products and services. It is a major step forward for India to be a 'price setter' of the financial world.

Clearing Corporation

A clearing corporation is an MII that handles the clearing and settlement of transactions that are executed on the stock exchange. The clearing corporations fulfil the main obligation of ensuring that transactions are settled between counterparties in a prompt and efficient manner.

There are two clearing corporations operational in GIFT IFSC namely, India International Clearing Corporation (IFSC) Limited (India ICC) and NSE IFSC Clearing Corporation Limited (NICCL). India ICC is subsidiary of BSE Limited and NICCL is the wholly owned subsidiary of NSE Clearing Limited. Both the clearing corporations are being granted annual renewal of recognition under MII Regulations.

Depository

A depository is an organisation which holds securities (like shares, debentures, bonds etc.) of investors in electronic form at the request of the investors through a registered depository participant. India International Depository IFSC Limited (IIDI) is the sole depository functional in GIFT IFSC which acts as the record keeper of securities.

Capital Market Intermediaries

The Capital Market Intermediaries (CMIs) are generally client-facing entities which assist issuing company and investors to perform various transactions in the capital market. Activities of CMIs in IFSC are governed under IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021. These regulations have specified the regulatory framework for various types of intermediaries such as broker dealers, clearing members, depository participants, investment bankers, investment advisers, custodians, distributors etc.

Broker Dealers

Broker dealers are entities which execute trades on their own account as well as on behalf of their clients on the recognised stock exchanges in IFSC.

Table 9 : Broker dealers in IFSC (as on March 31, 2024)

Stock Exchange	No. of Brokers Dealers
India INX	59
NSE IX	67

Source: India INX and NSE IX

Clearing Members

A clearing member is an intermediary that is responsible for clearing and settlement of all trades executed by a broker dealer.

Table 10 : Clearing members in IFSC (as on March 31, 2024)

Clearing Corporation	No. of Self Clearing Members	No. of Trading Cum Clearing Members	No. of Professional Clearing Members
India ICC	5	9	2
NICCL	7	11	2

Source: India ICC and NICCL

Status of operations at Disaster Recovery (DR) Site of the Broker Dealers and Clearing Members

Broker dealers and clearing members are permitted to set up their DR Sites in India. DR sites ensure that entities run their operations with minimal down time in case their primary location and systems fail due to an unforeseen event. IFSCA clarified that operations carried out by the broker dealers and clearing members, from their respective DR sites (located outside GIFT IFSC and within India) will be considered to have been carried out at GIFT IFSC.

Direct Market Access and Sponsored Access facilities

Broker dealers in IFSC are permitted to offer Direct Market Access (DMA) facility to their clients. DMA facility allows broker dealers to offer their clients direct access to the trading system of the stock exchange, through the broker dealer's trading systems, without any manual intervention by the broker dealer. The broker dealer retains the ability to monitor internally and, if necessary, stop an order prior to it being executed.

Additionally, in order to enhance market participation and broaden the investor base, broker dealers have been permitted to offer the facility of Sponsored Access (SA) to its clients. SA is a form of DMA in which the broker dealer permits its client to transmit orders directly to the trading system of stock exchange without routing it through the broker dealer's trading system. Such an arrangement facilitates low latency trading and assists in preserving the confidentiality of sophisticated, proprietary trading strategies of the clients.

The stock exchanges are required to identify and distinguish DMA/SA orders and trades from other orders and trades. The broker dealers are fully responsible and liable for all orders emanating through their DMA/SA systems of their clients.



Settlement of Client's Funds lying with Broker Dealer

Broker dealers in IFSC were required to transfer the unutilized funds back into client's account on monthly/quarterly basis (as per choice of client). This requirement of settlement of funds by the broker dealers involves cost of remittance of funds across the jurisdictions. For the ease of doing business in IFSC, the requirement of monthly/quarterly settlement has been done away with and settlement of funds is to be done as per the agreement between the client and broker dealer. The stock exchanges are required to put in place a mechanism for monitoring client's funds lying with the broker dealers to avoid misutilization of funds.

Depository Participants

A depository participant (DP) is a participant of a recognized depository and acts as an intermediary between the depository and the investor. As on March 31, 2024, there are 10 DPs registered with the Authority out of which 2 entities were granted registration during 2023-24.

Custodians

A custodian is a specialized financial institution that carries on the business of providing custodial services in relation to financial products which include safekeeping of such financial products and providing services incidental thereto. As on March 31, 2024, there are five custodians registered with the Authority.

Investment Advisers

Investment advisers play a pivotal role in IFSCs by providing valuable guidance, managing risks and helping investors achieve their financial objectives in a complex and dynamic financial landscape. As on March 31, 2024, there are four investment advisers registered with the Authority.

Investment Bankers

Investment bankers play a vital role in facilitating capital formation, advising on strategic transactions, managing risk exposure and facilitating cross-border transactions, and their expertise and services are essential for the efficient functioning of global financial markets. The role of investment bankers is set to assume greater significance in the IFSC once the Direct Listing Scheme becomes operational.


Further, IBUs in IFSC have been permitted (authorized) by IFSCA vide circular dated December 3, 2021, to undertake investment banking activities in IFSC, subject to certain conditions. As on March 31, 2024, there is one investment banker (registered) and two IBUs (authorized) to undertake investment banking activities in the IFSC.

Transaction/Processes/Operations/Trends

Turnover on Stock Exchanges

The turnover (including value of premium in case of options) on the stock exchanges in IFSC increased to USD 711 Bn during FY 2023-24 compared to USD 447 Bn of FY 2022-23 registering an increase of 59%.

Figure 6 : Turnover of stock exchanges (USD Mn)



Derivatives available for trading on Stock Exchanges

Index Derivatives

The most popular index derivatives on India INX are S&P BSE SENSEX & S&P BSE SENSEX 50. NSE IX offers trading in Futures and Options contracts on four Indices which are, NIFTY 50 Index, NIFTY BANK Index, NIFTY FINANCIAL Services Index and NIFTY IT Index.

Index Futures: Turnover in index futures grew by 75% in 2023-24 compared to 2022-23.

Table 11 : No. of contracts and turnover in index futures

Financial Year	No of Contracts		Turnover (USD Mn)	
	India INX	NSE IX	India INX	NSE IX
2022-23	8,161,501	7,397,074	148,374	254,965
2023-24	1,242,244	16,678,005	24,905	680,920

Source: India INX and NSE IX

Index Options: Turnover in index options in 2023-24 as compared to 2022-23 has been as under:

Table 12 : No. of contracts and premium turnover in index options

Financial Year	No of Contracts		Premium Turnover (USD Mn)	
	India INX	NSE IX	India INX	NSE IX
2022-23	173,297,387	724,776	9,695	188
2023-24	14,302,868	1,433,164	773	363

Source: India INX and NSE IX

Commodity Derivatives

There are various commodities derivatives available for trading on the stock exchanges as mentioned in the table below.

Table 13 : Commodities derivatives available for trading on the IFSC exchanges

Precious Metals	Gold, Silver
Base Metals	Copper, Aluminium, Lead, Nickel, Zinc
Energy	Brent Crude Oil

The turnover in commodity derivatives for the Financial Year 2022-23 and Financial Year 2023-24 has been as under:

Table 14 : Turnover in commodity derivatives on India INX

Financial Year	No of Contracts	Premium Turnover (USD Mn)
2022-23	552,439	31,632
2023-24	45,343	2,901

Source: India INX

Currency Derivatives

There are various currency derivatives available for trading on the stock exchanges as mentioned below:

Table 15 : Currency Derivatives

Global Currency Derivatives	EUR-USD, GBP-USD, JPY-USD, CHF-USD, AUD-USD
Rupee Derivatives	INR-USD, USD-INR

The turnover in currency derivatives in FY 2022-23 and FY 2023-24 has been as under:

Table 16: Turnover in currency derivatives


Financial Year	No. of Contracts		Premium Turnover (USD Mn)	
	India INX	NSE IX	India INX	NSE IX
2022-23	133,711	26,007	1,662	645
2023-24	36,481	19,731	444	480

Source: India INX & NSE IX

Contract wise bifurcation of the turnover

Contract wise turnover on stock exchanges in FY 2022-23 and FY 2023-24 has been as under:

Figure 7 : Turnover on stock exchanges in FY 2022-23 and FY 2023-24 (USD Mn)



Working Groups/ Committee

Working Group on Direct Listing of Listed Indian Companies on IFSC Exchanges

A Working Group was constituted by IFSCA in August 2023 for making recommendations for operationalising direct listing of equity shares of already listed Indian Companies.

The Working Group, chaired by Mr. Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA with members from Ministry of Corporate Affairs, Department of Economic Affairs, Securities and Exchange Board of India and other market participants submitted its report to Chairperson, IFSCA on December 20, 2023.

The Working Group studied the best practices for cross-border listing by companies in various jurisdictions. The Working Group, after extensive deliberations, recommended the various approaches for connecting the capital markets of India and IFSC for the proposed Direct Listing of Indian companies. The Working Group studied various regulatory and operational matters relating to dual listing of Indian companies. The recommendations are aimed at facilitating implementation of direct listing providing Indian companies a pathway to access global capital through IFSC. The final report is available on the IFSCA website and can be accessed here.

Standing Committee on Primary Markets

IFSCA constituted a Standing Committee on Primary Markets on February 23, 2024, chaired by Mr. Shri Mohandas Pai. The committee shall advise IFSCA on (a) the various policy and regulatory matters on a periodic basis to facilitate the development of a vibrant and robust ecosystem for primary markets in the IFSC; (b) the roadmap and strategy for successful implementation of direct listing of public Indian companies on the stock exchanges in the IFSC; (c) introduction of new financial instruments for facilitating capital raising in the primary markets in the IFSC; (d) scaling up global debt market in the IFSC; and (e) matters relating to development and regulation of primary markets in the IFSC.

Circulars/ Guidelines

- (i) Status of operations at Disaster Recovery (DR) Site of the Broker-Dealers and Clearing Members (May 09, 2023)
- (ii) Direct Market Access and Sponsored Access facilities (June 21, 2023)
- (iii) Co-location facility offered by the Stock Exchanges (June 23, 2023)
- (iv) Settlement of Client's Funds lying with Broker-Dealer (March 14, 2024)
- (v) Monitoring investments from countries sharing land border with India (February 09, 2024)
- (vi) Reporting Norms for Capital Market Intermediaries (February 08, 2024)

Advocacy and Outreach

Round Table discussions in Singapore

An IFSCA delegation led by Chairperson, IFSCA had visited Singapore in November 2023. During the visit, Round Table discussions on following were organized:

- (i) Capital Markets in IFSC
- (ii) Fund management/ Wealth management in IFSC
- (iii) Ship Leasing in IFSC

These discussions were attended by the representatives of various prominent entities in Singapore. The participants were informed about the business opportunities in GIFT IFSC under IFSCA's regulatory ecosystem.



Image 5 : Chairperson, IFSCA with market participants during a Round Table in Singapore

Meeting with Monetary Authority of Singapore

Chairperson, IFSCA met with Mr. Lim Tuang Lee, Assistant Managing Director (Capital Markets), Monetary Authority of Singapore in November 2023 and discussed potential areas for collaboration.



Image 6 : Meeting of IFSCA and MAS

IOSCO Annual Meeting 2023


IFSCA participated in the IOSCO Annual Meeting 2023 held during June 12-16, 2023, at Bangkok, Thailand. As an associate member of IOSCO, the IFSCA delegation participated in the various meetings/ events of the IOSCO Annual Meeting, including Asia Pacific Regional Committee (APRC) meeting, Growth and Emerging Markets Committee Meeting, and Presidents' Committee Meeting.

The IFSCA delegation also participated in the regulatory workshops that revolved around regulation of crypto markets, building healthy and efficient sustainable markets, enhancing market supervision and integrity through the use of SupTech and building a CCP (Central Counterparties) particularly in emerging markets.

On the sidelines of the IOSCO Annual Meeting, the IFSCA delegation held bilateral meetings with securities market regulators of six jurisdictions.

IOSCO EMMoU

Due to challenges that come with the interconnectedness of financial markets and technological advancements, IOSCO established an Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding ("IOSCO EMMoU") in the year 2016 to enhance cooperation and information sharing between securities regulators. The IOSCO EMMoU provides for cooperation with additional powers that IOSCO has identified as necessary to ensure continued effectiveness in safeguarding market integrity and stability, protecting investors and deterring misconduct and fraud. The IOSCO EMMoU provides for additional powers that are referred to as the "ACFIT" powers. It includes



powers to obtain and share audit work papers, review financial statements, compel physical attendance for testimony, freeze assets and obtain existing internet service provider (ISP) and telephone records.

During the year, IFSCA has applied for becoming a signatory to the IOSCO EMMoU.

IOSCO World Investor Week 2023

The World Investor Week (WIW) is a week-long global campaign promoted by IOSCO to raise awareness about the importance of investor education and protection and to highlight the various initiatives of securities regulators across the world in this regard.

As a member of IOSCO, IFSCA celebrated the World Investor Week 2023 on the theme related to sustainable finance and investor resilience, during the week starting October 09, 2023. The two stock exchanges at GIFT IFSC actively took part in the celebrations in co-ordination with IFSCA. A series of events and activities were organized as part of the celebrations that included a statement by Chairperson, IFSCA, opening bell ringing ceremony, webinars/roundtable discussions, outreach to students and brokers, social media campaign and closing bell ceremony.

Details of the various events conducted as part of IOSCO World Investor Week 2023 are as follows:

Statement by Chairperson, IFSCA

As part of the IOSCO World Investor Week, 2023 Shri. K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA issued a statement emphasising on the importance and significance of sustainable finance. In his statement, he mentioned the various initiatives taken by IFSCA to emerge as global hub for green and sustainable finance and highlighted the various investment opportunities at GIFT City.

Opening Bell Ringing Ceremony hosted by NSE International Exchange IFSC Limited (October 09, 2023)

To commence the celebrations of the IOSCO World Investor Week, 2023 at GIFT IFSC, a virtual webinar was organized by NSE International Exchange IFSC Limited (NSE IX) on the topic “GIFT IFSC: A Gateway to Global Capital Market”, wherein Dr. Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA participated in a webinar as the Guest of Honour. During the event, the growth and development of the capital market ecosystem at GIFT IFSC was highlighted and all the stakeholders were called upon to make GIFT IFSC as a preferred destination for listing of Indian and foreign companies.

Webinar organized by BSE Brokers' Forum (October 10, 2023)

A webinar entitled “India Investor Show 2023” was organised by BSE Brokers' Forum which had representatives from IFSCA, SEBI, BSE Brokers' Forum, stock exchanges at IFSC and other stakeholders. The various investment opportunities through the GIFT IFSC for NRIs, Foreign nationals and for resident Indians in global markets through GIFT City were discussed including the Direct Listing Scheme. IFSCA officials also provided information about the overall development of the capital markets ecosystem at GIFT IFSC including the various products and services, such as fund management activities, GIFT NIFTY Derivatives, ESG labelled bonds and investment opportunities for resident Indians in global markets via IFSC based stock exchanges.

Webinar hosted by NSE IX (October 11, 2023)

IFSCA officials participated in a webinar on “Importance of sustainability reporting” as part of World Investor Week, 2023 hosted by NSE IX. During the event, various regulatory initiatives

undertaken by IFSCA on sustainable finance were highlighted. Reporting requirements with respect to ESG labelled bonds, ESG funds and sustainability lending by IFSC Banking Units in GIFT IFSC were discussed.

Roundtable Discussion with Investment Bankers (October 12, 2023)

IFSCA hosted a roundtable discussion with Investment Bankers on the topic – “Opportunities at GIFT IFSC”. Mr. Praveen Trivedi, Executive Director and other senior officials from IFSCA participated in the virtual roundtable. The discussion revolved around the role and significance of investment bankers for facilitating (a) Direct listing of equity shares of Indian companies on IFSC exchanges; and (b) Listing of ESG Labelled Bonds in order to establish GIFT IFSC as a gateway for channelizing foreign capital into India.

Social Media Campaign (October 09-13, 2023)


As part of the IOSCO World Investor Week, 2023, IFSCA used its social media platform, especially twitter (X) and LinkedIn to generate awareness about smart investing in sustainable finance. This was done through posting messages relating to ESG investing, socially responsible investing, impact investing, greenwashing etc. Various events and programs conducted as part of the World Investor Week, 2023 were also posted on the social media platforms by IFSCA and the stock exchanges at IFSC.

Closing Bell Ceremony hosted by India International Exchange Limited (October 13, 2023)

The closing bell ceremony for the World Investor Week, 2023 was hosted by India International Exchange Limited. Mr. Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA was the Guest of Honour of the event wherein many officials from IFSCA also participated. During the event, Mr. Praveen Trivedi stressed the importance of protecting the interests of investors in the development of the international financial ecosystem at GIFT IFSC.



Image 7 : Mr. Praveen Trivedi, Executive Director of IFSCA and Mr. Saurabh Shah, Corporate Advisor ring the closing bell ceremony of the IOSCO World Investor Week, 2023 hosted by India INX



IFSCA's participation in the IOSCO World Investor Week 2023, in coordination with the stock exchanges in GIFT IFSC on the theme related to sustainable finance and investor resilience played an important role in generating awareness about various developments relating to sustainable finance and the various opportunities for investors in GIFT IFSC.

Policy and Programmes for the Following Year

New IFSCA (Listing) Regulations, 2024

Considering that several suggestions have been received for amendments in the IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 it has been decided that the extant (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 may be replaced with the new IFSCA (Listing) Regulations, 2024. The new IFSCA (Listing) Regulations, 2024 is expected to be notified next year.

The proposed new IFSCA (Listing) Regulations, 2024 is expected to promote ease of doing business for the issuers, both domestic and foreign, to access capital market through listing of securities on the stock exchanges in the IFSC. The issuers will be able to access capital with greater flexibility and efficiency. The regulations are expected to give a fillip to the primary market activities in the IFSC, across various financial instruments.

New regulations on Takeovers and Buybacks


IFSCA will be reviewing the regulatory requirements for takeovers and buybacks of equity shares of companies listed on the recognised stock exchanges in the IFSC. The purpose is to benchmark the regulatory requirements with the international best practices.

New regulations on prohibition of market abuse

IFSCA will be reviewing the regulatory requirements for prohibition of insider trading and prohibition of fraudulent and unfair trade practices in the securities market in the IFSC. The purpose is to benchmark the regulatory requirements with the international best practices.

Review of IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021

In terms of IFSCA (Procedure for making regulations) Regulations, 2021, IFSCA is required to review the regulations every three years. Accordingly, IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 will be reviewed in the next year (2024-25).



FUND MANAGEMENT

A robust Fund Management industry along with a well-developed supporting ecosystem is pivotal to the growth of capital markets. With a view to develop GIFT IFSC as a preferred jurisdiction for global fund management industry, IFSCA notified the Fund Management Regulations in April 2022, which came into effect in May 2022. The Regulations have adopted global best practices and facilitate innovation and promote ease of doing business in IFSC.

Earlier, pooling of global capital for investments into India was predominantly undertaken through funds set up in overseas financial jurisdictions. In the short span of time since these regulations have come into effect, GIFT IFSC is emerging as a preferred jurisdiction for pooling global funds for investments into India as well as overseas, on account of best-in-class regulatory architecture and competitive tax regime.

The Fund Management ecosystem is growing rapidly and comprises of 104 Fund Management Entities, 115 Alternative Investment Funds (AIFs), and the total investment made by AIFs in IFSC being USD 3.7 Bn as of March 2024. Further, 11 schemes have been redomiciled to GIFT IFSC from different foreign jurisdictions, which is a testimony of the industry acceptance of the regulatory and tax regime for investment funds in GIFT IFSC.

The IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 provide for unified registration to the Fund Management Entity (FME) and permit them to undertake a host of fund management activities, such as managing retail schemes (including Exchange Traded Funds), non-retail schemes (Alternative Investment Funds), investment trusts (Real Estate Investment Trusts and Infrastructure Investment Trusts), Portfolio Management Services, etc.

The regulations establish three categories for FMEs:

(i) Registered FME (Retail): These FMEs can serve both retail and non-retail investors, offering a variety of fund management products and services, such as retail schemes (including Exchange Traded Funds), non-retail schemes (Alternative Investment Funds), Venture Capital Schemes, Portfolio Management Services, etc.

(ii) Registered FME (Non-Retail): These FMEs cater to accredited investors or those investing at least USD 150,000, with lower eligibility requirements compared to retail FMEs.

(iii) Authorized FME: This special category, with light-touch registration requirements, targets FMEs investing only in unlisted start-up securities through Venture Capital Schemes, exclusively serving accredited investors or those investing at least USD 250,000.

The categories, based on the risk potential of permitted activities, also dictate the initial and ongoing regulatory requirements. Detailed eligibility and regulatory requirements for various schemes and services are specified under the regulations.

Policy/ Regulatory Developments

Framework for Accredited Investors in IFSC

IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 provide certain flexibilities to the "Accredited Investors" and the FMEs that deal with them. Therefore, in line with the global best practices, IFSCA has laid down the framework for eligibility of such investors and the modalities of their accreditation.

Box 3: Regulatory Framework for Accredited Investors in IFSC

In several international financial centres, the financial sector regulators provide certain flexibility to such investors who are deemed to be better aware of and have the financial wherewithal to withstand the risks emergent from their investments, and also extend certain flexibilities to such market participants which deal with such investors.

IFSCA has laid down a detailed framework for Accredited Investors, which, inter alia, includes the eligibility criteria for such investors and the modalities of accreditation. The framework is modelled around the globally benchmarked processes for accreditation, eligibility criteria for different types of investors, such as Individuals, HUFs, Partnership firms, Body Corporate, Trusts, etc., and permits a defined set of entities to be deemed as Accredited Investors by virtue of their special status.

The framework also lays down certain responsibilities for the regulated entities that onboard Accredited Investors and provides a mechanism to investors to opt-in / opt-out of the accreditation.

The extant IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022, provide following flexibilities for "Accredited Investors" and FMEs dealing with them:

- (i) **No Minimum Investment Threshold:** Accredited Investors are exempt from the minimum investment thresholds for Venture Capital Schemes, Restricted Schemes, and Portfolio Management Services, allowing them to invest without entry threshold.
- (ii) **Exemption from 'Skin in the Game' Contribution:** For Venture Capital Schemes and Restricted Schemes where 2/3rd of investors are Accredited Investors, FMEs and their associates are not required to contribute to the scheme. This exemption removes the need for the 'skin in the game' contribution, which typically ensures the FME's interests align with those of the investors.

Further, the regulatory framework for Distributors of capital market products and services, specified vide Circular dated December 21, 2022, under IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021, also makes a reference to "Accredited Investors" and enables distribution of a wider bouquet of products and services to such investors as compared to other investors.

Supervision of Fund Management Entities

Offsite Supervision

To ensure that the pace of growth of fund management activities in GIFT IFSC is supported by a healthy culture of compliance, IFSCA has laid down the framework for offsite supervision of FMEs by specifying reporting norms for FMEs. The reports, required to be submitted on quarterly basis, includes submission of quantitative information about the fund management operations and a duly signed compliance report from the officials of the FME.

Onsite Supervision

IFSCA carried out onsite visits of 3 Fund Management Entities during FY 2023-24. As a result of this exercise, Advisory Letters were issued to 2 Fund Management Entities.

Facilitating Sovereign Wealth Funds to set up FMEs in GIFT IFSC

In order to facilitate sovereign wealth funds to set up their FMEs in GIFT IFSC for management of their own assets, a clarification was issued by IFSCA to remove certain difficulties faced by such funds given their unique nature and mandate. Subsequently, a large Sovereign Wealth Fund has obtained IFSCA's approval to set up its FME in GIFT IFSC to manage its portfolio of investments into India.

Further, in order to position GIFT IFSC as an attractive jurisdiction for such Funds, IFSCA issued another clarification to dispense with certain regulatory restrictions which lead to difficulties for such funds.

Net Worth of Fund Management Entities

With a view to sensitize the FMEs about the importance of maintaining adequate capital and to disincentivize behaviour which may lead to fall in net worth, certain business restrictions regarding onboarding of new clients and undertaking new activities have been imposed in such cases where a FME's net worth falls below the threshold prescribed in the Regulations.

Transaction/Processes/Operations/Trends

As on March 31, 2024, there are 104 FMEs registered with IFSCA, wherein the largest number of registrations have been observed in the Registered FME (Non-Retail) category. The FMEs collectively target to raise USD 33.5 Bn across different types of schemes permitted under the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022.

Number of registered FMEs and Investment made by Fund Management Schemes are provided below:

Table 17 : Number of registered FMEs

FME Registrations	As on March 31, 2024
Total Number of FMEs	104
<i>of which, No. of Registered FME (Retail)</i>	5
<i>of which, No. of Registered FME (Non-Retail)</i>	92
<i>of which, No. of Authorised FME</i>	7

Table 18 : Investment by Fund Management Schemes

Details regarding Schemes (As on March 31, 2024)		In USD Mn
	Schemes Authorised	Investment Made
Venture Capital Schemes	11	19.71
<i>of which, Angel Schemes</i>	4	4.07
Restricted Schemes	104	3676.3
<i>of which, Category I & II AIFs</i>	41	2,467.78
<i>of which, Category III AIFs</i>	63	1208.52
Total Schemes in IFSC	115	3696.01

Portfolio Management Services

The IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 provide that FMEs which are registered under the categories of Registered (Retail) and Registered (Non-Retail) may also provide Portfolio Management Services. The details are provided below:

Table 19 : FMEs providing PMS

Number of FMEs providing PMS	Assets Under Management (USD Mn)
18	1045

Advocacy and Outreach

In order to create awareness about the regulatory regime and the scope of opportunity for fund management related activities available in GIFT IFSC, IFSCA undertook several measures for outreach to the fund management and allied industries, as illustrated below:

Roundtable discussion with Asset Management Companies of Mutual Funds and Wealth Managers in India

IFSCA organized roundtable discussions with leading Asset Management Companies of Mutual Funds and Wealth Managers in India on January 05, 2024, to apprise them about the opportunities in fund management and distribution activities at IFSC, while also seeking their feedback on the regulatory regime laid down by IFSCA for these activities.

Roundtable discussion with Senior Management of large global funds

An exclusive roundtable was organized with the senior officials of IFSCA in Mumbai on October 19, 2023, with senior leaders from global investment funds. Chairperson, IFSCA along with senior officials of IFSCA held discussions on the wide array of fund management related opportunities available at GIFT IFSC. Important suggestions towards further growth of the industry were also discussed.



Image 8 : Chairperson, IFSCA, presiding the roundtable discussion with large global funds

IVCA Conclave 2024

A delegation from IFSCA participated in the IVCA Conclave 2024 organised by Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA) on February 26 - 27, 2024. Shri Pradeep Ramakrishnan, Executive Director, IFSCA, participated in a fireside chat session where he briefed the participants about the regulatory landscape of IFSC, opportunities and offerings available for the funds industry at GIFT IFSC. He emphasized on the potential ease of doing business that would result from the upcoming single window clearance facility, direct listing opportunity for Indian startups on stock exchanges in GIFT IFSC and various initiatives taken by IFSCA in the area of sustainable finance.



Image 9 : Shri Pradeep Ramakrishnan, Executive Director, with other dignitaries during IVCA Conclave 2024

IVCA Private Credit Summit 2023

Chairperson, IFSCA addressed the participants in IVCA Private Credit Summit 2023 on December 06, 2023. While apprising the participants about the growth and opportunities for private credit funds at IFSC, Chairperson, IFSCA also emphasized the importance of GIFT IFSC as the gateway to channelize capital flows into India.



Image 10 : Chairperson, IFSCA addressing the audience during IVCA Private Credit Summit 2023

Policies and programs for the following year

Reviewing the framework for Distributors of Capital Market Products & Services

The Circular issued by IFSCA on December 21, 2022, in this subject restricts the Distributors from accepting remuneration from their clients and they are expected to charge the issuers or service providers whose products or services, respectively, they distribute. A review of this restriction shall be undertaken, particularly in the light of foreign practices and the feedback received from the market participants.

Review of IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022

The Regulations will be reviewed during the year, primarily with the focus of enhancing ease of doing business and based on the experience gained in last 2 years towards implementation of the Regulations.

METALS AND COMMODITIES

India, being one of the largest gold importers and consumers, is poised to enhance its role in the global precious metals market through the establishment of the International Bullion Exchange at GIFT IFSC. This initiative originated from the NITI Aayog's 2018 report on transforming India's gold market and was announced in the 2020 Union Budget.

The IFSCA formalized regulations for the Bullion Exchange in December 2020, leading to the creation of the India International Bullion Exchange (IIBX) by a consortium of five major Market Infrastructure Institutions (MIIs) in India and the GIFT IFSC. IIBX was formally launched by the Hon'ble Prime Minister on July 29, 2022. The idea behind IIBX is to create a vibrant marketplace and to develop a transparent Exchange model to determine the price of various metals and commodities within the country, including precious metal such as gold, silver etc, thus making India a price setter rather than a price taker in the global market.

As of March 2024, IFSCA has granted registration to 5 entities as Bullion Trading Member (Bullion TM), 6 entities as Bullion Trading and Clearing member (Bullion TMCM), 2 entities as Bullion Professional Clearing Member (Bullion PCM) and 3 entities as Bullion Trading Member cum Self Clearing Member. Further, 118 Qualified Jewellers and 82 Valid India UAE CEPA TRQ Holders have been notified by IFSCA. Three internationally recognized vault managers have established vaults in GIFT IFSC with capacity of 420 tonnes for Gold and 2200 tonnes for Silver.

India is one of the largest importers and consumers of Gold and, thus, aims to be a significant price influencer in the global gold market. Total gold imported in India in CY 2023 was 862 tonnes including Dore imports of 220.9 tonnes. This is an increase of 16% over CY 2022 when 741.1 tonnes of gold (including 249 tonnes of Dore) was imported in India. The demand for gold as witnessed by various sectors constituted jewellery wherein the demand in India dropped by 6 per cent to 562.3 tonnes in 2023, compared to 600.6 tonnes in the previous year, total gold investment demand in the country grew by 7 per cent to 185.2 tonnes, compared to 173.6 tonnes in the previous year.⁷¹

India has a huge demand for Silver as well and is the world's largest silver consumer. With the Indian government's focus on renewable energy and electric vehicles, the demand for Silver in the coming years is expected to continue and grow further. Other factors such as rising disposable income, awareness for silver as an investment instrument, etc. may also lead to an increased demand for silver.

With such huge demand for gold and silver in the country, the formation of an India International Bullion Exchange IFSC Limited (IIBX) is one of the steps which provide opportunities for formalization of the gold and silver import/trade in India through the model of Exchange, which provides a more transparent, democratic, and efficient platform for import/trade. Further, the Authority also aims to introduce more commodity-related products and derivatives thereon on the exchanges in the GIFT IFSC.

Policy/ Regulatory Developments

India International Bullion Exchange

IIBX is promoted by India's leading market infrastructure institutions like NSE, India INX, India ICC, NSDL, CDSL and MCX and is regulated by IFSCA. The role of IIBX is to provide a transparent electronic trading platform for metal and commodities trading in IFSC, democratic pricing mechanism, greater integration with other segments of financial market, become a price influencer in the international market. etc.

During the Financial Year 7,928.20 Kgs of gold and 908,800 Kgs of silver were imported through IIBX.

Products on IIBX

The following spot products are available on IIBX:

Table 20 : Spot Products available on IIBX (Gold)

Gold			
Product	Description		
	Trading Unit	Purity	Good Delivery Standard
GOLD 995 T+0	1 Kg	995	LBMA
GOLD MINI 999 T+0	100 grams	999	LBMA
UAEGD GOLD 995 T+0 (*)	1 Kg	995	UAE Good Delivery (UAEGD)
UAEGD GOLD 999 T+0 (*)	100 grams	999	UAE Good Delivery (UAEGD)


(*) The abovementioned UAEGD Gold 995 purity and UAEGD Gold 999 purity products have also been extended to Tariff Rate Quota (TRQ) holders for the purpose of imports under India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Suitable and adequate safeguards have been put in place to ensure that the conditions, such as the requirement of Certificate of Origin from UAE's Ministry of Economy, specified under the India-UAE CEPA are complied with by the sellers and the buyers. Only TRQ holders can import UAEGD TRQ GOLD within the pre-approved quota allotted by the DGFT.

Table 21 : Spot Products available on IIBX (Silver)

Silver			
Product	Description		
	Trading Unit	Purity	Good Delivery Standard
SILVER Grains T+0	20 Kg	999	LBMA
UAEGD SILVER Grains T+0	20 Kg	999	UAE Good Delivery (UAEGD)
UAEGDCEPA SILVER Grains T+0	20 Kg	999	UAE Good Delivery (UAEGD)
SILVER Bar T+0	30 Kg	999	LBMA
UAEGD SILVER Bar T+0	30 Kg	999	UAE Good Delivery (UAEGD)

⁷¹ WGC Report for CY 2023 available on www.gold.org

Figure 8 : Bullion Market Ecosystem in IFSC



Exchange and Clearing Corporation

IIBX is an IFSCA registered Market Infrastructure Institution operating as a Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation. Currently, as a Bullion Exchange, it provides platform that offers trading in products related to bullion (gold and silver). Its role as a Clearing Corporation is to act as a central counter party for clearing and settlement of all the trade executed on the Bullion Exchange.

Depository

GIFT IFSC has a single depository named India International Depository IFSC Ltd (IID1) (previously known as CDSL IFSC Ltd) which has also been designated as a Bullion Depository. The role of IID1 is to perform the function of issuance of Bullion Depository Receipts in electronic form for trading on the Bullion Exchange. It also performs the function of overseeing the storage and safeguarding of bullion through the vault managers. Further, as a bullion depository, IID1 also ensures that the vault manager has the systems, mechanism, and related IT infrastructure to provide encrypted transmission of information to the bullion depository and system-based reconciliation of data between the vault manager and bullion depository.

Vaulting Infrastructure

The vaulting infrastructure in GIFT IFSC includes facilities for the storage of the bullion. Currently, 3 Vault Managers namely Sequel Logistics Private Limited, Brinks India Private Limited and Malca-Amit JK Logistics Pvt. Ltd. have been registered by the Authority. The total capacity of the vaults in the GIFT IFSC is 420 tonnes of gold and 2,200 tonnes of silver.

Bullion Market Intermediaries

The Authority has enabled the Trading Members (TMs) and Clearing Members (CMs) from the existing Exchanges at IFSC to be eligible to be grandfathered as members of the Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation (IIBX). In addition to the grandfathered members, new members are also registered as Bullion TM/CM of the IIBX.

The number of the Bullion Market Intermediaries registered in the capacity of Bullion Trading member (Bullion TM), Bullion Trading and Clearing member (Bullion TCM), Bullion Trading cum Self Clearing Member (Bullion TSCM) and Bullion Professional Clearing member (Bullion PCM) as on March 31, 2024, is given below. The names and details of these entities are available on the website of the Authority.

Table 22 : Registered Bullion Market Intermediaries at GIFT IFSC

Bullion TM	Bullion TCM	Bullion TSCM	Bullion PCM
5	6	3	2

Qualified Jewellers

The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce & Industry vide its Notification No.49/2015-2020 dated January 05, 2022, had, inter alia, specified that Qualified Jewellers (QJs) notified by IFSCA shall be permitted to import gold under ITC(HS) Codes 71081200 and 71189000, through India International Bullion Exchange IFSC Limited ("IIBX"). Based on the DGFT notification, IFSCA issued a Circular on January 19, 2022, specifying, inter alia, the eligibility conditions for notifying an entity as a Qualified Jeweller. Qualified Jewellers are resident entities can undertake imports of bullion through IIBX provided that they fulfil the criteria laid down in the aforementioned IFSCA Circular and notified by IFSCA.


Further, vide its Notification in October 2023, DGFT amended the import policy condition for silver to permit import by QJs under ITC (HS) Codes 71069110 and 71069290.

As of March 31, 2024, IFSCA has notified 118 Qualified Jewellers, the details of which are available on the website of the Authority.

Valid India-UAE CEPA TRQ Holders

India and UAE have signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement on February 18, 2022, which, inter alia, promotes bilateral trade in bullion, and gems and jewellery sectors. Under the India-UAE CEPA, India can import a certain quantity of gold (Tariff Rate Quota) from the eligible UAE entities every year with customs duty 1% lower than the prevailing rate. The said TRQ is allocated to eligible Indian entities (India-UAE CEPA TRQ holders) by DGFT at the start of Financial Year.

With a view to facilitate imports by India-UAE CEPA TRQ holders through IIBX, DGFT amended the import policy condition for ITC(HS) Code 71081200 of Chapter 71 of ITC(HS) 2022, Schedule - I (Import Policy) stating that valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA can import gold through IIBX against the TRQ and can obtain physical delivery of the same through IFSCA



registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA. Subsequently, IFSCA issued a circular on December 13, 2023, to facilitate the participation of India-UAE CEPA TRQ Holders on the IIBX for import of UAE Good Delivery (UAEGD) TRQ Gold under the India-UAE CEPA.

Further, RBI vide circular dated January 31, 2024, provided the guidelines on import of gold by TRQ Holders under the India UAE CEPA as notified by IFSCA to all the Category-I Authorised Dealer Banks. During FY 2023-24, IFSCA notified 82 valid India UAE CEPA TRQ Holders.

Major Developments/Operations

- (i) The Office of Development Commissioner, GIFT SEZ (Ministry of Commerce and Industry), through public notice no. 01/2023-24 dated May 11, 2023, intimated about the launch of the Indian Custom EDI System- ICES/ICEGATE for imports and exports at GIFT Multi Services SEZ, Gandhinagar, Gujarat.
- (ii) IIBX implemented every 30 minutes settlement of Bullion Depository Receipts (BDRs) for pre-funded T+0 contracts and direct pay-outs of BDRs to Clients/ SCCs for pre-funded T+0 contracts.
- (iii) IIBX implemented Multiple Fund settlement cycles for T+0 contracts (3 cycles per day) for funds pay-out for the T+0 contracts traded on IIBX with effect from March 11, 2024.

Circulars/ Guidelines issued by the Authority

Bullion Trading Members and Clearing Members in IFSC (August 07, 2023)

In continuation to the IFSCA circular dated January 27, 2023, this circular extended the initial 6-month period (from the date of operationalization of Bullion Exchange) for maintaining the Net Worth and Base Minimum Capital specified in the paragraph 3 and 4 of the IFSCA Circular F.No. 329/IFSCA/Bullion MIIs/2021 dated September 17, 2021, by an additional period of 6 months i.e., till January 28, 2024.

Import of gold and silver by Qualified Jewellers through India International Bullion Exchange (December 11, 2023)

A consolidated circular was issued for the purposes of import of gold and silver by eligible entities as Qualified Jewellers, to transact on IIBX as clients of Bullion Trading Members or as 'Special Category' Clients (SCC) under ITC(HS) codes 7106, 7108, 7113, 7114 and 7118 under Chapter 71 of ITC(HS).

'Qualified Suppliers' for supply of bullion on India International Bullion Exchange (December 11, 2023)

Not changing any other provision of the IFSCA circular 415/IFSCA/Consolidated Operating Guidelines/2021-22 dated August 18, 2022, the instant Circular renamed 'Limited Purpose Trading Member(s)' or 'LPTM(s)' in the IFSCA Circular dated August 18, 2022, as 'Special Category' Client(s).

Import of UAEGD Gold through IIBX by valid India-UAE TRQ holders (December 13, 2023)

Subsequent to the DGFT notification No.44/2023 dated November 20, 2023, permitting valid India UAE TRQ Holders as notified by IFSCA to import gold through IIBX against the TRQ, this Circular permitted the valid holders of India - UAE Tariff Rate Quota (TRQ) license / authorisation as allotted by DGFT to be eligible to apply for being notified as 'India-UAE TRQ holders' by the IFSCA. After being notified by the IFSCA, such valid India-UAE TRQ holders have been permitted to participate on IIBX, through Bullion Trading Members, for transacting in ('buying' only) UAEGD gold for import under the India-UAE CEPA, subject to the quota, and other applicable terms and conditions.

Bullion Trading Members and Clearing Members in GIFT- IFSC (February 22, 2024)

In continuation to the IFSCA circular dated August 07, 2023, this Circular extended the initial 6-month period (from the date of operationalization of Bullion Exchange) for maintaining the Net Worth and Base Minimum Capital specified in the paragraph 3 and 4 of the IFSCA Circular F.No. 329/IFSCA/Bullion MIIs/2021 dated September 17, 2021, by an additional period of 6 months i.e., till July 28, 2024.

Notifications/Circular/Guidelines issued by other agencies relevant to the Bullion Ecosystem in IFSC

- (i) DGFT vide Notification No. 35/2023 dated October 11, 2023, amended the import policy condition for silver to permit import by QJs under ITC (HS) Codes 71069110 and 71069290.
- (ii) RBI vide circular RBI/2023-2024/83 A.P. (DIR Series) Circular No. 07 dated November 10, 2023, provided guidelines to all the Category-I Authorised Dealer Banks on import of silver by Qualified Jewellers as notified by IFSCA.
- (iii) DGFT vide notification no. 44/2023 dated November 20, 2023, amended the import policy condition of gold under HS code 71081200 permitting the valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA to import gold through IIBX against the TRQ and taking physical delivery of the same through IFSCA registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA.
- (iv) RBI vide circular RBI/2023-24/118 A.P. (DIR Series) Circular No.14 dated January 31, 2024, provided the guidelines to all the Category-I Authorised Dealer Banks on import of gold by Tariff Rate Quota (TRQ) holders under the India UAE CEPA as notified by IFSCA.
- (v) RBI vide circular RBI/2023-24/120 DoR.AUT.REC.74/24.01.041/2023-24 dated February 9, 2024, has permitted the following-
 - a. Branch/subsidiary/joint venture of an Indian bank in GIFT IFSC to act as a Trading Member (TM)/Trading and Clearing Member (TCM) of IIBX, and
 - b. Indian banks authorized to import gold/silver to act as Special Category Client (SCC) of IIBX

Working Group/ Committee

IFSCA constituted Precious Metal Advisory Committee (PMAC), under chairmanship of Mr. Somasundaram PR, MD and Regional CEO, World Gold Council (India), as a major step towards stakeholder engagement on the strategic and operational aspects for the growth and development of precious metal ecosystem in GIFT IFSC and the country at large. The Committee would bring expertise, objectivity and transparency and shall assist IFSCA in staying abreast of developments and identifying growth opportunities in the precious metals sector. The Committee would bridge the gap between the IFSCA and the industry, and work on a comprehensive roadmap with targets to achieve the broad regulatory objectives of the IFSCA.

Advocacy and Outreach

Various outreach programs were undertaken by IFSCA towards the growth and development of Bullion ecosystem in IFSC. These include participation in global and national conferences such as-

- (i) India Silver Conference, Jaipur, in April 2023
- (ii) Asia Pacific Precious Metals Conference, Singapore, in June 2023
- (iii) India Gold Conference, Kolkata, in August 2023
- (iv) Global Precious Metals Conference, Barcelona, Spain in October 2023
- (v) Dubai Precious Metal Conference, Dubai, UAE, in November 2023
- (vi) IGPC-IIMA Annual Gold & Gold Markets Conference, New Delhi, in February 2024

Further, the Authority also interacted with the market participants of the Bullion ecosystem in GIFT IFSC to gather their feedback on various challenges faced by them while trading and importing through IIBX.

Policies and programs for the Following Year

Review and revision of IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020

Regulation 7 of the IFSCA (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021, stipulates that the IFSCA shall review each Regulation, every three years. The IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020 which were notified on December 4, 2020, are due for review. IFSCA has already sought, and received, suggestions for review of IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020 for public and regulated entities.

Operationalising the IFSC vaulting centres at other locations within Special Economic Zones or Free Trade Warehousing Zones across India

The IFSCA aims to establish vaulting facilities at locations outside GIFT IFSC, enabling market participants such as QJs, nominated banks, and TRQ holders to receive gold and silver deliveries at major bullion centres across India. This initiative will support their manufacturing activities and is expected to boost trading volumes on the IIBX.

In the near future, a vaulting centre may be established at Chennai by identifying a suitable special economic zone and vaulting infrastructure, which will greatly benefit the gems and jewellery sector in southern India. Following the successful establishment of an IFSC unit outside GIFT City,

efforts will be made to create additional vaulting centres in locations such as Delhi and Kolkata.

Policy framework for enabling gold savings accounts and gold accumulation plans by Banks and NBFCs

Gold Savings Account – A New Financial Product envisaged by NITI Ayog

NITI Ayog report on Transforming India's Gold Market (February 2018) proposed a new financial product for gold as Gold Savings Account. It was mentioned in the report that a GSA may be opened by banks for their customers which will go beyond the scope of GMS deposit and allow investors and individuals. It was also mentioned that the GSA shall offer the opportunity to build up an investment in gold over a period of time by virtually saving in gold terms. In essence, the GSA is similar to any other savings interest-bearing deposit account held at a bank or another financial institution that provides an interest rate except that the deposit will be translated in physical gold held by the bank or the financial institution. When a customer deposits cash in his or her account, the bank will credit grams of gold. The price of gold will be based on the date on which the deposit is made. The GSA can be a linked to a demat account which would enable the linkage of digital gold accounts across banks through the proposed Bullion exchange and its vaulting infrastructure. This is similar to the current linkage in stocks, where banks, demat accounts, stock exchanges and depositories are linked in a transparent manner.

IFSCA aims to implement the proposal envisioned by NITI Aayog by establishing a policy framework that enables banks and finance companies in IFSC to link Gold Savings Accounts and Gold Accumulation Plans with the existing Bullion Depository Receipts framework. This framework is connected to the underlying gold stored in various IFSC vaulting locations that may be established across the country. The initiative targets Non-Resident Individuals, including High Net-Worth Individuals (HNIs), as well as institutions such as fund houses and Alternative Investment Funds (AIFs), etc.

Policy Framework for enabling Digital Gold and tokenisation of BDRs

As an extension of the Gold Savings Account, there is potential to allow Digital Gold FinTech firms to establish operations in GIFT IFSC. These firms could link their software and mobile applications to serve as user interfaces for purchasing gold through the app. Additionally, tokenization of Bullion Depository Receipts (BDRs) could be considered, given that the underlying assets of BDRs are physical gold and silver. This initiative may encourage FinTech firms to explore opportunities in GIFT IFSC for the operationalization of digital gold and tokenization linked to BDRs.

Constitution of an Expert Committee on positioning GIFT IFSC as Global Commodity Trading Hub

With a view to enable commodity trading in IFSC which will facilitate business integration of IFSC financial ecosystem with global trade flows, capitalize on integration opportunities with major commodity hubs and attract global investment flows into IFSC, thereby helping IFSC grow competitively, IFSCA shall be constituting an 'Expert Committee on positioning GIFT IFSC as Global Commodity Trading Hub' under the chairmanship of Shri Rajeev Kher, former Commerce Secretary. The Expert Committee is expected to submit its report by end-December 2024.





FINTECH

In the last few years, India has shown its mettle in the FinTech space, the bright young Indian talent with expertise in IT and Finance have created cutting edge innovations in the field of Financial Technology and positioned India as a global front runner in the FinTech ecosystem.

GIFT IFSC is strategically positioned to propel the Indian FinTech ecosystem onto the global FinTech stage. To support the Indian FinTech firms & Start-ups to go global and develop IFSC as a global laboratory for developing next generation FinTech solutions, the Hon'ble Finance Minister in Union Budget 2021-22 announced "The Government would support the development of a world class Fin-Tech hub at the GIFT IFSC".

Towards this goal, IFSCA has released globally benchmarked "Framework for FinTech Entity in the IFSCs", which covers both FinTech and TechFin. Additionally, IFSCA launched FinTech Incentive Scheme, 2022, to encourage young FinTech innovators, the Scheme would support domestic FinTech firms wanting to go global, foreign FinTech firms who want to come to GIFT IFSC and domestic FinTech firms aiming to grow its Indian business or wanting to work on regulatory sandbox, Proof of Concept (PoC) etc. in IFSCs by providing various types of grants.

As of March 31, 2024, 20 entities have received Limited Use Authorization to be part of Innovation Sandbox, 16 entities in Regulatory Sandbox and 8 entities as Accelerators. Further, 8 entities have received Authorization to undertake business operations as TechFin till date. 11 Hackathons have been completed and IFSCA has received 131 applications from 14 jurisdictions under the FinTech Entity framework.

Hon'ble Prime Minister of India, while inaugurating the InFINITY Forum 2.0 articulated the vision to establish GIFT City as the preeminent Global Nerve Centre for New Age Financial and Technology Services. Highlighting the accomplishments of IFSCA, including the release of a Progressive Regulatory Framework for FinTech in 2022 and the implementation of the FinTech Incentive Scheme, which supports both Indian and foreign FinTech ventures to foster innovation and entrepreneurship. He emphasized GIFT City's role as a Global FinTech hub and a pioneering FinTech Laboratory on the international stage.

Policy/ Regulatory Developments

Framework for FinTech Entity in the IFSCs

IFSCA issued a circular providing for a unique Framework for FinTech Entity in the IFSCs (“FE Framework”) for FinTechs and TechFins on April 27, 2022.

The FE Framework provides for IFSCA FinTech Regulatory Sandbox and IFSCA FinTech Innovation Sandbox to test/develop FinTech Products/ solutions and empowers IFSCA to grant Limited Use Authorization (LUA) to eligible financial technology entity in GIFT IFSC. Further, it also enables some class/categories of technology companies having a deployable advanced/innovative technology solution which aids and assists activities in relation to financial products, financial services, financial institutions and, credible track record including financial performance, to obtain Direct Entry (Authorization by IFSCA).

The FE Framework also incorporates two additional mechanisms to support the FinTech Entities as detailed below:

Inter Operable Regulatory Sandbox (IoRS): IoRS is a proposed mechanism to facilitate testing of innovative hybrid financial products / services falling within the regulatory ambit of more than one financial sector regulators. IFSCA will facilitate Indian FinTech's seeking access to foreign markets and foreign FinTech's seeking entry into India.

Regulatory Referral Mechanism/FinTech Bridges: It shall be governed as per the provisions of the Memorandum of Understanding (MoU) or collaboration or special arrangement between IFSCA and corresponding overseas Regulator(s). Currently IFSCA has FinTech Bridge with Monetary Authority of Singapore which was executed by the way of MoU between the two regulators.

IFSCA FinTech Incentive Scheme, 2022

The IFSCA, with an overall objective to promote the establishment of a world-class FinTech Hub, at GIFT IFSC in India, launched the IFSCA (FinTech Incentive) Scheme for providing financial support to FinTech activities in the form of specific grant(s). The guidelines for implementation of the Scheme were issued on September 12, 2022.

Twelve applications have been recommended for Grants amounting to a total of ₹2.65 Crores by the Evaluation Committee (EC) under the Scheme in FY 2023-24.

Transaction/ Processes/ Operations/ Trends

IFSCA has received a total of 131 applications under the FinTech Entity Framework from 14 jurisdiction since its inception. The Authority received 65 applications in the FY 2023-24 from across 8 jurisdictions (India, USA, Mauritius, Singapore, Australia, UK, Hong Kong and UAE) under the FE Framework. A pictorial representation of the number of applications received under different categories is given below:

Figure 9 : Comparative Analysis of Applications in permissible areas under FE Framework for FY 2022-23 and FY 2023-24






Figure 10 : Five Major emerging areas of Application in the TechFin category in FY 2023-24



IFSCA has granted 26 regulatory approvals in the financial year 2023-24 including 4 Authorizations and 22 LUAs. Further IFSCA has also referred an application to Monetary Authority of Singapore under Overseas Regulatory Referral Mechanism of the FE Framework. The Detailed breakup of the FinTech Entities who are granted LUAs is graphically represented below:

Figure 11 : FinTech Entities granted Limited Use Authorization under FE Framework for FY 2023-24



Advocacy and Outreach

Global Financial Innovation Network (GFIN)

IFSCA was elected as a member in the Coordination Group of GFIN in Annual General Meeting of GFIN held in Washington D.C from November 07-09, 2023. This may enable IFSCA to set the overall direction, strategy and annual work programme of the GFIN aligning with its objectives and contribute to the secretariat functions of GFIN.

IFSCA – IAIS Engagements

IFSCA joined the FinTech Forum of International Association of Insurance Supervisors (IAIS). The IAIS FinTech Forum is a virtual forum of technical experts from the IAIS' diverse membership that serves as a platform to share practical insights and experiences on FinTech-related developments influencing the insurance sector and global insurance supervisors.

MoUs with FinTech Hubs and Educational Institutions during the year

MoUs were signed with the following Domestic FinTech hubs, educational institutions and bodies to augment the FinTech ecosystem at GIFT IFSC:

Table 23 : MoUs with FinTech Hubs and Educational Institutions during FY 2023-24

Sr. No.	MoU signed with	Date
1	International Institute of Information Technology and IHub Data	April 28, 2023
2	Enterprise Incubation Centre, Indian Institute of Management Lucknow (IIML)	July 11, 2023
3	Pilani Innovation and Entrepreneurship Development Society (PIEDS), BITS PILANI	July 13, 2023
4	Kerala Start-Up Mission (KSUM)	July 21, 2023
5	Foundation for Innovation & Research in Science & Technology (FIRST), Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur	August 9, 2023
6	Software Technology Parks of India (STPI)	December 08, 2023
7	Ahmedabad University (AU)	December 08, 2023



Image 11 : (Clockwise from top left) IFSCA signing MoU with Ahmedabad University, KSUM, STPI, PIEDS, FIRST, Enterprise Incubation Centre

InFinity Forum (IF) 2.0

InFinity Forum is the IFSCA's flagship financial technology event, uniting the world's leading minds in policy, business, and technology to explore and advance the biggest ideas in Finance & Technology, and to develop those ideas into global solutions and opportunities.



Image 12 : Hon'ble Prime Minister of India inaugurating the InFinity Forum 2.0

The Second edition of InFinity Forum 2.0 themed “GIFT IFSC - Nerve Centre for New Age Global Financial Services” was held on December 9, 2023. The event was inaugurated virtually by Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi through Video Conference.

IF 2.0 had the distinct honour of hosting several influential leaders like Shri Bhupendra Patel, Hon'ble Chief Minister of Gujarat, Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles, and Shri Ashwini Vaishnaw, Hon'ble Minister for Railways, Communications, Electronics and Information Technology and other industry leaders each contributing their unique perspectives to the discourse on future of international financial services.

Primarily focused on three tracks - Plenary, Green and Silver, the InFinity Forum 2.0 catalysed pivotal discussions, facilitated a captivating exchange of ideas and discussions by luminaries from the global financial sector, fostering thought provoking conversations and paving the way for innovative solutions and opportunities.

FinTech Investors Meet 2023

IFSCA organised an Investors Meet on December 8, 2023, as a prelude to the InFINITY Forum 2.0. The main objective of the Investors Meet was to connect selected FinTech entities and chosen investors, paving way for symbiotic collaborations and investment opportunities.



Image 13 : Investors Meet 2023 in GIFT City

The event commenced with pitches delivered by curated FinTech entities, succeeded by one-on-one discussions between the shortlisted entities and investors. Subsequently, a panel discussion featuring investors was held, followed by an interactive session involving FinTech entities, investors, IFSCA, and GIFT City representatives.

The event saw participation from prominent investment firms like Beam FinTech Fund, Peak XV, Matrix Partners India, EPIC Investment, Elevation Capital, GVFL, Venture Catalyst, 3one4 capital, White Ventures, TVS capital.

I-Sprint'23

In continuation to I-Sprint' 22, Global Hackathons (named I-Sprints'23) were conducted in partnership with various organizations to promote innovation. A total of six Sprints (Sprint 8, 9, 10,11,12,13) were held in which 600+ applications were received as of March 2024.

Participation in Global FinTech Fest (GFF) 2023

The GFF 2023 was held at Jio World Centre, Mumbai was organised by FinTech Convergence Council, Payment Council of India (PCI) and National Payments Corporation of India (NPCI) on September 05-07, 2023.

IFSCA participated in the GFF 2023 in the following ways:

- (i) Chairperson, IFSCA delivered a keynote address on “Transforming International FinTech Landscape through Innovation and Responsible Global Collaboration”.

- (ii) Closed door session “Meet the Regulator” with recognised domestic and international FinTech firms.
- (iii) Panel discussion by 4 Authorised FinTech Entities and 1 IBU on the topic “My GIFT Journey” to share their experiences in GIFT IFSC.
- (iv) IFSCA set up a booth in GFF 2023 as part of the outreach activities



Image 14 : Global FinTech Festival 2023 in Mumbai



Image 15 : IFSCA Booth in Global FinTech Festival 2023

FinTech Founders Meet

IFSCA organised a FinTech Founders Meet in association with Internet and Mobile Association of India (IAMAI) in Bengaluru on February 03, 2024. Chairperson, IFSCA interacted with FinTech Founders at Bengaluru on February 03, 2024, and encouraged them to explore the various possibilities and opportunities at GIFT IFSC.



Image 16: IFSCA with participants of FinTech Founders Meet in Bangalore

Virtual RoundTable on Data Centre

IFSCA in association with Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM) and National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) organised a virtual roundtable on data centre on February 22, 2024, envisioning to deliberate on the scope of Data Centre related activities in GIFT IFSC. The discussion largely focussed on the experiences and feedback from the industry participants for making GIFT IFSC more attractive location for Data Centres.

Participation in FinTech Festival India 2024

The FinTech Festival of India 2024 was held in Yashobhoomi, Dwaraka, New Delhi from 06-08 March 2024. IFSCA participated in the FinTech Festival India 2024 and interacted with the relevant FinTech Entities.

Other International Engagements

Inclusive FinTech Forum (IFF) 2023

The First edition of Inclusive FinTech Forum (2023), organised by Kigali international Financial Centre and Elevandi, was held in Kigali, Rwanda from June 20 to 23, 2023.

IFSCA participated in the Roundtable at IFF 2023 on the invitation from Monetary Authority of Singapore (MAS) and Elevandi on the theme “Bridging the Gap: AI Governance in Banking – From Principles to Practice”.

IFSCA organised a master class on the theme “GIFT IFSC – Landing pad for foreign FinTechs, TechFins and Accelerators to the India market” during IFF 2023.

Roundtable Interaction with FinTech Associations/ Firms in Australia

IFSCA convened a roundtable dialogue with FinTech firms and associations from Australia in Sydney, Australia, on August 28, 2023. The objective of this engagement was to facilitate the exchange of information regarding the diverse initiatives undertaken by IFSCA within the FinTech domain, thereby promoting collaborations and partnerships between IFSCA and stakeholders in Australian FinTech ecosystem.

IFSCA participated in the panel discussion themed “Opportunities and Challenges in Emerging FinTech Markets” in Intersekt’ 23, FinTech Conference organised by FinTech Australia, followed by an interaction with FinTechs.



Image 17: IFSCA participating in the panel discussion in Intersekt’ 23

Singapore FinTech Festival (SFF) 2023

The 8th edition of the SFF was held in Singapore from November 15 to November 17, 2023.

An IFSCA booth was set up to promote the visibility of its pioneering FinTech initiatives like FinTech Entity Framework, FinTech Incentive Scheme, FinTech Bridges, etc.

Chairperson, IFSCA participated in the panel discussion as distinguished on “Creating Inclusive Policy Frameworks” and emphasized on the need for the calibration of the mindset of the regulators to maximize the gain emerging out of adoption of the technology.

IFSCA participated in the Roundtable organised in SFF 2023 themed “Bridging the Gap: AI Governance in Banking – From Principles to Practice”

Further, IFSCA organised a regulatory master class in SFF 2023 to disseminate information about the GIFT IFSC.



Image 18 : Chairperson, IFSCA at Singapore FinTech Festival 2023

IFSCA – Japan Engagements

IFSCA virtually addressed the FinTech event “India - Japan: Powering the FinTech Story”, organised by the Embassy of India, Tokyo on January 16, 2024. Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA, during his address in the event, highlighted on India being a bright spot in the volatile global economy, unique features of GIFT IFSC and how it is driving the vision of Hon'ble PM for Viksit Bharat in 2047.

Further, a presentation was delivered to the participants outlining the facilities available for FinTech Entities in GIFT IFSC.

The event witnessed speakers from Department of Economic Affairs (Ministry of Finance, Government of India), Japan Financial Services Agency, Fincity Tokyo, MUFG Bank and was also attended by Japanese FinTechs and BFSI entities.



INSURANCE

Insurance business is one of the most important segments of IFSC for developing the essential ecosystem of a financial market and providing insurance solutions to a global clientele.

IFSCA has enacted a world class and comprehensive regulatory framework for the insurers, reinsurers, and insurance intermediaries in IFSC focusing on ease of doing business. These regulations cover the aspects relating to registration of insurance business, manner of receipt of premium, designing of insurance products, investment of assets, preparation and presentation of financial statements, appointment and duties of appointed actuary, maintenance of information and records for inspection and investigation, inward and outward reinsurance operations, solvency margin etc.

While the growth in the domestic insurance market will enhance insurance inclusion and enable building large pools for Indian insurers, it also necessitates developing reinsurance capacities. GIFT IFSC, with its incentives and regulatory support, is well-positioned to develop these capacities for both Indian and global markets. Additionally, the global Indian diaspora offers significant opportunities for insurance entities to provide tailored health, life, and travel insurance products by establishing operations in GIFT IFSC.

Currently, the insurance ecosystem in IFSC comprises of 35 entities, including 12 IIOs (IFSC Insurance Offices) and 23 IIIOs (IFSC Insurance Intermediary Offices). The total (Re)insurance premium booked by IIOs is USD 360 Mn and the total (Re)insurance premium transacted by IIIOs is USD 918 Mn, up to March 2024.

Policy/ Regulatory Developments

To enable the rapid growth of insurance and re-insurance sector in GIFT IFSC, IFSCA has created a favourable regulatory environment. With thirteen regulations already in place canvassing most of the regulatory space, IFSCA has adopted a principles-based approach, in line with global best practices. In the FY 2023-24, the following regulations were notified:

IFSCA (Re-insurance) Regulations, 2023

The regulations provide framework on oversight and control of inward and outward arrangement of re-insurance business by the IIOs. The regulations require Board approved policy on Re-insurance Strategy and Re-insurance Program (RSRP).

As per IRDAI's framework, released in August 2023, IIOs at GIFT IFSC are placed in Category-2, i.e. at par with Foreign Re-insurance Branches (FRBs) in the Order of Preference, subject to certain investment conditions. This marks a significant milestone since it would further enhance the prospects of GIFT IFSC to become a Global Reinsurance Hub.

IFSCA (Assets, Liabilities, Solvency Margin and Abstract of Actuarial Report for Life Insurance Business) Regulations, 2023

The regulations aim to specify the requirements related to capital, solvency, and submission of abstract of actuarial report by an IIO, who are permitted to transact Life Insurance Business.

IFSCA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023

The regulations aim to specify the requirements related to capital, solvency, and submission of abstract of actuarial report by an IIO, who are permitted to transact General, Health and Re-insurance business.

IFSCA (Management Control, Administrative Control and Market Conduct of insurance business) Regulations, 2023

The regulations aim to put in place the regulatory framework related to Management Control, Administrative Control and Market Conduct of insurance business carried out by an IIO or IIIO.

Amendment to IFSCA (Investment by IIO) Regulations, 2022

Considering the significance of investment income for insurers and re-insurers, IFSCA in accordance with Section 27 of the Insurance Act, 1938, had notified IFSCA (Investments by IIO) Regulations, 2022 on January 12, 2023. Subsequently, IRDAI on August 22, 2023, had notified amendment to its Re-insurance Regulations, 2018. These regulations place IIO at par with Foreign Reinsurer Branch in Category 2 of Order of Preference subject to certain conditions on investments to be made in Domestic Tariff Area (DTA) in India.

Based on the above amendment by the IRDAI, IFSCA had carried out suitable modifications to IFSCA (Investment by IIO) Regulations, 2022 and a consolidated version of the updated amended regulations has been made available on the website of the Authority.

Public consultation on various operational guidelines for IIOs

In December 2023, IFSCA placed following consultation papers for public consultation on its website:

- (i) Consultation paper on proposed Guidelines on IFSCA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023
- (ii) Consultation paper on proposed Guidelines on IFSCA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life insurance business) Regulations, 2023

These guidelines provide reporting formats pertaining to requirements towards maintenance of capital and solvency margins for transacting insurance business by IIOs.

Working Group/ Committee

The extant IFSCA regulatory framework recognizes alternate risk transfer (ART) arrangements in the Re-insurance contract, subject to adherence with risk transfer requirements in such ART and accounting treatments for such transactions.

On this matter the IFSCA has constituted a working group in March 2023 to study international best practices on Insurance Linked Securities (ILS), Catastrophe Bonds (CAT Bonds) etc. The members of the working group have experience in from global jurisdictions including but not limited to UK, USA, EU, Bermuda, Japan, Singapore, Australia etc. and have expertise in CAT bonds, ILS, reinsurance sidecars, industry loss warranties and weather derivative contracts.


The objective behind the creation of the working group is to advise IFSCA in structuring ART along with study of the regulatory framework / process in other jurisdictions and formalize draft of operational guidelines for ART. It will also help IFSCA to examine the offer of ART solutions within India and International jurisdictions and frame suitable accounting and supervision standards on par with best global practices for such ART contracts.

Transaction/ Processes/ Operations/ Trends

Registration of entities

The insurance sector in GIFT IFSC has got a major fillip since the IFSCA took various initiatives both in regulatory as well as developmental parlance with support from Government. Total number of IIOs registered with GIFT IFSC have doubled since the previous financial year from 6 to 12. Following Figure represents the classification of IIOs in IFSC:


Figure 12 : Classification of IIOs



It is noteworthy that out of 6 new IIOs registered in FY 2023-24, 3 of them are from life insurance sector, 2 are from health insurance sector and 1 foreign re-insurer. Further, registration for 3 life insurance companies is under process. The numbers primarily show an increasing interest among the life insurance companies to tap the needs of life insurance products for the Indian diaspora. This would further enable GIFT IFSC to become a gateway to life insurance for Indian diaspora.

Further, on the side of IIIOs, IFSCA gave registration to 6 insurance intermediaries in FY 2023-24, raising the total number of registered IIIOs to 23. Following Figure represents the classification of IIIOs in IFSC:

Figure 13 : Classification of IIIOs




Business Transactions at the IFSC

IFSC Insurance Office (IIO)

In the FY 2023-24, the IIOs had booked premium of USD 149 Mn as against of USD 83 Mn in FY 2022-23. The Financial year wise business underwritten by the IIOs for previous 5 years is as under:

Figure 14 : Business underwritten by IIOs (USD Mn)




* Data for FY 2023-24 is Provisional

IFSC Insurance Intermediary Office (IIIO)

In the FY 2023-24, the IIIOs had transacted (re)insurance premium of USD 276 Mn as against of USD 227 Mn in FY 2022-23. The Financial year wise transactions of IIIOs for previous 5 years is as under:

Figure 15 : Business transacted by IIIOs (USD Mn)



* Data for FY 2023-24 is Provisional

Advocacy and Outreach

Meetings with Insurance/ Re-insurance companies (Tokyo, Japan)

A delegation led by Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA visited Tokyo, Japan in the second week of November 2023. During the visit, the delegation held meetings with various insurance/ re-insurance companies. Detailed discussions were held on the specific enablers provided for Insurance Business, covering IFSCA's principle based regulatory framework on (re)insurance business, which is at par with global standards, promoting ease of doing business and business opportunities in the GIFT IFSC.

IAIS AGM 2023

The delegation also attended the IAIS Annual General Meeting Conference (AGM) 2023 on the theme "Mind the gap: the role of supervisors in making the global insurance sector more inclusive". The conference provided an opportunity for updates on the delivery of the IAIS' Roadmap and plans for the Association's future work.

MMoU with IAIS

The major highlight of the Tokyo visit was the signing of Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) with IAIS. The IAIS MMoU provides a global framework of compliance and confidentiality to allow for open cooperation and exchange between insurance supervisors. To become a signatory to the MMoU, applicants undergo a rigorous assessment of their professional secrecy regimes, conducted by an independent team of IAIS members. Through membership in the MMoU, supervisors can exchange relevant information and assist other signatories, thereby promoting the financial stability and sound supervision of cross-border insurance operations for the benefit and protection of consumers. The IFSCA is 85th signatory to the IAIS MMoU. The signing of this MMoU enables IFSCA to exchange relevant information with other signatory jurisdictions.



Image 19 : Dignitaries from IAIS and IFSCA during the signing of MMoU

Meeting with FSA, Japan

During visit to Japan, Mr. Miyoshi, Vice Commissioner, Financial Services Authority (FSA), Japan, welcomed the IFSCA delegation. Chairperson, IFSCA briefly mentioned the vision behind IFSCA at GIFT City and various financial services businesses enabled in the IFSC. The delegation also participated in Japanese Financial Services Authority's (JFSA) High-Level Dialogue on the role of insurance in building a resilient society, exploring how insurers and the public sector can contribute to shaping a sustainable society for future generations, through collaborative and coordinated actions. Further, the matter of entering into bilateral MoU between IFSCA and JFSA was discussed.

Participation in Roadshow on Insurance organised by IRDAI



Image 20 : Chairperson, IFSCA, during Insurance Roadshow at Tokyo, Japan

During IFSCA's delegation visit to Tokyo, the IRDAI had organised Roadshow for the Japanese insurers at Vivekananda Cultural Centre, Embassy of India at Tokyo, Japan. In the said roadshow, presentations were made by Chairperson, IFSCA and Chairman, IRDAI on the opportunities provided by GIFT IFSC and the Insurance business in India for the Japanese investors and collaboration with Indian Insurance business.

Participation in 19th Singapore International Reinsurance Conference (SIRC)

IFSCA participated in 19th SIRC held during October 29 to November 03, 2023. The Conference had participation from around 2000+ delegates from 60 countries. During the tour, meetings were

held to discuss the GIFT IFSC Insurance proposition with global reinsurers. The participation featured meeting with various stakeholders, insurance/ re-insurance companies.

During the course of these meetings, many pertinent topics were discussed like Managing General Agents (MGAs), detailed presentation on the IFSC Insurance eco-system and enablers, emerging avenues for CBRs in IFSC, ILS, CAT bonds, captive insurance, development of segregated cell structures, Order of Preference as specified by Indian domestic regulator.

IFSCA-IRDAI GIFT IFSC Global Reinsurance Summit

Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs had suggested IFSCA and IRDAI to jointly hold an event on the topic of Reinsurance with an aim to interact with the global reinsurers and develop GIFT IFSC as the Global Hub for Reinsurance. As a result, IFSCA, IRDAI and GIFT City with the support of Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance organised the "IFSCA-IRDAI GIFT IFSC Global Reinsurance Summit, 2023", on November 30, 2023, in Mumbai.



Image 21 : Dignitaries during the inaugural session "Vision Track". Dignitaries (Left to Right): Mr. P. K. Arora, WTM, IRDAI; Dr. Vivek Joshi, Secretary, DFS; Dr. Hasmukh Adhia, Chairman, GIFT City; Mr. Debashish Panda, Chairman, IRDAI; Mr. K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA; Mr. Praveen Trivedi, ED, IFSCA

The objective of the Summit was inter-alia to bring all the stakeholders on a common platform and share with them the opportunities available in the GIFT IFSC and to find ways to make it a reinsurance hub. The Summit was also intended to create awareness of the principle-based regulatory system adopted by the regulator and to facilitate and handhold setting up of (Re)insurance businesses in the GIFT IFSC.

The Summit was attended by over 200 delegates and speakers, including top cross-border reinsurers, Indian insurers and reinsurers including Foreign Reinsurance Branches, insurance brokers, consultancy firms, lawyers, industry associations, and academic institutions. Presentations covered opportunities for insurance and reinsurance business at GIFT IFSC, the business ecosystem, regulatory regime, efforts to promote ease of doing business, opportunities for global reinsurers, and the unique features of GIFT IFSC such as forex, dedicated regulator, and tax regime.

Two panel discussions and two fire side chats were also held featuring eminent speakers and panellists from life, non-life and reinsurance segments of the industry. The themes of the panel discussions were 'To develop India as Re-Insurance Hub' and 'IFSC: The Gateway to Life Insurance for Indian Diaspora' respectively. While the first fireside chat on "Unique opportunities in an integrated jurisdiction" was held with Ms. Alice G. Vaidyan, Ex-CMD GIC; the second fireside chat, on "Lloyds in the Special Economic Zones", was held with Mr. Shankar Garigiparthi, CEO & Country Manager, Lloyd's India.



Image 22: Panel Discussion on "To develop India as Re-insurance Hub". Dignitaries (Left to Right): Mr. Hitesh Kotak, CEO, Munich RE India Branch; Ms. Girija Subramanian, CMD, AICIL; Mr. Tapan Singhel, CEO, Bajaj Allianz General Insurance Co.; Mr. Arun Soundarajan, Country Head, Atradius India; Ms. T.L. Alamelu, Principal Advisor, IFSCA

Parallely, one-to-one meetings were organised between selective invitees which were attended by Dr. Hasmukh Adhia, Mr. Debashish Panda, Mr. K. Rajaraman, Mr. P. K. Arora, Mr. Praveen Trivedi, and Ms. T.L. Alamelu. Multitude of topics were taken up during these personal interactions like advantages of GIFT IFSC including tax benefits, access to Indian market, Order of Preference, Ease of Doing Business, etc.

Policies and programs for the Following Year

New segments of Insurance Industry in IFSC

In order to shape its vision of onshoring the offshore business in GIFT IFSC, the IFSCA aspires to bring in globally renowned practices by onboarding concepts of Captive Insurance companies and Mutual insurance companies. This will not only provide for fostering the growth of newer segments of insurance industry in IFSC, but also provide greater financial flexibility and protection to the entities and develop greater insurance/ re-insurance capacities.

To nurture these emerging avenues, the IFSCA has recommended for amendments in the Insurance Act, 1938 for enabling registration of Captive and Mutual insurance companies. Upon amendment in the Insurance Act, IFSCA plans to bring in suitable regulatory and supervisory frameworks in the forthcoming year.

GLOBAL IN-HOUSE CENTRES

In the last two decades, India has emerged as a leading hub for Global In-house Centres (GICs) owing to its inherent strengths such as availability of highly skilled talent pool and competitive cost of operations. Essentially, GICs are offshore centres that perform designated in-house functions for large corporates and organizations. Over the years, GICs have started playing a strategic role at global level and have evolved as innovation centres offering advanced services in areas such as analytics, risk management, fraud prevention, etc.

To enable the GIC business in GIFT IFSC, the Central Government notified GICs as a financial service under the IFSCA Act, 2019 to provide services relating to financial products and financial services. Subsequently, IFSCA notified the Global In-House Centres Regulations, 2020 which permitted entities belonging to any financial services group to set up a GIC in the IFSC. There are multiple institutions that have established GICs in the GIFT IFSC.

The establishment of IFSCA has significantly increased the number of financial sector entities relocating to IFSC in GIFT City. It has also streamlined the process of obtaining approval and licenses for operations within IFSC. This relocation would allow them to establish an entity under the jurisdiction of a unified regulator, providing the flexibility to offer services that align with their strategic goals and business objectives. Additionally, the tax incentives and exemption from FEMA regulations would offer these entities greater regulatory independence.

Several institutions have already set up GICs within GIFT IFSC, collectively employing over 2600 individuals. Major MNCs from the financial sector, including renowned banks like Bank of America, auditing and assurance service providers, and securities and capital market firms, have established their GICs in GIFT IFSC.

Advocacy and Outreach

IFSCA has been proactively involved in industry engagement and has forged collaborations with government agencies and GIFT City authorities. Consistent efforts have been directed towards furnishing the requisite infrastructure essential for accommodating large corporations. Significant progress has been achieved within GIFT IFSC, particularly in areas such as office space provision, transportation facilities, recreational amenities, and more.

Roundtable discussions with leading Global Capability Centres in India Chaired by Hon'ble Finance Minister of India

In the presence of Hon'ble Finance Minister, roundtable discussions with the leaders of prominent BFSI Global Capability Centres and other stakeholders such as NASSCOM, GIFT City etc. was organized on January 23, 2024, at New Delhi. During the discussion, leaders of leading BFSI MNC GICs were apprised about the opportunities in GIFT IFSC and views were solicited on enablers required to develop GIFT IFSC as a GIC hub. Chairman, GIFT City, Chairperson, IFSCA, NASSCOM leadership and leaders from more than 20 leading BFSI MNCs participated in the summit.

Global Capability Centres CXO Meet in Mumbai

Executive Director, IFSCA addressed the participants in Global Capability Centres CXO Meet organized by the ICICI Bank on August 17, 2023. While appraising the participants about the growth and opportunities of GICs at IFSC, Executive Director, IFSCA also emphasized the importance of tapping on the vast talent pool and availing of the fiscal and non-fiscal incentives offered by both central and state governments.



Image 23 : Shri Dipesh Shah, ED, IFSCA addressing in GCC (CXO Meet)

IFSCA address in the GCC Summit in Bengaluru

Chief General Manager, IFSCA addressed the gathering in GCC X Summit organised by the 3AI on July 21, 2023, at Bangalore. CGM, IFSCA appraised them about the opportunities in Global Inhouse Centres at GIFT IFSC.

IFSCA address in Summit on “Opportunities for GCCs in the GIFT City” in Bengaluru

Executive Director, IFSCA delivered a keynote address at the “Opportunities for GCCs in the GIFT City” – an event organised by the HSBC Bank on July 28, 2023, at Bangalore. CGM, IFSCA participated in the panel discussion and expressed his views about the benefits to BFSI GCCs to establish in IFSC.

Policies and Programs for the following year

Review of IFSCA (Global In-house Centres) Regulations, 2020

IFSCA has received suggestion on various provisions related to transfer of manpower and service receipt. Based on the suggested received, the regulations will be reviewed to incorporate appropriate changes.

Increasing awareness about GIC ecosystem in GIFT IFSC

In close partnership with the Government of Gujarat, awareness campaigns and branding events will be organized to highlight GIFT IFSC as a premier destination for GICs in the country. To expand outreach and engage with potential investors, physical roadshows will be conducted across various prominent Indian cities that have already established themselves as leaders in the GIC sector. These coordinated endeavours aim to position GIFT IFSC as the preferred choice for GICs, leveraging its robust ecosystem and strategic advantages.

SUSTAINABLE FINANCE

Hon'ble Prime Minister of India, in Conference of Parties 26 (COP26) summit, announced 'Panchamrits' as an unprecedented contribution of India to climate action. He said that India will aim to achieve net-zero emissions by 2070. India will require a funding to the tune of USD 10 trillion to meet the net-zero transition by 2070.

IFSCA has opened following three tracks for Sustainable Finance

- (a) Lending by IFSC Banking Units and Finance Companies/Units in IFSC under Guidance Framework for Sustainable and Sustainability linked lending*
- (b) Separate Regulatory Framework for Listing of ESG labelled Debt securities under IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations*
- (c) Enablement of launch of sustainability focused investment funds in IFSC (ESG Funds)*

Policy/ Regulatory Development

The vision of the Hon'ble Prime Minister and the Government of India is to make GIFT IFSC, the global hub for sustainable finance. IFSCA, as a unified regulator for GIFT IFSC, is working with a vision to achieve these objectives. In the past 3 years, IFSCA has taken significant steps in accelerating global sustainable capital flows by creating a conducive regulatory environment, inspired by international best practices but focused especially on the needs of developing countries.

The Authority has taken various regulatory and policy initiatives to mobilise finance towards green and sustainable projects, including the following:

- (i) Guidance Framework for Sustainable and Sustainability linked lending by Financial Institutions
- (ii) Sustainability Disclosures by Fund Management Entities
- (iii) Framework for ESG Schemes
- (iv) Separate regulatory framework for ESG labelled debt securities in IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations

Transaction/Processes/Operations/Trends

Debt Securities

As on March 31, 2024, USD 12.3 Bn ESG labelled debt securities have been listed on the IFSC exchanges and total listing of debt securities on IFSC exchanges stands at USD 56.6 Bn.

REC Limited listed its inaugural JPY 61.1 Bn 5-year, 5.25-year, and 10-year green bonds, issued under its USD 10 Bn Global Medium Term Notes Programme, on IFSC exchanges in January 2024. It is the largest ever Euro-Yen issuance in South and Southeast Asia, the largest Yen-denominated issuance from India, and the largest non-sovereign Yen-denominated issuance ever from South and Southeast Asia.

Table 24 : Listing of debt securities at IFSC Exchanges (In USD Bn)

Particulars	As on Dec 31, 2023	As on Mar 31, 2024
Cumulative debt listings	52.97	56.5
Cumulative ESG labelled debt listing	10.43	12.3

Figure 16 : Listing of ESG Debt securities as of March 31, 2024 (In USD Bn)




Figure 17 : Listing of Debt securities as of March 31, 2024 (In USD Bn)




Table 25 : Debt listing in FY 2023-24

Name of the issuer	Listing Date	Issued Currency	Amount of issuance in issued currency (in Mn)	Label
State bank of India	1-1-2024	USD	250.00	Green
State bank of India	18-1-2024	USD	600.00	-
NeoGrowth Credit Private Limited	19-1-2024	Euro	4.00	-
REC Limited	22-1-2024	JPY	27,400.00	Green
REC Limited	22-1-2024	JPY	31,000.00	Green
REC Limited	22-1-2024	JPY	2700.00	Green
Shriram Finance Limited	25-1-2024	USD	750.00	Social
HDFC Bank Limited	16-2-2024	USD	300.00	Sustainable
HDFC Bank Limited	16-2-2024	USD	450.00	-
IRB Infrastructure Developers Limited	13-3-2024	USD	540.00	-
Aviom India Housing Finance Private Limited	13-3-2024	USD	5.00	-
Adani Green Energy (UP) Limited, Parampujya Solar Energy Private Limited and Prayatna Developers Private Limited	13-3-2024	USD	409.00	Green
Aye Finance Private Limited	21-3-2024	USD	11.50	-

It is observed that in the FY 2023-24, due to global macroeconomic situation, Indian corporates have majorly raised capital through bond market domestically. Because of that, the year has witnessed drastic reduction in foreign currency debt issuances by Indian corporates.

Loans

The IFSCA has issued a “Guidance Framework for Sustainable and Sustainability linked lending by Financial Institutions” on April 26, 2022, to promote sustainable lending by IBUs and FCs. The banking units are also mandated to allocate at least 5% of their loans towards green, or sustainable sectors/ facilities, starting from April 01, 2023. In the first year of implementation of this framework, IBUs in IFSC has undertaken approximately USD 1.56 Bn of sustainable lending transactions. Details of which are as follows.

Table 26 : Overall Sustainable Financing by IBUs

Classification	Cumulative in FY 2023-24 (USD Mn)
Green	436.31
Social	577.09
Sustainable	245.80
Sustainability Linked	279.39
Others	23.75
Total	1562.34

Table 27 : Sector-wise classification of Sustainable Financing by IBUs

Sector (List is Indicative)	During FY 2023-24	
	Amount (USD Mn)	Total No. of Transactions
Renewable Energy	419.83	368
Pollution Prevention and Control	141.67	2
Sustainable Water and Wastewater Management	0.00	0
Clean Transportation	70.78	8
Green Buildings	1.50	1
Affordable Basic Infrastructure	57.74	2
Affordable Housing	9.46	12
Food Security and Sustainable Food Systems	11.76	16
Health Care	52.01	48
Social Education	7.00	2
Others	790.59	828
Total	1562.33	1287

Funds

With the objective to promote ESG funds and drive capital flows towards green and sustainable projects in India, IFSCA has issued the regulatory framework for ESG Funds covering requirements relating to initial and periodic disclosures, ongoing monitoring, and performance evaluation. The framework enabled the registration of the first ESG engagement fund at IFSC. The significant growth of fund ecosystem at IFSC, in the last financial year, presents a huge opportunity for ESG Funds at IFSC.



Advocacy and outreach

MoU with Climate Policy Initiative - India (CPI)

IFSCA and CPI have signed an MoU on July 06, 2023, for mutual assistance and cooperation to increase mobilization of global sustainable capital flows into India. Mobilization of green/sustainable/ climate finance is critical to achieve transition to green and resilient economies.

IFSCA has taken significant steps in accelerating global sustainable capital flows by creating a conducive regulatory environment, based on international best practices, focused especially on the needs of India, and other developing countries. CPI's mission is to help governments, businesses, and financial institutions drive economic growth while addressing climate change. It is against this backdrop that IFSCA and CPI are collaborating through a wide-ranging MoU, which includes research and joint convenings in the field of sustainable finance.

IFSCA and G20

IFSCA contributed towards India's G20 Presidency by being a domestic knowledge partner of G20 Sustainable Finance Working Group (SFWG), in alignment to IFSCA's ambition of developing GIFT IFSC as a global hub for sustainable finance. Some of the significant contributions are highlighted below.

- (i) IFSCA is one of the lead authors for India's Presidency Input paper on "Building capacities to accelerate sustainable finance and manage climate and sustainability risk" published as part of work related to G20 SFWG.
- (ii) IFSCA participated in panel discussions related to social impact investments and capacity building during the G20 Domestic outreach event at Chennai.
- (iii) IFSCA provided its inputs for scaling up adoption of social impact investment for one of the priority areas of G20 SFWG.
- (iv) IFSCA shared case studies at IFSC as instruments for financing Sustainable Development Goals (SDGs) for consideration to be part of compendium of best practices for financing SDGs.

Round Table Conference on International Carbon Markets

On December 13, 2023, IFSCA, in collaboration with FICCI and NSE, hosted a round table conference titled "International Carbon Market: Making GIFT IFSC a Gateway for Global Climate Finance" at GIFT City, Gandhinagar. The event brought together dignitaries from the Ministry of Power, Ministry of Finance, corporate leaders, academic institutions, carbon exchanges, and other key stakeholders in the carbon market. The conference facilitated discussions on (a) Building the Foundation for a Vibrant Carbon Market: Integrity, Infrastructure, and Innovation and (b) Enabling International Carbon Market at GIFT IFSC: Forging the Perfect Ecosystem. The goal was to identify critical elements for creating a transparent and dynamic carbon market, positioning GIFT IFSC as a premier destination for international carbon finance.

In the inaugural address, the Chairperson, IFSCA emphasized the organization's wide-ranging initiatives in financial markets, particularly in sustainable finance. Citing the Prime Minister's comments at the IFSCA InFINITY Forum 2.0, the Chairperson highlighted India's need for at least USD 10 trillion to reach its net-zero emissions goal by 2070. The Chairperson also highlighted the government's ambitious plan to transform India into a developed nation by 2047, emphasizing the significant opportunities for green growth that is present. Achieving these goals will require innovative changes in policy, regulations, and market structures. The Chairperson expressed that the round table conference would aid IFSCA in fostering an environment conducive to mobilizing capital through climate finance and carbon market mechanisms.

FICCI ESG Summit 2023

The FICCI ESG Summit 2023, on the theme of driving sustainable transformation took place on October 9, 2023, in Mumbai. At the FICCI ESG Summit, the Chairperson, IFSCA, emphasized the critical role of sustainable and climate finance amidst the growing climate risks. The Chairperson discussed the evolving global regulatory landscape for sustainable finance and highlighted IFSCA's initiatives, including the regulatory framework for listing Green, Social, and Sustainability (GSS+) bonds, sustainability lending by IBUs, sustainability reporting by FMEs, and the establishment of ESG funds at GIFT IFSC.

Emphasizing that IFSCA's regulations are globally aligned yet sensitive to the needs of developing nations like India, the Chairperson pointed out their significance in attracting foreign capital to green and sustainable projects in India. Furthermore, ongoing efforts to develop the 'Voluntary Carbon Market' and 'Transition Finance' instruments were noted, aimed at supporting financing for corporates in India and the broader Global South.

MoEFCC Climate Conference 2024

The Climate Conference 2024, themed "Decoding the Green Transition for India," took place on January 12, 2024, in Mumbai. The Conference was organised by MoEFCC under the Green Climate Fund Readiness Programme with Delivery Partner UNDP India and supported by Knowledge Partner Avaana Capital.

Chairperson, IFSCA delivered the speech at Climate Conference 2024. He emphasized on bridging the financing gap for climate action, estimated at USD 2.5 trillion and said IFSCA can act as a gateway for attracting global capital towards sustainable projects in India. He mentioned about the various initiatives taken by IFSCA to mobilize climate and sustainable finance from GIFT IFSC. He also highlighted the major ongoing initiatives by IFSCA to develop "Voluntary Carbon Market" ecosystem at GIFT IFSC and "Framework for Transition Finance" to support the financing of corporates in India and the Global South for their net-zero transition.





Image 24 : Chairperson, IFSCA at the inaugural session of the climate conference

Working Group/ Committee

Expert Committee on Voluntary Carbon Market

IFSCA, with a view to develop Voluntary Carbon Market ecosystem in GIFT IFSC, has constituted an Expert Committee, chaired by Shri R. R. Rashmi, Distinguished Fellow and Programme Director, Earth Science and Climate Change, The Energy and Resources Institute (TERI) in September 2023.

The expert committee is tasked with comprehensively examining the international Voluntary Carbon Market (VCM) to assess its potential for supporting India's Net Zero goals. This includes understanding current VCM challenges and opportunities, suggesting policy measures to enable VCM within GIFT IFSC, attracting market participants, establishing a robust VCM ecosystem, and drafting a regulatory framework for VCM activity within GIFT IFSC. The scope also extends to any other relevant matters concerning VCM development and regulation at GIFT IFSC.

Expert Committee on Climate Finance

With the objective to mobilize global capital to achieve the net zero target of India and other emerging countries, IFSCA constituted an Expert Committee on Climate Finance in December 2023 under the Chairmanship of Mr. Dhruva Purkayastha (India Director, CPI).

The expert committee is established to comprehensively analyse global climate financing trends, identify best practices, and assess requirement of climate Finance with special focus on transition in India by 2047. The committee will further recommend a regulatory framework for transition finance instruments, building upon IFSCA's draft framework. Additionally, the terms of reference for the committee include recommendations on policy measures (legal, tax, regulatory etc.) to promote transition finance through GIFT IFSC, and on building a cost-effective and reliable ecosystem for transition finance supporting Indian industry, while also providing a roadmap for GIFT IFSC to develop climate finance instruments and become a global hub.

Policies and program for the Following Year

Framework for Transition Finance

The need of the hour is to fund the transition journey of all sectors, especially hard-to-abate sectors such as steel, cement, chemicals etc. In order to achieve the Paris agreement goals and SDGs. In this context, transition finance instruments such as transition bonds, transition loans etc. have emerged as an alternative to address the financing gap needed to achieve Paris agreement goals and which is inclusive of sectors and geographies across industries. IFSCA has formed an expert committee on Transition Finance consisting of representation from industry, standard setters, consultants, think tanks etc. to recommend a regulatory framework for transition finance instruments and measures to promote transition finance through GIFT IFSC.

Regulatory framework for Voluntary Carbon Market

India is one of the largest suppliers of carbon credits in International Voluntary Carbon Market over the last decade. With an aim to develop an ecosystem of international carbon market under a regulated environment, IFSCA has constituted an Expert Committee on Voluntary Carbon Market chaired by Shri R.R. Rashmi. The committee includes experts from the areas of renewable energy, consultancy, capital markets, policy, legal, standards and registry, investors, etc. The terms of reference include recommendations to IFSCA for development of regulatory framework on VCM and suggest policy and enabling measures to create a robust VCM ecosystem for global markets at GIFT IFSC.

Investment and settlement of Sovereign Green Bonds (SGrBs) at IFSC

With the objective of enabling the wider participation from foreign investors in India's green growth, IFSCA and RBI are working together to enable the trading and settlement of SGrBs at IFSC.





ANCILLARY SERVICES

Professional services firms are quintessential for the development of an international financial centre as they aid and assist the delivery of financial services such as Audit and Accountancy, Taxation, Legal, Consulting and Advisory services etc. Globally, the growth of financial firms and financial markets are predicated on the growth and concentration of high-quality professional services firms.

Considering the inherent importance of professional services firms in developing a robust financial services market in GIFT IFSC, IFSCA in February 2021 issued the framework for enabling Ancillary Services at IFSC.

The industry in GIFT IFSC is showing healthy growth having 68 entities as of March 31, 2024, providing services across categories like Legal, Compliance and Secretarial, Professional & Management Consulting Services, Auditing, Accounting, Bookkeeping and Taxation Services, Administration, Asset Management Support Services and Trusteeship Services, etc

International Financial Centres (IFCs) are regions characterized by a high concentration of financial service providers, including banks, capital market entities, insurance firms, fund managers, and FinTech companies. Additionally, these centres host professional service firms offering expertise in areas such as audit, accountancy, taxation, legal counsel, consulting, and advisory services. The presence of professional service firms is crucial for the growth and functionality of an international financial centre, as they support and facilitate the delivery of financial services by financial institutions. Globally, the expansion of financial firms and markets relies heavily on the proliferation and quality of professional service firms.

Given the abundant availability of skilled professionals in India, particularly in fields such as Chartered Accountancy, Company Secretaryship, and Chartered Financial Analysis, there exists significant potential for the IFSC to emerge as a central hub for professional service providers. These professionals would not only serve the needs of the IFSC itself but also cater to demand from overseas markets. Recognizing the vital role of professional service providers in fostering the development of financial markets within the GIFT IFSC, the Authority introduced the "Framework for Enabling Ancillary Services at International Financial Services Centres" in February 2021.

The implementation of ancillary service firms within the GIFT IFSC has greatly bolstered the growth of the financial services ecosystem by meeting the demand for professional services and attracting both global and domestic players to the IFSC.

Policy/ Regulatory Developments

Framework for enabling Ancillary services at IFSC

Ancillary Services are defined as services which directly or indirectly aid, help, assist or strengthen or are attendant upon or connected with 'services' as defined under section 3 of IFSCA Act, 2019.

The permissible ancillary services under the framework are as follows:

- (i) Legal, Compliance and Secretarial
- (ii) Auditing, Accounting, Book-keeping and Taxation Services
- (iii) Professional & Management Consulting Services
- (iv) Administration, Assets Management Support Services and Trusteeship Services
- (v) Any other services as approved by IFSCA from time to time.
- (vi) The following entities are eligible to act as a service provider so as to provide permissible ancillary services pertaining to activities in relation to financial products, financial services and financial institutions in the IFSC:
 - a. Any existing or newly incorporated entity set up in the IFSC.
 - b. Any Indian or foreign incorporated entity by establishing a branch or a subsidiary.

The entity may be set up in the IFSC in the form of a company or a limited liability partnership or a registered partnership firm, branch thereof or any other form as may be approved by the IFSCA.

Service providers can provide permissible services to any one or more of the following:

- (i) Entities set up in IFSC.
- (ii) Entities from foreign jurisdictions for various permissible ancillary services in IFSCs in India or overseas
- (iii) Indian entities who propose to open, set up or carry out operations in IFSCs or foreign jurisdiction, provided consideration is received in freely convertible foreign currency.

Transaction/Processes/Operations/Trends

Under the Ancillary Framework, IFSCA has granted Authorisation to 68⁷² entities as on March 31, 2024, out of which 22 entities were granted authorization during Financial Year 2023-24.

Table 28 : Activity-wise break up of Ancillary Services Entities

S. No.	Activity	No. of Authorized Entities as on March 31, 2024
1	Legal, Compliance and Secretarial	12
2	Professional & Management Consulting Services	21
3	Auditing, Accounting, Bookkeeping and Taxation Services	11
4	Administration, Asset Management Support Services and Trusteeship Services	24
	Total	68

⁷² Including in-principle approval



Advocacy and Outreach

ICSI Office in GIFT City

The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) Council approved the establishment of an office in GIFT City, Gujarat. This move aims to narrow the skill gap and enrich the talent pool for financial institutions in GIFT IFSC.

IFSCA MoU with ICSI

IFSCA signed an MoU with ICSI for co-operation in various initiatives including working together for the development of GIFT IFSC as a Global Compliance Services Export Hub and to facilitate development of advanced corporate governance practices, compliance audit in IFSCs and promote export of Legal, Compliance and Secretarial Services.

IFSCA MoU with ICAI

IFSCA signed and exchanged MoU with ICAI at Global Professional Accountants Convention for the development of GIFT IFSC as a “Global Finance and Accounting Hub” of the world.

Moreover, ancillary services firms have organized numerous webinars, roundtables, and conferences both globally and within India to raise awareness about opportunities in sectors such as banking, funds, insurance, aircraft leasing, and more.

Box 4: Making GIFT IFSC a Global Accounting Hub

Through a recent Gazette notification in January 2024, the Government of India expanded the scope of 'financial services' under the IFSCA Act 2019 to include key areas like bookkeeping, accounting, taxation, and financial crime compliance. This significant policy shift aims to position GIFT IFSC as a global hub for these services, presenting substantial employment opportunities for India's skilled workforce.

Recognizing the immense potential of this policy decision, IFSCA established an Expert Committee focused on developing GIFT IFSC as a "Global Finance and Accounting Hub." The Committee has provided key suggestions and recommendations to advance bookkeeping, accounting, taxation, and financial crime compliance services.

Further, IFSCA has drafted the IFSCA (Book-keeping, Accounting, Taxation, and Financial Crime Compliance Services) Regulations, 2024. These regulations outline a regulatory framework for the provision of these services within the IFSC jurisdiction.

Policies and Programs for the following year

Review of Framework for Enabling Ancillary Services at IFSC

A review of Circular is due after 3 years of notification. Further, with the introduction of BATF regulations in 2024, bookkeeping, accounting, and taxation services previously included in the Ancillary framework will now fall under the BATF regulations. Additionally, the revised circular is expected to address provisions related to Fit and Proper criteria, the exit of registered entities, and modifications in the approval process.

MoU with Professional Bodies

Commence negotiations for a Memorandum of Understanding (MoU) for a Professional Outreach program with distinguished professional institutes. The objective is to explore opportunities for research, capacity building, and addressing workforce skill gaps.

Addition of New Services under Ancillary Framework

Consider including new services such as certification services, actuarial services, valuation services and Insolvency Professional services under the existing Ancillary Services Framework.



FOREIGN UNIVERSITIES & INSTITUTIONS

The Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs in the Union Budget 2022-23 announced, "World Class Foreign Universities and Institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics, free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high end human resources for financial services and technology".

Pursuant to the above Budget Announcement, the Ministry of Finance notified courses offered in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics by foreign universities or foreign institutions in the IFSC as 'Financial Services'. This policy enabler brought foreign universities and foreign educational institutions setting up campuses in IFSCs under the purview of IFSCA Act, 2019. Subsequently, IFSCA notified enabling regulations i.e. IFSCA (Setting up and operation of International Branch Campus and Offshore Education Centre) Regulation, 2022.

Deakin University from Australia became the 1st foreign university to be granted a Certificate of Registration (CoR) for their International Branch Campus in GIFT IFSC. Further, IFSCA also granted in-principle approval to the University of Wollongong, a leading University from Australia.

In the Union Budget 2022-23, the Hon'ble Finance Minister announced that GIFT City will host world-class foreign universities and institutions offering courses in Financial Management, FinTech, STEM fields, exempt from domestic regulations but under IFSCA oversight. This initiative aims to establish GIFT City as an international educational hub for both Indian and foreign students, providing high-end human resources for financial services and technology. Following this, on May 23, 2022, the Ministry of Finance designated these courses as 'Financial Services' under the IFSCA Act, 2019, allowing foreign educational institutions to set up campuses in the IFSC.

The overall objective of this policy announcement was to develop GIFT IFSC as an international educational centre catering to both Indian and foreign students in specified disciplines, encourage research in areas of Banking, Insurance, Capital Market, Funds Management, FinTech, Longevity Finance, Sustainable Finance, Quantum Computing, etc. and nurture high- end human resources in finance, technology, and related fields.

Pursuant to the above, IFSCA notified enabling regulations i.e. IFSCA (Setting up and operation of International Branch Campus and Offshore Education Centre) Regulation, 2022 wherein the Authority specified the eligibility criteria, procedure for grant of registration, and other terms and conditions for foreign universities to set up International Branch Campuses (IBCs) and foreign educational institutions to set up Offshore Education Centres (OEC) in IFSC.

To further facilitate the setting up of IBCs and OECs in IFSC, the Ministry of Finance invoked powers under Sec 31 of IFSCA Act 2019 and disappplied University Grants Commission Act, 1956 and the All-India Council for Technical Education Act, 1987 to the courses offered by foreign universities & institutions in GIFT IFSC.

Policy/ Regulatory Developments

During FY 2023-2024, IFSCA enabled the Academic Infrastructure Service Provider (AISP) model for foreign universities and institutions setting up IBCs and OECs in IFSC. This regulatory enablement permitted IBCs and/or OECs to avail infrastructure services from an AISP, which shall be registered and governed as per provisions of SEZ Act 2005. The AISP model is expected to make GIFT IFSC an attractive and preferred destination for foreign universities and institutions to set up their overseas campuses.

Box 5: Key features of the AISP Circular

- (i) An AISP is a service provider which is providing services to an IBC/OEC, which shall include providing built up campus facility, research and development facility, library, laboratories, incubation centres, teaching classroom, and such other related services.
- (ii) An AISP can provide the following additional services to an IBC/OEC in IFSC:
 - a. Campus Facility Management services
 - b. Student onboarding, Admissions and Student Welfare services
 - c. Services for recruitment and management of non-academic staff
 - d. Branding and Marketing services
 - e. Payroll services, etc.
- (iii) Eligibility Conditions for an AISP:
 - a. The AISP is incorporated as a separate company in GIFT SEZ.
 - b. The AISP shall have a minimum net worth of USD 1 Mn or equivalent for providing its services.
 - c. The AISP or any of its group company shall have at least three years of prior experience of providing similar services to recognized universities/educational institutions in India or overseas.
- (iv) Obligations of an IBC/OEC availing services from an AISP:
 - a. The IBC/ OEC shall enter into a formal written agreement with an AISP.
 - b. The agreement shall, inter-alia, contain provisions relating to indemnity, intellectual property protection, conflict of interest, financial guarantee, confidentiality and privacy, force majeure, insurance, governing law & jurisdiction, dispute resolution.
 - c. The IBC/ OEC shall provide an undertaking to IFSCA that the academic functions of the IBCs and/or OECs, are not outsourced in any manner whatsoever, to the AISP, directly or indirectly.

Transaction/Processes/Operations/Trends

During FY 2023-24, IFSCA achieved a significant milestone by granting final certificate of registration to Deakin University, Australia, for their International Branch Campus in GIFT IFSC under IFSCA (Setting up and operation of International Branch Campus and Offshore Education Centre) Regulation, 2022. Deakin University with a QS World University Ranking of 233 in 2024 became the first foreign university to be approved under this policy initiative of Government of India. Deakin University IBC has set up a state of art campus facility in GIFT IFSC and is expected to begin its academic operations from July 2024 with two master's courses namely Master of Cyber Security and Master of Business Analytics.




Image 25 : Deakin University in GIFT IFSC

In May 2023, University of Wollongong (UoW) from Australia became the 2nd foreign university to apply and receive in-principle approval from IFSCA for setting up their International Branch Campus in GIFT IFSC. UoW is a leading Australian public university located in the coastal city of Wollongong, New South Wales and has secured a rank of 162 in QS World University Rankings 2024. UoW IBC is expected to begin their academic operations from July 2024 with the introduction of Master of Computing (Data Analytics), after obtaining final certificate of registration from IFSCA.

Advocacy and Outreach

During FY 2023-24, IFSCA held several roundtable interactions and bilateral meetings with leading universities from USA, Australia, France and United Kingdom. Several foreign universities were actively exploring the opportunity to set up their IBC in GIFT IFSC and thereby expand their presence in India.



INFORMATION TECHNOLOGY

The spheres of technology and finance have increasingly become intertwined, as latest technological innovations provide improved security, speed, convenience, coverage, and 'Ease of Doing Business' in the field of finance. The use of Technology has become indispensable for a regulator with its increasing impact on regulation, supervision, and governance in the international financial regulatory ecosystem. IFSCA lays emphasis on using technology as the key to increase the transparency and efficiency of operations, and in improving the ease of doing business for Regulated Entities in IFSCs.

Towards this end, IFSCA has undertaken several initiatives in the Financial Year (FY) 2023-24:


IFSCA's Supervisory Technology (SupTech) System

IFSCA is in the process of appointing a suitable SupTech Solution Provider to implement the system to facilitate the supervisory functioning of the Authority. The envisioned system aims to establish a comprehensive framework for administration, compliance, supervision, and enforcement amongst its regulated entities. The primary focus is to incorporate advanced technology and adhere to global best practices to achieve the Authority's objectives effectively.

Box 6 : IFSCA Single Window IT System (SWITS)

The Hon'ble Finance Minister, in the Union Budget for FY 2023-24 announced "Implementation of a single window IT-enabled system for application processing of entities desirous of setting up operations in GIFT IFSC" to improve the Ease of Doing Business (EoDB).

- (i) Towards this end, IFSCA floated a Request for Proposal (RFP) on GeM (Government e-Marketplace) and finalized a vendor for implementing the SWITS.
- (ii) A Common Application Form (CAF), that was developed by IFSCA by merging several existing forms, was digitally translated in the SWITS. This CAF along with the vertical-specific Annexure forms aim to harmonize and simplify the process of Registration in IFSCs.
- (iii) The CAF also comprises of the details required for an entity's SEZ Approval, which is designed to be sent to the SEZ Online System automatically by means of an API integration. This integration was completed by jointly working with NSDL.
- (iv) Apart from this, the SWITS also integrates within itself an NoC processing module through API integration. The APIs were developed and tested with the involvement and support of the other financial sector regulators, RBI, SEBI and IRDAI.
- (v) SWITS also integrates the process of applying for GSTIN for an IFSC entity, which is being done in coordination with GSTN.
- (vi) Real time data validation of PAN, DIN and CIN would also be done through APIs that are incorporated into SWITS.

Figure 18 : Schematic Representation of SWIT System

Revamp of IFSCA Website and Legal Database

In line with the IFSCA (Maintenance of Website) Regulations, 2022 IFSCA has initiated the development of a best-in-class website, benchmarked with other international financial sector regulators, while conforming to the standards and guidelines of Government of India and other relevant agencies.

The IFSCA website acts as an important interface with the public as well as the regulated entities and other stakeholders to disseminate information through its regulations, circulars, notifications, etc.

The updated IFSCA website shall host the IFSCA SWITS and cater to the needs of Regulated Entities (REs), prospective businesses and foreign financial regulators, improving their Ease of Doing Business with IFSCA.

The revamped website shall contain a directory that would be linked to SWITS for real-time updating of data. A Legal Database Module would also be housed on the revamped website enabling easy access and searchability of relevant regulations, circulars and legal information.

Enterprise Resource Planning (ERP) System

The ERP system of IFSCA is aimed at easing the general administration through digitizing employees' attendance management, leave management, and pay slip generation. This system will be used for processing the claims of all the employees in a paperless manner. Further, the objective is to scale the system to include all other general administrative functions within its ambit.



eOffice-IFSCA application

eOffice-IFSCA application, developed by National Informatics Centre (NIC), is IFSCA's electronic file management system, and supports governance, e-File, an integral part of e-office suite is a system designed for the Government departments, PSUs, and statutory bodies to enable a paperless office.

The eOffice application helps with easy movement and tracking of files as well as receipts. The application also includes file management system, knowledge management system, Management Information Systems (MIS), employee data management and master data management which helps in digitizing IFSCA's internal processes.

IT Infrastructure

IFSCA provides workstations equipped with computers, printers, telephones, and high-speed Local Area Network (LAN) connectivity to its employees. IFSCA has operationalized an internal mail server for ease of document sharing within the organization, while ensuring data security. IFSCA Headquarters has high-speed Wi-Fi connectivity, and the meeting rooms are equipped with world-class video conferencing devices for seamless communication.

Social Media

The IFSCA has taken proactive steps to improve its social media presence. The efforts taken in timely posting and appropriate tagging has led to an increase in social media footprint of IFSCA and has improved the coverage and timeliness of information dissemination from IFSCA. Together, the website and social media are being leveraged to secure India's place in the digital arena in the company of other major international financial sector regulators of the world.

Cyber Security

Cyber Security Advisory Committee

On May 12, 2023, the Hon'ble Prime Minister of India graced GIFT IFSC with a visit. A primary outcome of this visit was the emphasis on the creation of a forward-looking cyber security vision document for GIFT IFSC.

As a step towards that direction, IFSCA has formed a Cyber Security Advisory Committee (CSAC) chaired by Dr. Sanjay Bahl, Director General, CERT-In on August 17, 2023. The Committee's terms of reference encompass preparing a cyber security vision document for GIFT IFSC and overseeing and guiding cyber security initiatives for GIFT IFSC. The Committee shall advise IFSCA on developing and maintaining cyber security and cyber resilience requirements for the Regulated Entities (REs) aligned with global best practices. Additionally, the Committee will recommend improvements for cyber security audit processes, review the mandate and functioning of Security Operation Centers (SOCs), and guide the setup of a Cyber Lab/ Cyber Center of Excellence. It will also study major global cyber-attack incidents to identify gaps in the current cyber security framework and engage in continuous dialogues with relevant external agencies, such as CERT-In,

NSCS, DoT, MeitY, and leading academic institutions, to further strengthen the cyber security and resilience of GIFT IFSC.

IFSCA's MoU with C3i Hub, IIT Kanpur

IFSCA signed an MoU with IHUB NTIHC FOUNDATION C3i Hub on March 15, 2024, at IIT Kanpur for collaboration in Cyber Security. IFSCA and C3iHub intend to facilitate cooperation and mutual assistance in the areas of cyber security and cyber resilience, inter alia, including Threat Intelligence Systems, Cybersecurity Audits and Assessments, Capacity Building and Training Initiatives and other areas related to cyber security.

C3i Hub deals in the domain of Cyber Security, generation of new knowledge through basic and applied research, developing tools and providing services for enhancing cybersecurity. The Company is formed under Mission NM ICPS, Ministry of Science & Technology to host Technology Innovation Hub ("TIH") in cybersecurity.



DEVELOPMENTAL ACTIVITIES

Policy/ Regulatory Developments

Consultation paper on BATF

On March 26, 2024, IFSCA released a Consultation Paper on Draft IFSCA (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) Regulations, 2024 with a objective of seeking suggestions and comments from the public. The draft regulations aim to put in place the regulatory framework relating to registration and operations of Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services (BATF) from International Financial Services Centres. The consultation paper was issued pursuant to Government of India's notification dated January 18, 2024, wherein bookkeeping, accounting, taxation and financial crime compliance services were notified as 'financial services' under section 3 of IFSCA Act 2019.

International and Domestic MoUs

IFSCA signs an MoU with Financial Services Commission, Mauritius

On March 13, 2024, IFSCA and Financial Services Commission, Mauritius (FSC Mauritius) formally exchanged the MoU to formalize institutional cooperation between the two regulators. The MoU exchange ceremony was held in Mauritius in the august presence of Hon'ble Shri Pravind Kumar Jugnauth, the Hon'ble Prime Minister of the Republic of Mauritius and Smt. Droupadi Murmu, the Hon'ble President of the Republic of India.

The Inter-regulatory Cooperation MoU aims to facilitate the exchange of knowledge and best practices in the development, regulation, and supervision of the financial markets within the respective jurisdictions. Additionally, it seeks to ensure the fitness and propriety of licensed or registered individuals and to promote high standards and integrity in business conduct.

In addition, the MoU also aims to facilitate the enforcement of laws, rules, and regulations governing financial products, financial services, and financial institutions within the respective jurisdictions.

IFSCA signs an MoU with the Institute of Chartered Accountants of India

On November 25, 2023, IFSCA signed and exchanged a Memorandum of Understanding (MoU) with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) at the Global Professional Accountants Convention held in Gandhinagar, Gujarat. The MoU aims to deepen the bilateral cooperation between the two authorities for promotion and development of GIFT IFSC as a “Global Financial and Accounting Hub”.

The MoU will also enhance engagement between IFSCA and overseas chapters of ICAI, enabling better dissemination of information on the regulatory landscape and export opportunities for financial services from GIFT IFSC



Image 26 : Exchange of MoU-ICAI with IFSCA and GIFT City

IFSCA signs an MoU with the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)

On December 10, 2023, IFSCA signed and exchanged a Memorandum of Understanding (MoU) with the ICSI during IFSCA's annual flagship event "Infinity Forum 2.0" held in GIFT City, Gandhinagar. The MoU seeks to strengthen the collaboration between the two organizations for facilitating the development of GIFT IFSC as a "Global Compliance Services export Hub" and to facilitate development of advanced corporate governance practices, compliance audit in IFSC and promote the export of legal, compliance and secretarial services.

IFSCA signs an MoU with Institute of Actuaries of India (IAI)

On December 09, 2023, IFSCA signed a (MoU) with the Institute of Actuaries of India (IAI) during IFSCA's flagship event "Infinity Forum 2.0" held in GIFT City, Gandhinagar. The MoU aims to deepen the cooperation between IFSCA and IAI for promoting and developing GIFT IFSC as a "Global Actuarial Hub" and promote the export of actuarial services from GIFT IFSC. The MoU also seeks to facilitate greater cooperation for promotion and development of financial markets in GIFT IFSC.

Working Groups/Committees

Report of Expert Committee on developing GIFT IFSC as a “Global Finance and Accounting Hub” submitted to IFSCA

Pursuant to Government of India's notification dated January 18, 2024, notifying book-keeping, accounting, taxation and financial crime compliance services as 'Financial Services' under Sec 3(1)(e)(xiv) of IFSCA Act, 2019, IFSCA constituted an Expert Committee on developing GIFT IFSC as a “Global Finance and Accounting Hub” under the Chairmanship of Shri Ranjeet Agrawal, President, ICAI. The Expert Committee comprised of leading experts from the financial services industry, academia and the Government. The Expert Committee submitted its report to the IFSCA on March 26, 2024.



Image 27 : Submission of Report to Chairperson, IFSCA by Expert Committee on BATF

The Expert Committee provided recommendations to the IFSCA on developing a comprehensive regulatory regime for providing bookkeeping, accounting, taxation and financial crimes compliance services from GIFT IFSC. Additionally, the Committee has provided recommendations for the promotion and development of GIFT IFSC as “Global Finance and Accounting Hub” including measures for enhancing the skills and competencies of the workforce.

Report of Working Group on “Development of Non-Resident Individual Business and Ease of Registration” submitted to IFSCA

IFSCA constituted a Working Group on “Development of Non-Resident Individual (NRI) Business and Ease of Registration” on October 06, 2023. The Working Group comprised of industry experts having domain knowledge in areas such as capital market, asset management, banking, insurance, law, FinTech, etc. The Working Group submitted its report to the IFSCA on May 09, 2024. The report envisions harnessing the full potential of GIFT IFSC to attract NR and NRI investments, especially those wanting to invest in or from their home countries.

The Working Group highlighted the importance of NRI investments into India through GIFT IFSC and conducted a comprehensive global benchmarking exercise of GIFT IFSC with leading International Financial Centres, including New York, London, Luxembourg, Dubai, and Singapore. The report examined the onboarding process for NRIs, which covered various aspects such as customer identification, authentication and execution of documents.

The report aims to provide a strategic roadmap for the development of NRI business in GIFT IFSC, emphasizing ease of onboarding and positioning GIFT IFSC as a global financial hub.

Report of Expert Committee on “Onshoring the Indian Innovation to GIFT IFSC” submitted to IFSCA

On August 14, 2024, the Expert Committee constituted by IFSCA on “Onshoring the Indian Innovation to GIFT IFSC” under the chairmanship of Shri G Padmanabhan, Former Executive Director, RBI submitted its report to Chairperson, IFSCA. The committee members comprised of experts having domain knowledge in areas such as Venture Capital, Startups, FinTech, Law, Taxation and other domain experts.

The report examined various facets related to flipping of Indian start-ups and Indian innovation to overseas jurisdictions and recommended various measures to facilitate reverse flipping of Indian startups to GIFT IFSC. The committee in its report also identified challenges and provided recommendations for development of GIFT IFSC as International Innovation Hub. The Committee identified various measures/ action points that are required to be implemented by relevant stakeholders including Ministries, Regulatory Authorities and others for onshoring Indian innovation to GIFT IFSC.

Advocacy and Outreach

Public Sector Enterprises @ 2047: GIFT IFSC Opportunities

The 1st edition of IFSCA's annual summit on Public Sector Enterprises @ 2047: GIFT IFSC opportunities was held on February 23, 2024, in GIFT City. The Summit was inaugurated by Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA in the presence of Shri Amardeep Singh Chowdhary, Principal Advisor, Department of Public Enterprises, Government of India, Managing Directors and CMDs of leading Central and State Public Sector Enterprises (PSEs). Senior leadership from 50+ PSEs and representatives from the financial markets including Banks, Insurance Companies, Stock Exchanges, etc. also attended the conference.





Image 28 : Shri Pradeep Ramakrishnan, ED, IFSCA with dignitaries at the PSE@2047

During the Summit, MDs and senior executives from leading PSEs such as ONGC Videsh Ltd., Power Finance Corporation Ltd. and Indian Oil Corporation Ltd. shared their experiences of setting up business operations in GIFT IFSC for undertaking international financial services businesses, including Global Treasury Centre operations, foreign currency borrowing, holding company structure, etc. Leaders from the financial sector discussed and presented various opportunities for PSEs in GIFT IFSC including Global Treasury Centre operations, ship acquisition financing and leasing, aircraft leasing, holding company structures, debt listing, insurance business, etc.

Visit of Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman to IFSCA

On August 19, 2023, the Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman visited IFSCA Head Office in GIFT City to review the developments in India's maiden IFSC in GIFT City, Gujarat. Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA apprised Hon'ble FM about the regulatory and development initiatives launched by IFSCA, and also highlighted the measures being taken for reducing the cost of doing business in GIFT IFSC. The Hon'ble FM was also briefed about the immediate and future priority areas for IFSCA.



Image 29 : Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman visited IFSCA Head Office

Visit to Grand Duchy of Luxembourg, Belgium, and France

The IFSCA delegation led by the Chairperson, IFSCA visited Grand Duchy of Luxembourg, Belgium and France in February 2024 to engage with the financial sector regulators and the financial industry players. During the visit, IFSCA officials interacted with Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI), Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA), Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT), Luxembourg Stock Exchange, Luxembourg Financial Sector Supervisory Commission (CSSF), European Investment Bank (EIB) Financial Services and Markets Authority, Belgium, Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, etc.



Image 30 : IFSCA delegation led by Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA met Mr Jerome Reboul, Deputy Secretary General and Managing Director of Dept. of International Affairs, AMF France at their headquarters





Image 31 : Chairperson, IFSCA addressing the officials of Luxembourg Stock Exchange (LSE)

Vibrant Gujarat Global Summit 2024

The 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit 2024 was held between January 10-12 in Gandhinagar, Gujarat. The Hon'ble Prime Minister inaugurated the Summit and presided over the Global FinTech Leadership Forum (GFLF) at GIFT City. The forum was attended by leading financial and technology leaders on January 10, 2024. At the forum, business leaders applauded the regulatory regime and business environment in GIFT IFSC and offered various suggestions to further enhance the growth of India's maiden IFSC in GIFT City.

As part of Vibrant Gujarat Global Summit, Government of Gujarat in collaboration with GIFT Co. Ltd. and IFSCA held a day-long seminar on GIFT City & the IFSC at Mahatma Mandir, Gandhinagar on the theme "GIFT City – An Aspiration of Modern India" on 11th January. The Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman delivered the keynote address at the plenary session of the seminar. At the plenary session, Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA highlighted various regulatory measures and development related initiatives being implemented by IFSCA to develop a robust financial market ecosystem in GIFT IFSC.



Image 32 : Plenary Session “GIFT City – An Aspiration of Modern India” in Vibrant Gujarat 2024” (Left to Right) Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA; Shri Kanubhai Desai, Finance Minister, Government of Gujarat; Hon’ble Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman; Shri Hasmukh Adhia, Chairman, GIFT City and Shri Tapan Ray, MD & CEO, GIFT City

Visit to Japan

An IFSCA delegation led by Chairperson, IFSCA visited Japan from November 2023 to engage and interact with Japanese financial market institutions and to participate in the IAIS Annual General Meeting and Annual Conference. During the visit, IFSCA officials interacted with major market players from banking, funds, insurance, aircraft, and ship lessors, etc. and also held discussions with Japan Financial Services Agency (JFSA).



Image 33 : Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA address during interaction with Japanese businesses at IRDAI Insurance Roadshow (Embassy of India, Tokyo)



Image 34 : IFSCA delegation led by Chairperson, IFSCA met Mr. Toshiyuki, Vice-commissioner for International Affairs, FSA, Japan

Visit to USA as part of Vibrant Gujarat International Delegation

IFSCA officials visited the United States of America in October 2023 as part of Vibrant Gujarat International delegation with Additional Chief Secretary, Finance Department, Government of Gujarat as delegation leader. The visit was undertaken to engage with the business community, including the financial services industry as a precursor to the Vibrant Gujarat Global Summit 2024. During the visit, several key engagements with the US financial services industry and Universities were organized to discuss business opportunities in GIFT IFSC.



Image 35 : Opening Bell ceremony at NASDAQ

Visit to Australia

An IFSCA delegation led by Dr. Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA, visited Australia in August 2023 to engage and interact with Australian financial institutions and universities on emerging business opportunities in GIFT IFSC. During the visit, several roundtable interactions/conferences/informative sessions were organized in Sydney & Melbourne, cutting across various business verticals such as FinTech, Capital Markets, Asset Management and Australian Universities, etc. IFSCA also participated in Intersekt 23 (prominent FinTech Conference) and interacted with various FinTech-related stakeholders.



Image 36: Conference on GIFT IFSC opportunities

Key Outreach and engagement activities

During FY 2023-24 following major outreach and engagement activities were carried out in collaboration with Indian missions, foreign missions, industry associations, investment promotion agencies and other stakeholders.

Table 29 : Key Outreach and Engagement activities of IFSCA during FY 2023-24

Date	Particulars	Remarks
April 2023	BCAS 27th International Tax & Finance Conference 2023	IFSCA officials participated in the 27th International Tax and Finance Conference organized by the Bombay Chartered Accountants Society (BCAS) in Gandhinagar, Gujarat. During the conference, GIFT IFSC specific business opportunities were presented to the participants including finance professionals.
	HSBC Conference on the theme “GIFT City: India's Epicenter of Global Finance and IT” organized in Singapore	IFSCA officials participated in a conference organized by HSBC in Singapore to showcase various business opportunities in GIFT IFSC. As part of the conference, business opportunities across funds industry, banking, Global in-house Centres and FinTech were presented to then marker participants.
	SanamS4 Global Summit on Higher Education "campus Development in India" organized in New Delhi	IFSCA officials participated in the 'Global Education Summit' organized by SanamS4 Group in New Delhi. A dedicated session was held for presentation the opportunities for foreign universities to set up International Branch Campuses (IBCs) in GIFT IFSC.
	Conference organized by Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS) in New Delhi	IFSCA officials participated in a conference organized by Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS) on theme 'Financial Crime Compliance Emerging Trends & Opportunities' in New Delhi.
May 2023	Taxand Global Conference 2023	IFSCA officials participated in a conference organized by Taxand in collaboration with Economic Laws Practice (ELP). A dedicated session on the theme “IFSC: A Gateway to India” was organized to present various business opportunities available to the financial services industry in GIFT IFSC.
	Roadshow by KredX GTX	A roadshow was organized in Ahmedabad by KredX on the theme “Experience India's First IFSCA Licensed Global Trade Financing Exchange”. IFSCA officials participated and highlighted the trade financial related opportunities in GIFT IFSC.

Date	Particulars	Remarks
June 2023	Webinar on 'The Future of Aircraft Leasing from IFSC-India'	A webinar was organised by PwC on the theme - 'The Future of Aircraft Leasing from IFSC-India'. During the webinar, IFSCA officials highlighted various policy, tax and regulatory enablers provided for the growth of aircraft leasing business in GIFT IFSC.
	India Investment Forum event organized by Morgan Stanley in Mumbai	IFSCA officials participated in the India Investment Forum event organized by Morgan Stanley. A dedicated session on the theme 'GIFT IFSC: The Opportunity & What Investors Should Know' was organized to disseminate various opportunities available in GIFT IFSC for the financial services industry.
	Seminar on GIFT IFSC organized by PHD Chamber of Commerce and Industry in New Delhi	A seminar was organized by PHD Chamber of Commerce and Industry on the theme "Importance of GIFT City: Attracting Foreign Funds for Indian Startups & Tax Incentives for Indian Businesses" in New Delhi. IFSCA officials presented various business opportunities available for Indian businesses in GIFT IFSC.
	Webinar organized by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) on GIFT IFSC Opportunities for ICAI's Overseas Chapters	IFSCA officials participated in a webinar organized by ICAI on the theme "Opportunities arising from India's maiden International Financial Services Centre in GIFT City" for educating their overseas chapters about GIFT IFSC opportunities.
	Roundtable Interaction organized by Ministry of Commerce and Industries for Venture Capital Firms	IFSCA officials attended the roundtable interaction organized by Ministry of Commerce and Industries with Indian Fund Managers, Startups and other stakeholders in New Delhi.
	Inc42 India's: Angel & VC Conclave	IFSCA officials participated in a conclave organized by Inc42 for Angel and VC funds in India. A dedicated session titled 'The GIFT City Advantage: A New Frontier for Private Equity Investors' was organized to sensitize the audience about the growing opportunities in GIFT IFSC for the funds industry.

Date	Particulars	Remarks
June 2023	Webinar organized by Invest India on the Foreign University initiative in GIFT IFSC	IFSCA officials participated in a webinar organized by Invest India to disseminate information on IFSCA (setting up and operations of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations 2022 and highlight various advantages of setting up branch campuses in IFSC.
	Seminar on “Discovering the Future: Expedition to GIFT City”	IFSCA officials participated in a day long FinTech seminar organized by PHD Chambers of Commerce in GIFT IFSC. During the seminar, IFSCA officials presented various opportunities available for FinTech firms in GIFT IFSC.
	Webinar organized by FCDO, UK on International Branch Campus opportunities in GIFT IFSC	Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), UK organized a webinar with leading UK Universities to showcase and present 'International Branch Campus opportunities available in GIFT IFSC. During the webinar, IFSCA officials made a detailed presentation on IFSCA (setting up and operations of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations 2022.
September 2023	Global FinTech Fest 2023	IFSCA participated in the Global FinTech Fest 2023 held in Mumbai. During the FinTech fest, Chairperson, IFSCA delivered a keynote address on the topic “Transforming FinTech landscape through innovation and responsible global collaboration”.
	Dubai Hedge Fund Conference	IFSCA officials participated in the Dubai Hedge Fund Conference organized by Wealth Today. During the conference, IFSCA officials presented opportunities for global fund managers in GIFT IFSC.
	Delegation visits by Ministry of Finance officials from Bahrain	IFSCA Officials held a meeting with the delegation of the Ministry of Finance, Bahrain to explore investment opportunities in GIFT IFSC.
	Seminar on Regulatory Development by AMCHAM India	IFSCA officials participated in a seminar on 'Regulatory Developments' organized by the American Chamber of Commerce in India (AMCHAM). During the seminar, IFSCA officials highlighted the latest regulatory and business developments in GIFT IFSC.

Date	Particulars	Remarks
September 2023	Webinar on “GIFT IFSC – A Gateway to Global Capital Market ”	IFSCA officials participated in the webinar organized by NSE on the theme 'GIFT IFSC – A Gateway to Global Capital Market'. During the webinar, IFSCA officials highlighted various regulatory enablers provided for the growth of capital market ecosystem in GIFT IFSC.
	Workshop organized by Ernst and Young, India on the taxation system in India	IFSCA officials participated in the workshop organized by Ernst and Young on the taxation system in India. During the workshop, IFSCA officials sensitized the stakeholders about various tax incentives available to IFSC entities.
	Roundtable Meeting in Mumbai on 'Opportunities for Aircraft Leasing from GIFT IFSC'	IFSCA organized a roundtable meeting with aircraft lessors, airlines, financial institutions and related market participants in Mumbai. During the meeting, a detailed presentation was made on various progressive policy and tax reforms carried out by the Government of India to enable the growth of Aircraft leasing business in GIFT IFSC.
	Roundtable Meeting in Mumbai on 'Funds ecosystem in GIFT IFSC'	IFSCA organized a roundtable meeting with leading Fund Managers in Mumbai. As part of the roundtable interaction, IFSCA officials presented the regulatory and tax landscape for asset management industry in GIFT IFSC.
	Webinar on Global Education Conclave 2.0	IFSCA officials virtually participated in the Global Education Conclave 2.0 organized by One Step Global to disseminate International Branch Campus opportunities available to foreign universities in GIFT IFSC.
November 2023	Event: The Network Forum-Asia	IFSCA officials participated in The Network Forum- Asia event held in Mumbai. During the event, a detailed presentation was made by IFSCA official on “Onboarding Indian Innovations to GIFT IFSC”. During the event, various opportunities available to the startups community in GIFT IFSC were also presented.
	Meeting with Australian Self-Managed Super Fund	IFSCA officials held a meeting with the officials of the Australian Self-Managed Super Fund. During the meeting, IFSCA officials presented the regulatory and tax landscape for the asset management industry in GIFT IFSC.

Date	Particulars	Remarks
	APLMA India Loan Market Conference	IFSCA officials participated in the conference organized by Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) on the India Loan Market opportunities. During the conference, IFSCA officials presented various business opportunities available in India's maiden IFSC in GIFT City.
December 2023	Webinar on Listing of Indian Companies on foreign exchanges	IFSCA officials participated in a webinar organized by American Bar Association on listing opportunities in GIFT IFSC. During the webinar, IFSCA officials presented the business and regulatory landscape available for the entities looking to list their securities on the International Stock Exchanges in GIFT IFSC.
	Wings India 2024 Hyderabad	IFSCA officials participated in Wings India conference organized by Ministry of Civil Aviation. IFSCA officials also participated in the Panel Discussion on Aircraft Leasing & Financing
	Meeting with Global Organization of People of Indian Origin (GOPIO)	IFSCA officials held a meeting with Global Organization of People of Indian Origin (GOPIO) highlight the present regulatory and business opportunities in GIFT IFSC.
	Event on GIFT IFSC Opportunities organized by PHD Chamber of Commerce and Industry	Chairperson, IFSCA gave the keynote address at the event organized by PHD Chamber of Commerce and Industry on GIFT IFSC opportunities in New Delhi.
	Workshop on 'GIFT City - Global / Regional Treasury Centre (RTC)'	IFSCA officials participated in the workshop organized by Standard Chartered Bank on GIFT IFSC - Global / Regional Treasury Centre (RTC) opportunities in GIFT IFSC.
	Webinar to discuss IBC opportunities for Irish Universities in GIFT IFSC	IFSCA officials participated in a Webinar organized by Ireland India Business Association for Irish Universities to understand International Branch Campus opportunities in GIFT IFSC.
	IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC)	A delegation from IFSCA participated in the International Organization of Securities Commission (IOSCO) Asia-Pacific Regional Committee (APRC) and the EU-Asia Pacific Regulatory Forum held from February 26-28, 2024, in Hong Kong.

Date	Particulars	Remarks
March 2024	Workshop on "Potential of Civil Aviation Sector in Indian Economy"	IFSCA officials participated in workshop on "Potential of Civil Aviation Sector in Indian Economy" to present aircraft financing and leasing ecosystem in GIFT IFSC.
	Meeting with Taiwan Bankers Association	IFSCA officials participated in a Virtual Conference (VC) organized by Taiwan Bankers Association to discuss banking sector opportunities in GIFT IFSC. During the meeting, IFSCA officials presented the business and regulatory landscape of the banking sectors in GIFT IFSC.
	PHD Chamber of Commerce and Industry Event: Where Finance meets Technology	IFSCA officials participated in the event organized by PHD Chamber of Commerce and Industry in GIFT City. During the event, IFSCA officials presented various business opportunities available in GIFT IFSC across banking, funds industry, insurance, FinTech, etc.





SECTION-D



QUASI-LEGISLATIVE FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

IFSCA has been established as a unified regulator to develop and regulate the financial services market in the IFSCs in India. The Authority can perform all such executive, quasi-legislative and quasi-judicial functions in IFSCs, as are being performed by the domestic financial sector regulators in India, namely, RBI, SEBI, PFRDA and IRDAI. Section 12 of the IFSCA Act, 2019 empowers IFSCA to develop and regulate financial products, financial services, and financial institutions in an IFSC. It can also recommend to the Central Government certain financial products, financial services, and financial institutions which may be permitted in an IFSC. Further, under section 13 of the Act, IFSCA can exercise all powers exercisable by the aforesaid four domestic regulators with respect to certain Acts specified under the First Schedule of the Act in so far as they relate to financial products, financial services, and financial institutions in the IFSCs.

The Authority while exercising its quasi-legislative powers has notified regulations on multiple areas. Apart from the core activities of banking, capital markets and insurance, the regulations have also been framed on administrative and miscellaneous matters. To give effect to the functioning of various financial products and financial services regulated by the Authority, the following regulations, major notifications, guidelines, and circulars have been issued:

Table 30 : List of Regulations

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
1	IFSCA (Re-insurance) Regulations, 2023 IFSCA/2022-23/GN/REG036	11/04/2023	The regulations inter-alia provides for detailed framework for oversight and control of inward and outward arrangement of re-insurance by the IFSC Insurance Offices (IIOs), wherein a part of the risks assumed by an IIO is ceded to another IIO or the re-insurer.
2	IFSCA (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2023 IFSCA/2022-23/GN/REG034	11/04/2023	Vide the amendments the funds of a client availing portfolio management services (other than those availing only advisory services) may be maintained in: (a) a specific bank account of the FME in a Banking Unit. (b) a specific bank account of the client in a Banking Unit, a bank in India or a Foreign Jurisdiction; or (c) any other manner as may be specified by the Authority.
3	IFSCA (Assets, Liabilities, Solvency Margin and Abstract of Actuarial Report for Life Insurance Business) Regulations, 2023 IFSCA/2022-23/GN/REG039	19/04/2023	The Authority has issued these regulations to inter-alia provide for the regulatory requirements towards maintenance of capital and solvency margins for transacting insurance business by IIOs registered with the Authority, whether set up in an incorporated or in unincorporated form in the IFSC.
4	IFSCA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023 IFSCA/2022-23/GN/REG038	19/04/2023	
5	IFSCA (Management Control, Administrative Control and Market Conduct of insurance business) Regulations, 2023 IFSCA/2022-23/GN/REG035	26/04/2023	In order to strengthen the regulatory framework related to Management Control, Administrative Controls and Market Conduct of insurance business carried out by IFSC Insurance Office (IIO) or IFSC Insurance Intermediary Office (IIIO), the Authority has issued comprehensive regulations by adopting

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
			<p>international best practices. The regulations <i>inter-alia</i> provides regulatory framework for -</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Capital related issues and Management control; (2) Minimum Limits for Annuities and other Benefits; (3) Acquisition of Surrender and Paid up values; (4) Expenses of Management of IIOs; (5) Payment of Commission or Remuneration or Reward to Insurance Intermediaries; (6) Protection of Policyholders' Interests; and (7) Insurance Advertisements and Disclosure.
6	IFSCA (Banking) (Amendment) Regulations, 2023 IFSCA/2023-24/GN/REG041	06/07/2023	<p>The regulations inter-alia amended the certain definitions under IFSCA (Banking) Regulations, 2020. The definition of “IFSC Banking Company” was included in order to enable Banking Unit subsidiary company of the Parent Bank. Further, under the First Schedule specified 11 foreign currencies inter-alia include US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese Yen (JPY), UK Pound Sterling (GBP), Canadian Dollar (CAD), etc.</p>
7	IFSCA (Capital Market Intermediaries) (Amendment) Regulations 2023 IFSCA/2023-24/GN/REG040	10/07/2023	<p>Certain new definitions have been inserted under the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021. The inclusion inter-alia include definition of “capital market intermediary”, “distributor” and “registered distributor”.</p>
8	IFSCA (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) (Amendment) Regulations, 2023 IFSCA/2023-24/GN/REG042	25/10/2023	<p>Minor changes in the provisions of the IFSCA (Investment by International Financial Services Centre Insurance Office) Regulations, 2022 have been carried out.</p>
9	IFSCA (Payment Services) Regulations, 2024 IFSCA / GN / 2024 /001	29/01/2024	<p>The regulations inter-alia lay down the framework for entities providing the following payment services to seek authorisation from IFSCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Account issuance service (including e-money account issuance service); b) E-money issuance service;

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
			<p>c) Escrow service; d) Cross border money transfer service; and e) Merchant acquisition.</p> <p>By enabling the above services to be provided out of IFSC, the regulations allow financial institutions in IFSC to provide as well as receive a wide range of financial services that facilitate the transfer of money between individuals, businesses, and other entities.</p> <p>The regulations would also permit Indian FinTech entities looking to offer their products globally to develop IFSC as their base to expand their offerings to jurisdictions across the world.</p>

Table 31 : List of Major Notifications

Sr. No	Notifications	Date of Publication	Purpose of Notification
1	Enabling lease of 'Aviation training simulation devices' as a financial product in IFSC IFSCA/2022-23/GN/037	11/04/2023	To notify an operating lease, including hybrid of operating and financial lease, in respect of 'Aviation training simulation devices', as a financial product, u/s 3(1) (d) of IFSCA Act, 2019.
2	Notification of Book-keeping, accounting, taxation and financial crime compliance services under as financial service under the IFSCA Act, 2019 S.O. 291(E)	18/01/2024	To notify the following services as financial services, u/s 3(1) (e) of IFSCA Act, 2019 namely: - i) book-keeping services; ii) accounting services; iii) taxation services; and iv) financial crime compliance services.
3	Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Amendment Rules, 2024 S.O. 332 (E)	24/01/2024	The notification was issued to make certain amendments in the Foreign Exchange Management (Non- debt Instruments) Rules, 2019. The amendments inter-alia was carried out under certain definitions. Additionally, new schedule was inserted under the aforesaid rules, pertaining to Direct Listing of Equity Shares of Companies Incorporated in India on International Exchanges Scheme.



Sr. No	Notifications	Date of Publication	Purpose of Notification
4	Companies (Listing of equity shares in permissible jurisdictions) Rules, 2024 G.S.R. 61(E)	24/01/2024	<p>The notification was issued by Ministry of Corporate Affairs. The Rules extend to unlisted and listed public companies that seek to issue securities for listing on permitted stock exchanges in permissible foreign jurisdictions, including the International Financial Services Centre (IFSC).</p> <p>The rules inter-alia specifies the India International Exchange and NSE International Exchange as permitted platforms for such listings. Moreover, the MCA has identified certain entities that are not eligible under these regulations, which include Nidhi Companies and companies limited by guarantee.</p>
5	Delegation of powers of Development Commissioner under SEZ Act to Administrator (IFSCA) S.O. 940(E)	28/02/2024	<p>As a measure of unifying the regulatory framework and for ease of doing business to the Units proposing to set up their offices in GIFT IFSC, the Government of India vide Gazette Notification u/s 31 of the IFSCA Act, 2019 dated 28.02.2024 has vested the powers of Development Commissioner under SEZ Act 2005, with respect to IFSC units, to an officer nominated by the IFSCA to be designated as "Administrator (IFSCA)".</p> <p>This move aims to ensure that instead of following up with the offices of IFSCA and Development Commissioner of GIFT SEZ, now the entities can approach only IFSCA for all the required approvals, whether under SEZ Act or IFSCA Act.</p>

Table 32 : List of Major Circulars/ Guidelines

Sr. No	Circulars/Guidelines	Date of Issue	Objectives
1	Addendum to the circular related to "Framework for enabling ancillary services at International Financial Services Centre" (Ancillary Framework) 206/IFSCA/Anc. Aux /2020-21	06/04/2023	The Addendum was issued to include following ancillary services under the head of Professional Services under the Ancillary Framework: (I) Voice broking services to entities in IFSC or from outside India in relation to business of banking; (ii) Ship broking for permitted activities under "IFSCA Framework for ship leasing".
2	Utilisation of office space or manpower or both by entities undertaking aircraft leasing activity in the International Financial Services Centre 535/IFSCA/FC/ALF/20 23-24/02	18/04/2023	The amendment to SEZ Rules, vide insertion of Rule 21B exempted Finance Company (FCs) or Finance Unit (FUs) undertaking aircraft leasing activity in IFSC from the requirement of maintaining separate office, alternatively enabled them to utilise office space or manpower or both, of a FC or FU undertaking aircraft leasing activity in IFSC, post seeking approval from IFSCA. In furtherance to this, the Guidelines were issued specifying the conditions and other requirements for utilisation of office space or manpower or both by entities undertaking aircraft leasing activity in the IFSC.
3	Direct Market Access (DMA) facility IFSCA/CMD-DMIIT/EXCHTRD/202 3-24/001	21/06/2023	The DMA Facility allows Broker-Dealers to offer their clients direct access to the trading system of the Stock Exchange, through the Broker-Dealer's trading systems, without any manual intervention by the Broker-Dealer. The circular inter-alia specified responsibilities of the Broker-Dealer & due diligence of prospective clients, facility of Sponsored Access (SA), Sub-delegation of DMA/SA., etc.
4	Co-location facility offered by the Stock Exchanges IFSCA/CMD-DMIIT/EXCHTRD/202 3-24/002	23/06/2023	The circular inter-alia provides for Fair and equitable co-location services with respect to the data centres that are owned and managed by the Stock Exchange, among other things.

Sr. No	Circulars/Guidelines	Date of Issue	Objectives
5	The IFSCA Banking Handbook: Prudential Directions – V 4.0 (PRU)	10/07/2023	<p>The directions under these PRU modules are aimed at establishing certain minimum non-quantitative prudential requirements that shall be applicable for the IBUs set up as branches in IFSC, in addition to those applicable on them as a branch of the Banking Company under the respective Home Regulations. The PRU modules cover the qualitative aspects of prudential requirements in respect of governance, governing board responsibilities, policies, systems, and controls to be made applicable on IBUs.</p> <p>The V 4.0 (PRU) has inter-alia amended certain provisions pertaining to direction on Stress testing and guidance for undertaking stress testing.</p>
6	The IFSCA Banking Handbook Conduct of General Directions- V 4.0 (GEN)	10/07/2023	<p>The IFSCA Banking Handbook ('Handbook') contains the directions of the Authority to the Banking Units (BUs) operating as branch of a Banking Company (also referred to as 'parent bank' in the IFSCA Banking Regulations).</p> <p>This module deal with licencing of IBUs, defining 'controlled' and 'designated' functions and the requirements from 'approved /authorised individuals' who can carry out such functions. The GEN directions also lay out the broad principles for banking business and provide information about the Authority's supervisory powers, functions, and approach.</p> <p>The GEN Directions V 4.0 has amended the provisions inter-alia pertaining to Principles of Governance, Outsourcing.</p>
7	The IFSCA Banking Handbook: Conduct of Business Directions- (CoB) V 5.0	10/07/2023	<p>The COB directions are aimed at ensuring that IFSC Banking Units (IBUs) meet the minimum standards of conduct expected, particularly with regard to the treatment of their clients, their dealings with counterparties and other market participants.</p> <p>The CoB 5.0 amends certain provisions related to definition and permitted activities.</p>

Sr. No	Circulars/Guidelines	Date of Issue	Objectives
8	Framework for grant of funds for research studies by IFSCA 1068/IFSCA/EPA/Research/2023-24	04/12/2023	IFSCA issued the circular on “Framework for Grant of Funds for Research Studies by IFSCA” to conduct research studies with the objective to aid IFSCA in designing policies and in evaluating the impact of implemented policies in GIFT IFSC by undertaking effective research backed by strong analytical and empirical formulations.
9	Permitting International Branch Campuses (IBCs) and Offshore Educational Centres (OECs) at GIFT-IFSC to avail infrastructure services from Academic Infrastructure Service Providers (AISPs) IFSCA BDev./FU/1/2023-BD	14/12/2023	<p>The circular is issued in order to facilitate setting up of high-quality campus infrastructure facilities in GIFT IFSC, this circular is being issued to specify conditions for IBCs and/or OECs for availing infrastructure and other support services from an AISP.</p> <p>While the AISPs shall be governed as per the provisions of the SEZ Act 2005, applicable rules and regulations, the IBCs/OECs shall adhere to the conditions specified in this circular, for availing their services. The enablement under the aforementioned circular shall only govern the relationship between AISP and IBC/ OEC and does not apply to an IBC/OEC seeking support services other than Campus Infrastructure Services.</p>





Policies and Programmes for the following year

Establishing and Promoting GIFT IFSC as a hub for dispute resolution

In the Union Budget 2022-23, Hon'ble Finance Minister announced setting up of an International Arbitration Centre (IAC) in GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence.

In order to establish and to operationalise the IAC at GIFT IFSC a robust team of experts in the field of International Commercial Arbitration and Alternate Dispute Resolution is pre-requisite. Accordingly, IFSCA had constituted an *“Expert Committee on drafting Institutional Arbitral Rules for International Arbitration Centre (IAC) at GIFT IFSC and matters incidental thereto”* (IAC Committee) on May 25, 2023.

The committee inter-alia includes the following broad terms of reference:

- i. To suggest and guide in preparing a roadmap for making GIFT-IAC a hub for alternative dispute resolution of international financial and commercial disputes.
- ii. To suggest regulatory design, legal framework including regulations, and procedures of the proposed dispute resolution centre in relation to:
 - a. Institutional framework for the legal and administrative structure of the proposed GIFT-IAC and the roles and responsibilities of its Governing Body.
 - b. Institutional rules for arbitration, mediation, and other hybrid mechanisms of alternative dispute resolution, such as mediation-arbitration, arbitration-mediation-arbitration, neutral evaluation, etc.
 - c. Institutional framework for online dispute resolution, third-party funding in alternate dispute resolution proceedings and technology-related services existing in major established dispute resolution centres.

Programs envisioned

The report of the Expert Committee is expected to be submitted in the month of May/ June 2024. IFSCA will strive to implement the recommendations of the committee by seeking requisite legal enablers and other policy changes and the same would be taken up with Department of Economic Affairs. In order to popularize and promote GIFT IFSC as a seat of international commercial arbitration and mediation, the following initiatives are envisaged to be undertaken:

- (i) A global conclave to be organized highlighting the unique benefits of GIFT IFSC as a seat for dispute resolution;
- (ii) Collaboration with agencies, major global arbitration and mediation centres and practitioners; and
- (iii) Outreach programs to be conducted in order to onshore the offshores disputes and practitioners.

Amendments under IFSCA Act, 2019

In order to create an overarching framework for IFSC in India and to bring futuristic changes in IFSCA Act, 2019 the Department of Economic Affairs has constituted a committee on May 23, 2023, for drafting amendments to the IFSCA Act, 2019. In view of this, the IFSCA has examined the IFSCA Act & other relevant Acts and proposed amendments inter-alia in relation to dispute resolution mechanism in IFSC, Ancillary Services, Variable Capital Companies, and enforcement powers for newly notified financial products and financial services, etc. The proposed amendments are being pursued by IFSCA.

Introduction of IFSCA (Informal Guidance) Scheme, 2024

As the financial sector operates within a highly regulated environment characterized by various laws, regulations, and guidelines aimed at safeguarding investors' interests, ensuring market integrity, and maintaining financial stability. In this regard IFSCA is envisaging to issue interpretative letters, no-action letters, and informal guidance to provide clarity, guidance, to financial institutions. These regulatory instruments play a crucial role in clarifying regulatory requirements, resolving interpretative ambiguities, and facilitating compliance efforts within the financial industry.

Review of IFSCA Regulations

As per the Regulation 7 of the IFSCA (Procedure for making Regulations) Regulations, 2022, the Authority (IFSCA) shall review each regulations every three years, keeping in view the factors specified under the said regulation. Accordingly, a holistic examination of relevant regulations which have completed three years are being undertaken. In respect of some new areas, IFSCA has in the past issued the regulatory framework in the form of circular/ guidelines/ notifications etc. In view of this, IFSCA is in contemplating to evaluate such circulars to convert them into Regulations after gaining sufficient experience.





BRIGADE BFC

NSE

BIFC

BIFC

SECTION-E

PERFORMANCE ASSESSMENT

Section 17(3) of the IFSCA Act, 2019 provides the mechanism to review the performance of IFSCA. Section 28(2)(d) of the IFSCA Act, 2019 provides IFSCA the powers to make regulations in respect of Performance Review Committee. Accordingly, IFSCA (Performance Review Committee) Regulations, 2022 (“PRC Regulations”), were notified on March 23, 2022, providing the framework for constitution, scope, information sharing and reporting relating to functioning of Performance Review Committee (“PRC”).

The following three committees were formed to review the functioning of the Authority:

Committee on Compliance

The scope of the committee is to review whether the authority has adhered to the provisions of the applicable laws while exercising powers or performing functions under the Act.

Members of the Committee

- (i) Shri Bahram Vakil, Independent Expert (Chairperson of the Committee)
- (ii) Member from RBI (Shri Saurav Sinha, ED)
- (iii) Member from SEBI (Shri Pramod Rao, ED)
- (iv) Shri J Ranganayakulu, Independent Expert Major

Recommendations of the Committee

- (i) IFSCA is largely in compliance with the provisions of IFSCA Act, 2019 and IFSCA (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021 while issuing the regulations notified in FY 2022-23. IFSCA has followed a consultative approach for framing of the regulations in general.
- (ii) Benchmarking with global best practices: While IFSCA has made references to the global best practices in the consultation paper and expert committee reports in respect of some of the regulations notified in FY 2022-23, this approach may be followed in respect of all the regulations notified by IFSCA, wherever necessary. The benchmarking with global standards and best practices of other jurisdictions will contribute towards a better policy formation aimed at serving several objectives such as promoting ease of doing business, managing systemic risk and robust regulatory regimes. In this regard, the Committee also suggests that concept papers at an early stage of policy making may also be floated, wherever desirable.

Committee on Transparency and Best Practices of Governance

The scope of the committee is to review whether the regulations made by the Authority to give effect to the provisions of the Act promote transparency and best practices of governance.

Members of the Committee

- (i) Dr. M. S. Sahoo, Independent Expert (Chairperson of the Committee)
- (ii) Member from Department of financial Services (Shri Pankj Sharma, Joint Secretary)

- (iii) Member from PFRDA (Shri Ananta Gopal Das, ED)
- (iv) Shri M V Nair, Independent Expert

Major Recommendations of the Committee

- (i) Starting its journey about three years ago, the IFSCA has made significant strides in developing and regulating GIFT IFSC. More importantly, IFSCA has adopted certain best practices of governance in a short span from the commencement of its operations. The regulations specifying the procedure for making regulations and conducting board meetings are commendable illustrations of these practices. On top of it, the Authority has embarked on a review of its performance, which is a rarity in the Indian regulatory landscape. The Committee takes notice of these practices and applauds the IFSCA for embedding them into the organisational DNA at such an early stage. The implementation of the suggestions made by the Committee may put the Authority on the path of a model regulator.
- (ii) Regulatory clarity and predictability are key to ease of doing business. A business entity most often wishes to do business, and not be a victim of legal ambiguity. In its sincerity to comply with the law, it may need clarity and comfort before it executes a transaction. Regulations may enable a stakeholder to seek clarification, interpretation, or 'no action letter' from the Authority in case of doubt. The Authority may establish an institutional mechanism that provides informal guidance on the provisions of the law as well as 'no action letter' in case of proposed transactions.

Committee on Risk Management

The scope of the committee is to review whether the Authority is managing risks to its functioning in a reasonable manner.

Members of the Committee

- (i) Member from IRDAI (Shri P. K. Arora, Whole Time Member) (Chairperson of the Committee)
- (ii) Member from Department of Economic Affairs (Ms. Surbhi Jain, Joint Secretary)
- (iii) Shri Sriram Balasubramanyam, Independent Expert
- (iv) Shri G Srinivasan, Independent Expert

Major Recommendations of the Committee

- (i) In the initial period, the focus should be on creating an appropriate risk management framework at IFSCA for its functioning as a regulator, rather than conducting a comprehensive review.
- (ii) By enhancing its regulatory framework, IFSCA can adapt to emerging risks and market developments, foster international cooperation, and ensure effective enforcement. Implementing risk-based supervision allows IFSCA to allocate regulatory resources efficiently, prioritize supervisory efforts, and stay ahead of potential risks. Furthermore, investments in technology and cybersecurity enable IFSCA to improve operational efficiency, data management, and protection against cyber threats.

Recommendations of the Committees along with Action Taken Report have been submitted to central Government.



SECTION-F

SOURCE OF FUNDS AND MAJOR AREAS OF EXPENDITURE (FY 2023-24)

Table 33 : Sources of Funds for FY 2023-24

Sources of Fund – Receipts	Amount (INR Lakhs)
Annual Fees	2,499.46
Application Fees	254.40
Broker Turnover Fees: Capital Markets	1,232.24
Turnover based fee from Insurance Offices	20.06
Listing Fees	2.49
Registration Fees	2,192.96
Other Fees (Processing fee etc.)	64.77
Government Grants	6,463.54
Interest income	695.33
Fees from Miscellaneous Services	1.16
Other Incomes	54.31
Total	13,480.72

Table 34 : Break Up of Government Grants for FY 2023-24

Major Areas of Expenditure – Payments	Amount (INR Lakhs)
Grants in Aid for Salary	3,663.54
Grants in Aid for General	1,300.00
Grants in Aid for creation of Capital	1,500.00
Total	6,463.54

Table 35 : Major Areas of Expenditure for FY 2023-24

Major Areas of Expenditure – Payments	Amount (INR Lakhs)
Establishment Expenses	3,782.15
Administrative Expenses	1,974.58
Purchase of Fixed Assets (including payment made for Headquarter Land/Building)	3,919.06
Security Deposit for C-DAC	1.00
Total	9,676.79

SECTION-G

ORGANISATIONAL MATTERS

Authority Structure

Table 36 : Authority Structure as on March 31, 2024

Department	Divisions
Banking Supervision	Banking Supervision
	Finance Company Supervision
Banking	Finance Company Regulation
	Payment and Settlement
	Banking Regulations
Capital Markets	Corporate Finance – Equity, Hybrid and related products
	Corporate Finance – Debt and Sustainable Finance
	Market Infrastructure Institutions – Regulation and Supervision
	Investment Funds - I and New Products & Services
	Investment Funds - II
	Supervision of Intermediaries
Insurance & Pension	Insurance
	Pension
Metals and Commodities	Market Development
	Market Regulation
Development	Development of Financial Markets
	Foreign University
	Economic Policy and Analysis
	International Affairs
	Outreach and Communication
	Ease of Doing Business Cell

Department	Divisions
General Administration	Administration and HR
	Treasury Finance and Accounts
	Rajbhasha
	Project Management Unit (International Events, Conferences and Summits)
Technology	Information Technology
	FinTech
Policy and Legal Affairs	Legal Policy
	Legal Affairs
	Investor Education and Protection
	SEZ
Regulatory Policy and Regulatory Affairs	Regulatory Cooperation
	Risk Based Supervision Cell
	SupTech
	Anti Money Laundering and CFT
	Global-In-House Centre and Ancillary Services
	Cyber Security

Authority Meetings

Table 37 : IFSC Authority Meetings held in FY 2023-24

Sr. No.	Meeting	Date
1	15 th Authority meeting	June 26, 2023
2	16 th Authority meeting	September 27, 2023
3	17 th Authority meeting	December 29, 2023
4	18 th Authority meeting	March 27, 2024

Human Resources

Table 38 : Sanctioned and Actual strength of employees

Position	Sanctioned strength as on 31.03.2024	Actual strength as on 31.03.2024
Executive Director	6	3
Chief General Manager	12	5
General Manager	16	15
Deputy General Manager	20	6
Assistant General Manager	27	6
Manager	35	15
Assistant Manager	47	33
Executive Assistant/ Senior Executive Assistant/ Executive Superintendent	27	0
Multi-Tasking Staff Grade A/ Grade B/ Grade C*	13	3
TOTAL	203	86

*The requirements are being partially met through outsourcing

Being a unified financial sector regulatory Authority, IFSCA requires the expertise and skill set of Young Professionals/Consultants/Sr. Consultants in the fields of Capital Market, Banking, Insurance, Bullion, Funds Management, FinTech, etc. In accordance with the guidelines for engagement of consultants on a contractual basis, the Authority has engaged the consultants as mentioned in the table below:

Table 39 : Consultants at IFSCA as on March 31, 2024

Sr. No.	Position	Number	Remarks
1	Sr. Consultants	3	Full time basis
2	Consultants Grade1/Grade2	9	Full time basis
3	Young Professionals	12	Full time basis
4	Adviser	1	Part-time basis

Right to Information

Table 40 : Status of RTI applications during FY 2023-24

Requests Received	Initial Action to Be Taken	Total number of RTI requests replied				Pending Requests
		Information Provided	Rejected	Transferred To Other Public Authority	Returned To Applicant	
232	0	219	2	1	0	10

IFSCA Headquarters Building Project

The headquarters building of IFSCA ("IFSCA Tower") is planned to have a built-up area of over 3,00,000 square feet spread across 26 floors with best-in-class modern amenities and a magnificent panoramic view. In keeping with the Smart City concept of GIFT City, the IFSCA Tower has been designed to be a platinum rated green building with a highly efficient and sustainable structure. It is believed that as grand as this building is in its architecture, it will also create unlimited opportunities to make India an economic superpower.

As on March 31, 2024, the construction work for fourteen floors has been completed and schematic floor layouts for the interior fit-outs package have been finalized. Finishing & Mechanical, Electrical, Plumbing, and Fire Protection (MEPF) work has also started simultaneously, and the building is expected to be fully functional by March 2025. Once completed, IFSCA Tower will emerge as a monumental edifice in GIFT City and symbolize the dreams and aspirations of a New and Aatma Nirbhar Bharat.

IFSCA Celebrated Swachhata Pakhwada – "Swachhata Hi Seva - 2023"

IFSCA organised a Walkathon as part of 'Swachhata Pakhwada - Swachhata Hi Seva' on September 29, 2023. As part of the Pakhwada, IFSCA employees actively participated in the Walkathon and reaffirmed their commitment to cleanliness, sanitation, and waste management. Affirming their commitment to cleanliness, IFSCA employees took a Swachhta Pledge administered by IFSCA Chairperson.



Image 37 : IFSCA Employees taking Swachhata Pledge administered by Chairperson, IFSCA



Image 38 : Walkathon as part of 'Swachhata Pakhwada - Swachhata Hi Seva'

As part of 'Swachhata Pakhwada - Swachhata Hi Seva (SHS) 2023', from September 15, 2023, to October 02, 2023, IFSCA employees pledged their commitment to avoid single use plastic in their daily routine IFSCA organised a cleanliness drive at PDPU Bridge Gift City. The drive concluded with segregation of collected waste into recyclable & non-recyclable categories.



Image 39 : Cleanliness drive at PDPU Bridge Gift City As part of 'Swachhata Pakhwada - Swachhata Hi Seva (SHS) 2023' by IFSCA employees

IFSCA Celebrated International Yoga Day 2023

The International Day of Yoga (IDY), which is celebrated across the world annually on June 21 since 2015, following its inception in the United Nations General Assembly in 2014, was celebrated at IFSCA (HQ) on June 21, 2023, with the adoption of Common Yoga Protocol, a 1-hour sequence of Yoga exercises designed by Yoga exponents in the country.

The theme of IDY 2023 was “Yoga is a way of life”. Yoga being a physical, mental, and spiritual practice with ancient origins in India, employees of IFSCA practiced the Common Yoga Protocol, reaffirming their commitment to physical and mental wellbeing.

Vigilance awareness week 2023

As part of the Vigilance Awareness Week from October 30, 2023, to November 05, 2023, IFSCA Officers took Vigilance Pledge affirming their commitment towards integrity and ethics in public life. A spirited debate and discussion on topics “Best Practice in Governance to Prevent Corruption” and “Corruption is a Cancerous Limb” took place at the IFSCA on November 02, 2023, as a part of the Vigilance Awareness week marked by active participation from IFSCA employees.



Image 40 : IFSCA Officers taking Vigilance Pledge as part of Vigilance Awareness week

IFSCA organised a two-days Chintan Shivir

A two-days Chintan Shivir was organised on March 12-13, 2024, to deliberate and achieve the vision of Hon'ble PM that “IFSCA will not only become an enabler but will also support innovation and will also act as a catalyst for growth opportunities.”

The Chairperson, IFSCA, Shri K Rajaraman, spearheaded the 'Chintan Shivir' held at Kevadia, Gujarat, aimed at fostering strategic insights and outlining future trajectories for IFSCA's role as a regulator. The event drew the active participation of IFSCA officers and employees, marking a pivotal milestone in charting the organization's course forward.

On first day, a tour to SoU and other state-of-the art infrastructure and facilities at Kevadia was organised. On the second day, the Chintan Shivir unfolded across six dynamic sessions, each delving into critical themes shaping the future of international finance and IFSCA's strategic positioning therein.

The first session, themed 'Future of Finance/Web 3.0/AI/Quantum Computing,' delved into the transformative potential of emerging technologies and their implications for financial services in the digital age. Discussions were made on the integration of AI, blockchain, and quantum computing in reshaping financial infrastructure and services from a regulatory perspective.

In the second session, 'IFSCA as a Global Climate Finance Hub,' participants explored avenues for IFSCA to spearhead sustainable finance initiatives, aligning with global efforts to combat climate change. Discussions revolved around fostering green investments and incentivizing climate-resilient financial products.

The third session focused on 'Culture Building in Organization,' emphasizing the significance of nurturing a cohesive organizational culture conducive to innovation, collaboration, and ethical



Image 42 : City tour, as part of Chintan Shivir 2024

IFSCA celebrated 75th Republic Day

IFSCA celebrated India's 75th Republic Day at GIFT City in Gandhinagar with great enthusiasm and patriotism. Employees of IFSCA gathered to honor the occasion, reflecting on India's journey of 75 years since becoming a republic. The celebrations included a flag hoisting ceremony, cultural programs, and speeches. The event highlighted the nation's journey and achievements since becoming a republic, reflecting on the values and principles that have guided India's progress.



Image 43 : Flag hoisting ceremony on 75th Republic Day

IFSCA celebrated 77th Independence Day

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) celebrated India's 77th Independence Day at GIFT IFSC in Gandhinagar. The celebration commenced with a flag-hoisting ceremony, followed by an inspiring speech from Chairperson, IFSCA, highlighting India's economic milestones and future aspirations. The event fostered a profound sense of pride and patriotism among the participants, reflecting on India's journey to independence and its subsequent progress.




Image 44 : Flag hoisting on 77th Independence Day Celebration



Internal Complaints Committee: PoSH Act

An Internal Complaints Committee (ICC) was constituted on July 27, 2021, by the Competent Authority in compliance with Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (PoSH Act). The members of ICC include an External Member, along with Internal Members and the senior-most lady officer as the Presiding Officer.

During the Financial Year 2023-24, the ICC has not received any complaints. The ICC had four meetings, one in each quarter, during the year. Awareness programmes were also conducted for sensitizing IFSCA employees regarding the PoSH Act and the mechanisms available for resolution of any complaints. A session was also conducted by the External Member on the PoSH Act for the new employees.







अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट टीम २०२३-२४

दिपेश शाह, कार्यकारी निदेशक

अक्षय सिंह, सहायक महाप्रबंधक

चिराग रावत, सहायक प्रबंधक

उदीशा शर्मा, युवा व्यावसायिक



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

द्वितीय और तृतीय तल, प्रज्ञा टावर, ब्लॉक १५, जोन १, रोड १सी, जीआईएफटी एसईजेड,
जीआईएफटी सिटी, गांधीनगर, गुजरात - ३८२ ३५५
वेबसाइट: <https://www.ifsca.gov.in/>

International Financial Services Centres Authority

2nd & 3rd Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1,
Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City, Gandhinagar, Gujarat - 382 355

Website: <https://www.ifsca.gov.in/>